राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का ४९वां दिवस [संख्या ३६

मंगलवार, दिनांक १३ अप्रेल, १९६५

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.०४ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[विद्युत्, यातायात, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण तथा सहकारी-विभाग]

मोटर व्हिकल सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध आदेश

८७२. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बीकानेर के वर्तमान सहायक प्रादेशिक यातायात अधिकारी (ए० आर० टी० ओ०) श्री कुन्दनसिंह झाला द्वारा श्री श्योदानसिंह, मोटर व्हिकल सब-इन्सपेक्टर को जिसके विरुद्ध बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार की शिकायतें होने तथा जिलाधीश की प्रतिकूल रिपोर्ट होने के कारण गंगानगर से बीकानेर स्थानान्तरित किया गया था, अपने साथ दौरे पर जिला गंगानगर लाया गया जब कि संचालक, यातायात राजस्थान जयपुर के अनुदेश इसके विपरीत हैं ? यदि हां, तो क्यों और कैसे ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : जी हां, यह सही नहीं है कि श्री कुन्दनसिंह झाला, सहायक प्रादेशिक यातायात अधिकारी, बीकानेर—श्री श्योदानसिंह मोटर व्हिकल सब-इन्सपेक्टर, बीकानेर को अपने साथ दौरे पर गंगानगर लाए. नगर सहायक प्रादेशिक यातायात अधिकारी बीकानेर ने श्री शिवदानसिंह को राज्य कार्य हेतु तहसील अनूपगढ़ व सूरतगढ़ का दौरा करने दिनांक १८, १९ मार्च, १९६४ को भेजा था क्योंकि वे दोनों तहसीलें इसी उप-निरीक्षक, बीकानेर के हल्के में हैं।

सहायक प्रादेशिक यातायात अधिकारी बीकानेर श्री कुन्दनसिंह झाला दिनांक २१–

Page No.2

(श्री भीमसिंह)

३-६५ को गंगानगर दौरे पर गये थे। उस दिन श्री शिवदानसिंह अपनी दौरे की रिपोर्ट सहायक प्रादेशिक यातायात अधिकारी, बीकानेर को पेश करने हेतु गंगानगर आये और उसी दिन ८ बजे रात को गाड़ी से वापिस बीकानेर के लिए रवाना हो गए।

प्रश्न संख्या ८७३

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री देवीलाल।

उदयपुर-सलूम्बर रूट पर चलने वाली बसें

८७४. श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा-सु०) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर-सलूम्बर रूट पर चलने वाली बसों का क्या समय निर्धारित है ?

(२) क्या यह सही है कि इस रूट पर प्रायः गाड़ियों में बहुत अधिक भीड़ रहती है फिर भी बसों के पर्मिट नहीं बढ़ाये जा रहे हैं ?

(३) इस रूट पर क्या बसों की संख्या निर्धारित की गई थी ?

(४) यदि हां, तो यह संख्या कब निर्धारित की गई थी ?

(५) क्या यह सही है कि संख्या निर्धारित किये काफी समय हो गया है और अब ट्रेफिक काफी बढ़ गया है ?

(६) क्या यह सही है कि उदयपुर-सलूम्बर रूट 'ए' क्लास रूट है और 'ए' क्लास रूट पर परमिटों की संख्या बढ़ाने की रोक कर रखी है ?

(७) क्या परिवर्तित परिस्थिति को देखते हुए इस प्रतिबन्ध को सरकार हटाने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) उदयपुर-सलूम्बर मार्ग के समय जो आर० टी० ए० द्वारा निर्धारित किये हुए हैं वे निम्न प्रकार हैं :

अप सर्विस

	उदयपुर प्रस्थान	सलूम्बर आगमन
१.	७. ०० प्रातः	१०. ०० प्रातः
२.	११. ०० प्रातः	२. ०० दोपहर
३.	४. ०० प्रातः	७. ०० सायं
४.	६. ०० सायं	६. ०० सायं

डाउन सर्विस

१.	६. ०० प्रातः	६. ०० प्रातः
२.	८. ०० प्रातः	११. ०० प्रातः
३.	११. ०० प्रातः	२. ०० दोपहर
४.	४. ०० सायं	७. ०० सायं

(२) इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं हुई है फिर भी मीटिंग में जनता की सुविधा के लिए एक परमिट और जारी किया है।

(३) जी हां।

(श्री भीमसिंह)

(४) इस मार्ग पर आर० टी० ए० की रेजूलेशन संख्या २१४ दिनांक २८ मई, १६५६ के द्वारा ६ बसों की संख्या निर्धारित की गई थी।

(५) संख्या का निर्धारण १६५६ में किया गया था ट्रेफिक में वृद्धि होने पर आर० टी० ए० ने जनता की सुविधा के लिए एक परमिट और जारी किया है।

(६) जी हां।

(७) प्रार्थनापत्र आने पर सरकार विचार कर सकती है।

श्री देवीलाल मीणा : क्या प्रार्थना-पत्र नहीं आये हैं ?

श्री भीमसेन : जैसा मैंने निवेदन किया कि जो पहले आये थे उनके लिए एक परमिट बढ़ा दिया है फिर भी अगर जनता महसूस करती है कि एक बढ़ाने के बावजूद भी कमी है तो और प्रार्थनापत्र आने पर फिर विचार किया जा सकता है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : बसों में भीड़ को मिटाने के लिए और परमिट दिये जायें क्योंकि बसों में भीड़ बहुत ज्यादा रहती है।

श्री भीमसेन : एक गाड़ी इसीलिए बढ़ाई है कि वहां पर भीड़ चलती थी। उसके बावजूद फिर भी अगर ट्रेफिक का प्रेशर रहता है और भी बढ़ाई जा सकती हैं।

श्री देवीलाल मीणा : एक गाड़ी के बढ़ाने से समस्या हल नहीं हो जायेगी। यहां पर जो लोग परमिट लेकर चलते हैं उन्हीं को वह परमिट दिया गया है और परमिट बढ़ाने से जनता को काफी सुविधा होगी। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि परमिट अधिक दिये जायें ताकि जनता को अधिक सुविधा हो सके।

श्री भीमसेन : मगर परमिट मांगने वालों के और प्रार्थनापत्र आयेंगे तो और दे दिये जायेंगे; यदि सर्वे कराने के बाद ऐसा महसूस किया गया तो।

श्री अध्यक्ष : १६५६ से आज तक इस रूट पर सिर्फ एक ही परमिट बढ़ा है। आप स्वयं इसके बारे में सोचें और ट्रेफिक का सर्वे करा लें और जितने परमिट दिये जाने हैं उसके लिए नोटिस निकाल दें और बाकी की कार्यवाही कर लें।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, परमिट लेने वालों को परमिट नहीं मिलता है और जिनका वसीला होता है वही परमिट ले सकते हैं।

श्री भीमसिंह : ऐसा है कि यह एस० टी० ए० करता है और यह एक ऑटोनोमस बाडी है...

श्री अध्यक्ष : आपकी तरफ से 'ए' रूट पर रोक लगा दी गई है जब कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

यातायात मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : अब यह रोक हटा दी है।

Page No.4

श्री देवीलाल मीणा : इसके अलावा भी परमिट बढ़ाने की इजाजत दी जायेगी ।

श्री मथुरादास माथुर : जो रोक थी वह अब हटा दी गई है और अब कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि पहले ट्रेफिक सर्वे कर लिया जाये जितने परमिट की आवश्यकता समझी जाये वह एस० टी० ए० के सामने प्रस्तुत कर दिये जायें और नोटिस दे दिये जायें ।

श्री मथुरादास माथुर : राज्य सरकार ने इसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया है, जो कि सर्वे का काम ही कर रहा है ।

प्रश्न संख्या ८७५

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार खां ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८७६

श्री रावतराम ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री ललितमोहन ।

डूंगरपुर से आसपुर एवं साबला चलने वाली बसें

८७७. श्री ललित मोहन (गोगुन्दा-सु) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) डूंगरपुर से आसपुर एवं साबला किस किस नम्बर की बसें चल रही हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इन गाड़ियों के चलाने का कोई समय निर्धारित नहीं है जिससे यात्रियों को बड़ी परेशानी रहती है ?

(३) क्या यह सही है कि यात्रियों द्वारा इस संबंध में स्थानीय कलेक्टर को कई बार प्रार्थना-पत्र देने पर भी कोई उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) डूंगरपुर-आसपुर-साबला कोई मार्ग नहीं है यद्यपि मार्ग डूंगरपुर से बांसवाड़ा गणेशपुरा, आशपुर, साबला अवश्य है। जिस पर निम्न बसें चल रही हैं:—

आर० जे० जे० १३७
आर० जे० जे० ८५
आर० जे० बी० २४६
आर० जे० एल० ६२९७

(२) जी नहीं, इस मार्ग पर आर० टी० ए० द्वारा समय निर्धारित किया हुआ है जो कि निम्न प्रकार

अप-सर्विस

डूंगरपुर	आसपुर	बांसवाड़ा
७.३० प्रात:	१०.३०	१५.३०
११.००	१४.००	१६.००

डाउन सर्विस

बांसवाड़ा	आसपुर	डूंगरपुर
५.३०	१०.३०	१३.३०
१२.३०	१७.३०	२०.३०

(श्री भीमसिंह)

(३) इस संबंध में कलेक्टर डूंगरपुर ने आर० टी० ए०, उदयपुर को लिखा था जिस पर तुरन्त ही कार्यवाही की गई। दो बसें आर० जे० जे० १३७ व आर० जे० बी० २४६ को चालू कर दी गई। तीसरी गाड़ी आर० जे० जे० ८५ के मालिक ने शीघ्र ही गाड़ी चलाने का आश्वासन दिया। चौथी गाड़ी पिछले तीन वर्षों से नहीं चल रही है। इन सभी गाड़ियों के मोटर मालिकान को गाड़ी न चलाने के अपराध में मोटर व्हिकल एक्ट की धारा ६० के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जा चुके हैं। जिन पर आर० टी० ए० आगामी मीटिंग में विचार कर निर्णय लेगी।

श्री ललितमोहन : कलेक्टर साहब ने आर० टी० ओ० को कब लिखा है ?

श्री भीमसिंह : इसकी डेट तो मेरे पास नहीं है।

श्री ललितमोहन : यह एक साल पहले या दो साल पहले का प्रश्न है, लेकिन गाड़ी २ चलती हैं वह १५-१५, २०-२० दिन तक पड़ी रहती है। वहां पर ठहरने के लिए सराय वगैरह नहीं है लोग परेशान हैं। इस बारे में कलेक्टर साहब से मिला लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। जो उदयपुर के आसपास खास खास लाइनें हैं, उन पर बसें ठीक चलती हैं, लेकिन गांव में जो कच्ची रोड हैं जहां कि परमिट दे रखे हैं, उस पर हालत खराब है। क्या उसकी व्यवस्था करेंगे ?

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : आपने फर्माया है कि नोटिस जारी किया गया है तो किस तारीख को जारी किया गया है ?

श्री भीमसिंह : तारीख तो मेरे पास नहीं है कि कलेक्टर साहब ने कब चिट्ठी लिखी है उसके बाद नोटिस जारी हुआ है और इस पर जल्दी ही एक्शन लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : तीन साल तक गाड़ियां चले नहीं। आपके विभाग वालों का फर्ज था कि ये देखे कि किस रूट पर कितने परमिट हैं उन पर गाड़ियां चलती हैं या नहीं ? कलेक्टर को लिखने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है ? यह आपके विभाग के लोगों के करने का है। कृपया इसकी जांच करायें इस बारे में।

प्रश्न संख्या ८७८

श्री अध्यक्ष : श्री स्वरूपसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन

८७९. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि सार्वजनिक किसान बोर्डिंग हाऊस सांचोर की एक सोसाइटी रजिस्टर कराने के कागजात असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जालोर, डिप्टी रजिस्ट्रार जोधपुर एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर के दफ्तरों में पिछले ७-८ वर्षों से जेर

Page No.6

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

कार्यवाही है ? अगर हां, तो इतने वर्षों तक उपरोक्त सहकारी समिति के कागजात पूरे करवा कर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन न होने के क्या क्या कारण हैं ? एक छोटे से कार्य के लिए इतने सालों की देरी के लिए कौन २ जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध सरकार क्या कानूनी कार्यवाही अमल में लावेगी ?

(२) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त सोसाइटी रजिस्टर कराने हेतु कई बार कागजात रजिस्ट्रार दफ्तर जयपुर में आए और वापस गये ? अगर हां, तो ऐसा करने के क्या क्या कारण थे ? अब उपरोक्त सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कब तक हो जावेगा ? निश्चित तिथि बताने का कष्ट करें ।

(३) क्या यह सत्य है कि इतने वर्षों तक किसान बोर्डिंग हाऊस की सोसाइटी नियमानुसार रजिस्टर न होने से सरकार से कोई सहायतार्थ रकम नहीं मिली और इससे किसान छात्रों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ ? अगर हां, तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय में देरी न हो, उसके लिए सरकार द्वारा क्या सक्रिय कदम उठाए जावेंगे ?

उप-मंत्री सहकारी (श्री भीमसिंह) : (१) यह सत्य नहीं है । यह कागजात रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर के कार्यालय में सीधे दिनांक ८-६-१९५८ को प्राप्त हुए थे और उन पर उठाई गई आपत्तियों की पूर्ति न करने के कारण सम्भावित समिति के पास जेर कार्यवाही है ।

उठाई गई आपत्तियों की पूर्ति करने का दायित्व सम्बन्धित सम्भावित समिति का है । रजिस्ट्रार कार्यालय से उठाई गई आपत्तियों की पूर्ति सम्भावित समिति द्वारा न किये जाने के कारण से ही इतनी देरी हुई है । अतएव उनके विरुद्ध सरकार द्वारा कानूनी कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(२) रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कागजात केवल दो बार आये और प्रथम बार ही उठाई गई समस्त आपत्तियों की पूर्ति न करने के कारण लौटाए गए । समस्त आपत्तियों की पूर्ति की जाने के पश्चात् ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा इसके लिए निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है ।

(३) यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यदि समिति का पंजीयन होता तो उसे राज्य सरकार से आर्थिक सहायता मिल जाती जब समिति के पंजीयन में प्रस्तावित समिति द्वारा ही विलम्ब हुआ है तो राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर सक्रिय कदम उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, पहले भाग में ५८-५६ तो आपने खुदने मन्जूर किया है । मैं पुख्ता आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि ५६-५७ में पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार विभाग में कागज आये । १० बार मैंने खुद ने ला लाकर दे दिये हैं । मुझे यकीन हो कि रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं । आपने इस तरह का जवाब दिया । आप विभाग में जांच करायें कि कितनी बार आये ? आउटवर्ड और इनवर्ड की इतनी सारी फाइल बनी हुई हैं । अब आप बताइये कि ५०) ६० कब जमा हुए ?

श्री भीमसिंह : मैं निवेदन कर देता हूं इससे स्पष्ट हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, आधा सा पेज है उसको पढ़ कर सुनाता हूं। उसका मुलाहिजा फर्मावें। शुरू शुरू में एक पत्र २१-६-५६ को डाइरेक्ट भेजा हैड ऑफिस को। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, जालौर की तरफ से नहीं गया। उसके बाद २१-६-५६ को पत्र मिला और ३०-६-५६ को नौ दिन बाद आक्षेपों का उत्तर मांगा कि इन आक्षेपों को उत्तर दिया जाय। उक्त आक्षेपों के सम्बन्ध में कोई उत्तर न देकर उक्त आक्षेपों के सम्बन्ध में प्रधानाध्यापक ने दो आपत्तियों का उत्तर दिया और रजिस्ट्रेशन के पत्रादि नहीं भिजवाये। प्रधानाध्यापक को दिनांक १०-११-६० को पुनः आपत्तियों की पूर्ति हेतु लिखा गया। प्रधानाध्यापक ने समस्त आपत्तियों की पूर्ति न करते हुए दिनांक २८-१२-६० को इस कार्यालय को एक उत्तर भिजवाया जिसमें रजिस्ट्रेशन पत्रादि नहीं भिजवाये। इसके पश्चात् पुनः कार्यालय द्वारा दिनांक १८-१-६१ के पूर्व में उठाये गये आक्षेपों की पूर्ति करते हुए रजिस्ट्रेशन पत्रादि भेजने के लिए लिखा गया और यह भी हिदायत की गई कि भविष्य में जो भी पत्र-व्यवहार हो वह समिति के मंत्री के नाम से होने चाहिये न कि अन्य व्यक्ति द्वारा। इसके पश्चात् प्रधानाध्यापक का पत्र दिनांक २४-३-६२ को प्राप्त हुआ उसमें उन्होंने बताया कि प्रधानाध्यापक ही छात्रावास का मंत्री होता है और रजिस्ट्रेशन की फीस के ५०) रु० भेजना बताया। उक्त पत्र के उत्तर में कार्यालय के पत्र दिनांक ५-४-६२ के द्वारा स्मरण कराया गया कि पूर्व में उठाये गये आक्षेपों की पूर्ति कर पत्रादि भिजवायें।

इसके पश्चात् प्रधानाध्यापक के पत्र दिनांक १७-६-६२ के द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस के रुपये वापिस मांगे गये। इस पर कार्यालय के पत्र दिनांक १६-१०-६२ के द्वारा प्रधानाध्यापक को लिखा गया कि अगर समिति का रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो पूर्ण पत्रादि भेजे और साथ ही मार्ग दर्शन हेतु एक फार्म भेजा जा रहा है और यदि फीस के रुपये वापिस लेने हों तो स्पष्ट लिखा जावे। प्रधानाध्यापक ने फिर पत्रादि दिनांक २८-१२-६२ के द्वारा भेजे जिनकी जांच करने पर पत्रादि पुनः अपूर्ण पाये गये और पूर्ति करने हेतु दिनांक १८-२-६३ को लिखा गया। जवाब न आने पर दिनांक ५-१२-६३ को अन्तिम बार लिखा गया जिसका उत्तर आज तक प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप यह बता दें कि कागज आपके यहां कौन सी तारीख को भेजे ? असली कागज जिन पर रजिस्ट्रेशन होता है वह कौन सी तारीख को भेजे और वह कागज हैं कहां ?

सहकारी मंत्री, (श्री मथुरादास माथुर) । अध्यक्ष महोदय, जहां तक कानूनी कार्यवाही का सवाल था, जवाब दे दिया और बहुत लम्बे अरसे से वह चल रहा है। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार वहां जाकर हैड मास्टर से मिलकर जो कुछ गलती थी उनको दूर कराकर ले आता। इस बात को मैं मानता हूं। अगर कोई चार्ज शीट हमको दे तो उसका जवाब माकूल है मगर काम करवाने के लिए कोई दुविधा नहीं होती। और करेसपोन्डेन्स को आप पढ़ें तो प्रधानाध्यापक ने

(श्री मथुरादास माथुर)

चार्जेज लगाने शुरू कर दिये तो डिपार्टमेंट ने जवाब देना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि काम रगड़े में पड़ गया। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते है तो विदिन फिफ-टीन डेज (within fifteen days) वह हो जायेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सांचोर के इस स्कूल को पहले एक हजार रुपया एड मिलती थी लेकिन जब हायर सैकण्डरी एक्ट पास हुआ तो इसमें यह प्रावधान है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। उस दिन से मैंने खुद ने लाकर दिये कागज और २५ ऑब्जेक्शन कर दिये। आपका विभाग एक साथ आब्जेक्शन कर दे तो ठीक होता है। एक ऑब्जेक्शन के बाद दूसरा ऑब्जेक्शन और दूसरे ऑब्जेक्शन के बाद एक साल बाद फिर तीसरा ऑब्जे-क्शन। ५६-५७ से कागज चल रहे हैं इस स्कूल छात्रावास को पहले जहां स्टेट से १ हजार रुपया मिलता था वहां ८ साल से कुछ नहीं मिला है और उसका भवन गिर रहा है और गिर जायेगा। लड़कों को सहूलियत नहीं मिल सकती है। गवर्नमेंट का मामला था। पहले स्टेट देती थी। आपको गम्भीरता से महसूस करना चाहिये कि वहां इस तरह से सरकारी अधिकारी ग्लह कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जहां तक प्रश्न है यह प्रश्न वाकई बड़ा गम्भीर है। आप अधिकांश में दूसरे स्कूलों के रजिस्ट्रेशन को देख लें कि डिपार्टमेंट बिना उस आदमी के बाहर से यहां आये बगैर कई दफे चक्कर लगवाने के बाद में यहां तक मैं सही कहता हूं कि यहां पर रजिस्ट्रेशन दो स्कूलों को कुछ न कुछ देकर करवाना पड़ा। रजिस्ट्रेशन होना बड़ा मह-त्वपूर्ण हो गया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप जांच करवायें कि बाहर से रजिस्-ट्रेशन के लिए आये तो सब कार्यवाही कितने दिनों में करवाई। आप जांच करा लें कि कितने केसेज आये ? और उनको कितने दिनों में डिसपोज ऑफ किया ? वह वहां से आने के बाद हुआ और किस कारण से हुआ ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महो-दय, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि कागज असली कहां है ? किस के पास है ? क्लर्क के पास हैं, रजिस्ट्रार के पास है, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पास या हैडमास्टर के पास है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : सोच सोच कर ऑब्जेक्शन करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यह कोऑपरे-टिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। यह तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्दर एक संस्था का रजिस्ट्रेशन है। इसलिए वह कहते हैं कि सहकारी आन्दोलन से इसका सम्बन्ध है, वह नहीं है।

दूसरी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्दर कागजात यहां पर हैड ऑफिस में हैं। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए जवाबदार रजिस्ट्रार होता है तो उसमें त्रुटियां होती हैं, उनको बताना पड़ता है। त्रुटियां बताई गई हैं। १५ बताई हैं उनमें से दो को ठीक किया है और १२ को ठीक करना है।

Page No.9

(श्री मथुरादास माथुर)

हमने कहा ११ और ठीक करो फिर उन्होंने लिख कर भेज दिया, हमको वापिस भेज दो जैसे उनके घर का ही मामला हो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अलग अलग साल में अलग अलग ऑब्जेक्शन किये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आप जानकारी कर लीजिये कि कितने ऐसे केसेज़ आये ? उससे आपको पता लग जायगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : १४ गलतियां उन्होंने पहले बताई और फिर उसके बाद आपने गलतियां कितने समय में बताई इसकी जांच होगी तब पता लगेगा।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : और कितनी गलतियां निकालेंगे इसकी क्या गारन्टी है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : एक केस हमारे सामने रेड टेपिज्म का आया है, ऑफिशियल रेड टेपिज्म का, जैसे मंत्रीजी ने खुद ने बताया कि रजिस्ट्रार चले जाते तो एक दिन में हो जाता। इस तरह के मामलों में डिले करना कहां तक उचित है।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा, १५ दिन में करा देंगे। यदि आप इन्क्वायरी की बात करते हैं तो जवाब चला गया है। काम कराना चाहते हो तो काम हो जायगा। आप भी लाओगे तो करवा देंगे।

मांगरोल से रामगढ़ काला पट्टा सड़क

८८०. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां-सु.): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि कोटा जिले में मांगरोल से रामगढ़ कालां पट्टा तक जो कच्ची सड़क है, उसकी हालत बहुत खराब है, और इसके कारण बरसात में यातायात बन्द रहता है ?

(२) यदि हां, तो सरकार इस कच्ची सड़क को कब तक पक्की बनाने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां। यह सड़क कच्ची है और इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

(१) मांगरोल से रामगढ़ के भाग को छोड़ कर यह सड़क योजना में स्वीकृत नहीं है।

श्री दयाचन्द सोन : इस सड़क पर कितनी बसेज चलती हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : यह ट्रान्सपोर्ट विभाग से सूचना देकर पूछने से मालूम होगा।

श्री दयाचन्द सोन : यह सड़क मध्य प्रदेश की डसक से मिलाती है, जितने डाके पड़ते हैं डाकू इसी सड़क से आते हैं। और यह सड़क इतनी खराब है कि इस सड़क की वजह से डाकू नहीं पकड़े जाते हैं। यह इतनी महत्वपूर्ण है इसको बनाना जरूरी है।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, यह कोई सड़क नहीं है बल्कि मोटरेविल रूट है। ऐसे कई रूट्स हैं जिन पर बसेज चलती हैं। सरकार के लिये यह संभव नहीं है कि जितने कच्चे रूट्स हैं उनको पक्का बनाया जाय। इसलिये मैंने कहा कि वह हिस्सा जो राजस्थान में पड़ता है उसको बनाया जायगा। बाकी मध्यप्रदेश से मिलने वाली सड़क योजना में स्वीकृत नहीं है।

श्री दयाचन्द सोन : जब तक योजना स्वीकृत होगी तब तक आप मंत्री नहीं रहेंगे।

श्री चन्दनमल वैद : आप होंगे तो आप बना लेना।

प्रश्न संख्या ८८१

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८८२

श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

यात्रियों से अधिक किराये की वसूली

८८३. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर जिले में अलवर तिजारा रूट पर भिड़सी से तिजारा तक बीच में कोई स्टेशन नहीं है और यात्रियों को बीच में उतरने पर भी भिड़सी से तिजारे तक का ३० पैसे किराया देना पड़ता है ?

(२) क्या यह सही है कि तिजारा और भिड़सी के बीच पलड़िया की प्याऊ पड़ती है जहां पर सड़कों का चौराहा है और वहां से तिजारा, भिड़सी के अलावा शाहबाद और सूरावास की तरफ सड़कें जाती हैं और यहां से मुसाफिरों का उतरना और चढ़ना भिड़सी के स्टेशन का जितना ही रहता है ?

(३) क्या यह सही है कि पलड़िया की प्याऊ पर उतरने वाले मुसाफिरों को १५ पैसे प्रति पैसे नजर नुकसान रहता है क्योंकि उन्हें माईलेज से अधिक किराया देना पड़ता है ?

(४) क्या सरकार भिड़सी और तिजारा के बीच पलड़िया की प्याऊ को भी एक बस स्टेशन बनाने और बस मालिकों को यह आदेश देने का विचार रखती है कि पलड़िया को अलग स्टेशन मानकर वहां का टिकट अलग काटें ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां, यह सही है कि तिजारा से भिन्डूसी तक बीच में कोई स्टेशन नहीं है व क़िराया ३० पैसे मय पैसेन्जर टैक्स के चार्ज करते है।

(२) जी हां, सही है कि भिन्डूसी व तिजारा के बीच में पलड़िया की प्याऊ पड़ती है वहां चौराहा है। पलड़िया पर भिन्डूसी के मुकाबले में न तो इतनी सवारियां उतरती है और न चढ़ती हैं।

Page No.11

(श्री भीमसिंह)

(३) जी हां, यह सही है कि तिजारा से पलड़िया की प्याऊ का फासला ३ या ३॥ मील के बीच में है और इस दूरी का किराया ३० पैसे चार्ज किया जाना अधिक ही है। इस बारे में अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। अभी तक पलड़िया की प्याऊ को बस स्टेशन निर्धारित नहीं किया गया है। अब इसका जल्दी निर्णय आर० टी० ए० जयपुर द्वारा लिखा जाकर उचित कार्यवाही की जावेगी।

(४) इस प्रश्न का उत्तर तीसरे प्रश्न के उत्तर में दे दिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह मान कर चलें कि इसमें नया स्टेशन बना दिया जायगा ?

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया कि आर० टी० ए० को मूव किया गया है, उचित समझेंगे तो बना देंगे।

सुजानगढ़ सरदारशहर सड़क

८८४. **श्री मोहरसिंह (चूरू)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सुजानगढ़ से सरदारशहर तक सड़क का निर्माण कब हुआ और उस पर कितना व्यय हुआ ?

(२) क्या इस सड़क के लिये ली गई भूमि का मुआवजा संबंधित किसानों को दिया गया है ? यदि हां, तो कितना और कब दिया गया ?

(३) यदि मुआवजा नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया ? अब कब तक मुआवजा दिया जायेगा ? ऐसे मुआवजे की धन राशि क्या होगी ?

उप-मंत्री उद्योग (श्री चंदनमल वैद) : (१) सुजानगढ़ से सरदारशहर सड़क का कुछ भाग १६४० में तथा कुछ भाग १६४६ में राजस्थान निर्माण से पूर्व बना है। अतः व्यय के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(२) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(३) राजस्व विभाग से जानकारी की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह माना जाय कि जब से आप सरदारशहर से चुन कर आये हैं तब से इस सड़क पर एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है ?

श्री चंदनमल वैद : कहां से कहां तक ?

श्री भैरोंसिंह : सरदारशहर से सुजानगढ़ तक।

श्री चंदनमल वैद : बहुत पैसा खर्च हुआ है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : पहले भी प्रश्न पूछा गया था, सन् ४० में, ४१ में ४६ में बनी है। लेकिन उन लोगों को जिनकी जमीन सड़क के नीचे आई

(श्री फूलचन्द जैन)

उनको मुआवजा मिला या नहीं ? आप को इसकी जानकारी नहीं है, हमने प्रश्न ही इसलिये पूछा था कि आप हमको जानकारी देते। हम कहते हैं कि उनको मुआवजा नहीं मिला। आप जानकारी करके बताइये कि मुआवजा मिला या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, इस का एक हिस्सा सन् ४० में फेमिन पड़ा था तब बना। दूसरा हिस्सा डिफेन्स रोड के रूप में राजस्थान बनने से पहले बनी इसलिये पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा कहना मुश्किल है कि मुआवजा मिला या नहीं। राजस्व विभाग से लिखा पढ़ी कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस संबंध में किसानों को अनुदान पत्र मिला हैं ?

श्री मोहरसिंह : क्या इसके मालिक पी. डब्ल्यू. डी. वाले नहीं है, किसान ही इसके मालिक है ?

श्री चन्दनमल वैद : यह कानूनी प्रश्न है, इसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता। जो स्थिति है वह मैं अर्ज कर चुका हूँ। राजस्व विभाग से पूछे बिना नहीं कह सकता कि मुआवजा मिला या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप यह बता सकते हैं कि एक्वायर करने के बाद यह जमीन पी. डब्ल्यू. डी. के अंडर में आई ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं सारी स्थिति अर्ज कर चुका हूं। पी. डब्ल्यू. डी. को मालूम नहीं है कि मुआवजा दिया या नहीं इसलिये राजस्व विभाग से जानकारी की जा रही है। मैं इस स्थिति में नहीं कह सकता कि मुआवजा दिया या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : यह जमीन एक्वायर की गई थी या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : यह उसी से संबंधित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : कल ही दो तीन इसी तरह के प्रश्न थे : उन सारों के बारे में राजस्व विभाग से जानकारी प्राप्त करलें।

श्री चन्दनमल वैद : राजस्थान बनने के बाद में जो सड़कें बनी हैं उनको मुआ-वजा देने का प्रश्न अलग है। उनमें से भी कइयों को मुआवजा नहीं दिया होगा यह मैं मानता हूं लेकिन यह प्रश्न पहले का है इसलिये राजस्व विभाग से जानकारी कर रहे हैं।

श्री मोहरसिंह : बीकानेर रियासत में लैंड एक्वीजीशन एक्ट था। जमीन एक्वायर होती थी वैसे ही ट्रेसपास नहीं होता था। यह सड़क जब बनी है तो भी मुआवजा मिलना उचित है। यह प्रश्न स्थगित रखा जाय। मुआवजा नहीं मिलता है तो उससे असंतोष फैलता है। इस को दबाया नहीं जाना चाहिये। यह बहुत बुरी बात है।

श्री चन्दनमल वैद : यदि माननीय सदस्य यह करते हैं कि बीकानेर में एक्वी-जीशन एक्ट बना हुआ था और मुआवजा दिया जाता था तो मेरा प्रश्न हल हो जाता है। जरूर मुआवजा दिया गया होगा।

Page No.13

(श्री चन्ददमल वैद)

माननीय सदस्य ने प्रश्न का जवाब स्वयं ही दे दिया।

श्री मोहरसिंह : मुआवजा नहीं दिया गया था। वार टाइम था और यह कहा गया था कि मुआवजा दिया जायगा। आप इसको टालना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : टालने का प्रश्न नहीं है। मंत्रीजी ने कहा है कि उनके पास जानकारी नहीं, राजस्व विभाग से पूछ रहे हैं।

सरमथुरा बस स्टेन्ड

८८५. श्री रघुबीरसिंह (वाड़ी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि सरमथुरा बस स्टेन्ड असमतल स्थान पर बना हुआ है जिसके कारण वहां पर एक एक्सीडेन्ट में एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी ?

(२) अगर हां, तो क्या सरकार उक्त बस स्टेन्ड को किसी समतल स्थान पर कायम करने के आदेश देने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जी नहीं, यह बस स्टेन्ड थोड़ी ऊंचाई पर जरूर है, मगर इतना खतरनाक नहीं है कि खड़ी बस चल पड़े। एक्सीडेन्ट से एक व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(२) इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत सरमथुरा से मय सिफारिश सदस्य विधान सभा, के द्वारा प्राप्त हुआ, जो आर० टी० ए० के समक्ष रखा गया और आर० टी० ए० ने अपने २२,२३ दिसम्बर ६४ की बैठक में इस सम्बन्ध में आपत्तियां आमन्त्रण करने का प्रस्ताव पास किया, जिस पर आपत्तियां मांगी गई हैं।

श्री रघुवीरसिंह : क्या इस बारे में पंचायत से कोई राय ली गई ?

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया कि पंचायत और एम० एल० ए० की तरफ से जो शिकायत आई उसको आर० टी० ए० के सामने रखा गया। आर० टी० ए० ने आपत्तियाँ मांगी हैं। आपत्तियाँ नहीं आई तो पंचायत जो उपयुक्त सुझाव देगी वैसा किया जायगा।

श्री रघुवीरसिंह : क्या आप पंचायत की राय मानने को तैयार हैं ?

श्री भीमसिंह : आर० टी० ए० ने आपत्तियां मांगी है, उनकी सुनवाई करने के बाद वह फैसला करेगी।

ट्रान्सफोर्मर का उपयोग

८८६. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सहायक अभियंता, सुजानगढ़ के दिनांक १२-१०-६४ के आदेश के अनुसार ५०० के० बी० ए० ३३।११ के०

Page No.14

(श्री भैरोंसिंह)

वी० ट्रांसफोर्मर छापर से ट्रक द्वारा हनुमानगढ़ भेजा गया ?

(२) क्या यह ट्रान्सफोर्मर वापिस मंगा लिया गया ? यदि हां, तो क्यों, कब और किसके आदेश से ?

(३) यह ट्रान्सफोर्मर हनुमानगढ़ कब पहुंचा, इससे कब क्या काम लिया गया और फिर किस तारीख को वापिस भेज दिया ? इस ट्रांसफोर्मर के हनुमानगढ़ ले जाने व वापस लाने पर कितना खर्चा हुआ ?

उप-मन्त्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद) : (१) ५०० के. वी. ए. का ट्रान्सफोर्मर छापर से सहायक अभियन्ता सुजानगढ़ ने १२-१०-६४ को ट्रक द्वारा हनुमानगढ़ भेजा था ।

(२) उपरोक्त ट्रान्सफोर्मर ६-११-६४ को अधीक्षक अभियन्ता के आदेशानुसार वापस भेज दिया गया था क्योंकि इस ट्रान्सफोर्मर को छापर में लगाने की आवश्यकता थी । यह ट्रान्सफोर्मर ६-११-६४ को यहां से रवाना होकर ट्रक द्वारा ८-११-६४ को छापर पहुंचा दिया गया ।

(३) उपरोक्त ट्रान्सफोर्मर हनुमानगढ़ सुबह ३ बजे १६-१०-६४ को सतीपुरा, हनुमानगढ़ पहुंचा एवं इसके द्वारा १६-१० ६४ से १८-१०-६४ तक सूरतगढ़, संगरिया, हनुमानगढ़ टाउन एवं जंक्शन को बिजली दे दी गई और ६-११-६४ को वापिस विभागीय ट्रक द्वारा छापर भेज दिया गया । लगभग ५५० रुपया ट्रान्सफोर्मर लाने और ले जाने में खर्च हुआ ।

श्री भैरोंसिंह : ट्रान्सफोर्मर हनुमानगढ़ क्यों भेजा गया था ?

श्री चन्दनमल वैद : हनुमानगढ़ के ट्रान्सफोर्मर में डिफेक्ट होने से न केवल यह, बल्कि दो-तीन और लाये गये ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ का ट्रान्सफोर्मर जल गया था इसलिये यह लाया गया ?

श्री चन्दनमल वैद : यह नहीं कह सकता कि उसमें क्या डिफेक्ट हुआ लेकिन उसमें डिफेक्ट होने से वहां पर अन्धेरा हो गया था इसलिये आस पास से लाकर वहां पर बिजली दी गई ।

श्री भैरोंसिंह : यह डिफेक्ट किस तारीख को नोटिस में आया था ?

श्री चन्दनमल वैद : १० तारीख को साढ़े ग्यारह बजे ।

श्री भैरोंसिंह : कौनसी तारीख ?

श्री चन्दनमल वैद : १० अक्टूबर ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह !

श्री भैरोंसिंह : जब आप कहते हैं कि दस तारीख को नोटिस में आया था और आपने बताया कि दस तारीख के पहले इस ट्रान्सफोर्मर को सुजानगढ़ से हनुमानगढ़ भेजने के आदेश दे दिये गये ।

श्री चन्दनमल वैद : जी नहीं, १२ तारीख को भेजा है।

श्री भैरोंसिंह : १२ तारीख को आपने भेजा है लेकिन उसके पहले जैसा आपने कहा, दस तारीख से पहले आदेश दे दिये थे।

श्री चन्दनमल वैद : जी नहीं, मैंने कहा कि १२ तारीख को भेजा गया था, उससे पहले आदेश देने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। दस तारीख को नोटिस में आया कि वह जल गया है तो उसके बाद में आदेश दिये। वह वहां पर १६ तारीख को पहुंचा है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह !

डग से पचपहाड़ मार्ग पर प्रति सवारी किराया

८८७. **श्री गोविन्दसिंह** (पिड़ावा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) डग से पचपहाड़ और पचपहाड़ से डग (जिला झालावाड़) चलने वाली बसें एक सवारी का कितना किराया डग से पच-पहाड़ या पच-पहाड़ से डग का लेती है ? यह किराया प्रति मील कितना पड़ता है ?

(२) दशमलव प्रणाली अपनाने के बाद क्या यह सही है कि बस मालिकों को भी किराया दशमलव प्रणाली के अनुसार लेना चाहिये और ८ पाई, ११ पाई व १४ पाई के स्थान पर नये पैसों से प्रति मील का किराया लेना चाहिये ?

(३) दशमलव प्रणाली अपनाने पर ए०, बी०, व सी० रूट का प्रति मील क्या किराया होगा ?

(४) क्या यह सही है कि डग-पच-पहाड़ चलने वाली बसों को ८ पाई फी यात्री से अधिक नहीं लेना चाहिये ?

(५) यदि किराया ८ पाई प्रति मील फी यात्री से बस वाले अधिक किराया लेते रहे हैं तो इसके लिये जिम्मेवार कौन है ? क्या बस मालिकों से इस प्रकार अधिक किराया जो इन्होंने लिया है राज्य सरकार अपने कोष में जमा करवायेगी ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) एक सवारी का किराया २) रुपये लिया जाता है। वह किराया प्रति मील प्रति सवारी ११ पाई होता है।

(२) सरकार द्वारा नया नोटिफिकेशन इस विषय में प्रसारित नहीं होने तक किराया पुराने नोटिफिकेशन के अन्तर्गत ही वसूल किया जाता है।

(३) मामला विचाराधीन है अन्तिम निर्णय होने पर ही कहा जा सकता है।

(४) जी हां।

(५) ज्यादा किराया लेने की जिम्मेवारी मोटर मालिक की ही है इस रूट पर ज्यादा किराया लेने के प्रश्न को आर. टी. ए. कोटा की बैठक दिनांक २३-३-६५ में रखा गया और आर. टी. ए. ने बस मालिकों के विरुद्ध यह मामला सही पाया व हर दो मालिकों पर दो दो हजार रुपये जुर्माना किया।

Page No.16

श्री गोविन्दसिंह : यह जो ज्यादा ले चुका है ११ पाई के हिसाब से, क्या सरकार बतावेगी कि कितना ज्यादा ले चुका है और क्या उसको राज्य के कोष में जमा करायेगी ?

श्री भीमसिंह : जमा कराने का प्रश्न नहीं है क्योंकि प्राइवेट आपरेटर है वह पैसा अपनी पाकेट में डालेगा। उसने जो गलत कार्यवाही की उसके लिए दो हजार रुपये का जुर्माना कर दिया है।

श्री गोविन्दसिंह : क्या यह सही है कि मैंने पहले एक प्रश्न पूछा था ६३। ई. एम. अगस्त १९६४ में, उसका जवाब आपने दिया था कि आठ पाई उसको लेनी चाहिए ? उसके बाद जब मैंने यह दुबारा प्रश्न किया है तो आप बता रहे हैं कि ११ पाई होता है तो क्या आपके डिपार्टमेंट ने पहले प्रश्न का गलत जवाब दिया था ?

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया कि जब यह शिकायत हमारे सामने आई तो उसका केस आर. टी. ए. के सामने गया और उसके खिलाफ एक्शन हुआ आठ पाई लेना वाजिब होता था उस आठ पाई के बजाय वह ११ पाई ले रहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : इस बारे में जानकारी है कि आठ पाई के बजाय ११ पाई उसने कब तक लिये और कितने टिकटों पर ज्यादा लिया है और क्या उसका हिसाब लगा करके उसके अनुपात के अन्दर ही यह जुर्माना किया गया है ?

श्री गोविन्दसिंह : मैंने अगस्त १९६४ में प्रश्न पूछा था तब यह कहा था कि ८ पाई से ज्यादा नहीं लेने चाहिए।

श्री भीमसिंह : वह तो अब भी स्वीकार करते हैं।

श्री गोविन्दसिंह : अब भी स्वीकार करते हैं और उस वक्त का जवाब भी करेक्ट था तो जो गलत कार्यवाही के लिए उस पर जुर्माना किया है उसके अलावा यह मालूम करके कि कितना पैसा उसने ज्यादा इकट्ठा कर लिया है उसकी बस का परमिट कैंसिल क्यों नहीं करते है ?

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया कि ये सारी चीजें आर० टी० ए० तय करती है। जो शिकायत हुई और इन्सपेक्टर ने उसके सामने रखी उस पर एक्शन हुआ है। अब अगर आर० टी० ए० महसूस करती है कि इसका परमिट कैंसिल करना उचित है तो वह वैसा कर देती। उसने जुर्माना करना उचित समझा तो यह रहा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : रिपोर्ट ठीक आती तो ठीक एक्शन होता।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : उसने ११ पाई ली जब कि उसको आठ पाई से ज्यादा नहीं लेना चाहिए था, इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यह बात एक साल पहले आपकी निगाह में आ गई थी कि वह आठ पाई से ज्यादा ले रहा है, और आपने मंजूर कर लिया था कि उसको आठ पाई से ज्यादा नहीं लेना चाहिए तो एक साल के अर्से में आपने क्या कार्यवाही की ?

Page No.17

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो यह है कि जो कार्यवाही उनके खिलाफ की गई है क्या वह अनुरूप है जो उन्होंने गलत कार्यवाही की उसके ? उसने यदि बहुत ज्यादा फायदा उठाया और उस पर दो हजार रुपया जुर्माना हुआ तो गवर्नमेंट को उसकी अपील करनी चाहिए और देखना चाहिए था कि उसकी परमिट केंसिल कराने के लिए सरकार की क्या मान्यता है ?

यातायात मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : मैं महसूस करता हूं इसके अन्दर I will enquire about it and let you know.

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्रीकी निगाह में लाता हूं कि ऐसे कितने ही मामले हैं और पेंडिग केस के तौर पर जयपुर की सिटी बस सर्विस है. उसके बारे में कितनी ही बार नोटिस में लाये हैं कि उसने शिड्यूल्ड रेट्स से ज्यादा चार्ज किया है लेकिन खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है ।

श्री मथुरादास माथुर : कार्यवाही की जा रही है । प्रोसीक्यूशन करते हैं और आॅर्डर दे दिया गया है । उस पर कार्यवाही हो रही है । यह मत कहिये कि कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : केंसिलेशन आॅफ रजिस्ट्रेशन नहीं होता है ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक्शन लेने वाली आॅथोरिटी है वह स्टेटुअरी बॉडी है । इसमें यह जरूर करना पड़ेगा कि एक साल के पहले जब कम्प्लेन्ट कर दी गई तो मेरे इन्सपेक्टर ने, जब वह आठ पाई के बजाय ११ पाई ले रहा था, तो कैसे उसको परमिट कर दिया ? This is his responsibility, हमारे नोटिस में आने से पहले का मामला तो आर० टी० ए० तय करेगी, लेकिन जब इन्सपेक्टर की निगाह में आ गया तो उसको रोकना चाहिये था । वह चैक कर सकता है और गाड़ी को रोक सकता है । मैं इसकी जांच करूंगा कि आर० टी० ए० को क्यों नहीं केस को रिवीजन के लिए दिया ? यह जांच करके बताऊंगा । वैसे मेरे पास एक डेगाना से हरसोल का केस आया था उसमें पांच मील ज्यादा कर दिया था । उस केस के अन्दर हमने इन्सपेक्टर को सस्पेन्ड कर दिया है और प्रोसीक्यूशन के आॅर्डर दिये हैं । हम एक्शन लेते हैं नोटिस में आने पर । इस मामले के अन्दर मैं फाइल देख कर ही जवाब दे सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल !

सोम नदी पर पुल

८८८. श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या उदयपुर व डूंगरपुर जिलों में झलारा-आसपुर सड़क पर पड़ने वाली सोम नदी पर पुल बनाया जा रहा है ?

(२) इस पर कुल कितनी लागत लगेगी व इसका कार्य कब तक पूर्ण होगा ?

Page No.18

(श्री देवीलाल मीणा)

(३) क्या यह सही है कि झलारा-आसपुर के बीच सरनी नदी पड़ती है जिस पर अभी तक पुल नहीं बनाया गया है ?

(४) क्या यह सही है कि यदि सरनी नदी पर पुल नहीं बनाया गया तो वर्षा में झलारा-आसपुर सड़क चालू नहीं रह सकेगी व सोम पर बने पुल का कोई उपयोग नहीं रहेगा ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चन्दनमल बैद) : (१) जी हां।

(२) ६,००,००० रु० व्यय होने का अनुमान है तथा यह कार्य चतुर्थ योजना तक समाप्त होने को है।

(३) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

(४) जी हां, अधिक वर्षा होने पर।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी।

मकराना-जोसल बस रूट

८८६. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत भरनाई व पंचायत समिति मकराना की मांग पर जन सुविधा के लिहाज में आर० टी० ए० जोधपुर ने दिनांक २८ दिसम्बर, १९६१ को मकराना-जोसल बस रूट गांव जुसरी व बुडसू से डाइवर्ट करने हेतु प्रस्ताव पारित किया ? यदि हां, तो उसकी पालना आज तक क्यों नहीं हुई ?

(२) क्या उक्त रूट पर चलने वाली बस नं० आर. जे. एस. ३६७, १७६८ व १२५५ एप्रूव्ड मोडल की है ? क्या कभी सब इन्सपेक्टर मोटर व्हिकल्स ने इसका चैकिंग भी किया है ?

(३) क्या यह भी सही है कि नियम विरूद्ध गाड़ी चलाने पर सरपंच भरनाई ने सम्बन्धित अधिकारीगण को कई शिकायतें कीं, किन्तु उनकी आज तक कोई जांच नहीं की गई ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां। यह सही है। यह गाड़ी आर. टी. ए. जोधपुर के प्रस्ताव सं० १३ दिनांक २८-१२-६१ के अनुसार इस रूट पर दिनांक २०-३-६४ तक बराबर चलती रही व इसके बाद न चलने के कारण मोटर मालिकों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की गई।

(२) इस रूट पर चलने वाली सभी गाड़ी एप्रूव्ड मोडल की हैं, क्योंकि यह मार्ग (सी) श्रेणी में शुमार है। जी हां।

(३) जी हां, यह सही है कि सरपंच भरनाई से इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई तथा उसको आर० टी० ए० जोधपुर की बैठक में दिनांक २५-९-६४ को पेश किया गया। आर० टी० ए० ने प्रत्येक बस मालिक पर नियम विरुद्ध गाड़ी चलाने के लिये सौ सौ रुपये जुर्माना किया।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : क्या इस वक्त डाइरेक्टेड रूट्स पर बस चल रही है ? आर० टी० ए० ने जो प्रस्ताव के जरिये

(श्री हनुमानसिंह चौधरी)

डाइरेक्टेड रूट्स पास किये क्या उन पर बस चल रही हैं ?

श्री भीमसिंह : जी हां।

श्री हनुमानसिह चौधरी : यह जानकारी गलत फर्मा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सही जानकारी देना चाहता हूं कि यह डाइरेक्टेड रूट्स पर नहीं चल रही है और न एप्रूव्ड मोडल की हैं। बहुत सारी शिकायतें हैं, मेरे पास फोटो भी हैं, जो सरपंच ने फोटो दी हैं और शिकायत दी हैं और जो प्रपोजल पेश किया उसके अनुसार बस नहीं चल रही है।

श्री भीमसिंह : जो आपने मोडल के बारे में कहा तो सी' क्लास के ऊपर कोई मोडल नहीं है इसलिए यह प्रश्न पैदा नहीं होता। मेरी जानकारी में गाड़ियां करेक्ट रूट्स पर चल रही हैं, फिर भी अगर शिकायत है तो मैं कहता हूं आप बस की डिटेल्स दें मैं इन्क्वायरी करा दूं और नहीं चल रही हैं तो एक्शन ले लिया जायगा।

प्रश्न संख्या ८६०

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार खां।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मोहरसिंह !

चूरू-बिसाऊ सड़क

८६१. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चूरू से बिसाऊ सड़क का निर्माण कब हुआ है और उस पर कितना रुपया व्यय किया गया ?

(२) क्या यह सत्य है कि यह सड़क अब जगह जगह से टूट गई है और इस पर धूल उड़ उड़ कर धोरे जम गये हैं जिससे कार व मोटरों के आवागमन में बाधा पड़ती है ?

(३) क्या इस सड़क के लिये ली गई भूमि का मुआवजा किसानों को दिया गया ? यदि हां, तो कब और कितनी रकम दी गई ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चन्दनमल वैद) : (१) इस सड़क का निर्माण १९५५-५६ में हुआ और ३,२२,१२८ रुपये खर्च हुए हैं।

(२) जी नहीं। सड़क साधारणतया ठीक है।

(३) जी नहीं। कार्यवाही जारी है।

श्री मोहरसिंह : आठ साल हो गये सड़क बने और जमीन लिये, फिर भी यह कार्यवाही जारी है यह किस स्टेज पर कार्यवाही जारी है।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष-महोदय, मुझे दुःख है, आठ नौ साल होने के बावजूद इसका कम्पेन्सेशन नहीं दे सके हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस बात की कोशिश करेंगे कि इस साल में कम्पेन्सेशन की कार्यवाही करके दे देंगे।

श्री दलपतसिंह (आबू) : हमें भी दुःख है, आपको भी दुःख है और अध्यक्ष महोदय ने कई बार आदेश दिये हैं कि जिनकी जमीन आई उनको मुआवजा दिया जाय। और अगर कोई दिक्कत है तो कानून में अमेंडमेंट बिल लाया जाय और लैण्ड एक्वीजीशन होने के बाद में कम्पेन्सेशन दे दिया जाय।

श्री चन्दनमल वैद : इसके लिए एक कमेटी बनाई हुई है जिसमें पी० डब्ल्यू० डी० सेक्रेटरी और चीफ इन्जीनियर और दूसरे लोग मौजूद हैं। जो यह कमेटी सुझाव देगी कि इन लोगों को देना है तो सेक्शन लेकर उनको दे देंगे। यह जांच पूरी हो गई है। वैसे इसके सम्बन्ध में दुःख है और खास तौर पर इस साल में ज्यादा से ज्यादा कम्पेन्सेशन, कितने केसेज में कम्पेन्सेशन देने लायक हैं, वह दे देंगे।

श्री मोहरसिंह : पी० डब्ल्यू० डी० कम्पेन्सेशन देने के लिए, जमीन एक्वायर करने के लिए आज तक व्यवस्था क्यों नहीं की है?

श्री चन्दनमल वैद : कार्यवाही जारी है। जिन काश्तकारों की जमीन ली है या ले रहे हैं उनके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कहेंगे कि जो कम्पेन्सेशन की राशि है उसको वह बताये।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : १६५५-५६ में सड़क बनाई। इसके बारे में आपने इन्क्वायरी कराई है और कराई है तो कब?

श्री अध्यक्ष : Next श्री रघुनाथ।

कृषि यंत्र उत्पादक सहकारी समिति को मिलनेवाले कोटे का उपयोग

८६२. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि सांचोर में एक कृषि यंत्र उत्पादन सहकारी समिति है और उसको सरकारी नियंत्रित पतरों का कोटा कृषि यंत्र बनाने के लिये पंचायत समिति सांचोर द्वारा दिया जाता है? अगर हां, तो इस प्रकार का पिछले तीन सालों में कब कब कितना कोटा दिया गया और उससे क्या २ कृषि यंत्र बना कर काश्तकारों को दिये गये?

(२) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त सहकारी समिति के कोटे के अनुसार उत्पादन की जांच पंचायत समिति द्वारा आज दिन तक नहीं की गई? अगर हां, तो क्यों और इसके लिये जिम्मेदार कौन है?

(३) क्या सरकार सांचोर कृषि यंत्र उत्पादन सहकारी समिति के कृषि यंत्र उत्पादन की जांच दिये गये कोटे के अनुसार, निकट भविष्य में कराना उपयुक्त समझेगी? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा? अगर नहीं तो क्यों नहीं?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां सांचोर में सांचोर

(श्री भीमसिंह)

कृषि यंत्र उत्पादन सहकारी समिति लि० सांचोर है । इस समिति को पंचायत समिति सांचोर द्वारा अब तक दिया नियंत्रित पतरों के कोटे का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(१) २४.६.६३ २७ भारी जी. पी. शीट्स जिसमें समिति ने चड़स बना कर काश्तकारों को बेच दिये ।

(२) १५.१०.६३ १२ भारी काली चदरों का कोटा मिला जिनके छाजले व आलमारियां बनवा कर बेची गई ।

(३) ३०.१२.६३ २६ भारी काली चद्दरों की पेटियां मिली जिसके कुओं के भुगले बनवाये तथा २० चद्दरों की पेटियां स्टाक में हैं ।

(४) २२.४.६४ १।४ टन काली चद्दरों का कोटा मिला जो स्टाक में है ।

(५) १.१२.६४ १।२ टन जी. पी. शीट्स का कोटा मिला जिसके फर्मे और चड़स बनवाये ।

(६) १६.१.६४ ३१ बन्डल चद्दरे वितरण हेतु मिली जिनका विवरण विकास अधिकारी द्वारा दिये गये परमिटों के अनुसार वितरण किया ।

(२) जी नहीं । इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त न होने के कारण पंचायत समिति द्वारा जांच करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(३) यदि समिति को प्राप्त हुए कोटे दुरुपयोग के सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो जांच शीघ्र करवाई जावेगी ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या सरकार जो कन्ट्रोल कोमोडिटीज देती है उसकी साल में एक बार भी उसकी जांच करती है या नहीं कि वाकई में जिस पर्पज के लिये कोटा दिया गया उसका ठीक तरह से युटीलाइजेशन होता है या नहीं ? क्या सरकार इस प्रकार की साल में एक बार जांच करने की आवश्यकता नहीं समझती ?

श्री भीमसिंह : जो जो सामान मिला उसका किस प्रकार से उपयोग हुआ उसका प्रश्न आपने पूछा था उसका मैंने उत्तर दिया है । जांच तो कमेटी करती है । आपका स्पेसिफिक प्रश्न था कि उनको क्या क्या सामान मिला और मिला तो क्या कृषि यंत्र बना कर काश्तकारों को दिये गये ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह जानकारी देना चाहता हूं कि जो कोटा दिया, मैं यह कहूंगा कि देना चाहिये, मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा यह फर्ज हो जाता है कि जो कोटा दिया जाता है उसका वेरीफिकेशन करा लें कि आया उसका ठीक तरह से उपयोग हुआ या नहीं । मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि जितना सामान दिया गया उतना सामान बनाकर किसानों को नहीं दिया गया । इसके लिये आप कोई जांच साल भर में एक बार भी करते तो आपको मालूम पड़ता कि किस तरह से सामान बना और आया वह माल किसानों को दिया गया या नहीं ?

श्री भीमसिंह : इसमें कोई दो राय नहीं कि जांच होनी चाहिये ताकि शंका दूर हो जावें....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जांच नहीं हुई।

श्री भीमसिंह : अगर कोई डिटेल्स आपके पास हों तो आप बतला दें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : साल भर में एक बार तो वेरीफिकेशन बिकास कमेटी को करना चाहिये।

सहकारी मंत्री (श्री मथुरादस माथुर): इसके लिये ऑडिट होता है। दो चार महीने उधर ऊपर नीचे हो जाते हैं तो हो सकते हैं। ऑडिट होने पर सब मालूम हो जाता है कि कितना माल बिका। विकास अधिकारी सहकारी समिति द्वारा जांच के लिये तैयार नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कब इन्डिविजुअल्स को दिया जाता है।

श्री मथुरादास माथुर : सहकारी समिति को दिया गया है उसमें बताया गया है कि इतने तो मुंगले बने, इतनी अलमारियां बनी। इसके अलावा माननीय सदस्य को मालूम हो कि झूंठे आंकड़े हैं तो हम बराबर जांच करा लेंगे। आपको खुद को पूरे डिटेल्स मालूम नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपने कहा कि ऑडिट होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इसकी जांच करा लीजिये। आपको मालूम हो जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न सहकारी विभाग द्वारा नियंत्रण का नहीं है। प्रश्न यह है कि जितना कोटा उनको दिया जाता है और जिस पर पर्पज के लिये दिया जाता है उसका सदुपयोग हुआ या नहीं। ये मुंगलियां बनी या अलमारियां बनी या कोई चीज बनी, आया वह किसानों को मिली या नहीं इस चीज को देखना है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इसका ऑडिट एक बार भी हुआ है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : Next । श्री स्वरूपसिंह।

फिच, जिला जोधपुर में मिडल स्कूल भवन निर्माण

८६३ **श्री स्वरूपसिंह (लूनी)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने फिच (जोधपुर जिला) में मिडल स्कूल का भवन निर्मित करवाया था ? यदि हां, तो उक्त भवन कब पूर्ण हुआ और उस पर कितना रुपया खर्च हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त भवन वर्षा में गिर गया ? यदि हां, तो सरकार ने तत्संबंधी कोई जांच की है ?

(३) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला ?

(४) क्या सरकार उक्त भवन की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब काम शुरू हो जायेगा और उसका अनुमानित व्यय क्या होगा ?

Page No.23

उप मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है, इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसकी जानकारी कब तक प्राप्त हो जावेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : १६ तारीख के बाद।

श्री भैरोंसिंह : १६ तारीख के बाद अधिवेशन नहीं होगा। क्या आपको मालूम है कि भवन निर्माण कराया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें बहुत से भाग हैं, जिसकी जानकारी है आप दे दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : किसी की जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आपको मालूम होना चाहिये। १६ तारीख के बाद आपने कहा। १६ तारीख के बाद एसेम्बली होने वाली नहीं है। आपको १५ दिन पहले प्रश्न का नोटिस दिया जाता है। आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने निवेदन किया कि मुझे जानकारी नहीं है। यह मेरा पहला ही प्रश्न है इस प्रकार का।

श्री अध्यक्ष : Next.

जयपुर कोटपूतली मार्ग पर राजस्थान रोडवेज़ की बसें

८९४. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ३० नवम्बर व १ दिसम्बर, सन् ६० की आर. टी. ए. की बैठक में राजस्थान स्टेट रोडवेज को जयपुर कोटपूतली मार्ग का मोटर व्हिकिल्स एक्ट के अनुच्छेद (५) की धारा ५७ के अन्तर्गत परमिट स्वीकार किया गया तथा ५ दिसम्बर सन् ६० को ५ दिसम्बर सन् ६३ तक का तीन वर्ष का परमिट दे दिया गया ?

(२) क्या यह सही है कि स्टेट रोडवेज ने इस कानून की धारा ५८ के अन्तर्गत इन परमिट के नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र नहीं दिये ? यदि हां, तो फिर रोडवेज की गाड़ियां बिना परमिट इस रूट पर कैसे चली और किसकी गलती से ?

(३) अब इस मार्ग पर क्या स्थिति है ?

यातायात मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): (१) जी हां, यह सही है कि ३०-११-६० व १-१२-६० की आर० टी० ए० की बैठक में राजस्थान स्टेट रोडवेज की बैठक में राजस्थान स्टेट रोडवेज को जयपुर से कोटपुतली मार्ग पर परमिट स्वीकार किया गया और इस परमिट की अवधि ७-१२-६३ तक के लिये थी।

(श्री मथुरादास माथुर)

(२) यह सही नहीं है कि भूतपूर्व राजस्थान स्टेट रोडवेज विभाग ने इन परमिटों का नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र नहीं दिया। आवेदन पत्र अवश्य दिये पर ये निश्चित तिथि के बाद दिये गये थे। नवीनीकरण व नये परमिटों का चूंकि एक ही फार्म होता है अतः कुछ गलत-फहमियों से प्रार्थना पत्र लौटा दिये गये। पुनः परमिट की अर्जी प्रेषित कर दी गई चूंकि गाड़ियां बन्द कर दी जातीं तो जनता को असुविधा होती इसलिए जनता के हित में गाड़ियों का चालू रखना ही उचित समझा गया।

(३) आवेदन पत्र आर० टी० ए० के पास प्रस्तुत कर दिये गये हैं और शीघ्र ही परमिट मिल जाने की पूर्ण आशा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जावे कि सन् ६३ से लेकर आज तक इस मार्ग के लिये कोई रोडवेज को आर. टी.ए. द्वारा परमिट नहीं मिला है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : मैंने सुना नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : आवेदन पत्र आर. टी.ए. के पास प्रस्तुत कर दिये गये हैं और शीघ्र ही परमिट मिल जाने की पूरी आशा है।

श्री भैरोंसिंह : सन् ६३ से ६५ तक आर. टी. ए. के सामने केवल दरख्वास्तें हैं मगर अब तक कोई परमिट नहीं बना। आज कल बिना आर. टी. ए. के परमिट के गाडियां चलती रहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह कानून की अवहेलना नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : आपने इसके लिये क्या एक्शन लिया ?

श्री मथुरादास माथुर : जिसने इस प्रकार की गलती की उसको चार्ज शीट दे दिया और उसको रिवर्ट कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह एक प्रकार का अपराध है और इसकी सजा उनको मिलनी चाहिये ?

श्री मथुरादास माथुर : इसका फैसला आर. टी. ए. करेगा। इसका फैसला मैं नहीं करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : यह मोटर व्हिकल्स एक्ट के अनुसार जुर्म है, ऑफेन्स है और उसके अनुसार आपने उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री मथुरादास माथुर : यह ऑफेन्स है या नहीं, यह दूसरा प्रश्न है। हमने एप्लीकेशन्स दे दीं। एप्लीकेशन्स पैंडिंग हैं। इस पर निर्णय ले लेंगे। परमिट मिल जावेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : आप रोडवेज के मिनिस्टर हैं। क्या बिना परमिट रोडवेज की गाड़ियों को चलाने का अधिकार है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि परमिट मिल जावेगा। इन एवेयेन्स में चल रही हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि आया आप बिना परमिट गाड़ियां चला सकते हैं या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह तो कई दफा होता है कि एक परमिट की मयाद खत्म हो जाती है फिर भी पब्लिक की कन्वीनियेन्स के लिये हम चलाते हैं।

अब सवाल यह है कि आर.टी.ए. परमिट नहीं दे तो जो आर. टी. ए. जुर्माना करेगा, वह हम पर भी लागू होगा, चुंकि अब कोरपोरेशन बन गया है। परमिशन दे देता है तो रेगुलर हो जाता है।

श्री भैरोंसिंह : आर. टी. ए. और रोडवेज के सम्बन्ध में जो व्यवस्था बताई है तो क्या यह व्यवस्था लागू है कि इन एन्टिसिपेशन किसी के द्वारा गाड़ी चलाई जा सकती है ?

श्री मथुरादास माथुर : सरकारी विभाग था पहले, कारपोरेशन तो अब बना है, पुराना मामला चल रहा है। इन्डिविजुअल के लिये और गवर्नमेंन्ट डिपार्टमेंट के लिये कानून तो बराबर है। परमिशन मिल चुकी थी, नवीनीकरण का सवाल था। चूंकि नवीनीकरण के और नये परमिट के फार्म एक से हैं इसलिए उन्होंने फ्रेश परमिट के लिए एप्लीकेशन मान ली इसलिए एस. टी. ए. को रेफर कर दिया. एस. टी. ए. ने वापिस परमिट भेज कर कहा कि 'ए' क्लास रुट पर परमिट दे सकते हैं। इसलिए पब्लिक के इन्ट्रेस्ट के लिए हमने चलाना जारी रखा। अगर परमिशन नहीं देते हैं तो जो जुर्माना आर. टी. ए. करेगा, वह हम भरेंगे। परमीशन दे देती है तो रेगुलराइज हो जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार,जयपुर) : एप्लीकेशन रिन्यूअल की कब पेश की ?

श्री मथुरादास माथुर : एप्लीकेशन पेश की थी अक्टोबर ६३ में....

श्री भैरोंसिंह : यह बिलकुल गलत है, ५ दिसम्बर को तो मियाद खत्म हुई थी।

श्री मथुरादास माथुर : सौरी। अप्रेल ६४ में नवीनीकरण के लिए यह आवेदन पत्र दिया था, भूतपूर्व डिपो मैनेजर ने आवेदन पत्र में यह नहीं लिखा था कि नवीनीकरण के लिए यह आवेदन पत्र है, इसलिए भूतपूर्व डिपोमैनेजर को चार्जशीट दी गई है। अप्रेल १९६४ में डिपो मैनेजर ने एप्लाई किया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ६४ में डिपो मैनेजर ने जो एप्लीकेशन पेश की वह नवीनीकरण के लिए नहीं थी।

श्री मथुरादास माथुर : नवीनीकरण के लिए थी, फ्रश एप्लीकेशन और नवीनी-

Page No.26

(श्री मथुरादास माथुर)

करण की एप्लीकेशन का दोनों का फार्म एक सा होता है इसलिए गलतफहमी हो गई। हम बस चला रहे थे, उसके लिए एप्लाई किया था तो नवीनीकरण के लिए एप्लाई किया था पर नवीनीकरण को भुला दिया इसलिए हम डिपो मैनेजर के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन एन्टीसिपेशन चलाते रहे यह कानून ठीक है क्या ? एज ए लॉ मिनिस्टर आप समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन जब तक नहीं दी जाय तब तक चलाना कानूनन् जायज है क्या ? रिन्यूअल के लिए ६४ में एप्लीकेशन दी है उससे पहले चलाते रहे तो क्या एप्ली केशन से पहले इन एन्टिसिपेशन चला सकते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : उत्तर में कह दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूं जिससे इस बात की आवश्यकता ही नहीं रहती। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार इस बात के लिए मोटर व्हिकल एक्ट में संशोधन करेगी कि जहां राजस्थान स्टेट रोडवेज की गाड़ियां चलती हैं वहां ऑटोमेटिकली यह सारी फोरमेलिटीज पूरी कर दी जाय, रिन्यूअल की आवश्यकता ही नहीं रहे ? तो क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में विचार करेगी ?

श्री मथुरादास माथुर : इस केस में आपका प्रश्न इसलिए पैदा नहीं होता कि इस रूट पर प्राइवेट बसेज भी चलती हैं। नेशनेलाइज हो जाता तो यह प्रश्न पैदा नहीं होता। पर जो नेशनेलाइज करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर रहा है उसको सिम्प्लीफाई करने के लिए एक कमेटी को अपोइन्ट किया गया है जिसमें ट्रान्सपोर्ट के डायरेक्टर हैं आर. टी. ए. के चेयरमैन हैं और भी हैं; उसकी रिपोर्ट आने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन !

बारां नगर की बिजली की लाइनें

८६६. श्री दयाचन्द सोन (बारां--सु०) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बारां नगरपालिका द्वारा बारां नगर में जो बिजली की कच्ची वैदर प्रूफ लाइनें लगाई गई हैं वो नियम विरुद्ध हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है ?

उप-मन्त्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद) : कच्ची वैदर प्रूफ लाइनों का आशय स्पष्ट नहीं है, वैसे वैदर प्रूफ तारों से भी घरों आदि में सर्विस लाइनें खींची जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दयाचन्द सोन : ये लाइनें जो खींची गई तो किस चीज के खम्भे गाड़े हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : आपने लाइन के बारे में प्रश्न पूछा, उसका मैंने उत्तर दिया कि वैंदर प्रूफ लाइन से सर्विस लाइन दी जाय तो परमिसिब्लि है। अब यह अलग प्रश्न पूछ रहे हैं खम्भों का यह मैं इस समय नहीं कह सकता।

श्री दयाचन्द सोन : मैंने प्रश्न पूछा है लाइन का, पतली पतली बल्लियां सी गाड़ दी हैं, मदारी का सा तमाशा समझ रखा है, एक लाइन मैन पहले भी चिपक गया था।

श्री चन्दनमल वैद : आपने प्रश्न पूछा कि वैंदर लाइन से सर्विस लाइन दी जा सकती है या नहीं? इसका मैंने उत्तर दे दिया कि दी जा सकती है।

श्री दयाचन्द सोन : आपने जानकारी की तो यह तो सोचना चाहिये कि मिला-जुला प्रश्न है उसकी जानकारी कर ली जाय।

श्री चन्दनमल वैद : श्रीमान्जी प्रश्न पूछते वक्त आप भी सोचते कि पूरा प्रश्न पूछ लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह तो आपकी अक्ल पर छोड़ दिया।

श्री चन्दनमल वैद : वैंदर लाइन का प्रश्न पूछ लें और सप्लीमेंटरी कर रहे हैं खम्भों का, अजीब बात है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास !

स्थगित प्रश्न

(७-४-६५)

पेट्रोल पर चर्चा

७७०. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान विद्युत् मण्डल के रतनगढ़ डिवीजन में एक श्री आर० के० नायर नामक असिस्टेन्ट इन्जीनियर ने वर्ष १९६२ में सिर्फ एक महीने में ९०० रु० का पेट्रोल जीप में खर्च किया? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच की गई? अगर नहीं, तो क्यों?

उप-मन्त्री, विद्युत (श्री चन्दनमल वैद) : श्री आर० के० नायर द्वारा पेट्रोल, विद्युत् मंडल के हित में खर्च किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कैसे हित में था? कौनसा काम किया गया था? पूरी डिटेल्स में जानकारी दें तो सदन को तसल्ली हो सकती है कि रीज़नेबिल था या नहीं।

श्री चन्दनमल वैद : विद्युत् मण्डल का ऑटोनोमस बोर्ड है, उसने हमें सूचना दी है कि पेट्रोल विद्युत् मंडल के हित में खर्च किया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : इतनी ही इन्फोर्मेशन थी तो पहले ही जवाब दे देते। पहले कहा गया कि जो इन्फोर्मेशन आई है उससे आपको संतोष नहीं था, आज फिर कैसे सन्तोष हो गया?

Page No.28

श्री चन्दनमल वैद : मुझे याद नहीं पड़ता कि यह कहा गया था ।

श्री मुरलीधर व्यास : मिनिस्टर साहब ने कहा था 'कि जो जवाब आया है उससे उन्हें सन्तोष नहीं है । यही जवाब था तो उसी दिन उत्तर दे दिया होता, यह स्थगित इसलिये किया गया था कि सन्तोषजनक उत्तर नहीं आया था ।

श्री चन्दनमल वैद : विद्युत् मण्डल के हित में पेट्रोल खर्च किया इसलिये हमें सन्तोष है । विद्युत् मण्डल ऑटोनोमस बॉडी है, उसने यह उत्तर भेजा है. मुझे यह मानने का आधार नहीं है कि विद्युत् मण्डल के हित में खर्च नहीं किया गया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस मामले को विद्युत् मण्डल समझे कि उसके हित में किया गया है तो क्या सदन को उसके ऊपर जानकारी करने का, टीका टिप्पणी करने का अपना मत प्रकट करने का अधिकार नहीं है ? यह हाउस विद्युत् मंडल के कार्य के जस्टिफिकेशन के बारे में जजमेंट कर सकता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय के पास पूर्ण जानकारी नहीं है, इसको फिर स्थगित कर देते हैं ।

श्रीमती सुमित्रा !

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुलजब्बार !

(अनुपस्थित)

श्री रावतराम !

अधूरी सड़क का निर्माण, सरदारशहर

८७६. श्री रावतराम (सादुलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरदारशहर के बाजार के रेल्वे स्टेशन तक सड़क अधूरी पड़ी है ? यदि हां, तो इसे कब तक पूरी की जावेगी ?

(२) क्या यह सही है कि सड़क इतनी खराब स्थिति में है कि रास्ते में पानी भर जाता है और खड्डे पड़ जाते हैं जिससे मोटर तांगा आदि आवागमन एक प्रकार से ठप्प हो जाता है ?

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सब मिनिस्टर एब्सेन्ट माइन्डेड हैं ।

उपमन्त्री सार्वजनिक निर्माण (श्री चन्दनमल वैद) : इसमें एब्सेन्ट माइन्डेड की क्या बात है, यह प्रश्न पहले काल किया गया है दुबारा काल किया गया है, इसलिये देख रहा हूं ।

(१) जी हां । विचाराधीन है ।

(२) सड़क का वह भाग जो इस विभाग की मरम्मत सूची पर है, उसकी हालत ठीक है, नगरपालिका के आधीन भाग की हालत सन्तोषप्रद नहीं है ।

(१२.०० मध्यान्ह)

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा–सु०) : छोटा सा टुकड़ा बनाया क्यों नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : म्युनिसिपैलिटी के हद की सड़क है। पी० डब्ल्यू० डी० ने जो सड़क बनायी उसकी हालत ठीक है। म्युनिसिपैलिटी के अधीन जो सड़क है उसके लिये भी हम से कहा जाय कि उसको भी पी० डब्ल्यू० डी० बनाये और यदि इस प्रकार का निर्णय यह सदन ले लेता है तो सरकार के ऊपर काफी इसका बोझा आयगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इस सरकार में ऐसे निर्णय भी लिये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री स्वरूपसिंह।

दूंदाड़ा ग्राम में हायर सैकेन्डरी स्कूल

८७८. **श्री स्वरूपसिंह (लूनी)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) हायर सैकेन्डरी स्कूल खोलने के लिये क्या क्या शर्तें हैं ?

(२) क्या दूंदाड़ा ग्राम तहसील जोधपुर इस श्रेणी में आता है कि वहां हायर सैकेन्डरी स्कूल खोला जा सके ?

(३) यदि हां तो सरकार वहां कब ऐसा स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

(४) यदि नहीं, तो क्यों ?

उपमन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं।

(३) अगले साल किसी भी सरकारी स्कूल को हायर सैकेन्डरी में परिवर्तित करने का प्रावधान नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री स्वरूपसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि मिडिल स्कूल बना है और हायर सैकेन्डरी के लिए आप कहते हैं कि प्रावधान नहीं है तो कब होगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस साल प्रावधान नहीं है।

श्री स्वरूपसिंह : अगले साल हो जायगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अगले साल की मैं अभी नहीं कह सकता।

श्री स्वरूपसिंह : यह तो आप बता ही सकते हो।

एक माननीय सदस्य : अगले साल रहेंगे ही नहीं तो कहां से बता देंगे।

प्रश्न संख्या ८८१

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला।

Page No.30

राज्य में संस्कृत विश्व विद्यालय

८८२. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार राजस्थान मे संस्कृत विश्व-विद्यालय स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

(२) सरकार ने इस विश्व विद्यालय के लिये कौन सा स्थान निश्चित किया है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) स्थान के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री विजयसिंह झाला : स्थान का क्या आधार होगा ? आपने कोई आधार निश्चित किया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैसे भारत सरकार का चटर्जी कमीशन और उत्तर प्रदेश में भी एक कमीशन। अलग अलग प्रदेशों में कमीशन बने हैं। उनकी मान्यता के आधार पर कह सकता हूं कि ऐसे स्थान जहां संस्कृत विद्या का प्रचार प्रसार और शोध हो, ऐसा स्थान जहां कई संस्थायें पहले से ही हों, ऐसा स्थान जहां संस्कृति और इतिहास इसका हो और ऐसा स्थान जहां कई विद्यालय आसपास हों फीडर के रूप में हो, ऐसा स्थान ही संस्कृत विद्यालय के लिये ठीक हो सकता है। इस कमेटी ने क्या निर्णय लिया है यह मैं अभी नहीं कह सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : जो दृष्टि और आधार आपने बताये हैं अजमेर उसके लिये उपयुक्त स्थान है ऐसी आपकी मान्यता नहीं है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : राजस्थान में कई स्थान है : जयपुर है, उदयपुर है, नाथद्वारा है, गंगानगर है, अजमेर है और बीकानेर भी है और सारे स्थानों का सर्वेक्षण करके कमेटी अपना दृष्टिकोण रख सकती है; सांचोर और जैसलमेर, अलग-अलग स्थान अलग-अलग स्थिति वाले हैं।

श्री विजयसिंह झाला : यह इन्फोर्मेशन दे दूं कि जो आधार आपने बताये हैं उनके आधार पर नाथद्वारा ही केवल ऐसा स्थान है जहां पर संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जा सकता है और दूसरी जगह ऐसे साधन नहीं हैं। इसलिये पैसे का क्राइटेरिया न रखें क्योंकि इसमें हम कमजोर हैं। आपने आधार बताये वे अच्छे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उदयपुर से ज्यादा संस्कृति का और कोई महान् स्थान नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : संस्कृति से इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : नाथद्वारा की रिलीजियस प्रोप्राइटी का सवाल है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं समझ गया भाई, नाथद्वारा दस हजार पन्द्रह हजार की आबादी का कस्बा है।

श्री अध्यक्ष : कुछ भी कर सकते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं इस विषय में निर्णय नहीं दे सकता हूं। कमेटी ही किसी निर्णय पर पहुंच सकती है। यह विवादाग्रस्त है और अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर)? बीकानेर के लिये क्या निर्णय दे दिया !

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या सही है और क्या नहीं है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तिलकायतजी को वाइस चान्सलर बना कर नाथद्वारा या उदयपुर में ही संस्कृत विश्वविद्यालय रख लीजिये।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : सरकार ने इस समिति को कब तक निर्णय देने के लिये कहा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहला परत उसका तैयार हो चुका है। अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

श्री भैरोंसिह : मेरा सवाल यह नहीं है जरा समझ कर जवाब दें। समिति को कब तक निर्णय देने के लिये कहा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने यह कहा है कि निर्णय उसका हो चुका है पहला और मेरा ख्याल है महीने भर में समिति का प्रारूप पुनरावर्तन होकर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

श्री भैरोंसिह : उस समिति को आपने निर्णय कब तक देने के लिये कहा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कम से कम और अधिक से अधिक एक और दो महीने का पीरियड उसकी टर्म्स में हैं। मैं कह नहीं सकता कि उसके टर्म्स में क्या है? एक महीने में या दो महीने में ?

श्री भैरोंसिह : समिति कब नियुक्त की गई थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : फरवरी में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन सी फरवरी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ६४ की। मैं फिर कह दूं कि मार्च में प्रश्नोत्तर हुए थे...

श्री भैरोंसिह : ६४ की फरवरी में समिति को नियुक्त करके दो महीने में रिपोर्ट पेश करने के लिये कहा तो क्या समिति ने टाइम में एक्स्टेन्शन के लिए मांग की है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : फरवरी १९६५।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): १९६४।

श्री निरंजननाथ आचार्य: I may be permitted to correct.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कभी फरवरी १९६४ कहता है, कभी फरवरी १९६५ कहता है। यह क्यों इस तरह से गलत कहते हो ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) । यह "कहता है" शब्द डिग्नीफाइड नहीं है "कहते हैं" कहना चाहिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह हाउस है कांकरोली का अखाड़ा नहीं है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कांकरोली का नहीं नाथद्वारा का है । इस प्रश्न पर ये सारी बातें हैं समिति की क्या मान्यता है और क्या करना चाहती है वह प्रश्न तो महत्वपूर्ण है लेकिन यह समिति कब बनी और क्या स्थिति रही उस तरीके से न्युमरिकली कोर्नर करना चाहें तो दूसरी बात है । पांच मिनिट दे दें तो मैं रिलेट कर दूं सारी स्थिति । फरवरी में बनी । मार्च में प्रश्न आये । वापिस प्रश्न प्रस्तुत हुए । वापिस उत्तर दिये । एक दो समिति की बैठक हुई । उसके बाद प्रारूप बना और उसके बाद पुनरावलोकन हुआ और अब स्टेज उसका आया है कि उसका आखरी रूप प्रस्तुत हो जाय ।

श्री भैरोंसिंह : जो कुछ आपने अभी तक कहा है दो महिने का समय दिया था यह बात असत्य है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह तो मैंने करेक्ट कर लिया है । माननीय अध्यक्ष जी के सामने प्रस्तुत होकर न्युमरिकल लेकुना रह गया था वह तो मैंने करेक्ट कर लिया है ।

श्री भैरोंसिंह : पहले महीने के लिये कहा था वह बात तो असत्य है ना ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : असत्य नहीं हैं, बात कुछ त्रुटिपूर्ण है ।

श्री भैरोंसिंह : On a point of privilege Sir. माननीय मंत्री महोदय इस प्रकार असत्य जवाब देते हैं इस प्रकार गोल-माल भाषा बोलते हैं, हाउस को ब्लफ देने की उनकी आदत सी बन गयी है । जान-बूझ कर असत्य बात कही है और जान-बूझ कर जो इस प्रकार की बात कही जाती है उसके लिए मैंने यह पोन्ट ऑफ प्रिविलेज रखा है, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी को खेद प्रकट करना चाहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपके साथ रहने पर भी सुधरे नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : बहुत सुधार दिया है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा ऐसा प्रश्न का उत्तर कोई भी इस प्रकार नहीं जाता जब तक कि आप मुझ को कोर्नर न करें । जैसा आप कहते हैं ऐसा रिकोग्नाइज किया है पहले कि मुगले आजम ! आपका कोई प्रश्न ऐसा नहीं जाता कि कोई तर्क आप न निकालें ।

श्री अध्यक्ष : और यही तर्क आपके उत्तर में है ।

प्रश्न संख्या ८६५

श्री चतुर्भुज उपाध्याय ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

Page No.33

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

गांवों को बिजली से लाभ

८७३. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या गांवों में बिजली देने से सरकार को जितनी आमदनी होनी चाहिए, हो रही है ? यदि नहीं, तो उसकी पूर्ति के लिए सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(१) कहीं पर हो रही है और कहीं पर नहीं, लोड बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है।

भदेसर श्री हायर सैकन्डरी स्कूल

८७५. श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भदेसर (चित्तौडगढ़) में हायर सेकेन्डरी स्कूल थी ? यदि हां, तो कब से तथा उसे वर्ष १९६४-६५ में जूनियर हायर सेकेन्डरी स्कूल में क्यों बदला गया ?

(२) क्या यही है कि इस स्कूल में विज्ञान भी पढ़ाया जाता है ? यदि हां, तो वहां पिछले पांच माह से विज्ञान का अध्यापक क्यों नहीं है ?

(६) क्या यह भी सही है कि इस स्कूल में फर्नीचर नहीं है और लड़के जमीन पर बैठ कर पढ़ते हैं ? यदि हां, तो क्यों और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(४) क्या यह भी सही है कि उक्त स्कूल में ए० सी० सी की ट्रेनिंग भी दी जाती है ? यदि हां, तो अब तक कितने विद्यार्थी ट्रेंड हुये तथा उनके सर्टिफिकेट्स उनको कब दिये गये ?

उत्तर

(१) भदेसर में हायर सेकेन्डरी स्कूल १९५८ में खोला गया था। १९६४-६५ से जूनियर हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं बदला गया है।

(२) जी हां, बी० एस० सी० अध्यापक उपलब्ध न होने के कारण इन्टर साइन्स अध्यापक की नियुक्त की गई है जो वहां कार्य कर रहा है।

(३) केवल कक्षा ६, ७ व ८ के छात्र दरियों पर बैठते थे। इस वर्ष १००० रु० का फर्नीचर खरीदा गया है जिससे अब सभी कक्षाओं में छात्रों के लिये पर्याप्त फर्नीचर है।

(४) जी हां, अब तक ६७ छात्र ए० सी० सी० में ट्रेंड हुये। इनमें से ३५ छात्रों का जो १९६३ के थे सार्टीफिकेट्स दिये जा चुके हैं बाकी छात्रों के सार्टीफिकेट्स प्राप्त होने पर दे दिये जावेंगे।

सहकारी समितियों को मिलनेवाला कमिशन

८८१. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सहकारी समितियों को खाद व बीज वितरण करने पर राज्य सरकार द्वारा कुछ कमिशन दिया जाता है ? अगर हां, तो कितना और किस रूप में ?

(२) क्या यह सही है कि बीज का कमिशन जो पहिले वाढ़ी के रूप में दिया जाता था, अब बन्द कर दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि कृषक लोग बीज वाढ़ी के रूप में लेना अधिक पसन्द करते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक हालत कमजोर है ? अगर हां, तो वाढ़ी के आधार पर बीज क्यों नहीं वितरण किया जाता ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी हां। यह काश्तकार के लिए भारी था।

(३) जी नहीं।

कनेरा को चम्बल की बिजली

८९०. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कनेरा (निम्बाहेड़ा) को चम्बल की बिजली वर्ष १९६५ में दी जा रही है ?

(२) यदि हां, तो बिजली की लाइन किस ओर से होकर जायगी ?

(३) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ लाइन से मांगरोल, अरनिया, अरनोदा होती हुई बिजली की लाइन कनेरा पहुंचाई जायेगी ? यदि हां, तो कितने समय में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) कनेरा के विद्युत् करण की अभी कोई योजना नहीं है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

चित्तौड़गढ़-बूंदी सड़क

८९५. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ से बूंदी वाली सड़क अब पूर्णतया मेटल रोड बन चुकी है और वर्षा में भी चालू रहेगी ?

(२) क्या यह भी सही है कि यह रोड कई जगह मरम्मत तलब है ? अगर हां, तो मरम्मत कब तक और किस प्रकार किये जाने की योजना है ?

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)

(३) क्या यह भी सही है कि इस सड़क को डामर रोड़ बनाये जाने की भी संभावना है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) बूंदी से चित्तौड़गढ़ मेटल रोड बन चुकी है।

(२) जी हां। ज्यों२ धनराशि उपलब्ध होगी कार्य कराया जावेगा।

(३) जी हां। आशा है चतुर्थ योजना तक

(१२.०६ म. प.)

पाकिस्तान से अनधिकृत व्यक्तियों के विरूद्ध शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने हेतु स्थगन प्रस्ताव

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना सदन को दी है। आज कच्छ में, वेस्ट बंगाल में और आसाम में, जो पाकिस्तान का रवैया भारत के सम्बन्ध में चल रहा है उसको देखते हुए जिस कद्र तादाद में....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : On a point of order Sir, माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने इस सम्बन्घ में पहले भी स्थगग प्रस्ताव दिया था और आज भी उसी सम्बन्व में स्थगन प्रस्ताव दिया है अगर इस सम्बन्ध से डिटेल्स देना चाहते हैं तो उसके वारे में आसन से इजाजत दी जाय तभी दे सकते हैं। आज फिर वही स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है. अभी से माननीय सदस्य उस पर भाषण शुरू करेंगे, फिर उसका रिप्लाई करने का प्रोवीजन नहीं है। आज जो स्थगन प्रस्ताव पर कहेंगे वह आज ही प्रेस में चला जायगा इसका जवाब तो अभी नहीं हो सकता। दूसरे दिन जवाब मिलेगा। कल भी मैंने आपत्ति उठायी थी, कल विशेष परिस्थिति वश आदेश दे दिया गया था; आज वैसी परिस्थिति नहीं है। अभी इस प्रस्ताव के एडमिट होने का प्रश्न आसन के सम्मुख है। उससे पहले ही आप सारा भाषण दे डालेंगे।

श्री अध्यक्ष : भाषण की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ सूचनाएं देंगे।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : जो भी इन्फोर्मेशन आपके पास है वह हमें दे दीजिये हम उसकी जानकारी करके उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो भी बात कहना चाहते हैं, उनका यह कहना है कि वह जानकारी मन्त्री महोदय के पास नहीं है; अतः स्पष्टतया वे ही तथ्य सदन के सम्मुख रखें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल वे ही इन्फोर्मेशन देना चाहूंगा जिससे आपको जांच करने में सहूलियत होगी। मैं समय नष्ट नहीं करूंगा। आज लगातार भयंकर स्थिति के अन्दर आज हम गुजर रहे हैं। पाकिस्तान

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

के लोग जो गंगानगर में बसे हुए हैं उनको देखते हुए आज स्थिति गंभीर हो गई है। कुछ गांवों के अन्दर तो बाकायदा पाकिस्तान के लोग आकर बस गये हैं जिनके ऊपर केसेज़ चल रहे हैं। गांवों के अन्दर आकर जो पाकिस्तानी बस गये हैं उन पर पासपोर्ट एक्ट के तहत बाकायदा केस चल रहे हैं उनके चलते हुए काफी अर्सा हो गया है। जैसे बड़ोकल गांव के दो व्यक्ति हैं; एक तो जमालुद्दीन है, अकबर है, उस्मान खां है। उनके खिलाफ एस० डी० एम० के कोर्ट में दो तीन साल से केसेज़ पेन्डिंग हैं, बाकायदा वे पाकिस्तान में आते जाते रहते हैं। इसी प्रकार १३ क्यू में जो जीतसिंह है, वे पाकिस्तान चले गये लक्ष्मीसिंह उनके पिता हैं जिनको पाकिस्तान में छः महीने की सजा हो गई। बोर्डर क्रोस करके उन्होंने व्यास थानेदार पर गोली चलाई, लेकिन जीतसिंह पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

सरदारगढ़ ऐसी जगह है जहां करीब २०० परिवार ४७ के बाद आकर बस गये। जमालुद्दीन खां, बिरदी खां कानूगो जो पाकिस्तानी एजेन्ट्स के रूप में काम कर रहे हैं बाकायदा उन्होंने पांच साल पहले की गिरदावरियां दर्ज कर दीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न इस प्रकार का है जिसके बारे में अगर माननीय सदस्य हम लोगों को पहले से परिचित करा दें तो उसके बारे में कार्यवाही करने के लिये किसी भी प्रकार गवर्नमेन्ट की तरफ से रुकावट नहीं होगी। यहां पर चर्चा कर दी जाय और फैक्ट्स सही नहीं हों, तो डिमोरेलाईजिंग का असर सीमा पर पड़ सकता है। यह मैं समझता हूं माननीय सदस्य इसको आसानी से समझ सकते हैं। जो कुछ सूचना माननीय सदस्य के पास है इस बात की संभावना मान कर चलना चाहिये कि हो सकता है कि उसमें कुछ कमी हो। उन सूचनाओं के प्रसारित होने पर एक प्रकार का असर हुए बिना नहीं रह सकता जो आज की हालात के अन्दर जितना अवोइड किया जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों को पूर्णतया विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों की तरफ से जो भी बात आयगी पूर्ण रूप से उसकी जानकारी की जायगी और कार्यवाही की जायगी। इन चीजों को किसी प्रकार भी न दबाकर पूरी तरह से कार्यवाही करना अपना फर्ज समझते हैं। इस बात को लक्ष्य रखते हुए इन चीजों की कम से कम चर्चा करें, उतना ही राजस्थान के हित में होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अधिक चर्चा नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव की सूचना दी है और जो तथ्य रखे हैं वे विस्तार से मुख्य मंत्री को दें। मैं मुख्य मंत्री के इस कथन से पूर्णतया सहमत हूं कि ज्यादा चर्चा इस सम्बन्ध में न की जाय। माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस चर्चा को यहीं छोड़ दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक-दो विशेष मुद्दे ही मैं मुख्य मंत्री के ध्यान में लाना

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

चाहता हूं आज से दो वर्ष पहले मैंने एक मुद्दा सदन के सामने रखा था। गजसिंहपुरा के गोपी बालूराम का जिक्र करते हुए मैंने कहा था-गोपी और बालूराम का गेंग ऑपरेट करता है उसमें शोभासिंह व्यक्ति भी शामिल है। वही शोभासिंह संगरूरा पंचायत में टीचर के रूप में काम करता रहा है जो मुच्चासिंह के रूप में प्रकट हुआ है। यह तथ्य जिस समय होम मिनिस्टर माथुर साहब थे उनकी दृष्टि में यह तथ्य पहले कई बार ला चुका हूं। उसके कुछ अर्से पहले ३६ आरमी में कत्ल होता है सदन के सदस्य श्री गुरुदयालसिंह को रिफ्लेक्ट करते हैं। उसमें दयासिंह और मुच्चासिंह खुद मरडर्रस हैं इस प्रकार की आम चर्चा होती है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैंने २१ तारीख के अपने भाषण में भी इस बात का जिक्र किया था कि सरदारगढ़ की गिरदावरियों का सख्ती से चैकिंग किया जाय। सरदारगढ़ में पाकिस्तानी इस तरह से विराजमान हैं, वहां की गिरदावरी की इन्टेन्शली जांच नहीं की गई। इसलिये मुझे स्थगन प्रस्ताव द्वारा ये सारे तथ्य सामने रखने पड़ रहे हैं आशा करता हूं-मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करके सदन को सूचित करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहूंगा। मुख्य मंत्री महोदय जब इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें उस समय यह भी बतायें कि पाकिस्तान के ऐसे कितने नागरिक यहां हैं, जो बिना पासपोर्ट रह रहे हैं? कितने ऐसे पाक नागरिक हैं जिनके पासपोर्ट की मियाद खत्म हो गई है और जो अवैध रूप से ठहरे हुए हैं? पाकिस्तानी नागरिकों ने जो हाई कोर्ट में रिट्स कर रखी है, उनके कितने केस चल रहे हैं? कितनों का डिपोर्टेशन करना सरकार के विचाराधीन है और कितनों का डिपोर्टेशन किया है? सरकारी सेवाओं में जिनके बारे में यह सूचना मिली हो कि ये पाक नागरिक हैं तो सरकारी सेवाओं में जिन लोगों ने उनको भर्ती किया उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की? किस व्यक्ति ने ऐसे पाक नागरिकों को नेशनेलिटी का सर्टिफिकेट दिया है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की है? ये सब जानकारी मुख्य मंत्री महोदय सदन के सामने रखेंगे। मुख्य मंत्री महोदय ने ट्रान्समीटर के सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य दिया था कि ऐसे ट्रान्समीटर की सूचना जो बतायी गई है वह राजस्थान में नहीं है। लेकिन मैं आपकी सूचना के लिये निवेदन करना चाहता हूं जोधपुर से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र या तो वह प्रजा सेवक है या ललकार है उसमें इस बात का संकेत किया गया है कि हमारे यहां के समाचार पाक ऐजेन्टों द्वारा पाकिस्तान ट्रान्समिट किये जाते हैं और जो खबर हिन्दुस्तान के रेडियो से बाद में ब्राडकास्ट होती है वे ही खबरें पहले पाकिस्तान ब्रोडकास्ट कर देता है। इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है? राजस्थान और पाकिस्तान की जहां सीमा मिलती है वहां पर जो पाक पुस्तकें पढ़ाई जाती है जिसके सम्बन्ध में पहले भी यहां कहा गया था, क्या वे पुस्तकें यथावत चालू हैं या उनको बन्द कर दिया गया है? पाकिस्तान की जो सीमा हमारे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

राजस्थान से मिलती है उस बोर्डर पर कितने अध्यापक गिरदावर, स्कूल मास्टर, तहसीलदार हैड, कान्स्टेबल, सिविल सर्वेन्ट्स ऐसे हैं जिनकी पाक के साथ सहानुभूति है उनको वहां से हटाये बिना हम सीमा की सुरक्षा नहीं कर सकते इस ओर सरकार ने क्या कदम उठाया है ? बोर्डर कमिश्नर की जो नियुक्ति की है उसने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? कहीं बाड़मेर सीमा पर जिस प्रकार कन्जरकोट पर दुर्घटना हुई उस प्रकार की दुर्घटना न हो जाय इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? केवल वक्तव्य मे नहीं निश्चित तौर से क्या कदम उठाये हैं इस बारे में सदन को जानकारी दें । क्योंकि आज जिस प्रकार का समय है उसमें वहां के लोगों में विश्वास जागृत करना परमावश्यक है । जहां तक राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा का सवाल है, पाकिस्तान से लड़ने का सवाल है, वहां की जनता के मोरल को उठाने का सवाल है, उसमें किसी को भी विरोध नहीं है. राष्ट्र हित में व देशहित में हम सब सरकार के साथ हैं । हम चाहते हैं इस बारे में सरकार सख्त से सख्त कदम उठाये ।

लेकिन सरकार सख्ती और मुस्तेदी के साथ इस कदम को उठावे । मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि कुछ तथ्य हमारी जानकारी में आये, हमने उसके बारे में सरकार को पत्र लिखा । गृहमंत्री को पत्र लिखे ! एकाध का उत्तर आया बाकी का उत्तर ही नहीं दिया गया । हजारों लोग यहां रह रहे हैं लड़के पाकिस्तान में रह रहे हैं । पुलिस को हमने उनके नाम लिखे, कहां किस स्कूल में जाते हैं पढ़ते हैं ? यह लिखा सब कुछ लिखा । पर आज तक भी हमारे उन पत्रों का जवाब नहीं । तथ्य अखबारों में आते हैं, आप जवाब देते है नहीं । तथ्य सदन में रक्खे जाते हैं आप ध्यान नहीं देते । आप उनका कोई उत्तर नहीं देना चाहते । आप जनता को विश्वास में लेना नहीं चाहते, आप सही जानकारी उनको देने में हिचकिचाते हैं । आखिर यह सब क्यों ? देश की सुरक्षा का सवाल है । और मामलों में उप-मंत्री पर निर्भर कर सकते हैं, पर सुरक्षा के प्रश्न पर आप सर्वोपरि महत्व इसको दें, स्वयं मुख्य मंत्री इसको देखें । कहीं ऐसा न हो कि आप गफलत में रहें और उसके परिणाम स्वरूप कहीं दुखद दिन हमें देखने की नौबत आवे ।

पाकिस्तान के इरादे स्पष्ट तया आक्रमणात्मक हैं । उनका आप मुकाबला करें । किसी की मदद से करें । अमेरिका के सहारे करे, तो करें अपने सहारे पर करें तो करें । हमें तो पाकिस्तान के इरादों के बारे में पूरा खतरा है । पाकिस्तान और चीन का गठबन्धन इस देश के लिए बड़ा भारी खतरा है । इसको नजर अन्दाज करके नहीं चला जा सकता ।

मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ऐसे तत्व इस राज्य में हैं जिनकी गतिविधियां सन्देहास्पद हैं । उन तत्वों को राजनैतिक आजादी के नाम पर आप छूट न दें । उन पर पूरी निगरानी की आवश्यकता है । राजनैतिक स्वतन्त्रता के नाम पर ऐसे तत्व पाकिस्तान के हितचिन्तक बन रहे हैं । वे ऐसी कार्यवाहियां न करें जिससे इस देश

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को खतरा पैदा हो जाय। इन सारे पहलुओं के बारे में हमें सोचना होगा।

विशेष कर अध्यक्ष महोदय, मतदाता सूचियों में इन तत्वों ने अपने नाम लिखवा लिखवा कर अपने काम चला रहे हैं। इनसे हमें सावधान रहना होगा। पाकिस्तान के नागरिक हैं सात साल से आपके नागरिक बने बैठे हैं। मतदाता सूचियों में नाम लिखवा कर। पुलिस को पैसा देते हैं। पैसा देना बन्द कर दिया तो प्रोसीक्यूशन में, वे ऐसी बातें गवाही में कहते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मतदाता सूचियों के बारे में भी आप आदेश जारी करें कि इनकी बहुत छान बीन के बाद ऐसे व्यक्तियों के नाम लिखे जावें। जिन के बारे में सन्देह हो और उसमें फिर गलत फहमी नहीं हो तो उनके साथ सख्त से सख्त कदम उठाये जावें और निर्वाचित होने के बाद अजमेर के गुलाम हुसैन और छीपा बड़ौद के अल्ताफ हुसैन को एग्ज़ामिन करेंगे। कहीं ऐसी स्थिति पैदा न हो कि इससे हमें खतरा पैदा हो जाय। इस स्थिति में क्या कदम उठा रही है सरकार? यह सारी योजना रक्खे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : एक फैक्ट अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : यह तो डिबेट हो रही है?

माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में कुछ दिन पूर्व कहा था कि सभी पार्टियों से मिल-कर वे इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो इस बारे में वे थोड़ा प्रकाश डाल दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : इतनी बात कह दी तो अब क्या कहने की जरूरत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दो मिनिट में कह दूं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पाकिस्तान में...

श्री अध्यक्ष : आप तीन दफा बोल चुके हैं। माननीय सदस्य।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पाकिस्तान में आइडेन्टिटी कॉर्ड दे दिये हैं और हमारे देश में कइयों को पाया जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्षजी, अभी मेरे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने तो कई मुद्दे उठा दिये इसके साथ।

इन सारी बातों के लिए जानकारी करना और पूरे समाचार देना एक काफी लम्बा-चौड़ा काम हो सकता है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लेकिन इन चीजों के बारे में मैं पहले भी समय पर यहां कह चुका हूं कि कहीं भी तथ्यों के आधार पर हमारे सामने कोई भी बात आई कि जो पाक नेशनल, एन्टी-नेशनल एक्टीविटीज़ करता पाया गया हो या पाक नेशनल राजस्थान के अन्दर गलत तरीके से यहां पर बसा हुआ हो तो इन चीजों पर कार्यवाही करने के बारे में सरकार ने बहुत शीघ्रता से पहले भी कदम उठाये है और आगे भी जब कभी सरकार की जानकारी में ऐसी बातें लाई जावेगी तो उनके बारे में भी सख्त और शीघ्रता से कार्यवाही की जावेगी ।

माननीय अध्यक्षजी, मैं अभी तारीख दस को ही राजस्थान और पाकिस्तान की बोर्डर जो रन ऑफ कच्छ से मिलने वाला क्षेत्र है वहां पर जाकर लौटा हूं। वहां हमारे डिफेन्स मिनिस्टर भी जाने को थे लेकिन परिस्थितिवश वे वहां पर नहीं पहुंच पाये। पर मैं इस बारे में इतना ही सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं उससे वहां लोगों के अन्दर भी पूरा इत्मीनान है और जो भी जवान हमारे वहां पर हैं उनका काफी मोरल ठीक है। उनमें आत्म विश्वास है और मैंने पहले भी कहा था कि राजस्थान के निवासियों को इसके बारे में किसी भी प्रकार की शंका रख कर चलने की जरूरत नहीं है। हम लोग पूर्ण रूप से सतर्क थे और जो भी घटनाएं इन पिछले कुछ दिनों में या महीनों में हुई हैं इन चीजों को लक्ष्य में रखते हुए हम लोग वहां का अपना जितना इन्तजाम है उसको और ज्यादा पुख्ता करते हुए चले जा रहे है।

(करतल-ध्वनि)

पाकिस्तान की तरफ से जो गतिविधियां उस तरफ हुई हैं उनसे भी हम लोग वाकिफ हैं। और मैंने पहले भी सदन में निवेदन किया था कि तारीख १५ को मैं इस सदन के विरोधी दल के माननीय नेताओं को जो इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है, उसकी अलग से सारी जानकारी देने का प्रयत्न करूंगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों के विस्तार के अन्दर यहां पड़ना, श्रेयस्कर नहीं होगा।

(१२.२५ म. प.)

राजस्थान टीनेन्सी विधेयक, १९६५
(पुरः स्थापन)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान टीनेन्सी विधेयक, १९६५।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टीनेन्सी विधेयक, १९६५ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान टीनेन्सी विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री केसरीसिंह।

पाली में बालिका उच्च विद्यालय के निकट गन्दगी विषयक ध्याना कर्षण प्रस्ताव

श्री केसरीसिंह (पाली): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कुछ ही दिनों पूर्व जब मैं पाली में था तो मुझे वहां एक सम्भ्रान्त नागरिक ने बताया कि स्थानीय सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल जो है, उसके ठीक सामने म्यूनिसिपैलिटी द्वारा शहर की गन्दी नालियों का पानी लाकर छोड़ दिया जाता है, जिससे वहां बहुत ही अधिक गन्दगी मौजूद है।

उन्होंने मुझे स्वयं को वहां लेजा कर मौका भी दिखाया और वास्तव में १००-१५० गज लम्बाई में और ३०-३५ गज चौड़ाई में वहां पर वह गन्दी गलियों से आकर इकट्ठा हुआ कीचड़ और पानी भी मौजूद है जो कि वास्तव में एक असह्य दुर्गन्ध और अस्वच्छता का वातावरण वहां फैलाये हुए हैं। और जो कि वास्तव में खेद का विषय है। मुझे यह भी बताया गया कि कुछ दिन पूर्व खुद मुख्य मंत्री महोदय को भी यह मौका बताया गया था और उन्होंने जिलाधीश महोदय को इस विषय में आवश्यक निर्देश भी दिये थे पर उस गन्दगी को वहां से हटाने के लिये आज तक कुछ नहीं किया गया है। वह ज्यों का त्यों वहां मौजूद है।

उस गन्दे पानी को स्कूल के पीछे की तरफ से नदी में आसानी से ले जाया जा सकता है और यह मुश्किल से दो दिन का काम है। टेम्प्रेरिली तो यह दो दिन में ठीक कराया जा सकता है। उधर जो जमीन है वह एक सज्जन जसराजजी भाटी नामक हैं और वे उस जमीन को नगरपालिका को मुफ्त में इस काम के लिये देने को भी तैयार हैं। नगरपालिका के १४ सदस्यों ने यह लिखित रूप में भी राय जाहिर की है कि यह गन्दगी पीछे से ले जाई जानी चाहिये। लेकिन शायद किसी व्यक्तिगत कारण से, नगरपालिका के चेयरमैन जो हैं, वे उस गन्दगी को स्कूल के ठीक सामने से ही ले जाने पर तुले हैं। यह कहां तक सही है यह मैं नहीं निवेदन करना चाहता। पर यह मैं चाहता हूं कि सरकार इस विषम समस्या की ओर ध्यान दे। शिक्षा मंत्री भी ध्यान दे क्योंकि बच्चों का प्रश्न है स्कूल के, स्वास्थ्य मंत्री भी और स्वायत्त शासन मंत्री भी ध्यान दे और स्वयं मुख्य मंत्री भी ध्यान दें कि वह वहां के एक असह्य गन्दगी मौजूद है उसको हटाने के लिये तत्काल इफेक्टिव एक्शन लेने की आवश्यकता है।

इस विषय में, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आप इसका मुझे ठीक उत्तर और सन्तोष दिलाने की कृपा करें।

श्री दौलतराम भारण (उप-मंत्री, स्वायत शासन): अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य ने बातें सदन में रखीं, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह सही है कि वहां गन्दगी है और इस को दूर करने की व्यवस्था भी की जा रही है। कलेक्टर ने इस सम्बन्ध में वहां के इन्जीनियर की टैक्निकल राय के लिये कागज भेजे हैं। उनकी राय जल्दी

(श्री दौलतराम सारण)

आने वाली है। उसके आने पर राजस्थान सरकार के पास वे कागजात आवेंगे और राजस्थान सरकार की स्वीकृति के पश्चात् माननीय सदस्य ने जैसा कहा स्कूल के पीछे से होकर बाड़ी नदी में गन्दे नाले को डालने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जावेगी।

श्री केसरीसिंह : मैं आपको अर्ज करूंगा कि यह जो कार्यवाही आप करें, वह तो ठीक है, पर उस के अत्यन्त शीघ्र करने की आवश्यकता है।

वहां हाई स्कूल के इम्तिहान हो चुके हैं? सातवीं आठवीं के होने वाले हैं। २५-२६ को शुरू होंगे। तो ऐसी स्थिति में उनके स्वास्थ्य पर असर न करे इसलिये मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि इम्तिहान से पहले ही यह काम सरकार कर देगी। हो सकता है कि सरकार काम कर रही हो, पर इस विषय में सरकार आश्वासन दे तो मुझे विशेष सन्तोष होगा।

श्री दौलतराम सारण : गन्दगी की सफाई के लिए मैं प्रयत्न करूंगा कि वह हो जाये। किन्तु योजना के लिए कवर्ड ड्रेन बनाने के लिए तो समय लगेगा, लेकिन गन्दगी को दूर करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री केसरीसिंह : मैं चाहता हूं कि कम से कम उसको कच्ची खाली से डाइवर्ट कर दें।

श्री दौलतराम सारण : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां नाला बनाया जायेगा, उसको कवर किया जायेगा फिर नदी की तरफ उसको डाइवर्ट किया जायेगा–माननीय सदस्य सहमत होंगे कि इसमें समय लगेगा। लेकिन जो गन्दगी अभी है उसको मौजूदा स्थिति में जिस प्रकार से साफ किया जा सकता है, उसको साफ कराने का प्रयत्न करूंगा।

श्री केसरीसिंह : मेरा निवेदन करना है कि पक्का नाला बनेगा यह तो खुशी की बात है लेकिन जो रोजाना गन्दगी आती है और उसको सामने ही लाकर छोड़ दिया जाता है उसको कच्ची खाली से स्कूल के पीछे से डाइवर्ट तो दो दिन में किया जा सकता है इसमें देरी क्यों की जाये।

श्री दौलतराम सारण : इस सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया कि जो कुछ किया जा सकेगा उस सम्बन्ध में प्रयास किया जाय।

श्री केसरीसिंह : ठीक है, विश्वास करता हूं।

विधान सभा के सदस्य के निरोध काल में मतदान अधिकार विषयक औचित्य प्रश्न सम्बन्धी

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, अभी प्रवर समिति के चुनाव परसों होने वाले हैं और इसी सदन के एक माननीय सदस्य श्री हरिराम चौहान डिटेन्शन में हैं। डिटेन्शन में होते हुए भी वह इस सदन के एक माननीय सदस्य हैं, इस नाते इस चुनाव में भाग लेने का उनको अधिकार है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनको इस अधिकार से सुरक्षित रखने के लिए और वह वोट दे सकें उस चुनाव में इस प्रकार की आप व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : वोट तो केवल माननीय सदस्य सदन में हों तभी दे सकते हैं और उसके बारे में क्या व्यवस्था की जा सकती है; यह सरकार पर निर्भर है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय इसी तरह का प्रश्न लोक सभा में भी प्रस्तुत किया गया था और वहां पर सभापति महोदय ने इस बात पर अपना जजमेंट रिज़र्व रखा है। तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस बारे में आप चाहें तो उनसे सम्पर्क स्थापित कर लें वर्ना आप इस पर गंभीरता से विचार करें क्योंकि रूल्स में इस प्रकार का कुछ नहीं है कि उनकी स्वयं की उपस्थिति यहां पर आवश्यक हो चुनाव के दिनों में। जनरल इलेक्शन में जो लोग मिलिट्री में होते हैं उनके पास फार्म भेज कर उनके वोट्स मंगाये जाते हैं। अपने जो रूल्स हैं वे इस बारे में साइलेन्ट हैं उनमें कुछ भी नहीं है इसलिए जनरल इलेक्शन का जो रेनोवेशन है कि मिलिट्री में यदि कोई सर्विस कर रहा है तो उसके पास भेज कर मंगवाने का प्रोसीजर है यहां भी उसका उपयोग किया जाये। उसकी रूल्स में कोई पाबन्दी नहीं है। इसलिए उसका उपयोग करके बैलट पेपर्स उनके पास भेज कर उनका वोट मंगाया जा सकता है या विशेष तौर पर उनको इस सदन में उपस्थित करने के लिए जेल अधिकारियों को कह सकते हैं और वह अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करके यहां से वापिस जा सकते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक जो हमारे हाउस की परम्परा रही है कि कोई भी माननीय सदस्य जो हाउस में नहीं रहा है चुनाव के समय, तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं रहता। कई चुनाव होते हैं, पार्लिमेन्ट में भी चुनाव होते हैं तो कभी भी कोई माननीय सदस्य बाहर रहता है उनको अधिकार नहीं मिलना है कि वह बैलट से वोट दें। हमारे कई चुनावों के अन्दर कई माननीय सदस्य हास्पिटल में रहते हैं और उनको डाक्टरों की मना थी कि वह नहीं जा सकता तो उनको भी बैलट के आधार पर वोट नहीं पड़ा है। इसलिए आज तक परम्परा रही है कि कोई भी माननीय सदस्य जो बाहर रहता है और उनको वोट देने का अधिकार नहीं रहा है। इसलिए जो हमारे रूल्स और परम्परायें हैं, वह परम्परायें ही स्वयं रूल्स बन जाते हैं इसलिए स्पष्ट है कि जो सदन में नहीं रहेंगे उनको अधिकार नहीं होगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव जो समिति के होने वाले हैं उनमें वोट देने का सवाल है इस सिलसिले में ऐसी कोई मांग आई है परन्तु फिर भी अभी जैसे केरल का सवाल था उनको बुलाने का और बात करने का सवाल आया था तो उस पर सरकार ने उसको मान्य किया था कि वह यह रख सकते हैं। लेकिन इस मामले में भी क्योंकि यह चुनाव है और एक व्यक्ति को और खास तौर से सदस्य को जब कि वह यहां है या जेल में है या कहीं भी है उस दल का कोई माननीय सदस्या समिति के चुनाव में खड़ा हो तो स्वाभाविक है कि उनके एक वोट का भी काफी माने होता है......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : उनके दल का दूसरा सदस्य कौन है ?

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे कहने का मतलब यह है कि पहला प्रश्न आता है कि दल का सदस्य कौन है उसके लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन एक अधिकार का सवाल है। तो उस मामले में क्या सरकार उचित नहीं समझती कि ऐसी परिस्थिति में जब कि उनकी ओर से कहा जाता है कि हम उनका एक सदस्य इस प्रकार से खड़ा हो तो अधिकार के रूप में भी सरकार को स्वीकार करना चाहिए।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, जिन परिस्थितियों में माननीय सदस्य जिनके बारे में कहा गया गिरफ्तार करके रखा गया है उनकी ओर भी हमें विचार करना चाहिए। देश की सुरक्षा का प्रश्न बड़ी अहमियत का है बजाय सदन की कोई समिति का चुनाव हो रहा है उसमें वोट देने के। मैं सरकार से कहूंगा कि यदि उनकी पार्टी का कोई आदमी हो और अगर दो कम्युनिस्ट में एक खड़ा भी हो जाता है तो उनके तीसरे वोट से भी कुछ होना जाना नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कि अनडिज़ाइरेबल एलीमेन्ट्स हैं उनके पास ही इनको भी भेज दिया जाये तो सब की पूर्ति हो जायेगी। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि परिस्थितियां बदल रही हैं और यह लेफ्ट राइट करके धोका देना चाहते हैं या तो उनको छोड़ दिया जाये या इन को भी उनके पास पहुंचा दें।

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न उठाया है उसके बारे में मैं अपने विचार बता चुका हूं और मैं इस प्रकार आश्वासन देने में असमर्थ हूं कि जो तिथि निर्धारित की गई है समिति के चुनाव के लिए उसकी पहले व्यवस्था की जा चुकी है और ऐसा आश्वासन नहीं दे सकता जिससे माननीय सदस्य की मन्शा पूरी हो जाये। अगर माननीय सदस्य कुछ विशेष तरीकों से नियमों में संशोधन का संकेत करना चाहते हैं तो उन पर भविष्य में विचार किया जा सकता है।

(१२.३८ म. प.)

क्रय-विक्रय संघ विषयक वाद-विवाद

जो बहस कल हुई थी उस पर स्पष्टीकरण करेंगे। श्री मोतीलाल चौधरी।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी निवेदन किया था और माननीय सदस्य ने मेरे नाम से कुछ हाउस में बोला था और मैं एक्सप्लेन करने के लिए कल भी खड़ा हुआ था....

श्री अध्यक्ष : केवल आपके बारे में कहें संस्था के बारे में नहीं। और संक्षेप में कहें।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहा गया था, चेयरमैन और डाइरेक्टर्स के नाम से कहा गया था। इसलिए चेयरमैन और डाइरेक्टर्स को बोलने का अधिकार दिया जाये।

श्री मोतीलाल चौधरी : कल जो कहा गया.......

Page No.45

श्री अध्यक्ष : केवल आपके बारे में कहें और सारी स्थिति के बारे में नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कुम्भारामजी के बारे में कहा था वह व्यक्तिगत कहना चाहें तो उनको मौका दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी स्थिति को साफ कर सकें।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : जो बातें सदन में कही गई हैं उनकी कई बार यहां सदन में, चर्चा में आ चुकी हैं। इसलिए इसमें व्यक्तिगत बात नहीं है और भी कई मौके आयेंगे। सरकारी बिल से क्या सम्बन्ध है।

श्री मोतीलाल चौधरी : संस्था के बारे में भ्रम करने के लिए समय नहीं दिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

(१२. ३६ म. प.)

राजस्थान सहकारी (संस्था) विधेयक, १९६४ (अग्रेत्तर विचार–विमर्श)

श्री मथुरादास माथुर (सहकारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहकारी (संस्था) विधेयक, १९६४ को लेकर कल सदन में जो प्रवर समिति द्वारा अमेन्डेड रिपोर्ट पेश की गई थी उस पर चर्चा हुई। माननीय सदस्यों ने जो इस ओर बैठते हैं या उस ओर बैठते हैं अलग अलग विचार रखे। सदन में सब विचार के सुनने के बाद में, मैं और जिस निर्णय पर राज्य सरकार पहुंच पाई है उसका जिक्र मैं आज आपके सामने करूंगा। मैं उन सब माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस विधेयक के बारे में कम से कम इस बात को माना है कि यह विधेयक एक अगला कदम है, धन्यवाद देता हूं। हमने सबसे पहले १९५२ में सहकारी संस्था विधेयक बनाया था और आज १२ साल के बाद हमने इस विधेयक को पास कराने के लिये पेश किया है। माननीय अध्यक्ष, इन १२ सालों के अन्दर, देश में, समाज में, देश की हालत में बहुत तरक्की हुई है देश के सामाजिक दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन हुआ है और अब देशवासी भी इस बात को मानने लगे हैं कि सहकारी आन्दोलन के जरिये से हम इस देश के अन्दर एक समाजवादी समाज, सहकारी समाज कायम करना चाहते हैं और इस विधेयक को इसी दृष्टिकोण से रखा है। यह विधेयक सिर्फ कॉमर्शियल व्यापारी या वाणिज्यक विधेयक ही नहीं रहा है, बल्कि यह विधेयक हमारे देश के जो समाजवादी उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए एक साधनमात्र बना है। उस लिहाज को देख कर ही यह विधेयक बनाया गया था। सिलेक्ट कमेटी में इस पर खूब बिचार हुआ है। माननीय सदस्यों ने जो कल सुझाव रखे हैं, कुछ भ्रम उन लोगों ने रखे हैं और कुछ बातें जो उन्होंने रखी है उनका स्पष्टीकरण करना बहुत जरूरी है।

इस विधेयक के बारे में खास तौर से यह कहा गया है और भरतपुर से आने वाले माननीय नत्थीसिंहजी ने यह कहा कि यह समाजवादी समाज से परे है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण का जो

(श्री मथुरादास माथुर)

उन्होंने ७ साल पहले दिया था उसका उन्होंने जिक्र किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक जो कुछ भी हमने सदन के सामने प्रस्तुत किया है और जो कुछ सिलेक्ट कमेटी ने इसमें सुधार किया है और जो कुछ हम आगे इसके ऊपर विचार करने वाले हैं वह हर कदम उस लक्ष्य को पूरा करने के विचार से किया जा रहा है।

सबसे पहले इस विधेयक के अन्दर जो पुराने विधेयक में नहीं था और हिन्दुस्तान के कई विधेयकों में नहीं है, वह धारा यहां रखी गई है कि वे ही सहकारी संस्थाएं रजिस्टर्ड की जायगी जिनके उद्देश्य और जिनके उसूल सोशल जस्टिस, सहकारी उद्देश्य और प्रिन्सीपल्स के विरुद्ध न हों और पब्लिक मोरेलिटी के खिलाफ न हों कल यह भी कहा गया कि रजिस्ट्रार महोदय को यह अधिकार दिया गया है कि संस्था को रजिस्टर्ड करने से इन्कार कर दें। माननीय अध्यक्ष, कोई भी सहकारी समिति बना कर खड़ा हो जाय – ऐसी मिसालें इस प्रान्त में तो नहीं लेकिन दूसरे प्रान्तों में मिलती हैं कि जो सहकारी उद्देश्यों के विपरीत होती हैं। ११–१२ आदमी मिल कर के सहकारी संस्था के नाम से कोई भी उद्देश्य को लेकर कार्य करें जो कि सहकारी आन्दोलन को बढ़ाने के लिए न हों, बल्कि दूसरी तरह का आन्दोलन बनाया जाता है। हम चाहते हैं कि सहकारी संस्थाएं बनें वह इस आधार पर कि वे कोऑपरेटिव प्रिन्सीपल्स के खिलाफ न हों, पब्लिक मोरेलिटी के खिलाफ न हों इसका चैक कहीं न कहीं होना चाहिए। यही कारण है कि हमने इस चीज को लेकर इसमें जो खण्ड ८ को रखा गया है उसमें इस चीज का जिक्र किया गया है। यह सुझाव आया कि कोऑपरेटिव प्रिन्सीपल्स का इस बात का विश्लेषण करके लिखे कि कोऑपरेटिव प्रिन्सीपल्स क्या हैं? मैंने कल भी कहा था माननीय अलवर से आने वाले सदस्य को कि कोऑपरेटिव प्रिन्सीपल्स को पूरा डिफाईन करें तो एक लेख बन जायेगा, क्योंकि कोऑपरेटिव प्रिन्सीपल्स जो हम आज समझते हैं वे कोऑपरेटिव प्रिन्सीपल भी एक समाज की स्थिति के अन्दर कोऑपरेटिव सिद्धान्तों के मूलभूत एक तरह से हो जाते हैं और दूसरी परिस्थिति में डायनेमिक सोसाइटी है, प्रगतिशील समाज है, आगे बढ़ता जाता है और सिद्धान्तों पर भी प्रगतिशील होता जाता है। कोई जमाने के अन्दर सहकारी आन्दोलन एक वाणिज्यिक आन्दोलन था। आज भी ऐसे देश हैं जो प्रोडक्शन पर विश्वास करते हैं जिन देशों में क्रेडिट से काम होता है, तो पूंजीवादी देश में क्रान्तिकारी समाज का परिवर्तन करने का आन्दोलन नहीं है, वहां की हालत कोआॅपरेटिव प्रिन्सीपल्स की दूसरी हो सकती है। और हमारे यहां दूसरी हो सकती है। तो कोआॅपरेटिव प्रिन्सीपल्स को डिफाइन करके सीमित करना पड़ेगा। अगर उसको डिफाइन करने की कोशिश की गई तो परिभाषा में पूरी तकसील इस बिल में और रूल्स में नहीं दे सकेंगे। इसको जब रखा है तो इन्टरप्रिटेशन वक्तन फवक्तन जो समाज बदलता जाता है। उसके आधार पर दिया जाता है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो डिमार्केशन होता है कि वे पूंजीवादी देश के जिस तरह के प्रिन्सीपल्स हैं वे न होकर दूसरी तरह के हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आ रहा हूं: "not inconsistent with the princples of social Justice, co-operative principles and puplic morality". सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो अपने आप पूंजीवादी देशों के सिद्धान्तों के विपरीत अपने सिद्धान्त खड़े हो जाते हैं। लफ्ज के लिखने के बाद उसे परिभाषा में डालने के बाद, पूंजीवादी देश कौन कौन हैं? पूंजीवाद क्या है ? वह कोआॅपरेटिव एक्ट में नई चीज पैदा कर देगी जो किसी एक्ट की परिधि में नहीं आता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल Are you prepared to call it social Justice ?

श्री मथुरादास माथुर : सोशल जस्टिस के मायने ही यह है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर वर्ड के डालने से आपको सन्तोष होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : आपको सन्तोष नहीं होता है सोशियल वर्ड है।

श्री मथुरादास माथुर : उसका पर्पज सर्व हो जाता है बिना डाले ही।

वीकर सेक्शन का जिक्र खण्ड ६ में किया है। उसमें हमने कहा है कि अब तक कोई सहकारी संस्था रजिस्टर्ड नहीं की जायगी जब तक कि १० पर्सेन्ट मेम्बर्स उस संस्था में वीकर सेक्शन के न हों। हमने डिफाइन कर लिया है। हमने इसमें यह लिखा है–economically and socially backward or neglected community.

अब उसके बाद में ध्यान में आया कि "as may be peescribed" और एड कर देते रूल्स के अन्दर ताकि सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर, जो वीकर सेक्शन की परिभाषा दी गई थी रूल्स के अन्दर, उसी आधार पर वीकर सेक्शन की परिभाषा डाल देंगे और सरकार सोशलिज्म को इलेबोरेट कर देगी जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स, इकोनोमिकली बैकवर्ड भी हो सकते है, लैण्डलेस और इनके पैसाइज्ड भी हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। इसीलिए सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट की परिभाषा ली है। उसके आधार पर वीकर सेक्शन की डेफीनेशन रूल्स के अन्दर डाल देंगें जिससे अपना काम पूरा हो सकता है। एक्ट में इकोनोमिकली और सोशयली बैकवर्ड कम्युनिटी डालने की वजह से इशारा साफ हो जाता है रूल्स में डिटेल्स में दे देंगे। इससे यह साफ जाहिर है कि यह विधेयक वीकर सेक्शन को ऊपर उठाना चाहता है। इससे हमारा समाजवादी लक्ष्य एक तरह से आगे बढ़ता है।

माननीय अध्यक्ष, इसमें यह भी रखा है कि नेशनल डेवलपमेंट कौन्सिल का प्रस्ताव था कि एक पंचायत समिति में कम से कम एक सहकारी संस्था हो। इस आधार पर हम अपने देश में पंचायती राज, सहकारी समाज के ढंग के, नये समाज के बनाने की बात हम लोग सोच सकते हैं। आज के

(श्री मथुरादास माथुर)

दिन २२ हजार से ज्यादा सहकारी संस्थाएं बन चुकी हैं। साढ़े सात हजार पंचायतें हैं। तो वे ज्यादा बन चुकी हैं। इसके लिए सदन में आ चुका है। इस एक्ट में प्रावधान रखा गया है। कई लिक्वीडेशन में चली जायेगी एक इकोनोमिक वायेबल संस्थाएं बनाने की कोशिश करेंगे ताकि सहकारी संस्था अपने पैरों पर खड़ी होकर उस इलाके के लोगों की सेवा कर सके, वर्ना जो संस्थाएं साधन नहीं होने की वजह से खुद खड़ी नहीं हो सकतीं, वे दूसरे गिरे हुए आदमियों को कैसे उठा सकती हैं ? इसलिए इस बात का ध्यान रखा गया है कि कम से कम ढाई हजार की आबादी पर पंचायत पड़ती है, ५०० फैमिली पर पड़ती है। तो हमने कहा कि ५० सदस्य कम से कम बनें तब रजिस्टर्ड की जायगी। ५० सदस्य भी एक फैमिली से एक हो और फैमिली की परिभाषा भी जो सीलिंग एक्ट और लैण्ड एक्ट में दी थी वही परिभाषा लागू की गई है जिसका मतलब यह होगा कि गांव में कम से कम वन टैन्थ आदमी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आ जाने चाहिए। १/१० में से वीकर सेक्शन इसमें आ जाता है। इकोनोमिकली वायेबल होने के लिये ७५०) रु० शेयर कैपिटल होनी चाहिये। वर्ना ५० मेम्बर बन गये और एक एक रुपया मेम्बरशिप का दे दिया तो ५०) से वे सोसाइटी रन नहीं कर सकते इसलिये ७५०) रु० रखे गये हैं। फेमिली की परिभाषा भी तब्दील करके इस तरह रखी है कि पहले अमूमन शिकायत करते थे कि कुनबे के लोगों को ही मैम्बर बना लिया जाता था नाना, मामा आदि आ जाते थे; इसलिये इसको तब्दील कर के इस तरह से रख दिया है कि एक ही फेमिली के लोग मेम्बर बन कर फर्जी सोसाइटी नहीं बनालें, इसका ध्यान रखा गया है।

इसके साथ साथ यह भी कहा है कि लोगों में सहकारिता आन्दोलन के प्रति कोन्फीडेन्स हो तभी डिपोजिट्स अधिक आवेंगे तभी ये तरक्की करेंगी। केवल इस शेयर कैपिटल की पूंजी से सोसाइटीज तरक्की करने वाली नहीं हैं, इसलिये हमने मिनिमम फाइव टाइम्स लाइबलिटी कर दी है जिससे एसेट्स बढ़ेंगे. डिपोजिट्स आयेंगे ये सब बातें रजिस्ट्रेशन से पहले और करेक्टर ऑफ दी सोसाइटी में लिखी हैं। एक एक कदम और एक एक क्लॉज सहकारी आन्दोलन को मजबूत करने के लिये और इकोनोमिकली वायेबल बनाने के लिये रखा गया है। इसके जरिये सहकारी आन्दोलन से सहकारी समाज और समाजवादी समाज के निर्माण की तरफ कदम होगा। इसलिए आपका जो शक था कि हमें पैसा कहां से मिलेगा, वह निर्मूल था और जो जो कदम लिये हैं वे इसलिये लिये हैं कि इसकी बुनियाद मजबूत हो।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रेशन में डिले हो जाती है, मैं यह कह रहा हूं कि इसमें हमने ऐसा प्रावधान रखा है कि ३ महीनों में रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिये। यदि नहीं होगा तो राज्य सरकार डाइरेक्शन देगी।

सैक्शन ८ में दूसरा क्लाज रखा है रैड टेपिज्म को खत्म करने के लिये। जो पहले महीनों तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता था उसको खत्म करने

(श्री मथुरादास माथुर)

के लिये प्रावधान रखा है ताकि जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन हो, जो इसके लिये लायेबल है उनका रजिस्ट्रेशन जल्दी होगा तभी तेजी से यह आन्दोलन आगे चलेगा।

कल चर्चा इस बात की चली कि आन्दोलन के द्वारा जो लोग सेवा करना चाहते हैं, उनके बजाय वे लोग घुस जायेंगे जो शोषण करने वाले हैं। नसीराबाद के माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था, मैं उसको मानता हूं। हमने लिखा था कि जो आदमी मनी-लेंडिंग क्लास का है, मनीलेन्डर हैं, उसको कर्जा नहीं मिलेगा। अलवर के माननीय सदस्य ने कहा था कि वे कर्जा तो नहीं ले सकेंगे लेकिन ऑफिस बियरर बन कर वे दूसरे आदमियों को कर्जा दिलायेंगे जो फर्जी तौर पर उनके बजाय ले लेंगे; इस तरह की चीज से भी शोषण होता है। हमने इसलिये यह रखा है कि जो मनीलेंडर है, एक्ट में डिफाइन्ड मनीलेंडर है उनको कोई कर्जा नहीं मिलेगा और वे ऑफिस बियरर नहीं बन सकेंगे...

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसा नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं ठीक कर दूंगा। मनीलेंडर्स यदि कोई ऑफिस बियरर बन गये हैं तो वे ऑफिस बियरर नहीं रह सकेंगे, मैं लैंग्वेज को ठीक कर दूंगा। यदि कोई ऑफिस बियरर हैं तो वह प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी या ट्रेजरार नहीं बन सकता इसलिये इसमें यह प्रावधान रख दिया है कि जिसका बिजनेस मनीलेंडिंग है, उसको ऑफिस बियरर नहीं रखा जायगा।

तीसरी बात यह भी कही गई थी कि मनीलेंडर को समिति का सदस्य ही नहीं रखा जाय। इसको मैं मानने में असमर्थ हूं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज मल्टीपर्पज हैं, कन्ज्यूमर्स स्टोर्स वगैरह भी हैं। यह बहुद्देशीय सेवा सहकारी समिति हैं गांव में। हम यह भी सोचते हैं कि एक पंचायत समिति के पीछे इस प्रकार की एक समिति बने। तो गांवों में जो मनीलेंडिंग का काम करते हैं, वे इसके सदस्य बन जायं, इसमें वे पैसा लगावें और कन्ज्यूमर्स आर्टिकल्स में मार्केटिंग का काम करते हों तो वे इसमें हिस्सा ले सकें, इसलिये उनको गांव से दूर फेंक देना ठीक नहीं है। उनको सदस्य बनने की इजाजत है। अपनी मनी यहां पर डिपोजिट करा सकते हैं, शेयर ले सकते है। इससे मेम्बरशिप बढ़ेगी, रुपये बढ़ेंगे और क्रेडिट लिमिट बढ़ेगी लेकिन ये ऑफिस बियरर नहीं बन सकेंगे और इनको उधार या क्रेडिट नहीं देंगे ये दो खास काम हो जायेंगे।

मैं इस चीज को भी मंजूर करता हूं कि बाई-लॉज में हम ऐसा प्रावधान कर देंगे, कि जो कन्ज्यूमर्स स्टोर्स हैं, उनके ऑफिस बियरर ऐसे लोग नहीं बने जो खुद उसी कोमोडिटी का व्यापार करते हैं, जो कन्ज्यूमर्स स्टोर में रखी जाती हैं।

(करतल ध्वनि)

इसको रूल्स में डाल देंगे। रूल्स भी सदन के सामने आ सकते हैं। जिस वजह से कन्ज्यूमर्स स्टोर्स के ऑफिस बियरर वे लोग नहीं बन सकेंगे, जो कन्ज्यूमर्स स्टोर्स की कोमोडिटीज में खुद धन्धा करते हैं...

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): यह प्रावधान आप रूल्स में रखना चाहते हैं उसके बजाय इसको आप एक्ट में रखिये क्योंकि एक्ट के अन्तर्गत ऑथोराइज नहीं करें और रजिस्ट्रार पर्मिशन नहीं दे तो रूल्स में रखने से मतलब हल नहीं होगा।

श्री मथुरादास माथुर : मै इसमें प्रावधान यह रख दूंगा कि रूल मेकिंग पॉवर भी आपको होगी। अगर मैं इस प्रावधान को एक्ट में रखता हूं तो यह बल्की हो जायगा। २२००० में से १४००० करीब सेवा सहकारी संस्थाएं हैं। अगर एक्ट में इसको डालेंगे तो कोम्प्लीकेटेड हो जायगा। रूल्स मेकिंग पॉवर हमको है उसके नीचे हम करेंगे।

माननीय अध्यक्षजी, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न नसीराबाद के माननीय सदस्य ने उठाया था और यह कहा था कि यह जो कन्ज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं वे अपना बिजनैस अपने सदस्यों तक ही सीमित रखें, वे पूरे आम अवाम के साथ करते हैं, वह सहकारी आन्दोलन को बदनाम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और साथ ही साथ जो काम करना चाहिये वह नहीं करते हैं। मैं नसीराबाद के माननीय सदस्य का ध्यान दफा ६५ की तरफ खींचना चाहता हूं:

"65. Restrictions on borrowings. A co-operative society shall receive deposits and loans only to such extent and under such conditions as may be prescribed or as may be specified in the bye-laws."

अभी हमारे यहां जो रूल २१ है उसमें नॉन-मेम्बर्स से बिजनेस करने के लिये रैस्ट्रिक्शन है, रजिस्ट्रार की आज्ञा ले कर सकते हैं। रजिस्ट्रार की आज्ञा लेने का प्रावधान रखा है। इमर्जेन्सी के कारण भारत सरकार ने कहा है कि कंट्रोल्ड कॉमोडिटीज को कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मार्फत वितरित कराया जाय। इसलिये रजिस्ट्रार को रूल २१ के नीचे पावर दी है। लेकिन यह टेम्पोरेरी है, एक पीरियड के लिये है। इस तरह की आज्ञा है कि जो नौन मेम्बर्स के साथ बिजनेस करने की छूट है वह सीमित रखी जाय। अभी जो खुली छूट है उसके बारे में भारत सरकार से विचार करके जो आज्ञा दी है उस पर पुनर्विचार किया जायगा। उसको रोकने का अधिकार है लेकिन यह आज्ञा भारत सरकार की नीति के कारण दी है। उनसे चर्चा करने के बाद ही हम इसके बारे में कुछ करेंगे। वैसे हमको अधिकार है। इसको कानून में डालने की आवश्यकता नहीं है। हम जब भी चाहेंगे इसको वापिस खींच लेंगे वगैर इजाजत के नौन मेम्बर्स के साथ बिजनेस नहीं कर सकेंगे।...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैंने इसके मूल रूप पर एक बात कही थी। कोऑपरेटिव मूवमेंट को यदि वे ऑफ दी-लाइफ बनना है तो यह जरूरी है कि हम सेवा करें। आपसे मैंने यह भी कहा था कि २१ के माफिक रजिस्ट्रार ठेके देने की पर्मिशन दे देता है, गुड़ और दूसरी चीजों को लाने की इजाजत दे देता है, उसको इजाजत देने का अधिकार नहीं होना चाहिये। आज यह हालत हो रही है कि कोऑपरेटिव के नाम पर जो आप सुविधा प्रदान करते हैं, उसका

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

फायदा कान्ट्रेकटर्स उठा लेते हैं और जिस तरह से वे गवर्नमेंट से कान्ट्रेक्ट लेते हैं, वे ही हालात यहां पैदा हो जाते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रार इजाजत दे देता है। इजाजत देने का पावर उसको नहीं होना चाहिये। कोऑपरेटिव के जरिये कोई काम कराना है तो वह काम कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ही होना चाहिये।

(१. ०० म० प०)

आपके विचार से मेरे ख्याल में, मैं और मेरा विभाग सहमत है और इसमें इसलिए दो मत नहीं हैं, इसका पूरा ध्यान रखा जायगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि सदस्यों को एडमीशन नहीं मिलता है। पहले अमूमन सहकारी समिति की मैनेजिंग कमेटी इन्कार कर देती थी तो एडमीशन नहीं मिलता था। हमने इसके अन्दर रख दिया है कि एप्लीकेशन देने के तीस दिन के अन्दर ऐसे व्यक्तियों को एडमीशन मिल जाना चाहिए। और यदि तीस दिन के अन्दर एडमीशन नहीं मिले और मैनेजिंग कमेटी उसको एडमीशन न दे तो उसकी अपील रजिस्ट्रार के पास हो सकती है। इस सदन के माननीय सदस्य श्री नत्थीसिंह ने विचार रखा कि उसकी अपील जनरल कमेटी के पास रखी जानी चाहिए। हमारा ओरिजिनल कानून था, उसमें मैनेजिंग कमेटी, उसके बाद जनरल कमेटी और फिर रजिस्ट्रार की एजेन्सी रखी थी। लेकिन जब यह बिल सलेक्ट कमेटी में गया तो वहां यह कहा गया कि पहले मैनेजिंग कमेटी उस एप्लीकेशन के ऊपर विचार करेगी। उसमें कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद में जनरल बोडी के पास जायगा तो वह भी महीने, दो महीने ले लेगी और बैठक बुलानी पड़ेगी, उसको बुलाने में समय ले लेगी। तो इसमें काफी लम्बा टाइम हो जायगा और चार छः महीने तक वह व्यक्ति इधर से उधर फिरता रहेगा। तो उसको सदस्य बनाना यदि मैनेजिंग कमेटी नहीं चाहती है तो उसे जनरल बोडी को क्यों भेजा जाय क्योंकि मैनेजिंग कमेटी का जनरल बोडी में कान्फीडेंस होना चाहिए और उसका उसमें। तो हमने इसके अन्दर एक टायर कम कर दिया है और रख दिया है कि उसकी अपील रजिस्ट्रार को कर दी जाय। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी उधर है और इधर नीचे की बोडी है मैनेजिंग कमेटी। उसको एडमीशन देने की पावर होती है। वह एडमीशन कर ले तो अच्छा है, नहीं तो तीस दिन के बाद वह रजिस्ट्रार को अपील कर दे और उसे जो इस सम्बन्ध में आदेश देना होगा, वह दे देगा। लेकिन इसके अलावा मैं यह मानता हूं कि जैसे सेवा सहकारी समिति है, और कुछ संस्था इस प्रकार की है, जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है, इसको कोई ग्यारह आदमी, २१ आदमी या दस आदमी मिल कर कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी बना कर अपनी अपनी जमीनों को शामिल कर अगर सामूहिक खेती करते हैं और उसके बाद एक आदमी आकर कहता है कि मैं भी सामूहिक खेती करूंगा। लेकिन उस आदमी से बाकी के सदस्यों का मेल नहीं बैठता है, तो वह संस्था भंग कर सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को लेने से काम नहीं चल सकता है...

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी !

श्री मथुरादास माथुर : उस पर मै आ रहा हूं।

हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट अभी इन्फेन्सी में है उसको हमें आगे चलाना है। वहां हमने कहा कि मैनेजिंग कमेटी की अपील जनरल बॉडी के पास की जा सकती है, अगर वह किसी सदस्य को लेना चाहे जिसके पास जमीन हो तो वह उसे शामिल कर दे। उसके बाद अगर जनरल बोडी के पास अपील होती है और वह उसको लेना चाहे तो अच्छी बात है। लेकिन हम कोऑपरेटिव फार्मिग सोसाइटी के मामलों में दखल नहीं करेंगे इसलिए रजिस्ट्रार के पास उसकी अपील करने का प्रावधान नहीं रखा है। अगर यह प्रावधान रख दें और ऐसा आदमी उसमें शामिल हो जाय और कोऑपरेटिव फार्मिग सोसाइटी टूट जाय तो आप जानते है उसमें जमीन के रिसोर्सेज को लेबर के रिसोर्सेज को पूल करना पड़ता है इसलिए उसमें एक दिमाग के लोग ही होने चाहिये जो मिल कर कोऑपरेटिव फार्मिग करके अन्न के प्रॉडक्शन को बढ़ायें। अगर उसमें मुख्तलिफ विचारधारा के लोग आ जायेंगे तो वे आपस में ही लड़ते रहेंगे और कोआँपरेटिव मूवमेंट खत्म हो जायगा। इसलिए इसे ध्यान में रखने की जरूरत है।

इसके अलावा जो प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें भी इसको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि यह अभी इन्फेन्सी स्टेज में है जब तक कोऑपरेटीव फार्मिग मूवमेंट और कोआँपरेटिव प्रोसेसिंग सोसाइटी डवेलप नहीं हो जायं और जम नहीं जायं तब तक इनके लिए एक्सेप्शन रखा है जिनके सम्बन्ध में अमेंडमेंट आ जायेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : कन्ज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर है, जो उपभोक्ता भंडार है वह भी सेवा सहकारी समिति की स्थिति की तरह है, उनके लिए रजिस्ट्रार को अपील करने का प्रावधान रखना चाहिए क्योंकि जो कन्ज्यूमर कोआँपरेटिव स्टोर है उनमें क्या होता है कि एक सोसाइटी सौ पचास आदमी मिल कर बना लेते हैं। उसके बाद उसमें बीस आदमी शामिल होना चाहते हैं तो उनको एडमीशन नहीं देना चाहते हैं।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : वहां तो शेयर होल्डर्स की हुकुमत रहती है।

श्री मथुरादास माथुर : कन्ज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर में मैनेजिंग कमेटी के फैसले की अपील रजिस्ट्रार के पास हो वह करेंगे।

अभी मैंने आपको बताया कि केवल ये दो एक्सेप्शन रखे हैं बाकी सबके अन्दर रजिस्ट्रार को अपील होगी...

एक माननीय सदस्य : यह अपील असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पास क्यों नहीं रखते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : वह डेलीगेट कर सकता है। इसके लिए विधेयक में पॉवर है।

तो सिलेक्ट कमेटी के अन्दर इस बात पर विचार किया गया है और

Page No.53

संस्था

(श्री मथुरादास माथुर)

जो इन दो के लिए एक्सेप्शन रखा है वह एक्सपीरियेन्स के आधार के ऊपर किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि रोटेशन ऑफ मैम्बरशिप हो मैं आपकी इस बात को आज तो नहीं; आज से दस वर्ष बाद मान लूंगा, क्योंकि अभी कोऑपरेटिव मूवमेंट इन्फैन्सी स्टेज पर है, इसके अन्दर कुछ लोग जो वर्कर्स हैं, वह और कुछ लोग समझ कर काम करते हैं। इसलिए मैं इस स्टेज पर रोटेशन वालों को नहीं मान सकता। लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि एक आदमी ही नहीं बना रहे और इसलिए कि एक आदमी चार जगह न बन जाय हमने धारा ३४ के अन्दर यह प्रावधान रखा है मोर दैन दी अपेक्स ऐण्ड सैन्ट्रल सोसाइटी के अलावा किसी का मैम्बर नहीं बन सकता है। इसलिए रोटेशन वाली बात है वह इस स्टेज पर रखना उचित नहीं है क्योंकि इस आन्दोलन में कम लोग हैं और काफी लोग हैं जो कम समझते हैं। फिर भी एक आदमी ऑफिस बिअरर नीचे से ऊपर तक की संस्थाओं में न बन जाय इसलिए लिख दिया है कि मोर दैन वन अपेक्स और सेंट्रल सोसाइटी से ज्यादा में वह नहीं रह सकता। यह रेजिस्ट्रेशन हमने इसके अन्दर कर दिया है....

श्री मानिकचन्द सुराणा : ऐसा लगता है कि कुम्भारामजी की मोनोपोली को तोड़ने का आपने पक्का विचार कर लिया है।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा विचार है...

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आप भी आ सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : कुम्भारामजी ने मोनोपोली तो क्या की वह तो बेजमीन आदमी जमीन पर खड़ा हुआ है। आप जानते हैं, यह शिकायत है इसलिए इस तरह के अल्फाज कह लें वरना कल न जाने क्या होने वाला है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो डिफॉल्टर की बात कही गई थी, उसके लिए मैं निवेदन कर दूं कि इस सदन के माननीय सदस्य ढाबरिया साहब ने कहा था कि डिफाल्टर को डिबार कर दिया जाय। कोई डिफाल्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेम्बर हो तो डिफॉल्टर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑफिस बिअरर न बन जाय। इस तरह का प्रावधान हमारे कानून में है। अब उनका यह कहना था कि वह डिफाल्टर सरपंच नहीं बनने दिया जाय, वह पंच नहीं बनने दिया जाय वह प्रमुख न बनने दिया जाय, तो यह मन्शा कभी कानून की हो नहीं सकती। हो सकती है तो उस कानून की मन्शा हो सकती है, जो आपने कानून पास किया है। इसलिए मैं इसके लिए एग्री नहीं करूंगा। मान लीजिये कि मैं डिफॉल्टर हो जाऊं किसी कोऑपरेटिव का पैसा मुझ पर ओवर ड्यू हो जाय, इसलिए मैं सरपंच नहीं बन सकता। यह ठीक चीज नहीं रहती है इसलिए मैं इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

(श्री मथुरादास माथुर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात कही गई थी कि पार्टीबाजी के आधार पर-यह इस पार्टी का है या उस पार्टी का है-इस आधार पर नोमीनेशन हुआ करते हैं। हमारे इस कानून के अन्दर दो नौनऑफिशियल्स के लिए प्रावधान था। जब मैंने इस पद को सम्भाला, मेरे इस पद को सम्भालने के पूर्व ही इस तरह का हुक्म निकाल दिया गया था कि इन दो नौन-ऑफिशियल्स का नोमीनेशन नहीं करेंगे और जो सम्बन्धित व्यक्ति हैं, डिपार्टमेंट के, उनको ही इसमें रखेंगे। यह प्रावधान इसमें डाल दिया गया है। इसलिए जो नौन-ऑफिशियल्स के लिए कहा जाता था कि कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के आदमी हैं, मिनिस्टर के प्रेमी हैं-वह बात पहले ही हटा दी गई है।

इसके साथ साथ में एक बात जोरों से कही गई कि दफा ३६ के अन्दर रजिस्ट्रार को डिक्टेटर बना दिया है। मैं निवेदन करूं कि दफा ३६ जो थी और उसमें जो अधिकार थे उनमें कुछ कमी की है, लेकिन बढ़ाये नहीं है। जब कि १९५३ से कानून बना है उसके बाद १९६५ तक तो यही अधिकार थे लेकिन अब १९६५ में आकर अधिकार कम किये हैं तो माननीय सदस्य कहते हैं कि डिक्टेटर बना दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर इज़रायल की मिसाल दी जाती है, अमेरिका की मिसाल दी जाती है और जापान की मिसाल दी जाती है; लेकिन हमारे देश के अन्दर जो आन्दोलन चल रहा है इसको हमारे यहां की स्थिति के अनुसार ही चलाना है और ऐसा कानून बनाना है कि यह अच्छी तरह से और सुव्यवस्थित रूप से चले। उसके लिए सोचते हैं तो एक पूरा चेप्टर है जिसमें स्टेट पार्टीसिपेशन डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली है। सहकारिता का आन्दोलन अभी शैशवावस्था में है, इसलिए स्टेट पार्टीसिपेट करता है-हम इन संस्थाओं को कर्ज के रूप में रुपया देते हैं, अनुदान के रूप में रुपया देते हैं और हर तरह की मदद देते हैं। अब अगर अनुदान के रुपये का दुरुपयोग हो जाय, कर्ज के रुपये का दुरुपयोग हो जाये तो माननीय सदस्य पूछ सकते हैं कि सरकारी खजाने से रुपया दिया गया उसका दुरुपयोग क्यों हुआ। तो अब रजिस्ट्रार को अधिकार न दें तो इसके उत्तर के लिए आप हमारा मुंह देखा करेंगे और हम आपका मुंह देखा करेंगे और हम आपको संतोष नहीं दे सकेंगे। इसलिए रजिस्ट्रार को अधिकार दिया गया है कि अगर अनुदान के रुपये का ठीक तरह से उपयोग नहीं किया गया है, जो शेअर कैपीटल है उसका दूसरी तरह से जो कन्जम्प्शन नहीं कर लिया गया है। वह यह देख सकता है और एक्शन ले सकता है। अगर यह प्रावधान नहीं रखा जाय तो सहकारी आन्दोलन जो शैशवावस्था में है वह गिर जायगा....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह गलत समझदारी है, यह गलत एप्रोच है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं माननीय सदस्य को कह देता हूं कि धारा ३६ की जैसी धारा केरल के अन्दर भी रखी थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : होगी तो गलत है।

श्री मथुरादास माथुर : ३६ जैसी धारा थी। अब यहां है तो मेरी कमजोरी है और वहां थी तो क्या था ? यह देख लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वहां है तो गलत है।

श्री मथुरादास माथुर : और मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए कह दूं कि जो लैफ्टिस्ट कम्युनिस्ट सदस्य हैं, वे दूसरे मुल्कों की ओर थ्रोग्राउट इंडिया के टूर के लिए जायं-तो मैं उन लैफ्टिस्ट कम्युनिस्टों के लिए नहीं कहता, जो चीन के समर्थक हैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन दूसरे रूस में जाकर देखें कि स्टेट पार्टिसिपेशन कितना है। मैं रूस में जाकर अध्ययन करके आया हूं, मेरे दायें बैठने वाले मंत्री महोदय भी अध्ययन करके आये हैं और ये भी अध्ययन करके आये हैं। आप एक बार जाकर देख कर आयें...

श्री रामानन्द अग्रवाल : सवाल यह है कि बिड़ला का कन्ट्रोल है या प्रोलेटेरियन कन्ट्रोल है। कन्ट्रोल किसका है ?

श्री मोतीलाल चौधरी : हम तो बिड़ला से भी आगे चलते हैं, जनता कन्ट्रोल करती है !

श्री मथुरादास माथुर : इस सरकार को इस सदन के १७६ सदस्य कन्ट्रोल करते हैं। इसके अलावा मैं किसी का कन्ट्रोल नहीं मानता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक फार्म के रूप में करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अब कांग्रेस पार्टी रही या कम्युनिस्ट पार्टी रही तो हम अगर बिड़ला से लेते हैं, या डालमिया से लेते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी को रूस से मनीऑर्डर आ जाते हैं, वे उससे ले लेते हैं।

बहरहाल इसका सहकारी बिल से सम्बन्ध नहीं है, इसलिए मैं इस बहस में नहीं पड़ता। अध्यक्ष महोदय, इस पर बहस इन्फार्मल रूप से होती है तो सब आंकड़े सामने आ जायेंगे, जो पार्टी चलती है उनको कहां कहां से कितना कितना मिलता है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका सारा नक्शा आ गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपकी कांग्रेस को ९८ लाख रुपये दिये गये इसकी लिस्ट आ गई। लेकिन इनकी रूस से कितने के मनीऑर्डर आये उसकी लिस्ट नहीं आई है।

श्री मथुरादास माथुर : इसकी सूची भी डांगे की इन्क्वायरी कमेटी में छप चुकी है आप इसको भी पढ़ लीजिये।

एक माननीय सदस्य : ये बाहर से रुपया लाते हैं तो आपको क्या एतराज है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : रूस के पैसे मिलने की उम्मीद होती तो आप नहीं छोड़ते।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह आप मजाक में कह रहे हैं या सत्य है कि कम्युनिस्ट पार्टी को रूस से सहायता मिलती है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं अखबारों में जो बातें निकली हैं वही कह रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर आपको रूस से कोई पैसा मिलने की उम्मीद होती तो आप कम्युनिस्ट पार्टी को दरख्वास्त देकर पीछे नहीं हटते।

श्री मथुरादास माथुर : वैसे तो मैं भी रूस का दोस्त ही हूं। उन्होंने मुझे निमन्त्रण भेज कर रूस बुलाया। पैसे उनके थे। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। आपको नहीं बुलाया तो वे जाने। मैं यह चाहता हूं कि वे आपको भी बुलावें।

श्री भैरोंसिंह : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपने कम्युनिस्ट पार्टी की जो सूचना दी है कि उनको बाहर से पैसा मिलता है, यह एक सीरियस मैटर है और इस पर हमें विचार करना चाहिये। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आपके पास सरकारी स्तर पर भी कोई जानकारी हो कि किसी पार्टी को विदेशी हुकूमत राजनैतिक सहायता देती है और यदि ऐसी सूचना हो तो हमें इस पर विचार करना चाहिये कि विदेशी पैसों के बल पर किस प्रकार से नीति चलाई जाती है।

श्री मथुरादास माथुर : इसका उत्तर तो मैं कभी और समय दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई आधार नहीं है आपके पास।

श्री मथुरादास माथुर : ज्यादा आधार मत निकलवाइये। मैं तो एवोइड कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि क्लॉज ३६ में मेम्बरशिप और अपील पर बहुत जोर दिया गया। मैंने सभी हिन्दुस्थान के कोऑपरेटिव एक्ट्स हैं उनको देखा है, उनमें जुडिशियरी की अपील जुडिशियरी में और एग्जिक्यूटिव की अपील गवर्नमेंट के पास रखी है। ईवन एक्ट ऑफ केरल में भी यही प्रावधान है। सरकार भी लोन देती है और किसी संस्था को हम समझते हैं कि इसमें इन्क्वायरी हो तो इन्क्वायरी होगी और शो-कॉज नोटिस होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पूत के पैर तो पालने में ही दिखते हैं। क्रय-विक्रय संघ का क्या करते हैं?

श्री मथुरादास माथुर : क्रय-विक्रय संघ का तो आपको फोबिया हो गया है। वह तो मेरे से निकलना मुश्किल है।

माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह पूंजीवादी बिल है, यह भाषा तो उनकी हो सकती है। मगर मैं यह कहूंगा कि इसमें पूंजीवाद की कहीं पूंछ भी नहीं नजर आई है। समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य को इसका सिर कैसे दिखा। लैंड डवलपमेंट बैंक में जो मिलकियत किसानों की होती है, या खातेदारी होती है, वह अपनी खातेदारी मोरगेज करता है उसको लोन मिलता है। मैंने सोचा और सोचने के बाद मैंने क्लॉज ८३ की उपधारा (३) है उसमें मैंने यह डाल दिया है :—

,,Purchase or acquisition of title to the agricultural land by agricult-

(श्री मथुरादास माथुर)

urists or tenants under the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

वर्ड एग्रीकल्चर डाल दिया है। जो आदमी, जिसके पास जमीन नहीं है, तो वह लैंड डवलपमेंट बैंक से लोन प्राप्त कर सकता है, जिनके पास जमीन है और वह सब टीनेन्ट हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर वह गैर खातेदार टीनेन्ट है।

श्री मथुरादास माथुर : जमीन पर बैठा है और उसको लोन चाहिये, उसके लिये हमने वर्ड्स एग्रीकल्चर डाल दिया है और टीनेन्ट अपने राइट को एक्वायर करने के लिये पैसा ले सकते हैं। नॉन टीनेन्ट हैं और कर्जा लेना चाहता है ताकि उसको खातेदारी मिल जावे चाहे वह कुआ डलवाये। तो मैं समझता हूं कि इससे आपकी समस्या हल हो जाती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह नहीं होता क्योंकि जो एरिया कोलोनाइजेशन की तहत है, शुरू में भी आप पैसा देना चाहते थे। इसमें ७ वर्षो का पीरियड निकलना चाहिये। धारा १०१ के तहत १० वर्षो का पीरियड निकलना चाहिये तब खातेदारी राइट एक्वायर होंगे। इसके अलावा और भी बातें हो सकती हैं। कुछ अर्सा गुजर जाने के बाद ही उनको खातेदारी राइट होंगे वे पोटेन्शियल खातेदार हैं। मगर वे आज एग्रीकल्चरिस्ट हैं। उनको ट्रेक्टर लेना है, उनको लम्बे अर्से के लिये कर्जा देना जरूरी है। उनको इसके जरिये लोन नहीं मिलेगा और इससे यह होगा कि आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी और वह भी सफर करेगी।

श्री मथुरादास माथुर : यह जमीन को भोगलावे रख कर रुपया लेने का लैंड डवलपमेंट बैंक है अगर आपको लैंड भोगलावे रखने का हक नहीं है तो क्या करेंगे? जहां तक लैंड डवलपमेंट का प्रश्न है, हमने कहा कि उनको अधिकार नहीं है तो रुपया लाइट पर्चेज के लिये दे दिया जाये। इससे आगे हम जा नहीं सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी मजबूरी है। आपकी पार्टी की नीतियों की मजबूरी है पैसा देंगे तो प्रोडक्शन बढ़ सकता है, जो जमीन को मोरगेज रख कर पैसा देते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि दूसरों को पैसा नहीं मिलेगा This is the thinking और पैसा नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन सफर होगा।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपको यह बता दूं कि मेरा भी वैसा ही थिंकिंग है जो आपका है। लोंग टर्म लोन नहीं, शोर्ट टर्म लोन ले सकते हैं। टाइटल के लिये लोन दे देंगे टाइटल पांच वर्षों में मिलेगा या तीन वर्षों में मिलेगा। इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। मेरा यह खयाल है कि आज हमारे यहां पर जो नियम हैं, वे सारे हिन्दुस्तान की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इस प्रकार के लैण्ड डवेलपमेंट बैंक के नियम हैं, उनमें सबसे सिम्पल है और इसके बराबर सिम्पल नियम हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : ये तो यह चाहते हैं कि रुपया देकर सरकार उनसे वापिस नहीं ले सके।

श्री मथुरादास माथुर : एक बात बहुत जोर शोर से कही गई कि रजिस्ट्रार को और गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पॉवर्स हैं। मैं आपको यह बता दूं कि न तो कोऑपरेटिव को बहुत पॉवर मिलते हैं और न सरकार को। फिर भी हमने जो पॉवर्स रखे हैं उसके लिये आप १४६ धारा देखें। मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं उससे आपको मालूम होगा कि क्या मंशा है सरकार की :

"Delegation of powers.—The Government may, by notification in the Official Gazette, and subject to such conditions, if any, as it may think fit to impose, delegate all or any of the powers of the Registrar under this Act to any apex or central society, as classified under the rules, or to an officer of any such society."

तो हम भी यह चाहते हैं। कल आपने ही अजमेर बेंक की, अलवर बेंक की मिसाल दी थी. इस प्रकार के कई मसले आते हैं, तो जब तक बेस मजबूत नहीं हो जायगा. अपेक्स मजबूत नहीं हो सकता। इसलिये यह जो मंशा कही गई थी कि पॉवर का कन्सेन्ट्रेशन है, पॉवर हम अपने पास रखना चाहते हैं, यह मंशा इस कानून के जरिये हमारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस सदन के माननीय सदस्यों ने जो विश्लेषण किया, सिद्धान्त की बातें उठाई उनका मैंने उत्तर दिया....

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवा महल, जयपुर) : लोन्स और सब्सिडी इन कोऑपरेटिव सोसायटीज को दी जाती है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन बरता जाता है इसको रिमूव करने के लिये इसमें व्यवस्था नहीं है, इस पर आप थोड़ा-सा प्रकाश डालें।

श्री मथुरादास माथुर : यह सब अनुदानों से सम्बन्धित है, संस्था की कार्यवाही पर, संस्था के परफोर्मेंस पर, वर्क पर अनुदान दिये जाते हैं।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उस पर क्या चैक है ? इसके लिये क्या व्यवस्था है ?

श्री मथुरादास माथुर : लोन देना बेंक का काम है। अपेक्स बेंक, सेंट्रल बेंक लोन देता है। उसके अन्दर रोज राज्य सरकार बैठ कर कहे कि यह एप्लीकेशन समय पर नहीं दी, यह एप्लीकेशन समय पर थी, यह ठीक है यह बेठीक है, तो इससे इसकी सारी ऑटोनोमी मारी जायगी। हां, कोई सीरियस ब्रीच हो तो राज्य सरकार हस्तक्षेप कर सकती है।

एक यह कहा गया कि बेंक की कन्सेंट होनी चाहिये, इसमें ड्राफ्टिंग की गड़बड़ी रह गई है वह ठीक कर दी जायगी, डूंडी पिटवाने का नरथीसिंहजी ने कहा—लोन के वक्त में कोई डूंडी पिटवाने की आवश्यकता नहीं है।

(श्री मथुरादास माथुर)

खास तौर से कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यह कानून पूंजीवाद की तरफ ले जाने वाला है, यह मैंटल फोबिया है। वास्तव में यह कानून समाजवाद की तरफ कदम है। यह एक प्रगतिशील कानून है। इस प्रगतिशील कानून को बनाने में कमेटी के माननीय सदस्यों ने मुझे सहयोग दिया है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज़ नोटिस में लाये थे उनका कोई जवाब नहीं दिया।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : क्लॉज़ बाइक्लॉज़ लिया जायगा तब दे दिया जायगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सारे गांव की फेमिलीज़ मेम्बर जब तक नहीं होतीं तब तक फायदा नहीं मिल सकता, मनीलेंडर्स इसे फेल करने की कोशिश करेंगे....

श्री नाथूराम मिर्धा : इसे फिर देख लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कई जगह सारे व्यापारी इकट्ठे होकर यह तय कर लेते हैं कि इस तरह की इस सोसाइटी का माल कोई मत खरीदो, इसे आउट ऑफ मार्केट करने की कोशिश करते हैं, इनकी इस प्रकार की कार्यवाहियों को रोकने के लिये आपने कोई प्रावधान नहीं रखा है कि इस प्रकार की उनकी एक्टीविटीज़ के लिये उनको सजा दे सकें।

श्री मथुरादास माथुर : मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है कि जो सहकारी आन्दोलन के खिलाफ बोलें उसकी जीभ काट ली जाय, पर इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहां तो लोग चीन के पक्ष में भी बोल जाते हैं, सहकारिता के खिलाफ कोई व्यापारी बोल जाय तो उसका क्या असर हो सकता है ? जूओं के बदले घाबलिया थोड़े ही फेंका जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनको सजा देने का प्रावधान नहीं रखा जाता है तो वे लोग सोसाइटीज़ को फैल करने के लिये तय करेंगे कि इनका माल कोई मत खरीदो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कोई माल मत बेचो।

श्री मथुरादास माथुर : अगर मिल कर प्रस्ताव पास कर लें, तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप हम सब मिल कर उन लोगों का सोशियल बायकाट करने के लिये पब्लिक मीटिंग करके जनता को अपील करें। वे बायकाट करें कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिजनेस का आप उनके खाने पीने का बायकाट कर दो, आपकी बिरादरी के लोग है, आप हुक्का पानी बन्द कर दो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी बिरादरी के भी हो सकते हैं, बिरादरी में तो आप विश्वास करते हैं।

Page No.60

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : बिरादरी वाले इनका बायकाट कर दें तो....

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिरादरी वालों से तो माथुर साहब और सतीशचन्द्रजी डरते होंगे, हम डरने वाले नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर : रामानन्दजी भी अग्रवाल और सतीशचन्द्रजी भी अग्रवाल, इनका शादी-विवाह से किसी तरह से मेल हो जाय तो ठीक है।

श्री मोतीलाल चौधरी : रामानन्दजी की बात से मैं सहमत हूं। जो कम्युनिस्ट देश हमारे देश से व्यापार कर रहे हैं आपकी कम्युनिस्ट पार्टी उनको कह दे कि पूंजीपतियों से व्यापार न करे। माननीय सदस्य कम्युनिस्ट देशों की ऐम्बेसीज से यह सिफारिश कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह काम आपकी सरकार का है।

कानूनी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। आपकी पार्टी की इच्छा नहीं है, नीति नहीं है, तो उसके लिये मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मोतीलाल जी क्या कहा, समझ में तो नहीं आया पर उन्होंने बहुत अच्छा कहा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(१.२० म. प.)

राज्य की खाद्य स्थिति पर विचार-विमर्श

इससे पहले वक्तव्य देंगे।

श्री भैरोंसिंह : आप अभी बोलेंगे और फिर बोलेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : अभी मैं प्रस्ताव रखूंगा, इस पर बोलूंगा नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिये बात कहना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि यह प्रस्ताव जो खाद्य के बारे में है प्रस्तुत करूं, मैं एक जानकारी सदन के माननीय सदस्यों को देना चाहता था। क्योंकि सदन विसर्जित होगा उससे पहले मुझे कोई मौका अपनी बात माननीय सदस्यों को कहने का नहीं मिलेगा।

शिक्षा मंत्री की हैसियत से जिस समय शिक्षा की मांग के बारे में चर्चा चल रही थी, मैंने इस साल की शिक्षा की नीति के बारे में माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि हम गांवों में ज्ञान का प्रसार करके देश को मजबूत करना चाहते हैं। मिडल स्कूल्स, हाई स्कूल्स को अपग्रेड करने का प्रश्न हम इस साल हाथ में नहीं ले पायेंगे, आगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जरूर एक्स्पेन्शन की बात है। मिडल स्कूल्स की, हाई स्कूल्स की कमियां है, उनका

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जिस प्रकार से एक्स्पेन्शन करना है, वह फोर्थ प्लान में विचार करेंगे । उस समय हो सकता है; हमारे सदन के माननीय सदस्यों के मन में, हमारे प्रान्त के लोगों के मन में यह भावना बनी हो कि मिडल स्कूल्स को हाई स्कूल्स को अपग्रेड करने का प्रावधान इस साल में नहीं रखा । कई विकल्प माननीय सदस्यों के आये, हमने पिछले दो-तीन सालों में राजस्थान के कई इलाकों में मिडल स्कूलों को हायर सैकन्डरी स्कूलों में अपग्रेड किया था और राजस्थान में हर जिले में काफी तादाद में अपग्रेड किया था । उनमें ४५—५० हायर सैकन्डरी स्कूल्स ऐसे है, जिनमें लड़कों की कमी के कारण, जिन शर्तों को पूरा करने के लिये लोगों ने कहा था, उनको लोगों ने पूरा नहीं किया, उनके कारण हमने पिछले साल में कुछ नोटिसेज उन हायर सैकन्डरी स्कूल्स को डाउनग्रेड करने के लिये अलग अलग दिये थे । पर सारी स्थितियों पर विचार करने के बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन हायर सैकन्डरी स्कूल्स के बारे में जो शर्तें थीं उनको काफी मात्रा में पूरा नहीं कर पाये हैं, उनको डाउनग्रेड नहीं किया जाय । हम उन्हें फिर अवसर देना चाहते हैं कि आने वाले साल में उन शर्तों को पूरा करें, लड़कों की संख्या रिक्विज़िट मात्रा में बढावें । उन स्कूलों के मुख्य अध्यापक, अध्यापक और उन इलाकों के लोग इस प्रकार के प्रयास करें कि रिक्विज़िट मात्रा में छात्रों की संख्या जो होनी चाहिये वह पूरी करें ।

इसलिये सरकार ने यह फैसला किया है, सदन के माननीय सदस्य अपने अपने इलाके की डाउन ग्रेड की बातें रखते हैं, मैं और किसी अवसर पर नहीं कह सकता था इसलिये मैंने इस बात को यहां रखना आवश्यक समझा कि उनको डाउनग्रेड नहीं किया जायगा । मैं समझता हूं, इससे सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को संतोष होगा ।

अब मैं सदन के सामने एक प्रस्ताव रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य की खाद्य समस्या पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की खाद्य नीति और राजस्थान में खाद्य की स्थिति, इन दोनों पर सदन में कई बार विचार हुआ । सरकार ने हर बार इस बात का प्रयत्न किया है कि राजस्थान की खाद्य नीति बहुत ही सुन्दर है और राजस्थान की खाद्य स्थिति भी इस बात के आधार पर धीरे धीरे सुधर रही है । मैं उन बातों को तो दोहराना नहीं चाहता लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने १३-३-१९६५ को जो इस सदन में भाषण दिया था, उस भाषण के मुकाबले या जो तथ्य प्रकट किये थे, उन तथ्यों के मुकाबले आज जो स्थिति है उस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना अवश्य चाहूंगा ।

उस दिन उन्होंने अपने भाषण में बताया था कि राजस्थान में आज चने के भाव ५५) के करीब हैं । ५५ और ६५) के बीच में भाव बताये थे । आज की स्थिति यह है

(श्री भैरोंसिंह)

कि चने के भाव ७६) ७८) के बीच हैं। इसी प्रकार उन्होंने बाजरे के भाव ५०) और ५१) के बीच में बताया था। उसके मुकाबले आज बाजरे के भाव ६०),६१) के बीच हैं। पहले ज्वार के भाव ४२), ४३) के बीच थे, आज ज्वार के भाव ५०) और ५२) के बीच हैं। मक्का के भाव भी ४२) आपने बताया था, उसके मुकाबले आज करीब ४४) है। सरसों के भाव १००) और १०५) बताया था, उसके मुकाबले आज सरसों के भाव १४०) और १५०) पहुंच गये हैं। इसी प्रकार खांडसारी के भाव आपने १५०) और १७५) बताया था, उसके मुकाबले आज खांडसारी के भाव १८०) और २००) पहुंच गये हैं। इसी प्रकार गुड़ के भाव जहां आपने ६०) बताये थे, वहां उसके भाव ७५) क्विन्टल पहुंच गये हैं। यह १३-३-६५ को आपने बताया था अपने भाषण में और १३-३-६५ से लेकर आज तक जो यह भावों में अन्तर आया है, उससे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार को अग्रिम एक माह में क्या होने वाला है उसका भी अन्दाज नहीं है। उस दिन माननीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से सदन में कहा था कि आज जो भाव हैं, वे आगे जाकर गिरेंगे। उन भावों में काफी गिरावट आवेगी। अनाज के भाव काफी सस्ते होंगे। इस प्रकार का इस सदन के अन्दर यह आश्वासन, यह भाव बता कर माननीय मंत्री महोदय ने दिया था, उससे स्पष्ट पता लगता है कि दो वर्ष अग्रिम क्या होने......

(१.३५ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वाला है इस सम्बन्ध में इसका ज्ञान होना तो इस सरकार के लिए असंभव है कि इस सरकार को यह भी पता नहीं लगता कि अग्रिम एक माह में क्या स्थिति होने वाली है। आज जो वह स्थिति बनी है और चारों ओर से जो चिन्ता व्यक्त की जाने लगी है, थोड़े दिन पहले राज्य सरकार से जब यह पूछा गया था कि अनाज की कमी क्यों है ? तो दबी जबान से सरकार कहने लगी कि किसान अनाज खलिहान में निकालने के लिए लगे हुए हैं इसलिए उनको मंडी में अनाज लाने के लिए फुरसत नहीं मिली, कम समय में यह भाव बढ़े हैं, थोड़े दिनों के लिए। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका से इम्पोर्टेड वीट नहीं लादा जा सका क्योंकि वहां पर लेबर ट्रबिल होने के कारण पिछले दिनों अनाज नहीं आ पाया और उसके परिणाम स्वरूप ५० हजार टन जो राजस्थान को मिलने वाला था उसकी एवज में १५ हजार टन हो गया है और अब भी कट कर रहे हैं। उसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में अनाज की कमी हुई है और भाव बढ़ गये हैं। यह आपने खुद ने हमें बताया और किस मौके पर बताया जब कि फसल वास्तव में मंडियों में दो सप्ताह में आने वाली थी। इस राज्य की हुकूमत को हमारे देश के व्यापारी और उपभोक्ता की क्या हालत होगी, इसका अन्दाजा नहीं लगा है। किस समय वीट आकर मार्केट में फ्लक्चुएशन पैदा करेगा; किस समय महाजन या व्यापारी के यह पक्ष में होगा; किस समय उपभोक्ता के यह पक्ष में होगा; और किस समय उत्पादन कर्त्ता के यह पक्ष में है ? इसका अन्दाजा भी सरकार अब तक नहीं लगा पायी है।

(श्री भैरोंसिंह)

कानून बना कर, आॅर्डर्स निकाल कर, रूल्स बना कर, यह सरकार भावों को कंट्रोल करने की चेष्टा कर रही है। यह सरकार कानून के आधार पर, कानून बना कर और नियम और उपनियम बना कर इसको कंट्रोल कर सकती है, यह मेरे दृष्टिकोण में असंभव है। जहां कोई उपभोक्ता से, उत्पादन कर्त्ता से और व्यापारी से जो अच्छे आचरण की अपेक्षा करते हैं, उसके लिए लाजमी है कि वह स्वयम् अपने आचरण को शुद्ध रख कर चले। वह यह कहें कि व्यापारी को मुनाफाखोरी नहीं करनी चाहिये और यदि वह स्वयम् मुनाफाखोर हैं तो फिर व्यापारी से वैसी आशा कभी नहीं की जा सकती। मैं खुले रूप में यह चॅलेन्ज करता हूं कि राजस्थान की हुकूमत व्यापारी से ज्यादा मुनाफाखोर है। मुनाफाखोरी राज्य सरकार ने की और उसका हित राजस्थान की जनता को दे पायी हो, ऐसी स्थिति न बनने वाली है, और न ऐसी स्थिति बनी है।

पिछले दिनों जनवरी, १९६४ में राज्य सरकार ने कई नोटिफिकेशन्स निकाले और पिछले बजट सत्र में उन सारे नोटिफिकेशन्स की गिनती मैंने इस सदन के सम्मुख रखी थी, जो १०६ या १०८ थी। १०६ नोटिफिकेशन्स निकाले, उनमें से ८० को वापिस लिया और कुछ को चालू रखा और कुछ के अन्दर तरमीम की। इससे पता लगता है कि राज्य सरकार की नीति पूर्णतया अनिश्चित है। अब जो नोटिफिकेशन्स निकाले हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई है। जनवरी से लेकर दिसम्बर तक हमारी राज्य सरकार ने ३२ नोटिफिकेशन्स निकाले हैं, ऐसे जो कानून में संशोधन करते हैं, इन्ट्रोड्यूस करते हैं, अन्य चीजों को या एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने की चेष्टा की जाती है। एक साल में ३२ नोटिफिकेशन इस सरकार ने निकाले, उसके पहले साल में १०८ नोटिफिकेशन निकाले, यह इस बात की ओर संकेत करते हैं कि राज्य सरकार की अनिश्चित नीति है और उसका असर निश्चित रूप से जो उपभोक्ता है उस के मन पर भी पड़ेगा, जो उत्पादनकर्त्ता है और जो व्यापारी है उसके मन पर भी पड़ेगा। राज्य सरकार से पूछने पर कहा था कि उन भावों को कन्ट्रोल करने के लिए राज्य सरकार जब तक बफर स्टॉक मेन्टेन करने की स्थिति में नहीं आती, उस वक्त तक चीजें सस्ती दिलाने के ऊपर कोई कार्य जनता को दीख सके, यह असंभव होगा। राज्य सरकार ने बफर स्टॉक, मेन्टेन करने की व्यवस्था नहीं की। राजस्थान सरकार ने मोटा अनाज बाहर निकालने के लिए एक व्यवस्था की। उस अनाज के लिए यह प्रतिबन्ध लगाया कि २५ प्रतिशत राज्य सरकार खरीदे और २५ पर्सेन्ट एक्सपोर्ट होगा और पचास पर्सेन्ट राजस्थान की जनता के लिए खुला होगा। चने के लिए यह व्यवस्था की, कि ५० प्रतिशत सरकार खुद करेगी और ५० प्रतिशत एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। उस प्रकार के आदेश निकले थे। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि उन आॅर्डर्स के मुताबिक चना, ज्वार और बाजरा जो राजस्थान से बाहर निकाला गया, उसके हिस्से में, जो आपको मिला, राजस्थान सरकार ने जो उसके हिस्से में मिला उसमें से कितना उसने जनता के लिये डिस्ट्रीब्यूट किया? आपने

(श्री भैरोंसिंह)

डिस्ट्रीब्युट किया है लेकिन उसके अन्दर कोई ब्लैक मार्केटीयर भी इतना मुनाफा नहीं कमा सकता जितना राजस्थान सरकार ने कमाया है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि ४२) क्विन्टल में सरकार ने चना खरीदा और ५१) और ५२) के अन्दर वह चना उन लोगों को बेचा। १२) एक क्विन्टल पर राजस्थान सरकार ने फायदा उठाया। ये शब्द मेरे नहीं है, माननीय कृषि मंत्री जी के हैं। उन्होंने यह साफ साफ सदन को बताया था कि गुजरात को चना एक्सपोर्ट किया गया और जिस भाव से खरीदा १२) अधिक वसूल करके चना गुजरात को दिया।

जब आप यह कहते हैं, कि व्यापारी को एक या दो पर्सेन्ट से ज्यादा मुनाफा नहीं लेना चाहिये तो फिर राज्य सरकार को किस कानून से अधिकार मिल गया कि ४० रुपये पर दस रुपया मुनाफा कमा सके। एक क्विन्टल पर दस रुपये का मुनाफा आप कर सकते हैं, आप मुनाफाखोर हैं; आप किस तरह से दूसरों को उपदेश दे सकते हैं कि एक पर्सेन्ट या दो पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं ले सकते। राजस्थान की हुकूमत मुनाफाखोर है। इसके साथ साथ जो अनाज राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिये वह यहां डिस्ट्रीब्यूट न होकर बाहर भेजा गया। मेरी जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र को लगभग २० हजार क्विन्टल भेजा गया। आसाम को बीस हजार बोरियां भेजी गई। आसाम को दाल दी गई, चना दिया गया। आसाम और महाराष्ट्र को जो दिया गया उसमें १५ रुपया क्विन्टल ज्यादा में दिया गया। एक एक जगह से २५ रुपया क्विन्टल तक ज्यादा कीमत राज्य सरकार द्वारा वसूल की गई, इससे मुनाफाखोरी साफ तौर से एस्टेब्लिश होती है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि स्वयं हुकूमत मुनाफाखोर है। ऐसी मुनाफाखोर हुकूमत से कभी उम्मीद नहीं की जा सकती कि मुनाफाखोरी के खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन ले सके। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय खुद जानते हैं पिछले दिनों आपके पास भी शिकायतें आई हैं, अखबारों में भी वे शिकायतें पढ़ने को मिली, कि किशनगढ़ की तीन दाल मिलें, सत्यनारायण दाल मिल, महेश दाल मिल, और किशनगढ़ इन्डस्ट्रीज इन तीनों दाल मिलों ने बिना पर्मिट कानून की अवहेलना करके राज्य के बाहर चने की निकासी की है। दाल की निकासी की है। कलेक्टर महोदय से शिकायत की गई। कलेक्टर महोदय ने तहसीलदार द्वारा जांच करवाई। उसके बाद पूर्णतया साबित हो गया कि तीनों मिलों ने राजस्थान से बाहर दाल की निकासी की है; चने की निकासी की है और इस तरह से कानून की अवहेलना की है। जब यह रिपोर्ट कलेक्टर के पास गई, तो कलेक्टर ने पुलिस को कार्यवाही करने के आदेश दिये। उन दिनों पुष्कर मेला चल रहा था। माननीय मंत्री महोदय पुष्कर गये, रास्ते में किशनगढ़ होते हुए गये। कलेक्टर को कह दिया कि इन केसेज को पुलिस के अन्दर नहीं भेजें। इसलिये वे केस नहीं भेजे गये। कलेक्टर ने फूड कमिश्नर को लिखा कि इस बारे में मिनिस्टर महोदय वर्बल ऑर्डर देकर गये हैं, कि इसको पुलिस में न दिया जाय। अतः

(श्री भैरोंसिंह)

आप लिखित रूप में आदेश दें कि इस सम्बन्ध में क्या किया जाय ? मेरी जानकारी के अनुसार आज तक उनके पास लिखित आदेश नहीं पहुंचे हैं। प्रोफिटीयर्स और ब्लैक मार्केटीयर्स जिन्होंने एक्सपोर्ट किया है, उनके किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। आज तक उसका जवाब तक नहीं दिया गया कि उनका क्या किया जाय ? एक तरफ तो आप उस मामले को दबा कर बैठे हैं। उधर कलेक्टर दबा कर बैठा है, इधर आपकी हुकूमत दबा कर बैठी है। मैं पूछना चाहता हूं इसमें आपका इन्ट्रेस्ट क्या है ? माननीय मंत्री महोदय का क्या इन्ट्रेस्ट हो सकता है ? मै किसी पर मोटिव इम्प्यूट नहीं करना चाहता। लेकिन जन-मानस पर जो एक धारा बनती जा रही है वही मैं सदन के सामने रख रहा हूं। एक तरफ तो आप इस प्रकार का कानून निकालते हैं चना और चने की दाल एक्सपोर्ट नही कर सकते। दूसरी तरफ जब करते हैं तो उनके मामले मंत्री महोदय दबा देते हैं, इससे जनता में आपके शुद्ध आचरण का विश्वास नहीं होता। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि खुद आपकी सरकार मुनाफाखोर है तो वैसी हालत में आप मुनाफाखोरों को पकड़ सकेंगे, उनको सजा दिला सकेंगे, यह संभव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि स्वयं में, आप में कमजोरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, चने की हालत क्या है; राजस्थान से चने की निकासी होती है...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of clarification, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ के मामले में, मैं क्लीअरली एक्स्प्लेनेशन देना चाहता हूं, मुझे खुद को जब इस किस्से का मालूम पड़ा तो मैंने मिनिस्टर साहब से यह कहा कि इस तरह से जितने भी दाल वाले हैं उन सब का चालान होना चाहिये। एक को पिक अप करके विक्टिमाइज नहीं करना चाहिये। इसके सम्बन्ध में चाहे किसी प्रकार का मोटिव इम्प्यूट किया जाता हो, मैंने यह मांग की थी मिनिस्टर साहब से कि इसी बात पर चालान इनका होता है, तो जितने भी ऐसे कारखाने है, जहां से इस प्रकार से माल गया है, सारे राजस्थान में कार्यवाही होनी चाहिये। एक आदमी को पैनेलाइज नहीं किया जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : मैंने तो आपके लिये कुछ नहीं कहा था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं, इसमें इन्वोल्व्ड इतना था कि मिनिस्टर साहब से मैंने यह कहा।

श्री भैरोंसिंह : तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके कहने से मिनिस्टर महोदय ने इनके मामलों को रोका।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा ख्याल है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका ख्याल दुरुस्त नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मुझे आज तक यह जानकारी नहीं थी कि बिना पर्मिट एक्सपोर्ट करने वालों की सिफारिश भी माननीय श्री ज्वालाप्रसादजी करते हैं।

Page No.66

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बिना परमिट एक्सपोर्ट करने की बात नहीं थी। एक आदमी ने हिसाब नहीं रखा–चना कहां से लाया ? अपने कन्ज़म्पशन में से बाहर भेजा। उसके लाने के बाद उसने कुछ गल्तियां की, फूड एक्ट के तहत। कलेक्टर ने चालान पेश किया मैंने सिर्फ मांग की इस तरह की टैक्निकल मिस्टेक पर यदि इस एक का चालान होता है तो चालान नहीं होना चाहिये। इसके साथ साथ मेरा उनसे यह कहना था कि इस प्रकार की जो टैक्निकल मिस्टेक जिन जिन लोगों ने की हैं उन सब की बहियां पकड़ी जाय। केवल एक आदमी के साथ ही इस प्रकार का व्यवहार न किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : इसका यही मतलब हुआ किसी एक चोर को पकड़ने पर यह कहां जाय कि जब तक सारे राजस्थान के चोर न पकड़ लिये जायं तब तक इस चोर के खिलाफ भी कार्यवाही न की जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने माननीय सदस्य के कहने से यह किया या क्या, इस सारी स्थिति की जानकारी मैं सदन को दे दूंगा। क्या बात थी ? किस वजह से इस पर चुप बैठे हुए हैं ? मैं इसके बारे में कहूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : माननीय सदस्य जो अपनी बगल में बैठे हुए हैं उन सब को साहूकार समझते हैं...

श्री भैरोंसिंह : मेरी बगल में और मेरे पास तो आप रहते हैं। मैं आपको साहूकार ही मान कर चलता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जो धन्धा करते हैं आपके कहने के अनुसार, वे साहूकार नहीं होते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपके दिमाग की अवश्य दाद दूंगा। आपके लोजिक की दाद दूंगा। किशनगढ़ के कुछ लोग पकड़े जायं तो उसके लिये कहा जाय कि पहले सारे राजस्थान के पकड़ो फिर सब के साथ इनकी भी कार्यवाही करना, आपका यह लोजिक बड़ा सुन्दर है, आप इसका सुन्दरता के साथ निर्वाह कीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपका दिमाग दरुस्त नहीं है मैंने कहा था सारे चोरों को पकड़ा जाय, केवल एक आदमी को ही पेनेलाइज न किया जाय। किसी के साथ फेवरटिज़्म नहीं होना चाहिये जहां आप कहें उनको तो छोड़ दिया जाय और हम कहें उनके लिए आप यह कहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप यह भी कह सकते है कि प्रतापसिंह कैरों को मारने वाले चार व्यक्ति राजस्थान से पकड़े गये उसमें राजस्थान के बाहर के लोगों का भी हाथ है ऐसी हालत में आप यह भी कह सकते हैं जब तक बाहर वालों को न पकड़ लिया जाय तब तक इनके खिलाफ कोई कार्यवाही न की जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पकड़ सकते हैं तो सब को पकड़ना चाहिये, आप उनको छुपा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप इस प्रकार की मांग कर सकते हैं, यह मांग कितनी अच्छी

(श्री भैरोंसिंह)

अच्छी है यह आप स्वयं देखलें, आपके मुंह से बात निकल गई;आप खुद ही देखिये उसके कितने कोम्पलीकेशन्स हैं, जोश में आप कह गये आप सिरियसली सोचिए ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सिरियसली सोचकर ही कहा है और स्पष्ट बात कही है, मैंने जरूर सरकार से मांग की है।

श्री भैरोंसिंह : मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं जब आपकी नोलेज में यह बात आई राजस्थान से बिना परमिट चना और चने की दाल एक्सपोर्ट हो रही है.......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह गलत है। इसमें एक्सपोर्ट का कोई मामला नहीं था, मेरे सामने हिसाब रखने की टेक्निकल बात थी। यदि टेक्निकल गलती पर किसी को पेनेलाइज करते हैं तो सब को किया जाय। जैसा आप उचित समझें करें यह एक्सपोर्ट का मामला नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : एक बात आप यह भी बता दीजिये महेश दाल मिल के चेयरमैन मोतीलालजी हैं जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेन्ट है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कोई नहीं बताया था कोई दूसरा होगा।

श्री भैरोंसिंह : किशनगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे या नहीं, आप नहीं जानते ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप कांग्रेस के कॉन्स्टीट्यूशन को जानते नहीं हैं।

प्रेसीडेन्ट नहीं होते हैं। आपको तो जो आदमी खराब काम करता है वह कांग्रेसी ही दिखता है।

श्री भैरोंसिंह : किशनगढ मंडल कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलालजी हैं या नहीं, यह बता दीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कॉन्स्टीट्यूशन बदल गया है। कहां पुरानी बात कर कर रहे हैं ? आज कोई नहीं है मण्डल कांग्रेस।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस बहस में नहीं पड़ेंगे तो ठीक होगा।

श्री भैरोंसिंह : वे पड़ गये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो नहीं पड़ रहा हूं। मेरे तो उन्होंने पांच-दस मिनिट इसी में खराब कर दिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं स्पष्टीकरण कर दूंगा उससे आपको बहुत संतोष हो जावेगा। और आप कहें तो इसी स्थिति में स्पष्टीकरण कर दूं, नहीं तो पहले आप पूरा कह लें, तब स्पष्टीकरण कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : तीन केसों के बारे में।

श्री नाथूराम मिर्धा : कई केस हैं। नीति का प्रश्न है इसमें तो वह भी मैं रख दूंगा आपके सामने।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

एक मिनिट में ही कह दूं। जिस समय पहले बारली, चने पर कन्ट्रोल ऑर्डर लागू हुआ तो यह कहा गया कि चने का १।३ बाहर भेजा जावे तो २।३ राजस्थान में बेचना पड़ेगा और जिस समय यह व्यवस्था की १।३ बारली एक्सपोर्ट की जावे उसका भी २।३ यहां बेचना पड़ेगा। यह उस समय की बात है। इसके बाद में ग्राम का बान हुआ। फिर आधा-आधा का हुआ। इसके बाद में फूड डिपार्टमेंट के एस्टेब्लिशमेंट का अर्गेनाइजेशन, सेट-अप हुआ। १।३ और १।४ बाहर जाने का सवाल चने का और बारली का शुरू हुआ। इसमें किसी परमिट की व्यवस्था वगैरह कुछ नहीं थी। पर व्यापारियों को इसमें हिसाब-किताब एक फॉर्म में रखना जरूरी था कि १।३ यहां बेचा है और २।३ वहां बेचा है, इस तरह से बेचा है, यह किया है। तो जिन मिलों का आपने जिक्र किया उन पर भी यह हिसाब-किताब रखने की बात थी। ८० पर्सेन्ट लोगों ने इस चने का और इस जों का जिस पैमाने पर एक्सपोर्ट करना था, ठीक ढंग से नहीं किया। बल्कि २।३ दिखाने के बाद १।३ कर दिया। इस प्रकार की अनियमितताएं एक नहीं सैकड़ों व्यापारियों ने की हैं। जिस तरह से इस ऑर्डर के तहत हिसाब-किताब रखना था, अधिकतर ने नहीं रखा। और यह प्रश्न हमारे सामने तब आया जब स्टाफ ने उनके हिसाब-किताब चैक करने शुरू किये। उस समय कुछ मामलों में कलेक्टरों ने कदम उठाने की कोशिश की तो बड़े पैमाने पर इन ऑर्डरों की पाबन्दी में जो इर्रेगुलेरिटी हुई कहिये, या ऑफेन्स कहिये, जो कुछ भी हुआ पुराने कानून के नीचे रजिस्टर किये जा सकते थे ये केस और उनको प्रोसीक्यूट किया जा सकता था, पर जिस बड़े पैमाने पर ये थे करीब करीब ७५ पर्सेन्ट लोगों न जिन्होंने एक्सपोर्ट इनका किया, हिसाब किसाब रखने में बदमाशियां कीं। आंकड़े और हिसाब ठीक नहीं रखा। अब सदन के लोगों की क्या मंशा है, यह मुझे भावना मालूम पड़ जावे तो मैं उसके अनुसार कार्यवाही करूंगा। क्योंकि फौजदारी कानून के लिये मियाद नहीं होती है। आपकी मंशा दिखेगी वेसा जरूर करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मंशा मैं बताता हूं।

अब तक तो ऐसा ही अन्दाजा था कि माननीय सदस्य जो मंत्री नहीं हैं वे ही इस प्रकार की बातें कर सकते हैं, पर अब मेरी धारणा यह बन गई है कि स्वयं मन्त्री महोदय भी ऐसे ही हैं। यहां तो कुए में ही भांग पड़ी है।

मंत्री मुझे क्या पूछ रहे हैं कि उनको प्रोसीक्यूट करना या नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह कौनसे ऑर्डर में लिखा है? उनके कौनसे कायदे-कानून में लिखा है कि अपराध करने के बाद में छूट दी जावेगी? कौनसे कानून में लिखा है कि आप ऐसे मामलों में अपना डिस्क्रिशन अप्लाई करेंगे। मुझे पूछते हैं आप? सदन की भावना मालूम करना चाहते हैं। आपका अपना कर्त्तव्य था कि जिस किसी ने भी कानून तोड़ा है तो उसे व्यक्ति के

(श्री भैरोंसिंह)

खिलाफ एक्शन लेते । आप आज पूछते हैं सदन से, कानून बनाते वक्त पूछा था ? उस समय भावना की जानकारी ली थी कि इस प्रकार का आॅर्डर आप इसलिये जारी करना चाहते हैं कि लोग इसमें गड़बड़ियां करें और फिर आप उनको छोड़ दें । आपने आॅर्डर इश्यू किया था, मुझे याद है जो आपने एक्सपोर्ट व्यवस्था की थी उस बारे में मैं कहा था सदन में आपको आगाह किया था कि इसमें इस तरह की गड़बड़ियां होंगी । आपने जो यह एक्सपोर्ट की व्यवस्था की है १।३ की कि मन में से ३३ परसेन्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो व्यापारी १।३ को एक्सपोर्ट बताता है और बाकी ६७ परसेन्ट की बिक्री दिखाता है, पर उस ६७ में से १।३ की एक्सपोर्ट बिक्री वह दिखाता है और उसका ६७ पर्सेन्ट दूसरे को बिक्री दिखाता है, वह उस ६७ में से १।३ एक्सपोर्ट बताता है और बाकी ६७ पर्सेन्ट यहां की बिक्री बताता है । अब आप उससे पूछोगे तो वह तो यही कहेगा कि मैंने १।३ की निकासी ही की है । तो इस बारे में इस सदन में मैंने आपको कहा था और इस पर आपने कहा था कि हमारी व्यवस्था अच्छी है, मजबूत है, पूर्ण है; हमारे कलेक्टर, तहसीलदार, एस. डी. ओ. सब जगह हैं । वे बराबर कन्ट्रोल कर सकते हैं उसको । और इसी तरह से आपने न मालूम क्या क्या आश्वासन और विश्वास दिलाये थे कि अगर किसी प्रकार की मैल-प्रैक्टिस व्यापारी करते हैं तो हम उसे रोकने में सक्षम हैं, हमारी मशीनरी पूरी सक्षम है। अब आप कहते हैं कि चोरियां पकड़ी गई हैं अब क्या किया जाय, सदन की भावना जानना चाहते हैं । यह सदन की भावना जानने का काम नहीं है ।

इसमें तो दाल में काला है । कहीं काला नजर आ रहा है। आप उन व्यापारियों पर रहम करना चाहते हैं, आप उनको पकड़ना नहीं चाहते और इस कारण मन्त्री महोदय आप सदन में हमारी भावना जानना चाहते हैं । आज आप यह पूछने आये हैं कि आया उन अपराधियों को पकड़े या नहीं, हमारी इच्छा जानना आज चाहते हैं । हमारी इच्छा आप चलावेंगे, आपकी इच्छा नहीं चल रही थी इतने दिनों । आपकी इच्छा कानून के मातहत चल नहीं रही थी, जो आज आप हमारी इच्छा जानने के लिये यहां पधारे हैं । यदि किसी व्यक्ति ने, मिल ने, व्यापारी ने, समूह ने, आपके कर्मचारी ने, किसी ने भी कानून की अवहेलना की है तो क्या यह आपकी ड्यूटी नहीं थी कि आप तुरन्त कानून के अनुसार एक्शन लेते ? मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार पर, इस सरकार के मन्त्री मण्डल पर, सरकार के इन खाद्य मन्त्री पर यह सीधा चार्ज लगाता हूं कि उन अपराधी व्यापारियों के साथ इस तरह की नरमी बरतने के पीछे उनका मैलाफाइड इन्टेन्शन था । आपने उनको इस तरह की धांधली हिसाब-किताब में गड़बड़ी करने की खुली छूट देकर, जानकारी में आ जाने के बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं लेकर अपनी अकर्मण्यता को ही प्रकट किया है । आज आप अब हमारी भावना पूछ रहे हैं, जबकि उनको पकड़ कर सजा देने का आपका फर्ज था और इसलिये हमारी भावना के लिये पूछ रहे हैं कि उन ब्लैक मार्केटियरों का, होर्डरों

(श्री भैरोंसिंह)

का, हिसाब में गड़बड़ी और घोटाले करने वालों की यह हुकूमत, उनको प्रोटेक्शन और शील्ड करने वाली यह अकर्मण्य हुकूमत प्रोफिटीयरिंग करने वाली यह हुकूमत है। हम इस हुकूमत में विश्वास रखकर नहीं चल सकते, जनता नहीं चल सकती और इस तरह के काले कारनामों को करने वालों को शील्ड करने वाली यह हुकूमत राजस्थान में खाद्य समस्या का किसी भी प्रकार से समाधान नहीं कर सकती।

पिछले सत्र में १३-३ को मैंने मन्त्री महोदय से पूछा था कि आपका बफर स्टॉक कितना है। आपने मिनिमम प्राइस होने पर लेने की बात कही और यह बताया कि हमने लगभग ८०-९० क्विन्टल अनाज खरीदा है। मैं इसके लिये आपकी तारीफ करता हूं कि आपने मिनिमम प्राइस फिक्स की है और वहां गेहूं की मैग्जिमम भी फिक्स की है। राजस्थान के मन्त्री महोदय अपने भाषण में स्वीकार करते है कि गेहूं की मैग्जिमम हमने ६५) की है जब कि बाजार में ८०-८५) रुपया क्विन्टल में गेहूं बिकता था। राजस्थान के ब्लैक मार्केट के फिगर को देखकर यह सरकार और इस सरकार के खाद्य मन्त्री यह दिखाना चाहते हैं कि ८०) ८५) में बिकने वाला गेहूं हमारे प्रयत्नों के कारण कम हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप अपने मुंह से कह रहे है। मैंने यह नहीं कहा कभी।

श्री भैरोंसिंह : मैं ये सब भाषण आपके लेकर बैठा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बताइये। आप अपनी बात को अपनी तरफ रखिये।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय को याद नहीं है। वे भूल जाते हैं कह कर।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूं, सब याद रखता हूं।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय कह कर इन्कार कर जाते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहां कहा कि गेहूं ८०)-८५) में बिकता था। मैंने गेहूं का नाम नहीं लिया।

श्री भैरोंसिंह : आपने नाम लिया हो तो क्या होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बताइये।

श्री भैरोंसिंह : अभी बताता हूं।

अब मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय हमारी व्यवस्था करते हैं। यह तो मैंने पहले बता दिया कि कैसी व्यवस्था करते है। एक महीने में कितना उतार-चढ़ाव आया कि हमारी सरकार के पास बफर स्टॉक नहीं और जो है वह सारा का सारा गुजरात, आसाम और महाराष्ट्र को गया। राजस्थान की जनता त्राहि-त्राहि करती है अन्न के लिये, गेहूं के लिये। पर इम्पोर्टेड व्हीट भी नहीं मिलता। इसके तो दर्शन दुर्लभ हैं। शहरों में कभी कभी वह इम्पोर्टेड व्हीट मिल जाता है, पर बाहर देहातों में एक दाना भी देना ही बन्द है।

(श्री भैरोंसिंह)

शहरों में जो इम्पोर्टेड व्हीट की दुकानें थीं वहां पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं जाता। हम अंग्रेजों का एक तरीका तो काम में जरूर ले रहे हैं। दम-दिलासा जरूर दे रहे हैं कि अमेरिका से जहाज रवाना हो गया है। यह इलाज बताते हैं। लोग आज मर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं। बूंदी जिले में लोग अन्नाभाव से त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। राजस्थान के गांवों में अनाज नहीं। शहरों में दुकानें खाली पड़ी हैं।

हमारी सरकार ने पिछले पांच सालों में ३२ नोटिफिकेशन निकाले। कभी डिक्लेरेशन का ऑर्डर निकाला। इलेक्शन आया तो किसान को उससे मुक्त किया। नोटिफिकेशन वापिस ले लिया। इलेक्शन पूरा हो गया तो फिर लागू कर दिया।

आप कभी चने का एक्सपोर्ट करते हैं, कभी बन्द करते हैं। कभी बाजरे का एक्सपोर्ट करते हैं कभी इसका एक्सपोर्ट बन्द करते हैं, कभी उसका करते हैं, कभी इसका खोलते हैं कभी उसका खोलते हैं। मन्त्री जी की सनक पर सब चलता है। तो मैं साफ कहता हूं कि कोई इस धोखे में न रह जाये कि जितने ऑर्डर, नोटिफिकेशन, रूल्स वगैरह निकलते हैं या निकले हैं या निकलेंगे तो वे कोई राजस्थान की जनता की बहबूदी के लिये हैं। ऐसा कतई नहीं है। इन सब के पीछे इस सरकार का मैलाफाइड इन्टेन्शन है। यदि इन सारे नोटिफिकेशनों को, रूल्स वगैरह को तरतीब से कोई देखे तो यह साफ जाहिर हो जावेगा। कभी बिना किसी कारण के बान लगा दिया, तो कभी बिना कारण के एक्सपोर्ट खोल दिया। कभी एक्सपोर्ट करने की मात्रा निर्धारित कर दी, कभी मात्रा के ऊपर एक्सपोर्ट करा दिया गया। ऐसी स्थिति में सरकार के ये सारे कारनामे और इन्टेन्शन मैलाफाइड हैं और आज भी मैं विश्वास से कहना चाहता हूं कि इन्डिपेन्डेन्ट इन्क्वायरी इन सारे नोटिफिकेशनों, ऑर्डरों के बारे में करा ली जावे तो कई प्रकार के घोटाले प्रकट होते हमें नजर आवेंगे कि ये नोटिफिकेशन और ऑर्डर किन किन कारणों से, किन किन आधारों पर निकाले गये और क्यों निकाले गये।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऑर्डरों में क्या घोटाले हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसमें है चीनी का भाव जो ब्लैक मार्केट में चलती था २५०) क्विन्टल का था।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो चीनी का है, गेहूं का कहां है ?

श्री भैरोंसिंह : गेहूं का भी है। वे देख रहे हैं। अभी आपको बता देते हैं। आप चिन्ता मत करो।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे याद है, चिन्ता क्यों करूं ?

श्री भैरोंसिंह : अभी चीनी का तो ब्लैक का भाव आ गया। आपने सारे बताये हैं, इन्कार नहीं कर सकते।

Page No.72

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : चीनी में २५०) का ब्लैक चलता है। यह चीनी भी तो कन्ट्रोल्ड आर्टिकल है। सरकार को यह मालूम था कि २५०) का ब्लैक भाव है इसका।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चने का भाव दो-तीन महीने पहले ८८ और ९१ के बीच चला। ५५) का बाजरा चल रहा है। ये सारे आंकड़े आपने दिये हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने गेहूं का नाम नहीं लिया।

श्री भैरोंसिंह : और भी कहा है आपने। आप कन्फ्यूज़ न करें।

(२. ०० म. प.)

... जो आदमी चने के ब्लैक मार्केट की बात करता हो, जो खांडसारी के ब्लैक मार्केट की बात करता हो......

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इसलिए गेहूं की हो जाये।

श्री भैरोंसिंह : जरा अक्ल से बात करो।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अक्ल का ठेका आपका ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अक्ल की बात हो तो बीच में मत बोला करो।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने जो कुछ कहा वह सारा रेकार्ड में है। मैंने गेहूं के बारे में नहीं कहा है।

श्री भैरोंसिंह : अभी देख रहे हैं सब बता देंगे।

अब मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता था कि हमारी सरकार ने ब्लैक मार्केट करने की कुछ व्यक्तियों को छूट दे रखी है और वह ब्लैक मार्केट करने की किस प्रकार की छूट है वह यह है कि सहकारिता के नाम पर ब्लैक मार्केट करने की छूट दी जाती है। राजस्थान में सहकारी समितियां कुछ करें या नहीं उसका कोई उल्लेख मैं इस मौके पर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन राजस्थान के बाहर के कोऑपरेटिव स्टोर्स या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वह चाहे गुजरात की हों या महाराष्ट्र की हों उनके ऊपर इस प्रकार की पाबन्दी नहीं है कि राजस्थान से जो चने की निकासी होगी, राजस्थान से बाजरे की निकासी होगी, राजस्थान से जो ज्वार की निकासी होगी उसमें से इतना हिस्सा राजस्थान को देना पड़ेगा। इस प्रकार की पाबन्दी उनके ऊपर नहीं है। और इस प्रकार की पाबन्दी का लाभ कौन उठाता है? इस प्रकार का लाभ उठाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। राजस्थान से खूब अनाज उनकी मार्फत निकासी में जाता है। उस माल का गुजरात में और महाराष्ट्र में खूब आगमन होता है और वह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यहां पर फर्जी बिल बनाती हैं और जो माल यहां से ले जाते हैं वह अपनी स्टेट में ब्लैक मार्केट से बेचते हैं। राजस्थान की हुकूमत इस सहकारिता के नाम पर यदि राजस्थान की जनता को मारना चाहे, राजस्थान की हुकूमत इस सहकारिता के नाम पर राजस्थान में कोई ब्लैक मार्केटिंग हो जाये उसकी उसे

(श्री भैरोंसिंह)

चिन्ता नहीं लेकिन राजस्थान के अनाज का कोई दूसरे लोग दूसरी जगह जाकर ब्लैक मार्केटिंग करें इसको भी हमारी राज्य सरकार से प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, डेफीनेटली कह सकता हूं कि राजस्थान की हुकूमत ब्लैक मार्केटिंग को प्रोत्साहन देती है, राजस्थान की सरकार मुनाफाखोरी करने वाली सरकार है और उसने उसको प्रोत्साहन दिया है। इसी आधार पर अगर अब उपाध्यक्ष महोदय, कोई यह समझकर चले कि आजकल कुछ भाव बढ़ रहे हैं-मैं यह मानकर चलता हूं कि लोगों के दिमाग में भाव बढ़ने का फोबिया हो गया है। जिस समय अनाज के भाव ५० रुपये के थे और वह ५० रु० से बढ़कर ५६ रु० हो गए तो उसकी लोगों को चिन्ता हो गई, जब भाव ५५ से ५२ रु० के हो गए तो लोगों को चिन्ता हो गई, तो मैं कहता हूं कि चिन्ता करना मूलभूत रूप से उन समस्याओं का समाधान नहीं है कि जो समस्यायें भावों के कारण से पैदा हुई हैं।

आज राजस्थान में अनाज के भाव बढ़ रहे हैं उस पृष्ठभूमि में कोई यह लेकर चले कि राजस्थान की हुकूमत इस समस्या को कंट्रोल नहीं कर सकती, राजस्थान की हुकूमत कन्ट्रोल रेट में अनाज नहीं दिला सकती और लोगों में सस्ता अनाज नहीं बिकवा सकती उस हुकूमत से हम विश्वास करके चलते हैं कि राजस्थान सरकार की हुकूमत हमें सस्ता अनाज नहीं दिला सकती। आज के दिन हमारे सामने समस्या है। इस सदन में भी कई बार कहा और सहकारी पक्ष की ओर से बैठने वाले और विरोधी दल के कई माननीय सदस्यों ने भी इसका उल्लेख किया कि जिस समय फसल आती है उस समय अनाज सस्ता होता है और जिस समय फसल चली जाती है उस समय अनाज मंहगा होता है। अब अनाज के मंहगा होने का कारण या तो ऑर्डर्स जो निकलते हैं वह होता है या फिर उसमें व्यापारी शामिल होते हैं। लेकिन इसका नुकसान होता है राजस्थान के ७२ पर्सेन्ट प्रोड्यूसर्स को। आज हम अनाज के सस्ता करने की बातें करते हैं। सरकार ने मिनिमम रेट्स तय कर दिये और अल्टीमेटली उनका एडवर्स इफेक्ट किसी पर पड़ने वाला नहीं है, वह इफेक्ट पड़ने वाला है किसानों की इकोनॉमी के ऊपर। आज जितना अनाज सस्ता होगा किसान उतना ही बर्बाद होगा। आज हमारी सरकार यह गारन्टी नहीं दे सकती कि ६५ रु० के हिसाब से उनसे अनाज खरीदा जायेगा और यदि उन्हें अनाज के पैदा करने के लिए बीज की आवश्यकता हुई तो ६५ रु० में उन्हें आप वह उपलब्ध नहीं करा सकते। तो जो लोकल एलीमेंट है वह इस मंहगाई के प्रश्न को लेकर जिस समय किसान की फसल आती है उस समय आवाज को बुलन्द करने में कसर नहीं छोड़ते कि इस समय अनाज महगा हो रहा है और अब अनाज सस्ता होगा। तो किसानों के ऊपर इसका विपरीत असर पड़ेगा। अगर सस्ता अनाज लोगों को दिलाना है तो केवल नारों से काम नहीं चलेगा। क्या हमारी राज्य सरकार ने इस बात का भी अनुमान लगाया है कि पिछले पांच सालों में कपड़ों के भाव कितने बढ़ गये, तेल के भाव कितने बढ़ गये और बाकी जरूरत की चीजों के भाव कितने बढ़ गये, किसानों के बच्चों के पढ़ने के काम आने वाली पुस्तकों के भाव कितने बढ़ गये,

(श्री भैरोंसिंह)

दवाइयों के भाव कितने बढ़ गये, राज्य सरकार के टैक्स कितने बढ़ गये और बाकी की जो काम आने वाली चीजें हैं उनके भाव कितने बढ़ गये ? इनके भावों को रिड्यूस करने का प्रयत्न हमारी सरकार नहीं करना चाहती है और इसलिए नहीं करना चाहती है कि जितने भी पूंजीपति हैं उनका प्रोटेक्शन हमारी सरकार पहले करना चाहती है। उनकी कीमतें किसी प्रकार से नहीं गिरें इसकी तो हमारी सरकार चेष्टा करती है लेकिन उनको चिन्ता इस बात की रहती है कि किसानों की प्रोड्यूस सस्ती से सस्ती बिके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन दोनों में इम्बेलेन्स क्रियेट हो रहा है और किसानों की हत्या के आधार पर लोगों को सस्ता अनाज देने की चेष्टा की गई तो आप निश्चित मानकर चलो कि प्रोडक्शन गिरेगा। किसानों के पास यदि बचत नहीं होगी तो किसान खेत के प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा और प्रोडक्शन को वह हिट करेगा और जितना अनाज पैदा होना चाहिए वह नहीं होगा। मैं ऐसा मानता हूं और मैं भी किसान हूं और मेरे दिमाग में यह बात आती है कि जिस समय खलिहान में अनाज आये उस समय ज्यादा से ज्यादा अनाज की कीमत होनी चाहिए।

आप सस्ता अनाज करें–करना चाहिए गवर्नमेंट की ड्यूटी है–मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन इसके साथ ही साथ आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी कि बाकी के काम आने वाले सामान भी सस्ते से सस्ते उपलब्ध करायें। लेकिन पूंजीपतियों पर आपका कोई जोर नहीं चलता। वे सारी चीजें उसी तरह से मंहगी हैं और बाकी की चीजों को सस्ती लाने का ढोंग रचकर यह जो इकोनॉमिक इम्बेलेन्स करने की चेष्टा करते हैं वह मूलभूत गलती है। जिसके कारण किसान मर रहे हैं, उपभोक्ता मर रहे हैं और व्यापारियों को जबरदस्ती बीच में डाला जाता है। कोई यह समझकर चले कि सारा दोष व्यापारियों का है, यह गलत है। यह व्यापारियों पर दोष थोपने का फोबिया हो गया है। हमारी सरकार व्यापारियों पर सारा दोष थोप कर स्टेट ट्रेडिंग के पक्ष में है। इससे व्यापारियों को खत्म नहीं करना चाहते हैं। व्यापारी तो किसान जो उत्पादक है और जो उपभोक्ता है उनके बीच की कड़ी है और जिस समय यह कड़ी बीच की निकल जायेगी उस समय उपभोक्ता सरकार की मुट्ठी में चले जायेंगे, उत्पादनकर्त्ता सरकार की मुट्ठी में चला जायेगा और आज की डेमोक्रेसी खत्म होकर डिक्टेटोरियल टाइप का शासन हो जायेगा। आज यह इस प्रकार का प्रचार करते हैं उसमें वह तत्व भी शामिल हो जाते हैं जिनमें व्यापारियों को गालियां भी दी जाती हैं। व्यापारियों को प्रोफिटियरिंग की संज्ञा देकर अपने कुछ भाषण दिये और तथ्य रखे तो लोग हमको प्रोग्रेसिव समझेंगे ऐसा आपने रवैया अख्तियार किया है। यह हमको असलियत से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। यदि व्यापारी दोषी है तो उसको दण्ड दिया जाना चाहिए इसमें मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन राजस्थान की हुकूमत ने व्यापारियों को इस लेवल तक परेशान किया है कि उपाध्यक्ष महोदय, कोटा के व्यापारी ने एक पेम्फलेट निकाला और इस बात का निकाला कि

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान की हुकूमत के जो आदेश थे वह गलत थे और उन आदेशों की मार्फत या उन आदेशों के अन्तर्गत कलेक्टर महोदय ने जो कार्यवाही की वह कार्यवाही गलत थी। उसको लेकर मामले को हाई कोर्ट में मूव किया गया और राजस्थान सरकार की गलत कार्यवाही को स्वीकार किया गया। इसकी सूचना देने के लिए कलेक्टर कोटा के लिए एक व्यापारी ने एक इस प्रकार का पेम्फलेट निकाला जिसको मैं समयाभाव के कारण पढ़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना विश्वास दिला सकता हूं कि आप इसको पढ़ें। इसमें कोई कन्टेन्ट ऐसा नहीं है कि जो कि लोगों को भड़काता हो, सरकार को किसी प्रकार की पेम्फलेट के द्वारा षड़यन्त्र की सूचना मिलती हो और वह व्यक्ति कि जिसने निकाला उसको तो सरकार ने पकड़ा नहीं लेकिन जिसने निकलवाया उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जंगले में रख दिया गया और एक को पूरे परिवार को रख दिया गया और इसलिए रख दिया गया कि पूरा परिवार ही इसके लिए जिम्मेदार है।

मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज किसी व्यापारी को, जो व्यापारी अपराध नहीं करता है उसको भी हम गिरफ्तार करके चलें तो उसके करने से चीजें सस्ती हो जायेंगी, यह सम्भव नहीं है। हमको इस ट्रेड की चैनल को बनाकर चलाना पड़ेगा। राजस्थान की हुकूमत स्वयं ट्रेड कर नहीं सकती। जो ट्रेडर्स हैं उन ट्रेडर्स को किसी प्रकार रेग्युलेट नहीं कर पाते है तो प्रोड्यूसर्स के बीच और कन्जम्पशन करने वाले कन्ज्यूमर्स के बीच कौनसी कड़ी है? कड़ी न सरकार बन सकती है और न आज की स्थिति में को-ऑपरेटिव सोसाइटी बन सकती है। प्रोड्यूसर्स का नाज कन्ज्यूमर्स तक जाने के लिए कोई न कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। वह व्यवस्था जब तक नहीं कर पाते हैं उस समय तक ट्रेडर को स्वीकार करके चलना पड़ेगा। जब टेन्डर को स्वीकार करते हैं तो दिमाग में कहते हैं कि टेन्डर मीन्स ब्लैक मार्केटियर, टेन्डर मीन्स प्रोफिटियरर, टेन्डर मीन्स कानून की अवहेलना करने वाला। हम इनके पक्ष में कहेंगे तो हमको भी ब्लैक मार्केटियर कहेंगे, प्रोफिटियर कहेंगे, हम समाज के ऐसे तत्व बताये जा सकेंगे जो समाज का शोषण करते हैं। मैं समझता हूं कि ट्रेडर की व्यवस्था को ठीक नियन्त्रित नहीं किया तो समाज का शोषण करेगा। लेकिन वह एक कड़ी है इस कड़ी को यदि हम गलत ढंग से डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान की इकोनॉमी में चेन्ज आने वाला है। राजस्थान में अभी भी मंडियों में नाज नहीं आ रहा है। व्यापारियों के पास नाज नहीं है। सरकार के पास हर पन्द्रहवें दिन रिटर्न्स आते हैं कि नाज किस किस व्यापारी के पास है। सरकार हर पन्द्रहवें दिन रिटर्न लेती है तो आपने स्वयं ने देखा है कि रिटर्न्स के आधार पर हर महीने कि व्यापारियों के पास जितना नाज है उसमें कमी आती जाती है। वह इसलिए आती है कि व्यापारी की हिम्मत नहीं है कि आज वह नाज लेकर आयेगा तो नाथूराम जी कल ऑर्डर निकाल देंगे कि यह नाज इस डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं जा सकता है,

(श्री भैरोंसिंह)

दूसरे डिस्ट्रिक्ट से नहीं आ सकता है। कल ऑर्डर निकाल देंगे कि शहर के बाहर नहीं ला सकता या बाहर से शहर में नहीं आ सकता। आज सरकार को विश्वास नहीं है ट्रेडर पर कि वह फूड प्रोब्लेम को साल्व करने में किसी प्रकार का योगदान दे और योगदान के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करे कि उसका परिणाम कहीं उलटा न हो जाय। इसलिए जो व्यापारी चोर है वह कमाता है और ईमानदारी व्यापारी को नुकसान हो रहा है। चोर को आप पकड़ नहीं सकते और वे दिन-दहाड़े लूटते हैं और खाते हैं। यदि इस महंगाई के अन्दर किसी ने कमाई की है, यदि यह महंगाई किसी के लिए वरदान सिद्ध होकर आई है तो वह ब्लैक मार्केटियर के लिए होकर आई है। सरकार उसका इन्तजाम नहीं कर पा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने भाव बदलने का एक नोटिफिकेशन निकाला है जिस नोटिफिकेशन से भावों में परिवर्तन होना चाहिए। उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का है, वैराइटीज अलग अलग हैं और उसके साथ साथ मेग्जीमम प्राइसेज हैं। उसमें अलवर में ५३ रुपये रेड, बाजिया और काठा ५३ पैसे किलो गेहूं विकेगा। चित्तौड़, डूंगरपुर, गंगानगर और बूंदी इन चार जिलों में ५७ पैसे किलो। इस प्रकार से फार्मी, शरबती, कण्क, और मालवी और चौथा गज्जर जालौर, झालावाड़, कोटा, पाली, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर इनके अन्दर ५१ पैसा किलो बिकेगा और रेड, बाजिया, काठा भीलवाड़ा, अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू में ५८ पैसा किलो बिकेगा। इसी प्रकार जैसलमेर, जयपुर, झुन्झुनू और जोधपुर इनके अन्दर गज्जर के ६२ पैसा किलो बिकेगा और नागौर, सीकर, सिरोही में ६५ पैसा किलो बिकेगा....

श्री नाथूराम मिर्धा : यह गलत समझा है आपने। उसमें कन्फ्युजन हुआ है। राजस्थान में दो ही तरह के जिले हैं जिनमें १५ जिले एक तरफ हैं और बाकी ११ बचे हैं वे दूसरी तरफ हैं। १५ जिलों के अन्दर ३ किस्में मानी हैं और इन १५ जिलों में इन तीन किस्मों के एक ही दाम हैं जिनमें लाल काठा, बाजिया की एक केटेगरी है और गज्जर वगैरह की दूसरी केटेगिरी है। अलग अलग जिलों में अलग प्राइसेज नहीं हैं। जो लिखा है ब्रेकट में उसको आप गलत समझ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी को अपने ही नोटिफिकेशन की जानकारी नहीं है। आप कहते हैं कि एक भाव है। अलवर में रेड का भाव ५३ पैसे किलो है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अलवर में ही नहीं है सारे उन जिलों में है।

श्री भैरोंसिंह : अजमेर में रेड के भाव ५८ हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : अजमेर दूसरी केटेगरि में है। वही मैं कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : डेफिसिट का क्वेश्चन नहीं है। यह क्वेश्चन नहीं होता तो ५३,

Page No.77

(श्री भैरोंसिंह)

५७, ६८, ६१, और ६५ के रेट्स नहीं होते।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): तीन केटेगरीज हैं।

श्री भैरोंसिंह: तीन केटेगरीज नहीं, चार कैटेगरीज हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर): तीन केटेगरीज हैं या चार कैटेगरीज हुई हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: तीन।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: नोटिफिकेशन में चार हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: नहीं हैं, भाई साहब!

श्री भैरोंसिंह: फार्मी, शरबती, कणक और मालवी।

श्री नाथूराम मिर्धा: वह एक कैटेगरी है।

श्री भैरोंसिंह: एक कैटेगरी के भाव नहीं है, चार के हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आप यह कह दें कि मुझे मालूम नहीं है, दफ्तर ने लिखा होगा। सब काम आपको थोड़े ही मालूम हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा: आप कह लें; आपकी जैसी समझ में आये उस तरह से कह लें।

श्री भैरोंसिंह: समझ में सभी आया। आपको शायद बनाने के अन्दर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है जितनी कि कानून को समझने में हमको मेहनत करनी पड़ी, इसलिए मैं ऐसा समझता हूं।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा): समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। दो कैटेगरीज हैं और एक-एक कैटेगरी में चार-चार आइटम्स हैं...

श्री भैरोंसिंह: मैं बोलने से पहले आपसे सलाह लेकर बोलूंगा।

श्री भगराज चौधरी: लेते नहीं तभी तो यह बात है।

श्री भैरोंसिंह: मैं आपको इतना काबिल समझ नहीं पाया था।

श्री भगराज चौधरी: आपने तो अपनी काबलियत का प्रदर्शन कर दिया, उसका नमूना आपने पेश कर दिया।

श्री भैरोंसिंह: ×××× तो आप हैं। आपको ×××× तो नहीं आती, ऐसा बोलते हैं।

श्री भगराज चौधरी: मैंने ऐसा नहीं कहा।

×××× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

Page No.78

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सुनने को तैयार नहीं हूं।

श्री भगराज चौधरी : × × × × का शब्द मैंने काम में नहीं लिया है। भैरोंसिंह जी, आपने यह शब्द काम में लेकर अपना चित्र खींच दिया है। तीन केटेगरीज में चार-चार आइटम्स हैं, यह कहा है और बीच में उठ कर × × × × का शब्द कहा है तो इन्होंने अपना चित्र खींचा है।

श्री उपाध्यक्ष : × × × × शब्द प्रयोग में....

(कोलाहल के कारण अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : × × × × ऐसा ही करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप लोग तो संयम से बोलने की चेष्टा करें। मैं समझता हूं कि आप काबिल हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, यह सब जानते हुए भी मैं किसी माननीय सदस्य को कभी अप्रिय शब्द नहीं कहता। अगर कोई सदस्य बोलता है तो जवाब देना जानता हूं। आपको यदि जानकारी हो तो अपने भाषण में दे दें। बीच में इन्टरप्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भगराज चौधरी : मुझे पूरा हक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको यह हक नहीं है कि आप किसी के लिए × × × × की बात कहें। कार्यवाही बाद में शुरू की जाय और यह देखा जाय कि। भाषण नहीं होगा आगे जब तक कि यह जो इन्होंने कहा है, "× × × × की बात" इसको विथड्रा कर लें। यह × × × × है कि यह कहते हैं कि इन्होंने नहीं कहा है।

एक माननीय सदस्य : यह × × × × शब्द अनपार्लियामेन्ट्री है।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस के अन्दर किसी भी माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का हक है। जिस हिसाब से सदस्यों के सामने जिस ढंग से बात करेंगे उस ढंग से उन्हें बात करने का अधिकार नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको यह अधिकार नहीं कि सदन में किसी के लिए × × × × की बात कहें। आप खड़े होकर अपने शब्दों को वापिस लीजिये। कार्यवाही को देखा जाय कि इन शब्दों का उपयोग किया है या नहीं। आप में पूछकर समझ कर बात करने की × × × × नहीं है। आप किस लीडर से बात कर रहे हैं। आप जैसे वे × × × × के मेम्बर नहीं हैं जो कि इनकी खुशामद करके टिकिट लेकर चले आये हैं। वे १५ वर्ष से इस सदन के मेम्बर हैं और एक सीनियर मेम्बर हैं। उनसे आपको बोलने की × × × × नहीं है।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने पर कोलाहल)

श्री भगराज चौधरी : आपको मालूम पड़ेगा कि उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा है।

× × × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर कोलहल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस हाउस में जब इस प्रकार की बात आती है तो आप बैठे बैठे देख रहे हैं और उनको डिफेन्ड करते हैं......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहूंगा कि इतनी गर्मी लाने की बात नहीं है, यदि इधर से कुछ कहा है तो दूसरी तरफ से भी उतनी ही तेजी से कह दिया गया है। आपने भी कह दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप रोजाना ऐसी बातों पर ऐतराज करते हैं, आज क्यों नहीं ऐतराज किया, आपने खड़े होकर क्यों नहीं कहा ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इन्होंने कहा तो आपने भी कह दिया.......

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

(शोरगुल)

ऑर्डर प्लीज !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने भी कह दिया.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं विद्ड्रा करने की बात कहता हूं। आप इनको डिफेन्ड करना चाहते हैं, अफसोस की बात है ? आप पार्लियामेन्ट के मेम्बर रह चुके हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह साफ कह रहा हूं कि आप ज्यादा कह रहे हैं, इतना दबाने की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ये शब्द कार्यवाही में से निकाल दिये जावें।

श्री उपाध्यक्ष : They have been expunged already.

श्री भैरोंसिंह : मैं जिस प्रसंग के अन्दर सदन को ले जाना चाहता था वह प्रसंग है सरकार की इस समय जो भाव निर्धारित करने की क्रिया हुई है, सरकार ने इस समय कुछ भाव तय किये हैं.......

श्री उपाध्यक्ष : थोडी जल्दी करें।

श्री भैरोंसिंह : जल्दी खत्म कर दूंगा। जैसा मंत्री महोदय बताते हैं तीन केटेगरीज़ की गई हैं। दो जोन्स बना कर अलग अलग प्रकार से भाव निर्धारित किये गये हैं। यदि इस बात को भी सही माना जाय तो सरकार ने जो भाव इस समय तय किये हैं मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि भाव तय करने का आपका आधार क्या है ? आपने राजस्थान और हिन्दुस्तान की की प्रिवेलेन्ट रेट्स को आधार माना है क्या या किसानों की कोस्ट- ऑफ प्रोडक्शन को यह मान कर किया है कि इतनी कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन आयगी उसको मीट करने के लिये ये भाव निर्धारित किये हैं। आपने पिछली बार मेग्जिमम और मिनिमम भाव तय किये। मिनिमम रेट पर सरकार अनाज

(श्री भैरोंसिंह)

खरीदती है और मेग्जिमम रेट पर उपभोक्ताओं को जरूरत पड़ने पर बेच सके। अभी उस रेट में आपने परिवर्तन किया उसका आधार यदि मार्केट रेट है, या आपका आधार यदि कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यदि अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोक्स है या क्या है, किसी बात को आधार मान कर ही आपने परिवर्तन किया होगा। आप चाहे किसी भी आधार को लेकर चलें लेकिन मुझे जस्टिफिकेशन नहीं दिखता कि आपके पीछे कोई लोजिक हो या वेल डिफाइन्ड डाइरेक्टिव हो; आप यह नहीं कह सकते कि दुनिया भर के आंकड़े इकट्ठे किये हैं और आगे चलकर भाव आने वाले हैं, या अनाज के भाव बढ़ने वाले हैं उस आधार पर हमने तय किया है। यह सही है कि आप इस प्रकार से देखना चाहते है कि कन्ज्यूमर्स खरीद सकेंगे या नहीं लेकिन आप यह मानकर चलिये कि अनाज के भाव बाजार में बढ़ गये और आपके भाव यही रहे तो अनाज नहीं मिलेगा।

आज जयपुर सिटी और राजस्थान की किसी भी मंडी को देख लीजिये; आपकी रेट से अनाज मिलता है या नहीं। यदि भाव बढ़ गये तो आपके भाव से अनाज नहीं मिलने वाला है। यदि भाव बाजार में घट गये तो मिनिमम रेट से किसानों से मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि भाव तय करने का आपका आधार क्या है। यदि आपका आधार यह है कि इस साल उत्पादन बढ़ेगा, इस प्रकार का अनुमान है तो मैं कहता हूं कि आपके भाव कागज में ही रह जायेंगे और अनाज आप हस्तगत नहीं कर पायेंगे। आप कहें कि भाव तय किये उस पर अनाज मिल जायगा तो मैं यह जानना चाहूंगा कि आपके पास इसके लिए क्या व्यवस्था है? आप इस व्यवस्था के लिए कहेंगे कि हमने काफी एन्फोर्समेन्ट ऑफिसर्स नियुक्त किये हैं, सरकारी मशीनरी को टाइटन किया है, वे लोगों के हिसाब चैक कर सकेंगे, व्यापारियों से रिटर्न्स ले सकेंगे; लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि आज तक राजस्थान में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में पुलिस को करप्ट बताया जाता था लेकिन आज एक तरफ आप इस तरह की व्यवस्था चालू करेंगे लेकिन दूसरी तरफ एन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, तहसीलदार और एस. डी. ओज. के पास पूरे अधिकार दे रखे हैं; उनका और व्यापारियों का मिलान होगया तो यह होगा कि लोगों के पास अनाज नहीं पहुंचेगा; लेकिन व्यापारियों के द्वारा इफेक्टिव शोषण किया जा सकेगा या एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैरेसिंग पॉवर्स के द्वारा व्यापारियों को हैरेस करके अनाज मिलना मुश्किल कर देंगे। इसलिए हम दिमाग में यह लेकर चलें कि हमने जो पॉवर्स दिये हैं उनका यदि मिस यूज हो गया तो ट्रेड का चैनल जिस प्रकार की गति से चल रहा है वह कहीं पूर्णतया समाप्त नहीं हो जाय, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जहां कहीं भी इस बात की शिकायत मिले कि किसी व्यापारी को सरकारी अफसरों द्वारा परेशान किया गया है तो उसके साथ सख्त से सख्त एक्शन लें।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आज की स्थिति में सरकार बफर स्टोक मेन्टेन

(श्री भैरोंसिंह)

करने की पोजीशन में है तो उसे बफर स्टोक मेन्टेन करना चाहिये वर्ना जिस समय अनाज बाजार में आ जायगा और लोग ले जायेंगे और फिर बाजार में अनाज नहीं मिलेगा तो सरकार यह कह कर नहीं चल सकती कि हमने बफर स्टोक नहीं इकट्ठा किया। आज राजस्थान सरकार को जितने अनाज की आवश्यकता आगे चल कर हो सकती है उसका अनुमान लगा सकते हैं। फसल आ रही है। इस फसल पर जिस तरह से व्यापारी खलिहान में जाकर अनाज खरीदते हैं उसी तरह से सरकार को एजेन्सी मुकर्रर करनी चाहिये जिसकी मार्फत सरकार जाकर अनाज खरीदे और बफर स्टॉक मेन्टेन करे और जिस समय अनाज महंगा हो उस समय बफर स्टॉक खोले और जिस समय अनाज सस्ता हो उस समय खरीद कर बफर स्टॉक मेन्टेन करे। बाकी आपके जितने कानून हैं, जितने रूल्स हैं और जितने नोटिफिकेशन्स हैं वे किसी भी प्रकार से उपयोगी सिद्ध नहीं होंगे। केवल मात्र तरीका यह हो सकता है कि सरकार बफर स्टॉक मेंटेन करने की कोशिश करे। मैं सरकार से कहूंगा कि यह फसल का समय है; चना, जो और गेहूं जिस भाव से व्यापारियों को बेचते हैं उसी भाव से सरकार अनाज की खरीद करे तो सरकार सारे झगड़ों से निकल कर व्यापारी के रूप में स्वच्छन्द व्यापार करती हुई सरकार बाकी व्यापारियों पर कन्ट्रोल कर पायेगी, किसानों को घाटा नहीं होगा और जनता को अनाज मिल पायेगा। इसलिये मैं कहता हूं कि सरकार के जितने कानून बने हैं मैं एक मिनट में उनका नक्शा खींच कर सदन के सामने रख देता हूं; कानून बनने से पहले क्या भाव था और आज क्या भाव हैं।

२०-१०-६२ को जिस समय हमारे यहां एमर्जेन्सी डिक्लेयर हुई उस दिन लाल गेहूं का भाव था ३७ रु० प्रति क्विन्टल और सफेद गेहूं का भाव था ५१) रु०, चने का भाव था ४३ रु०, ज्वार का भाव था ३८ रु० और मक्का का भाव था ३०) रु०। एक साल बाद में ये भाव हुए ४०), चने के हुए ४३), ज्वार के हुए २८), और मक्का के भाव हुए २६), यानि उल्टे पहले से कम हुए। १-३-६४ को राजस्थान की हुकूमत ने लाइसेन्सिंग ऑर्डर जारी किया तब गेहूं का भाव हो गया ५३), चने का भाव हुआ ५४), ज्वार का हो गया ३७), मतलब यह कि जो २०-१०-६२ को भाव थे वे ६३ में गिरे और ६४ में लाइसेन्सिंग ऑर्डर के जारी करते ही सवाये हो गये। फिर वीट जोन्स हुए। २०-३-६४ को नोटिफिकेशन निकला। वीट जोन हो गया तब गेहूं का भाव और भी बढ़ गया, चने का गिरा। फिर १८-६-६४ को डी. आई. आर. के अन्तर्गत रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया उस समय सब भाव बढ़ गये। जितने कानून आपने बनाये उन सब के आधार पर डेट वाइज बताने की कोशिश करूंगा तो समय लगेगा; तो जिस समय भी ऑर्डर निकला उस समय भाव बढ़े हैं। केवल एक कारण से भाव गिरे हैं, सस्ते हुए हैं वह सिर्फ फसल बाजार में आई है इसलिये हुआ, क्योंकि किसानों ने पैदावार की थी, उनको बेचना था उस पीरियड के अलावा किसी पीरियड में, किसी नोटिफिकेशन से एक बार भी अनाज सस्ता नहीं कर

(श्री भैरोंसिंह)

पाये, इससे यह प्रमाणित होता है कि आप इसमें असफल हुए। इसलिये आज आवश्यकता है कि सारी चीजों को दूर रख कर जितना लिबरल एटिट्यूड रख कर चलेंगे उपभोक्ताओं के प्रति, व्यापारियों के प्रति, इस व्यवस्था को बदल कर व्यापारियों पर कन्ट्रोल करके, किसानों से इस भाव पर अनाज खरीद करके उपभोक्ताओं को सस्ता देने के लिये केवल यही एक तरीका हो सकता है कि राजस्थान की हुकूमत काफी तादाद में बफर स्टॉक बना कर एक इंडिपेंडेंट व्यापारी के रूप में इस सारे व्यापार के अन्दर घुस जाय—इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता क्योंकि आज तक जो अटेम्प्ट्स सरकार के द्वारा किये गये हैं उनके अन्दर सरकार को पूर्णतया असफलता मिली है। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिश्नोई !

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, जनसंघ के माननीय नेता ने खाद्य समस्या के बारे में काफी महत्वपूर्ण तथ्य रखे, मैं भी इस बारे में कुछ बातें कहना पसन्द करूंगा। खाद्य समस्या इस राज्य में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में पिछले दो साल से रही है और विशेषतया शहरों में खाद्य समस्या विकट रूप में है। इसको हल करने के लिए और अनाज को उपलब्ध करने के लिए सरकार ने काफी कदम ईमानदारी के साथ उठाने की कोशिश की है। परन्तु उनके बावजूद कई तरीके की कमियों की वजह से और कुछ प्रोडक्शन में कमी होने की वजह से सरकार के सामने कुछ दिक्कतें पेश हुईं। उनको दृष्टि में रख कर समय समय पर नोटिफिकेशन वगैरह निकाले गये, जो भाव ठीक तरह से निर्धारित किये गये, जो भाव निर्धारित किये गये उनके अनुसार भी काफी जगहों पर लोगों को अनाज उपलब्ध नहीं हुआ। उसके बारे में माननीय खाद्य मन्त्री ने समय समय पर इस सदन को जानकारी दी है और आज भी वे अपने तरीके से फिर जानकारी देंगे। परन्तु माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके जरिये राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब किसानों का अनाज बाजार में आता है उस समय सरकार को बहुत ही सक्रिय होकर हर जिले में बफर स्टॉक बनाने के लिए जैसा जनसंघ के माननीय नेता ने कहा—इस बारे में मैं उनसे सहमति प्रगट करता हूं क्योंकि काश्तकार जो प्रोड्यूस करके मार्केट में लाता है उसको ठीक कीमत उसको मिलनी चाहिए। मैं आपके सामने बाड़मेर और जालोर का उदाहरण देना चाहता हूं। आपने समय समय पर अनाज की कैटेगरी के अनुसार तीन-चार तरह की टाइप के अनाज करने के बाद भिन्न भिन्न जिलों में भिन्न भिन्न भाव मुकर्रर किये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाजार में क्या भाव हैं, कितने रुपये के भाव में अनाज खुले रूप में मंडियों में मिलता है, इस चीज को देखें तो मालूम होगा कि उस भाव पर अनाज मंडियों में नहीं मिलता है। इसके साथ ही किसान जो मेहनत करके प्रोड्यूस करके बाजार में उस प्रॉड्यूस को लाना चाहता है उस किसान को भी सरकार के द्वारा पूर्ण सुविधायें देनी चाहिए और यह

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

देखना चाहिए कि किस जगह कैसे मीन्स ऑफ कॉम्युनिकेशन हैं, किस तरह के साधन हैं, मार्केटिंग की फैसेलिटी किस तरह की है, किस तरह का ट्रेड है और ट्रेडर्स भी आज कल का वर्तमान आउटलुक रखते हैं या पिछले ढंग के व्यापारी की मेन्टेलिटी के है, किस तरह की मेंटलिटी है और व्यापार की क्या स्थिति है और इन सब चीजों को देखते हुए अलग अलग जिलों में अलग अलग भाव हों। आज स्थिति यह है कि जब बाजार में अनाज आता है तो कुछ जिलों में तो अनाज के भाव निर्धारित भावों से नीचे रहते हैं और कुछ जिलों में निर्धारित भावों से ऊंचे भाव चले जाते हैं। इसलिए राजस्थान सरकार ने जो भाव दुबारा रिव्यू करके मुकर्रर किये हैं उसके अन्दर एक कारण राज्य सरकार के सामने यह भी होना चाहिए कि फलां जगह में पिछले साल में भिन्न भिन्न समय पर क्या क्या भाव रहे हैं, इस तरह के अलग अलग मंडियों में जो भाव रहे हैं उनको तहसील के जरिये से राज्य सरकार के पास एक आंकड़ों के रूप में उपलब्ध कराया गया है और उनको ख्याल मे रख कर दुबारा अलग अलग कैटेगरीज के गेहूँ के भाव मुकर्रर किये गये हैं। परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यह बात पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं, भिन्न भिन्न जिलों के अन्दर जो भावों के अन्दर कमी है उस कमी का कारण यह नहीं हो सकता कि उन जिलों के अन्दर सब वस्तुएं काश्तकार को उपलब्ध होती हैं वे सस्ती होती हैं और जिन जिलों के अन्दर भाव चढ़े है ऊंचे उनके अन्दर बाजारों में या दूकानों पर महंगी वस्तुएं मिलती हैं—ऐसा नहीं। सब ही जिलों में यह स्थिति है कि वस्तुएं बहुत महंगी मिलती हैं।

मैं राज्य सरकार के समक्ष, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से सांचोर का उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने राज्य सरकार को सूचना दी थी कि प्राइस सपोर्ट से बाजरे के भाव नीचे जा रहे हैं। मैं इसके लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उसने एकदम इन्तजाम किया और प्राइस सपोर्ट के भाव में अनाज को खरीदने की कोशिश की और अन्दाजन मैं कह सकता हूं कि करीब छः हजार मन गल्ला राज्य सरकार के जरिये खरीदा जा चुका है और बाजरा दिन प्रति दिन सरकार को एक बफर स्टॉक के रूप में उपलब्ध हुआ है और आगे भी हो जायगा। ऐसी स्थिति में जो पिछड़े हुए जिले हैं वहां पर अगर प्राइस सपोर्ट से भाव नीचे जाते हैं, और उस समय सरकार फोर्स को करे कि वहां के काश्तकार गेहूं सोलह-सतरह रुपये के भाव से दे दे तो मैं समझता हूं कि काश्तकारों के साथ यह अन्याय होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को यह दृष्टिकोण रखना चाहिए कि भिन्न भिन्न जिलों में भिन्न भावों को देखते हुए और काश्तकारों की मुश्किलात को देखते हुए उनके प्रॉडक्शन की कीमत को देखते हुए भाव मुकर्रर करे। एक पर्टीक्यूलर जिले में काश्तकारों को प्रॉडक्शन किस रेट में कराना पड़ता है-यह देखना जरूरी है। यह नहीं मान सकते कि फलां जिले में काश्तकार सस्ता प्रॉडक्शन कर लेंगे, फलां जिले में लोग महंगा प्रॉडक्शन करेंगे। इसके बारे में राज्य सरकार को एक वैज्ञानिक ढंग से भिन्न भिन्न जिलों के

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए कि काश्तकारों का किस रूप में कितना व्यय कराना पड़ता है, वहां पर काश्तकारों का काश्त का धन्धा घाटे का है या प्रॉफिट का है-और इस आधार के ऊपर वहां के भाव मुकर्रर होने चाहिए क्योंकि यह समस्या देश के अन्दर यकायक पैदा हो गई है इसलिए राज्य सरकार के सामने भी मुसीबतें आईं और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में उचित कदम उठाने के बावजूद इस समस्या को सुचारु रूप में सुलझाने के रास्ते में काफी कठिनाइयां पैदा हुई हैं; लेकिन इन कठिनाइयों के अनुभव के आधार पर भविष्य में भाव घोषित किये जायं। इस रूप में मैं जालौर, बाड़मेर जिले के लिए कह सकता हूं और विशेष रूप से जालौर के बारे में कह सकता हूं कि वहां की स्थिति का सही ढंग से विश्लेषण करके राज्य सरकार बीस, इक्कीस रुपये मण गेहूं का भाव निधारित करके, जब फसल मंडियों के अन्दर आ रही थी, उस समय सुचारु रूप से व्यवस्था करके खरीदने की व्यवस्था करती तो हजारों मन गेहूं, अनाज उपलब्ध हो सकता था। परन्तु राज्य सरकार जो गेहूं के भाव तय करती है, उसके अनुसार उनसे सोलह-सतरह के भाव से गेहूं मांगती है तो सोलह-सतरह के भाव में काश्तकार कैसे बेच सकता है, जब कि अलवर में और भाव है, जोधपुर में और भाव है और अजमेर में और भाव है। और गाड़ी में लेकर जावे तो रास्ते में उसको पकड़ा जा सकता है और उसकी गाड़ी को ब्लैक करने के आरोप में या दूसरे आरोप में पकड़ा जा सकता है।

इसके साथ ही मैं आपको निवेदन करूं कि गुजरात का बोर्डर पास ही है जहां पर दुगुने तिगुने भाव हैं। लेकिन यह सब होते हुए भी, यह सब मुश्किलात होते हुए भी जब काश्तकार मुसीबत के साथ में अनाज पैदा करता है तो उसकी यह भावना है और हरएक की यह भावना है कि काश्तकार को चार पैसे अधिक कीमत मिले। जब कि चारों तरफ अनाज के भाव अधिक हैं तो मजबूरी की हालत में कम भाव में हम उससे अनाज लें-यह दृष्टिकोण हमारा नहीं होना चाहिए. वाजिब रेट के ऊपर उनसे गेहूं लें और सब्सीडी के रूप में कुछ रुपया देकर भावों को इक्विलाइज करके जो जिलों का प्राडक्शन हो, उस प्राडक्शन पर किस रूप से कितना खर्च किया गया है, उस हिसाब से उस अनाज को खरीदने की कोशिश करे तो हजारों मन धान सरकार को उपलब्ध हो सकता है और एक बफर स्टॉक बनाकर कमी के दिनों में उस बफर स्टॉक से अनाज दिया जा सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन जिलों अन्दर, जिस समय कि बाजार में फसल आने वाली है, जो अनाज के भाव हैं, उनको देखते हुए जैसा मैंने आपसे बाजरे के लिए कहा कि प्राइस सपोर्ट की वजह से सोलह रुपये मन बाजरे के भाव निश्चित नहीं करते तो वहां के काश्तकार बर्बाद हो जाते क्योंकि बाहर रुपये मन बाजरे के भाव वहां पर व्यापारियों ने कर दिये थे; इसके अलावा वहां पर आवागमन के साधन नहीं हैं जिससे जहां अच्छे भाव हों वहां मंडियों में अनाज लेकर आयें। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को वैज्ञानिक ढंग से आंकड़े इकट्ठे करके न्यायपूर्ण ढंग से व्यवस्था करनी पड़ेगी.

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जिससे काश्तकारों के साथ न्याय हो, व्यापारी के साथ भी न्याय हो और खाने वाले व्यक्ति के साथ भी न्याय हो। इन सब बातों को देखते हुए भावों को निर्धारित करने की नीति होनी चाहिए। जब तक आप काश्तकारों की समस्या को देखते हुए भाव निर्धारित नहीं करेंगे; जैसे सांचोर में भाव क्या है, वहां पर आवागमन के साधन क्या हैं और वहां से दूसरी जगह अनाज ले जायं तो ओटोमेटिकली भाव तेज हो जायें। यदि काश्तकारों के साथ न्याय करने के लिए आपने भाव बढ़ा दिये तो बाजार में अनाज आता है। लेकिन अगर काश्तकार घाटे में जाने लगता है तो उसका रुख बदल जाता है। अब भी बहुत से काश्तकार अनाज पैदा नहीं कर रहे हैं और जीरा पैदा करने लग गये हैं, क्योंकि वे मजबूर हैं, क्योंकि वे भावों के कारण बरबाद हो रहे हैं। इस स्थिति में हमारे सामने निकट भविष्य में एक दूसरी समस्या पैदा हो सकती है; इसलिए जो अनाज पैदा करते हैं उनसे वाजिब भाव पर राज्य सरकार को अनाज खरीदना चाहिए। अगर वह नहीं खरीदेगी तो व्यापारी खरीद कर उसको ब्लेक मार्केट में बेचता रहेगा। इन चीजों पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए और अच्छी व्यवस्था करने की बाद जो अनाज उपलब्ध होगा उससे शहरों में अनाज की कमी की समस्या को दूर किया जा सकता है और काश्तकारों का संकोच भी दूर हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे बहस थोड़ी बहुत संक्षेप में ही रखें तो सरकार के पक्ष से ४ बजे उत्तर आरंभ कराया जा सके।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी जवाब ४॥ बजे शुरू हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ संयम में रहें तो जल्दी हो सकता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल करोल।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : उपाध्यक्ष महोदय, आज खाद्य समस्या पर विचार-विमर्श हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार अनाज के भाव बढ़ने से रोकने में व सस्ते भावों को बढ़ाने में कभी भी कामयाब नहीं हुई और न होगी। यह मैंने नोट किया है। मैं यह कहूंगा कि कुदरती भाव घटते हैं और कुदरती बढ़ते हैं। अगर नाज की आमद और उत्पादन ज्यादा होगा तो अपने आप भाव कम होंगे और अगर अनाज बाजार में नहीं आवेगा तो अपने आप भाव बढ़ जावेंगे। इसमें दो राय नहीं हो सकती। अब समस्या यह सामने है, कि नाज के भाव बढ़ते हैं या कम होते हैं, तो उन्हें कैसे घटाया बढाया जा सकता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस समय फसल का समय होता है तभी यह प्रश्न पैदा होता है। जब फसल आती है तो मिनिमम और मेक्सिमम रेट में थोड़ा बहुत रद्दोबदल सरकार करती है। आपने गेहूं की ही रेट अधिकतम मुकर्रर की है मगर जो और चने

Page No.86

(श्री नाथूलाल करोल)

की नहीं की हैं। सरकार ने मिनिमम रेट खरीफ की मुकर्रर बाजरा और मक्का आदि की की थी, लेकिन उन्होंने मेग्ज़िमम रेट नहीं की थी, लेकिन मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कभी आप बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ, चना इनको खरीदें तो इसका बड़ा असर पड़ता है। इस मिनिमम रेट से मनी लेंन्डर्स और जो नाज का व्यापार करते हैं वे लोग इससे ज्यादा फायदा उठा लेते हैं और वे किस तरह से उठाते हैं यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। वे लोगों से कहते हैं कि सरकार ने रेट मुकर्रर कर दी है, वे गांवों में इस बात का प्रचार करते हैं, इसलिये हमें सरकार की रेट में नाज दे दो। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि मिनिमम रेट के साथ साथ मेग्ज़िमम रेट भी हो, जिससे काश्तकार बोहरों के चुंगल से बच जावे। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय बाजार में गल्ला जाता है उस समय व्यापारी बोली लगा कर माल खरीदता है हैं उसी तरह से सरकार को उस समय माल खरीद कर स्टोक करना चाहिये। क्योंकि इससे सरकार के पास स्टोक भी जमा होगा और भाव बाजारा में जिस समय बढ़े उस समय उस नाज को सस्ते भाव से बेच सके।

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भाव बराबर बढ़ते गये हैं और उनको रोकने के लिये हमने काफी प्रयत्न किया है। मगर मैं यह कहूंगा कि यह भाव तो स्वतः बाजार में जब माल ज्यादा आता है तो गिर जाते हैं और जब माल नहीं आता है तो भाव बढ़ जाते हैं। अभी सेशन शुरू हुआ उस समय होली के समय पर जब कि माल दूकानदारों के पास बहुत पड़ा था, बहुत जल्दी जल्दी माल आया और यहां तक कि जौ के भाव ४५) से ४८) तक हो गये और होली के १० दिन बाद ही भाव फिर बढ़ गये और ६०) से ६४) रु० क्विन्टल तक पहुंच गये। जिस समय भाव ४८) क्विन्टल हो चुके थे उस समय माननीय मंत्री ने कहा कि आज जौ के भाव ४८) रु० क्विन्टल है। मगर वही जौ जो पहले ४८) में बिका, वही बाद में १० दिन पीछे ६४) रु० में बिका। गेहूं ६२) या ६३) में मिला बाद में होली के १० दिन बाद गेहूं बन्द हो गया। कहने का मतलब यह है कि जितना भी पुराना स्टोक था वह ८-१० दिन तक आया और बिका और जब बाजार में माल नहीं आया तो भाव अपने आप बढ़ गये। क्योंकि काश्तकार लोग अपने खेतों में फसल को काट कर खलिहानों में लाने में लग रहे हैं। इसलिये ६०) रु० क्विन्टल के जौ बिके और बाजार में लोगों को दर्शन करने के लिये भी गेहूं नहीं मिलता। क्योंकि वैसे गेहूं बाजार में है नहीं। गेहूं काश्तकार के खेतों में फसल के रूप में है और वे फसल काट रहे हैं। इसलिये गेहूं बाजार में है ही नहीं।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि आपने मेग्ज़िमम रेट फिक्स कर दी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप इसको तोड़ दें तो मेरा यह सुझाव है कि काफी गेहूं बाजार में आने लगेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने जो भाव निर्धारित किये है उसको इस समय पर तोड़ देना

(श्री नाथूलाल करोल)

चाहिये। मैं यह कहूंगा कि आपने लाल गेहूं का भाव ५३, ५४ किया है और दूसरे का ६४, ६५ का मुकर्रर किया है, मगर जब गेहूं बाजार में नहीं होंगे तो भाव ऊंचे चले जावेंगे। मगर आपने जो रेट फिक्स की है उसको तोड़ देंगे तो १५ रोज में काफी गेहूं बाजार में आवेगा और बाजार में भाव नीचे चले जावेंगे। हम यह चाहते हैं और मैं एक काश्तकार के नाते सुझाव देता हूं कि हमारे कभी भी फसल के समय पर भाव गिरने नहीं चाहिये क्योंकि बाजार में हमें दूसरी चीजें उतनी ही मंहगी मिलती है। आप इसके लिये भी प्रबन्ध करें कि हमें दूसरी चीजें बाजार में सस्ती मिलें। आप देखेंगे कि आज कपड़े के भाव काफी तेज हो गये हैं। गुड़ और चीनी के भाव भी बहुत तेज हो गये हैं। गुड़ जो ६४) या ६५) क्विन्टल था उसका भाव आज ८५) रु० हो गया है और चीनी के भाव देशी खडसारी के १५०) रु० क्विन्टल के थे उसके भाव १६५) रु० क्विन्टल हो चुके हैं। इस प्रकार फिर बाजार में तेजी आई है। यदि उनको इसकी चीजें सस्ती दिलाई जावें तो वे भी सस्ता नाज दे सकते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि अच्छा तो यह हो कि आप उनकी खलिहानों से सीधा अनाज ले आवें और उनको सस्ती चीजें दे दी जावें। यह मेरा सुझाव है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि लाइसेंसिग ऑर्डर, सन् १९६४ में काफी व्यापारियों को पकड़ धकड़ किया गया। लेकिन इन केसेज में उनका गल्ला आज भी गोदामों में पड़ा है। इसलिये मेरा सुझाव है, मेरी समझ में नहीं आता कि जमवारामगढ़ में काफी इस तरह का गल्ला पड़ा हुआ है। अगर केस फाइल होते है तो गवर्नमेंट को चाहिये कि जो गवर्नमेंट रेट है उस भाव में उस अनाज को लेकर, खरीद कर बिकवा दे। वह गल्ला इस तरह से खतम हो गया और बेकार होगा। इसलिये मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि या तो उस गल्ले को ले लेना चाहिये या उसको निश्चित भावों से बिकवा देना चाहिये।

दूसरी मेरी अर्ज यह है उपाध्यक्ष महोदय कि काश्तकार को जो बदले की चीज बाजार से मिलती है वह सस्ती होनी चाहिए, और गल्ला भी उनका उसी अनुपात से बिकवाया जावे। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल चौधरी।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, फूड प्रोब्लम के बारे में खाद्य मंत्रीजी ने प्रस्ताव रखा है विचार के लिए। फूड प्रोब्लम की बात करते हैं तो यह बात आती है कि काश्तकारों के प्रोडक्शन करने के लिए सरकार का क्या एटीट्यूड रहा है ? वह एन्टी प्रोड्यूसर्स रहा है इस बात का असर मेरे दिमाग पर होता है। यह भी तथ्य है। मंत्री महोदय कहेंगे कि फूड प्रोब्लम की बात करते हैं तो इस फूड प्रोब्लम का सम्बन्ध भारत सरकार से रहता है। मैं सच कहने वाला हूं, पहले भी कहा था और सरकार से निरन्तर निवेदन करता रहूंगा, जब तक राजस्थान सरकार यहां के उत्पादन करने वाले काश्तकारों के हित

(श्री मोतीलाल चौधरी)

में जोरों से कदम उठा कर भारत सरकार से नहीं कहेगी। गुजरात, महाराष्ट और आन्ध्र की सरकारें क्रोप पैटर्न कर के कैश प्रोडक्शन को बढ़ायेंगी। ग्राउन्ड नट, जीरा, शुगरकेन, तमाखू और आलू की प्रोडक्शन को बढ़ायेंगी, इससे वहां के किसान मालदार होंगे और राजस्थान का किसान फूड प्रोडक्शन करके गरीब रहेगा। वहां के काश्तकार कैश क्रोप्स करके मालदार बने और राजस्थान के किसान फूड क्रोप्स प्रोड्यूस करके गरीब रहें तो राजस्थान सरकार को जोरों के साथ भारत सरकार को कहना चाहिये कि राजस्थान में कितनी लैंड को फूड प्रोडक्शन के लिए रखें। राजस्थान का किसान ८० पर्सेंट से ऊपर फूड प्रोडक्शन करता है; बाजरा, मक्का, गेहूं, जो, चना, ज्वार। महाराष्ट्र और गुजरात को अपनी फूड सप्लाई से बचाया है, क्या गुजरात और महाराष्ट्र में जमीन नहीं है ? ऐसी बात तो नहीं है, वहां जमीन है, पर वहां का किसान तमाखू जीरा, शुगरकेन, ग्राउन्डनट, आलू वगैरह की कैश क्रोप पैदा करता है और हमारा काश्तकार बाजरा, ज्वार, गेहूं, जो, चना पैदा करता है। जितना विदेशों से गेहूं मंगाते हैं उतना राजस्थान से सप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए राजस्थान को उचित मूल्य मिलना चाहिये, नहीं तो वहां का काश्तकार भी कैश क्रोप के प्रोडक्शन की तरफ जायगा। जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, सवाई माधोपुर में, गंगानगर में शुरू हो गया है; गेहूं, बार्ली, बाजरा का प्रोडक्शन नहीं करके ग्राउन्ड नट, आलू, शुगर केन का प्रोडक्शन करते हैं, तो सरकार को उस इलाके में जो नहरी इलाका नहीं है, जहां फूड प्रोडक्शन पर किसान का जीवित रहना है, उसको उसके फूड प्रोडक्शन का उचित मूल्य मिले, इस प्रकार की व्यवस्था भारत सरकार से करानी चाहिये।

मैं स्पष्ट कहूं कि पिछले प्रोग्राम से मिनिमम प्राइस फिक्स करने से किसानों को फायदा मिला; पर लेट फिक्स किया, इससे ट्रेडर्स को ज्यादा फायदा मिला। ज्यादा फायदा ट्रेडर्स को मिला, किसानों को नहीं मिला और कन्ज़्यूमर्स को नुकसान उठाना पड़ा। प्रोड्यूसर्स से फूड ग्रेन्स लेकर डाइरेक्ट कन्ज्यूमर्स के पास पहुंचाने की व्यवस्था अगर की जाती तो कन्ज़्यूमर्स को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। सहकारी समितियां, मार्केटिंग सोसाइटीज़ सीधे प्रोड्यूसर्स से खाद्यान्नों को लेकर कन्ज्यूमर्स तक पहुंचाने की एजेंसीज़ हैं पर सरकार ने इन सहकारी समितियों को, मर्केटिंग सोसायटीज को, इस काम के लिए पूंजी नहीं दी। सरकार को बैंकों पर कन्ट्रोल करना चाहिये था, पर सरकार ने किसी प्रकार का कन्ट्रोल बैंकों पर नहीं किया। जितना फूड ग्रेन्स का होर्डिंग हुआ, जितना एक्सपोर्ट हुआ, जितना फूड ग्रेन्स का ब्लेक मार्किटिंग हुआ, वह बैंकों की पूंजी से हुआ, ८० पर्सेंट पूंजी इसमें बैंकों की है। जनता की पूंजी बैंकों में जाती है, सरकार की पूंजी, संस्थाओं की पूंजी बैंकों में जाती है और वह पूंजी बैंक बकिंग सिस्टम से पूंजी पतियों को देते हैं और पूंजीपति उस पूंजी से ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को इस सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था करनी पड़ेगी, खाली स्टेट ट्रेडिंग से काम नहीं चलने वाला है। महाराष्ट्र में, गुजरात में और यू. पी. में

Page No.89

(श्री मोतीलाल चौधरी)

कोऑपरेटिव सोसायटीज़ के द्वारा, मार्केटिंग सोसाइटीज़ के द्वारा प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है, इसके लिये महाराष्ट्र ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, मार्केटिंग सोसाइटीज़ को ३३ करोड़ रुपया दिया है; यू. पी. ने ३० करोड़ रुपया दिया है फूड प्रोक्योरमेंट के लिए, गुजरात ने मार्केटिंग सोसाइटी को फूड प्रोक्योरमेंट के लिए मोनोपोली दी है।

फूड प्रोब्लम के बारे में सरकार हमें कहती है कि गुजरात को देखो, महाराष्ट्र को देखो, यू. पी. को देखो; तो हम भी राजस्थान सरकार से निवेदन करेंगे कि वह भी गुजरात, महाराष्ट्र और यू. पी. की तरफ देखे कि वे स्टेट्स मार्केटिंग सोसाइटीज़ को इतनी बड़ी धनराशि देकर अनाज का प्रोक्योरमेंट करवा रही है; बंगाल में, मद्रास में और दूसरी जगह मार्केटिंग सोसाइटीज़ के जरिये फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट करवाया जा रहा है। प्रोड्यूसर्स से अनाज सीधा कन्ज्यूमर्स को मिलेगा और इस तरह से व्यापारी प्रोड्यूसर्स को एक्स्प्लोइट नहीं कर सकेंगे। तो मैं सुझाव के रूप मे यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में फूड प्रोब्लम है, उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है प्रोडक्शन का और दूसरा पहलू है डिस्ट्रीब्यूशन का। ८० पर्सेंट जनता प्रोड्यूसर है इसलिए सरकार एक फूड बोर्ड, फूड कमिशन बैठाये, जिसमें प्रोड्यूसर्स, कन्ज्यूमर्स ट्रेडर्स और रिजर्व बेंक के रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ रहें और उस बोर्ड के सामने यह विचार किया जाय कि किस रूप से किस आधार पर भावों को कन्ट्रोल कर सकते हैं। इस सुझाव की पृष्ठ भूमि में मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विदेशों में, यूरोप और अमेरिका में फूड ग्रेन्स के, मिल्क के और अन्य सामग्रियों के भाव बांधने के लिए ऐसे बोर्ड्स वहां पर हैं। अमेरिका जो कि पूंजीपति देश है, वह भी इस प्रकार की व्यवस्था करता है। मिल्क प्रोड्यूसर्स, कन्ज्यूमर्स के रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ और बेंक के व हैल्थ डिपार्टमेंट के रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ रहते हैं और वे यह देखते हैं कि किसी तरह से प्रोड्यूर्स को नुकसान तो नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन में किसी तरह की खराबी तो नहीं आ रही है।

(३.०० म० प०)

उसको देखते हैं तो उसी आधार पर फूड प्रोब्लम को सोल्व करने के लिये फूड प्रोड्यूसर्स को उससे मुक्ति मिले। राजस्थान में एक फूड कमीशन बिठाना चाहिये जिसमें उत्पादक के प्रतिनिधि, कन्ज्यूमर्स के प्रतिनिधि और बेंक सिस्टम के प्रतिनिधि रहें, गवर्नमेंट के प्रतिनिधि रहें और ट्रेडर्स के प्रतिनिधि रहें ताकि बोर्ड की ओर से निर्णय कर सकें और उचित मूल्य प्रोड्यूसर और कन्ज्यूमर्स को मिल सके।

राजस्थान सरकार की लेंड पोलिसी है, कार्यक्रम है, उससे स्पष्ट है कि आगे आने वाले पचास वर्ष तक काश्तकार फूड प्रोड्यूसर रहने वाला है। महाराष्ट्र, यू० पी०, आन्ध्र, मैसूर वाले यहां नहीं हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि राजस्थान का काश्तकार उस स्टेट का काश्तकार है जो बहुत बेकवर्ड है, जहां पर पहले फ्युडल्स का राज्य था,

(श्री मोतीलाल चौधरी)

जिन्होंने प्रोडयूसर्स को लिखाया-पढ़ाया नहीं, उन्नति नहीं की लेकिन उस गरीब को इस सरकार ने आगे बढ़ाया, जहां पानी नहीं है वहां पानी पहुंचाया। आज उस काश्तकार के लिये यह आप अवश्य कर दीजिये कि जो काश्तकार फूड का प्रोडक्शन करेगा उससे कोई लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जावेगा। उस स्टेट गवर्नमेन्ट का और नेशनल गवर्नमेन्ट का कोई अधिकार नहीं है कि नेशनल प्रोब्लम को हल करने के लिये, जिस चीज को इम्पोर्ट करने के लिये फोरिन एक्सचेन्ज देनी पड़ती है और जो तकलीफें हमें उठानी पड़ती हैं उनसे बचाने के लिये जो काश्तकार फूड का प्रोडक्शन करता है उससे क्यों किस आधार पर लैंड रेवेन्यू लिया जाय? उससे लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जाना चाहिये और उसको लैंड रेवेन्यू चुकाने के लिए मुस्तसना कर देना चाहिये। जो धरती पड़ी हुई है, जो अन-युटिलाइज्ड पड़ी हुई है, बिना प्रोडक्शन के पड़ी हुई है सरकार को इमीजियेटली कानून लगा देना चाहिये कि एक बीघा जमीन भी पड़त नहीं रहेगी और रहेगी तो उसको सरकार अपने अधिकार में कर लेगी। मैं मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार की नाक के नीचे इसी जयपुर शहर के दस मील के एरिया में जमीन पड़ी हुई है और काश्त नहीं होती है। न उन लोगों ने कभी काश्त की है जिनके पास यह जमीन है। उस जमीन को सरकार को ले लेना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आखिरी बात कह कर मैं इसको समाप्त करूंगा। एक नया तरीका शुरू हुआ है। जयपुर शहर के आस-पास ही नहीं, कोटा और बड़े २ शहरों के आस-पास ही नहीं किन्तु दूसरी जगह भी जिन लोगों के पास ब्लैक मनी है वे इस धरती को खरीद रहे हैं। अपनी एक्स्ट्रा इन्कम को बताने के लिये कि उनके पास उस जमीन से इन्कम हुई है, वे लोग जमीन को ले रहे हैं। आप इसके लिये यदि कोई कमीशन बिठायें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ३० पर्सेन्ट जमीन आज इन लोगों के पास है जो इन्कम टैक्स की चोरी करते हैं, जो जमीन रख कर कोई प्रोडक्शन नहीं करते और जमीन लिये बैठे हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि उस जमीन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और सरकार के पास आंकड़े प्रोडक्शन के नहीं आ रहे हैं। जमीन खाली पड़ी हुई है।

दूसरी बात यह बतना चाहूंगा कि आप मार्केटिंग सोसाइटीज की फाइनेन्स को स्ट्रोंग करिये जिससे सरकार जहां भी चाहे सरप्लस डिस्ट्रिक्ट से डेफिसिट एरिया में अनाज भेज सके। किसान मार्केटिंग सोसाइटी में स्टॉक रख ले, वेयर हाउसेज़ को कम्पेल कीजिये कि मार्केटिंग सोसाइटी को फेसिलिटीज़ दे, गोदाम दे; जिससे माल प्रोड्यूसर का वहां रह जायगा और जहां भी जरूरत है फौरन भेज दिया जायगा।

तीसरी बात, प्रोड्यूसर को उतना दीजिये जितना उसकी अजीविका के लिये आवश्यक है जिससे वह भी इस राज्य का और देश का अच्छा नागरिक बन सके।

चौथा मार्केटिंग सोसाइटीज़ को पूंजी दीजिये और फूड कमीशन बिठाइये जो प्रोड्यूसर्स और कन्ज्यूमर्स को बैलेन्स करे।

(श्री मोतीलाल चौधरी)

जो फूड प्रोड्यूस करता है उसको इतना निश्चित दीजिये कि जिससे फूड प्रोडक्शन बढ़े। एक क्रोप पेटर्न रखिये, जिसके पास जितनी जमीन है उसको कम्पेल कीजिये कि वह १ पर्सेन्ट फूड प्रोडक्शन करे।

मैं समझता हूं कि ये जो सुझाव मैंने प्रस्तुत किये हैं उनको सरकार ध्यान में रख कर अमल में लायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य समस्या के ऊपर अभी चन्द दिन पहले ही खाद्य मंत्री ने दो जोन्स बनाने की घोषणा की थी और उस समय जब कि राज्य में बढ़ते हुए भावों की तरफ मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाया गया और विशेषकर इस समय भी गेहूं के बढ़े हुए भावों की ओर ध्यान दिलाया गया तो खाद्य मन्त्री ने अपनी दलील में यह कहा कि किसानों के पास जो अनाज है वह बाजार में लाटों को न निकालने के कारण आने से रुक गया। उनके दिमाग में अभी भी एक ऐसी स्थिति थी कि अनाज का होल्डिंग बेंक एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण आज गेहूं की कीमतें कम नहीं हो पा रही है कि लाटों की मौसम की अनसर्टेन्टी की वजह से किसान जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश कर रहा है और अपना सारा श्रम उस ओर जुटा रहा है।

अनाज के बढ़ते हुए भावों के विषय में जितनी दलीलें राज्य सरकार की ओर से दी जाती है और जनसंघ के माननीय सदस्यों के अनुसार और उनकी दलीलों का मैंने निरीक्षण किया तो उसमें एक ही आधार झलक कर सामने आता है कि हमारा प्रोडक्शन कम या ज्यादा होने की वजह से अनाज की स्थिति कम या ज्यादा होती है। दूसरी ओर उधर से एक माननीय सदस्य के भाषण से प्रसन्नता हुई कि उन्होंने इसके मूलभूत कारणों की ओर प्रकाश डाला और जब तक उन कारणों को आप दूर नहीं करेंगे भावों को आप कन्ट्रोल नहीं कर सकेंगे। पार्लियामेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्टरी की डिमान्ड के सिलसिले की बहस के सम्बन्ध में भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों की स्थिति सामने आयी और पूरे आंकड़ों के रूप में यह बात सामने आयी। देश में सात प्रान्त ऐसे हैं जिनमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सेटिस्फेक्टरी रूप में पाते हैं और तीन-चार प्रान्त एसे हैं जिनमें होपलेस स्थिति है, बिल्कुल निराशाजनक स्थिति है और चार-पांच प्रांत ऐसे हैं जिनमें मोडरेट स्थिति है। राज्य के उन सात प्रान्तों में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की स्थिति ५.६२ से ३.४२ पर्सेन्ट तक रही और वे सात प्रान्त हैं पंजाब, मद्रास, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र और बिहार। राज्य के तीन प्रान्त वे हैं जिनमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होपलेस है; आसाम, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इसमें वेस्ट बंगाल की पोजीशन तो बिल्कुल ही होपलेस है जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ०.८ पर्सेन्ट ही बढ़ पाया है। लेकिन चार प्रान्त केरल, गुजरात, आन्ध्र और राजस्थान इनमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की स्थिति ५१।५२ से लेकर आज तक मोडरेट रही है लेकिन आल इन्डिया से नीची है। यह पार्लियामेंट ने आंकड़ों

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

के रूप में इसको स्वीकार किया है। सारी स्थिति भी दृष्टिकोचर हुई है। एरिया ऑफ प्रोडक्शन और ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन में बहुत बड़ा अन्तर देखा गया है। पंजाब प्रान्त की ही एक विशिष्ट मिसाल है जिसमें एरिया ऑफ प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एक बेलेन्स्ड है, बराबर है लेकिन इस देश में महाराष्ट्र ही ऐसा प्रान्त है कि जहां पर फोर टाइम्स ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एरिया ऑफ प्रोडक्शन के मुकाबले में ज्यादा है। लेकिन राजस्थान ही ऐसा एक प्रान्त है जिसकी विशेष स्थिति उभर कर आती है कि जब सिंचाई योजनाओं की बातों की बड़े गौरव से घोषणा करते हैं कि जिस राजस्थान में ६ लाख एकड़ भूमि सिंचित भूमि वहां तीसरी योजना के काल में १.६५ मिलियन एकड़ सिंचित भूमि क्रीयेट हो चुकी होगी। इस क्रीयशेन को लक्ष्य में रखते हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के इंडेक्स को देखते हैं तो बड़ी निराशा होती है और कारण समझ में नहीं आता। ५२ से ५५ और ६१, ६२ और ६५ तक आंकड़ों को देखें १०० को बेस मान कर तो पता चलता है कि सीरियल्स ६१-६२ में १३१.७३ था जो अब २२.७ रह गया है।

अब एक प्रश्न है। ६१-६२ और ६२-६३ के आंकड़ों को प्रस्तुत कर रहा हूं। दलील के तौर पर सरकार की ओर से बार बार यह कहा जाता है कि ६१ तक हमारा प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता गया लेकिन उसके बाद बताया कि ६३-६४ और ६४-६५ में हमारे प्रोडक्शन के आंकड़े कम हो गये।

मैं इन दोनों वर्षों के आंकड़े न रखते हुए राजस्थान सरकार जिनको अच्छा वर्ष मान कर चलती है उसके इन्डेक्स के आंकड़े मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं :

रबी सीरियल्स १३४ से घटकर ११३ रह गया।

खरीफ सीरियल्स (पल्सेज) १८६ से घटकर १०३ रह गया।

टोटल फूड ग्रेन्स १४३ से घटकर १३० रह गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इरिगेशन का पोटेन्शियल १६५० के बाद में बढ़ा है उस हिसाब से एग्रीकल्चर इन्डेक्स नम्बर के आंकड़े काफी निराशा उत्पन्न करते हैं। सारे राज्यों के मुकाबले विशिष्ट स्थिति पैदा करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने विभिन्न समय में विभिन्न फूड ग्रेन लाइसेन्सिंग ऑर्डर जारी किये। कोर्स ग्रेन के मिनिमम रेट्स फिक्स करने के साथ साथ गेहूं का मेग्ज़ीमम रेट के ऑर्डर भी समय पर निकाले गये। आज जो विशिष्ट स्थिति सारे देश के अन्दर रही है भारत सरकार और और राज्यों के अनाज के सम्बन्ध में मौलिकता निभायी है डिफरेन्सेज रहे हैं। राज्य सरकार के सामने एक स्थिति पैदा हुई कि कोर्स ग्रेन की कीमत कम होती हुई चली गई उस समय प्रान्त में सुखद स्थिति उत्पन्न होने के आसार दिखने लगे थे लेकिन बाद में इस सम्बन्ध में सरकार को रिज़र्वेशन करना पड़ा, २५ पर्सेन्ट लेकर २५ पर्सेन्ट की निर्यात की छूट देनी पड़ी।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उपाध्यक्ष महोदय, अगर दलील के तौर पर आज हम केवल प्रोडक्शन के आधार पर ही अनाज की कीमतों को निर्धारित कर इन्सान की भूख की ज्वाला को जीतना चाहें, उस आधार पर समस्या का हल करना चाहें तो निश्चित जान लीजियेगा कि यह समस्या हल होने वाली नहीं है। आज सारे भारत वर्ष में एफ० आई० सी.सी. आई. ने घोषणा की है कि ६० प्रतिशत देश का प्रोडक्शन प्राइवेट एन्टरप्राइज़ के कारण हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के सामने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सवाल रखा गया तो भारत सरकार ने बैंकों की राष्ट्रीयकरण की नीति को ठुकरा दिया। राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में बंगाल जैसे प्रान्त में सिद्धान्त रूप से इसको माना है, अन्य प्रान्तों में भी विभिन्न प्रगतिशील दलों ने और राजस्थान प्रोविन्शियल कांग्रेस कमेटी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग की है। इसमें २२ सौ करोड़ के डिपोज़िट्स केवल आठ व्यक्तियों के कब्जे में हैं जिनकी व्यक्तिगत पूंजी केवल ३६ करोड़ रुपया है। ये बैंक्स मौके पर स्टॉकिस्ट्स को अनाज के लिये एडवांसेज देते हैं। स्टॉक्स को इकट्ठा करने के लिये एडवान्सेज देते हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा रेगुलेशन किये जाने पर उसके निश्चित परिणाम सामने आये। जैसे जैसे रेगुलेशन्स का आंकड़ा बढ़ाया गया इसकी स्थिति बढ़ाई गई, उसी प्रकार कीमतों के अन्दर निश्चित रूप से वेरिएशन्स पैदा हुई हैं। जब सवाई माधोपुर में बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की शाखा ने लोन्स-एडवान्सेज बन्द कर दिये त्योंही बाजार में कीमतें नीचे आनी शुरू हो गईं। आज एक ओर तो पाटिल साहब का कहना है कि देश के व्यापारियों द्वारा जो शोषण जनता का हो रहा है। यदि सरकार की इसी प्रकार की नीति रही तो ब्लेक मनी द्वारा जो इस प्रकार से शोषण हो रहा है उसमें कमी नहीं आने वाली है। टी० टी० कृष्णामाचारी ने इस बार ब्लेक मनी वालों को यह सहूलियत दी है कि वे आधा मनी डिपोज़िट करवा दें तो बाकी का उनके नाम हो जायगा। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट में जो फीगर उन्होंने दिये हैं उससे यह मालूम पड़ता है कि केवल तीन-चार लाख तक की आमदनी वाले ही सामने आये हैं, लेकिन जिनकी आमदनी इससे ऊपर है उन्होंने इस घोषणा का फायदा नहीं उठाया। चाहे वह नवलगढ़ में हो, चाहे बीकानेर में हो, चाहे बम्बई के अन्दर हो; ब्लेक मनी के कलेक्शन के सिलसिले में छोटे उद्योगपतियों के ऊपर तो असर हुआ है लेकिन जिनके पास ३० करोड़ से बढ़ कर ३०० करोड़ रुपये के असेट्स हो गये, ४० करोड़ से बढ़कर जिनके पास ५०० करोड़ के असेट्स हो गये उनकी तिजोरियों को छुआ तक नहीं गया है। राजस्थान के अन्दर भी डेफिसिट फाइनेन्सिंग चलता रहा है। स्टॉकिस्ट २२ सौ करोड़ रुपये में से रुपया लेकर अपने यहां स्टॉक जमा करता है उस पर रिजर्व बैंक की अलार्मिंग रिपोर्ट आती है कि १०० रुपये के नोट जो १० पर्सेन्ट छपते थे अब वह १९५७ में ६५ पर्सेन्ट छप रहे हैं। इस प्रकार सारी अर्थ-शक्ति को व्यापारियों के हाथ में देने से फिर पछताते हैं; तो इससे कुछ होना जाना नहीं है। आज इन्सान की जिन्दगी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

के साथ कुछ व्यापारी माल इकट्ठा करके लूट मचाते हैं इन्सान का शोषण होता रहेगा और दूसरे देश से भीख मांग-मांग कर अपने देश के लोगों की भूख आप मिटा नहीं सकते। भीख से मिलने वाले अनाज को लाकर देश के लोगों को भूख से नहीं बचा सकते। अगर आपको देश के लोगों को जीवित रखना है कि अपनी आर्थिक नीति में फेर-बदल कीजिये, उसके साथ साथ जनता की भूख के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों से सख्ती से पेश आयेंगे तभी यह जनता की भूख मिट सकेगी।

अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कई राज्यों ने मार्केटिंग सोसाइटीज़ को बड़े बड़े लोन्स एडवान्स किये। ३३ करोड़ रुपया केवल महाराष्ट्र ने अपने यहां की मोर्केटिंग सोसाइटी को दिया।

श्री मोतीलाल चोधरी : मैंने कहा था कि ३३ करोड़ तक दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर राज्य सरकार भी इसी तरह से बाजार के अन्दर नहीं आयगी तक तक किसी भी प्रकार से राज्य में अनाज के भावों को कम नहीं कर पायगी। छोटे-मोटे कानूनों से कोई असर होने वाला नहीं। आज स्थिति यह है कि सारे राजस्थान में कहीं भी ७० और ८० रुपये क्विन्टल से कम गेहूं प्राप्त नहीं हैं। कई स्थानों पर तो गेहूं के भाव ६० रुपया क्विन्टल तक चले गये हैं। आपने दो जोन्स बनाकर प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव अनाज को सारे राजस्थान में पहुंचाने का प्रयत्न किया है। ग्रेडियेट्स कायम करके इस बात की कल्पना करते हुए कि इससे हमें इतना व्हीट मिल जायगा, मैं समझता हूं केवल इस आधार पर लोगों में पोटेन्शियलिटी आने वाली नहीं जब तक राज्य सरकार खुले रूप में मोर्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और दूसरी सोसाइटीज़ को लोन देकर या बाजार में उतर कर खुले रूप में नहीं खरीदती, बफर स्टाक नहीं; बनाती ब्लेकमनी जिनके पास है उनको कब्जे में नहीं करती तब तक इस बात की कल्पना करना वृथा होगी।

राजस्थान के अन्दर अनाज के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के आर्डर्स पास हुए हैं। गेहूं की कीमतें तय कर दी गई। कहीं पर भी राजस्थान के अन्दर इन ऑर्डर्स का सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इसकी मैं कोन्क्रीट मिसालें रखना चाहूंगा। कुछ वाउचर्स मैं साथ लाया हूं। जगदीश स्टोर जोधपुर के वाउचर्स हैं, जिन्होंने ३१ रु० २० पैसे ४० किलोग्राम के लेकर अपना अनाज बेचा है कलेक्टर को; इस बारे में शिकायत की गई, उनके सामने ये वाउचर्स पेश किये गये। वह वाकायदा वाउचर काटकर देता है ३१.२० पैसे के ४० किलोग्राम गेहूं उसने बेचे हैं। कलेक्टर साहब ने उसके लिये डी० एस० ओ० को लिखा, उनके सामने वाउचर्स पेश कर दिये गये ७-१२-६४ के वाउचर्स हैं, जिनको आज दिन तक जगदीश स्टोर्स पर किसी प्रकार की आंच नहीं आयी। मुझे इस बारे में एक किस्सा याद आता है। तहसीलदार रिश्वत खाया करता था। एक दिन उससे किसी रिश्वत देने वाले ने कहा आप

Page No.95

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रिश्वत खाते हो तो उसने कहा इसमें क्या बुरा है रसीद ले सकते हो। इसी प्रकार का मामला जगदीश स्टोर्स से जुड़ा हुआ है। वह बाकायदा जिस भाव में बेचता है उसकी रसीद देता है। उसके खिलाफ राज्य सरकार के अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया अब तक।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चने की स्थिति के बारे में भी कहना चाहूंगा। इससे पहले मैं राजस्थान के एक्सपोर्टेड व्हीट के बारे में कह दूं। ऐसी कल्पना मैं करके नहीं चल सकता कि यह एक्सपोर्टेड व्हीट इस देश की जनता को जीवित रख सकेगी।

पर भारत सरकार की नीति इस बारे में निहायत ही निराशाजनक रही है कि सौगात में, भीख में मिला हुआ अनाज जो १५) मन के हिसाब से प्रति व्यक्ति को मिल जाता था उस पर भी इस सरकार ने नफाखोरी की अपनी आदत नहीं छोड़ी। ११ नये पैसे प्रति किलो इसकी रेट भी और बढ़ा दी और इस तरह से इसको २१ रुपया क्विन्टल कर दिया।

आज राज्य में यह स्थिति है कि जहाज की हड़ताल के नाम पर कहते हैं कि पचास हजार टन की सप्लाई थी, पोटेन्शियली ८० हजार टन थी, वहां अब सारे राज्य में दस हजार टन से ज्यादा अनाज नहीं दे सकते। और वह भी शहरों को दे सकेंगे। गांवों को तो इसमें से सर्वथा निकाल ही दिया है। गरीबों को यह सरकार भूल गई। जिन गांव वालों की यह दुहाई देते नहीं थकती उन गांव वालों को भूल गई, गांवों के एग्रीकल्चरल लेबर को भूल गई और इस बात की कल्पना करके चलने लगी कि शहरों में ही जरूरत है।

गांव में जहां ८०-९० प्रतिशत किसान इस प्रकार के हों जो कुछ ही महीने अपना अनाज चला पाते हैं, बाकी के महीनों तक गुजारा करने के लिये खुद को खरीद कर काम चलाना पड़ता है, जहां एग्रीकल्चरल लेबर मौजूद हो बहुत बड़ी तादाद में वहां हमारे कलेक्टर पर यह बात छोड़ दी कि वह इन एरिया में दे या नहीं दे और आज सारे राजस्थान में गांवों में अनाज मिलना बन्द हो गया है। कहीं कहीं बड़ी भूख की स्थिति पैदा हो गई है। जब कि आज सारे राजस्थान में कोर्स अन्न; बाजरा, मक्का, ज्वार सभी एक ही रेट पर मिल रहा है और वह भी ६५) क्विन्टल से कम नहीं है। ऐसी स्थिति में यह कोर्स अन्न गढ़े में चला गया। वह भी उपलब्ध होना बन्द हो गया है।

चीनी के सम्बन्ध में अर्ज करना चाहूंगा। गांवों में तो चीनी देना बन्द ही है पर राज्य सरकार की नीति ऐसी चल रही है और राज्य कर्मचारियों की नीति ऐसी चल रही है जिससे बेरी साहब की लड़की की शादी जोधपुर में हो तो उसके लिये तो दो बोरी मिल जावे, पर किसी गरीब की शादी में १५ किलो मिलेगी! वह भी लड़की की शादी में। लड़के की शादी में चीनी नहीं मिलने वाली है। पर जस्टिस बेरी दो बोरी के अधिकारी हो जाते हैं और आम लोगों को कोई नहीं मिल रही है। गांवों में तो चीनी ख्वाब हो गई। इस सम्बन्ध में एक चीज और उपस्थित करना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और थोड़ा समय लूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

राज्य सरकार की नीति के कारण राजस्थान में चलने वाली शुगर मिल बन्द हो चुकी है। गंगानगर सुगर मिल को बार बार केन प्रोड्यूसरों ने कहा कि आप हम से शुगरकेन लेना चाहते हो पर चीनी नहीं देना चाहते। उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस सीज़न में यह मिल केवल ६२ दिन चली जो पहले १३४ दिन चला करती थी। सारे गंगानगर जिले के प्रोड्यूसरों ने जनरल मैनेजर को कहा कि हमें आप चीनी दो तो हम शुगर केन दे सकते हैं। कलेक्टर को उसने लिखा, और राज्य सरकार को भी लिखा कि अगर यह मिल चलानी है तो केन प्रोड्यूसरों को चीनी की एक उचित मात्रा देनी होगी। इसके उत्तर में एक मजाक सा जवाब दिया गया सरकार की ओर से कि १०० क्विन्टल गन्ना दे दो तो एक किलो चीनी ले लीजिये। इसका निश्चित नतीजा यह हुआ कि लोगों ने इस बार स्वयं गन्ने को क्रश किया, गुड़ बनाया, रफ शुगर बनाई और शुगर मिल को गन्ना नहीं दिया और इसका फल यह हुआ कि ६२ दिन यह मिल चल सकी और दस लाख का घाटा शुगर मिल को इस कारण से हुआ और यह घाटा एक जिद्द की नीति के कारण से हुआ। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि दस लाख से भी अधिक का यह घाटा होने जा रहा है। अभी आपका इसका अनुदान दस लाख का है, पर बाद में यह अधिक का होगा।

इसी प्रकार उदयपुर में हुआ।

(समय-समाप्ति-सूचक)

इतना कहकर मैं राजस्थान सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस सम्बन्ध में वे अपनी नीति को ठीक करें।

(शोरगुल)

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुराणा !

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मेरे बाद में बोलियेगा आप।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा !

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उधर से बोल लिये, अब इधर से नम्बर आना चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर ....

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम आ जावेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो मैं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, श्री सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य बेताब हो गये हैं। राज्य की खाद्य नीति से

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

वे बिलकुल सन्तुष्ट नहीं हैं। करीब करीब यही स्थिति मेरी और मेरी पार्टी की है।

राज्य की खाद्य स्थिति पर जो चर्चा हुई है उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करने से पहले यह अर्ज करना चाहूंगा कि राजस्थान की खाद्य के मामले में कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो कि कानून के मार्फत सरकार को मिला हुआ नहीं हो। सब तरह का अधिकार सरकार को है।

आज किसी काश्तकार के पास में २५ क्विन्टल से ज्यादा अनाज है तो राज्य को अधिकार है कि वे होर्डर और कन्ट्रोल के कानून के तहत ज्यादा अनाज को अपने कब्जे में ले और यदि किसी काश्तकार ने बिना डिक्लेरेशन के नहीं अनाज रख छोड़ा है तो उसे प्रोसीक्यूट कर दे। चालान कर दे उसका। आज राज्य को यह अधिकार है कि कोई डीलर २५ क्विन्टल से ज्यादा अनाज बिना डिक्लेरेशन के नहीं रख सकता और अगर रखता है तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही करे। और राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों के होते हुए भी उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि आज राजस्थान की मण्डियों में अनाज उपलब्ध नहीं हो रहा है। राज्य के चारों हिस्सों में अन्नाभाव से हाहाकार है। गेहूं नहीं मिल रहा है।

यह खुशी की बात है कि तीन चार दिन पहले स्वीकार किया खाद्य मन्त्रीजी ने कि वास्तव में जो अनाज मण्डियों में आ रहा है उसमें रुकावट हो गई है और गेहूं के मौसम की वजह से यह रुकावट हो गई है क्योंकि काश्तकार लाटे निकालने में गेहूं की फसल को अपने घर में डालने में लग गया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्षजी, कि आज राजस्थान के खलिहानों से अनाज मण्डियों में आने में सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई है तो यह मौसम नहीं है, राज्य की नीति ही प्रमुख रुकावट है। राज्य के कानून की रुकावट है और कानून का इतना बड़ा जाल आज इस खाद्य के मसले में है कि मेरा यह दावा है उपाध्यक्ष महोदय कि निश्चयपूर्वक खाद्य मन्त्रीजी भी कोई सवाल सीधा सा उनको पूछ लिया जावे कि कानून क्या क्या है तो उस मसले में उनकी स्थिति भी यह नहीं होगी कि उसका स्पष्ट उत्तर दे दें।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मन्त्री) : आप अपने तक ही उत्तर सीमित रखें। मैं तो रोज देता हूं उत्तर। और आज तक तो आपको कोई मौका नहीं दिया होगा कि जानकारी नहीं है मुझे।

(३.२८ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभा-नेत्री, पदासनी)

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं अपने भाषण को आपकी सरकार की नीतियों तक ही सीमित रखूंगा और आपको मेरी स्टेटमेंट से ऐतराज हो कहीं तो आप अपने उत्तर देने के समय में कन्ट्राडिक्ट कर दीजियेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपको बात को सुनूंगा । पर अगर मेरे नाम से गलत बात आप कहेंगे तो उसका स्पष्टीकरण करूंगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं कानून की कॉम्पलीकेसी के बारे में कहना चाहता हूं । वह कॉम्पलीकेसी आपके लिये भी है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी मान्यता है, मेरी मान्यता नहीं है यह ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपकी मान्यता नहीं है तो बाद में आप कन्ट्राडिक्ट कर दीजियेगा ।

माननीय मन्त्रीजी तो अपनी कहते हैं, मैं तो यहां तक दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके विभाग का सेक्रेटरी तक यह दावा नहीं कर सकता कि कौन से मुद्दे पर क्या कानून है इसकी उसको पूरी पूरी जानकारी है ।

सभानेत्रीजी, इस सरकार के रोज कानून बदलते हैं । रोज उनमें अमेंडमेंट होते रहते हैं और ऐसे कि जिनमें नीति नाम की कोई चीज नहीं होती है । मैं उदाहरण दूंगा कि १५-१५ दिन में रोज नीतियां बदलती हैं । नये नये अमेंडमेंट और नये नये ऑर्डर रोज जारी किये जाते हैं और अभी जिस सरकार की घोषणा के बाद विज्ञप्ति आपने जारी की है कि दो तरह के अनाज की किस्म कायम की गई है । एक वह जो सरप्लस एरिया में होती है और एक वह जो डेफीसिट एरिया में और इन दोनों एरियाओं के लिये जो भाव मुकर्रर किये हैं तो जहां तक दो तरह के भावों को मुकर्रर करने का प्रश्न है मैं इसका स्वागत करता हूं ।

राजस्थान में उत्पादन और खपत करने वाले इलाकों की दो प्रकार की मण्डियों में भाव एक नहीं हो सकते । पहले एक भाव तय करने में आपकी अव्यवहारिकता थी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साल भर तक सरकार ने उस अव्यवहारिकता को बनाये रखा । अपनी जिद् पकड़े रखी वह कोई दूरदर्शिता की बात नहीं थी । आप देर से भी सही रास्ते पर आये इसकी भी खुशी है ।

पर सभानेत्रीजी, मैं माननीय खाद्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो नोटिफिकेशन जारी किया है आपने उसमें उदयपुर, भीलवाड़ा ये इस नोटिफिकेशन के अनुसार किसमें आते हैं ? ये सरप्लस एरिया में हैं या डेफीसिट में हैं ? माननीय खाद्य मन्त्रीजी अपने नोटिफिकेशन को देखें और जो आठ अप्रेल, १९६५ को छपा है उसमें देखेंगे वे कि उदयपुर और भीलवाड़ा के ऊपर तो सूची दी गई है वह सरप्लस बताई गई है । नीचे सूची आ गई है उसको डेफीसिट एरिया बताया है । पर इन दो जिलों के आगे कोई निशान नहीं हैं । तो इनको ऊपर की सूची में पढ़ा जाय या नीचे कीसूची में ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : नीचे की में ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अब यह इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न है । माननीय खाद्य मंत्री जी अभी कह देंगे कि हमने सरप्लस एरियाज में उदयपुर और भीलवाड़ा को

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

लिया है लेकिन इसमें कोई लाइन नहीं है, कोई डिमार्केशन नहीं है और मजिस्ट्रेट कुछ इन्टरप्रेट कर सकता है और हाई कोर्ट कुछ और इन्टरप्रेट कर सकता है और खाद्य मंत्रीजी आपके दिये हुए बयान का कानूनन् कोई फोर्स नहीं है। सभानेत्री महोदया, मैं इसका रेफरेन्स नहीं देता लेकिन मुझे रेफरेन्स देने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा है कि इस सरकार ने आज के पहले जो २१ अप्रेल, ६४ में एक नोटिफिकेशन जारी किया उसमें भी ७ जिले ऐसे थे कि जो जिले न तो डेफीसिट एरिया में थे और न सरप्लस एरिया में थे उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ आदि ये ऐसे जिले थे जो कि न तो सरप्लस एरिया में आते थे और न डेफिसिट एरिया में आते थे। मैं सभानेत्री महोदया, यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक सुनियोजित ढंग से उदयपुर और भीलवाड़ा को लेकर ऐसी स्थिति हमारी सरकार रखना चाहती है....

श्री नाथूराम मिर्धा : वह पहली ही केटेगरी में हैं उदयपुर और भीलवाड़ा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई इसमें लाइन नहीं है न तो आड़ी लाइन है और न कोई डिमार्केशन की लाइन है। यह आपका इन्टरप्रिटेशन है और मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि लाइन नहीं है इसलिए वह डेफिसिट एरिया मे भी है और सरप्लस एरिया में भी है....

श्री नाथूराम मिर्धा : वह कलेक्टर्स को साफ कर दिया गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : किस नोटिफिकेशन के द्वारा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कलेक्टर्स को सूचना के जरिये और गजट में कहा उसके जरिये जो कन्फ्यूजन हो सकता है उसको देखते हुए कलेक्टर्स को साफ कर दिया गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या गजट में नोटीफाई किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कलेक्टर्स को इत्तला कर दी गई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव डाइरेक्शन्स हैं वे कानून का स्थान नहीं ले सकते। उदयपुर और भीलवाड़ा के कलेक्टर्स को सूचना दे दी गई होगी लेकिन राज्य की मजिस्ट्रेटी के सामने यह बात साफ नहीं है। २ जिलों की आपने ऐसी असमंजस स्थिति रखी और २१ अप्रेल, ६४ के नोटिफिकेशन के द्वारा ७ जिलों की ऐसी स्थिति है कि जहां डेफिसिट एरिया के कानून भी लागू हो जायें और सरप्लस एरिया के कानून भी लागू हो जायें और यह स्थिति इसलिए पैदा की गई क्योंकि पहले यह प्रावधान था कि डेफिसिट एरियाज़ सरप्लस एरिया से माल मंगा सकेंगे और उन पर कानूनन् कोई रोक नहीं होगी और भीलवाड़ा और उदयपुर क्योंकि सरप्लस एरियाज़ हैं और क्योंकि कानून में साफ नहीं था इसलिए वहां के व्यापारी डेफिसिट एरिया की हैसियत का लाभ उठा सकते थे और सरप्लस एरिया का भी फायदा उठा सकते थे और

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

वे अपना माल एक से दूसरी जगह भेज सकते थे और नहीं भी भेज सकते तो रुकावट लग सकती थी। आप २१ अप्रेल, ६४ का आपका नोटीफिकेशन फिर पढ़ लीजिए। यह कानूनी स्थिति जिस प्रकार से हमारे खाद्य मंत्रीजी इन्नोसेन्टली बताते हैं वैसी बात नहीं है। जो ७ जिले रखे गये उनमें ५ जिले उदयपुर डिवीजन के थे। हमारी सरकार इस तरह की बातें करने की आदी रही है लेकिन मैं जिस नीति की तरफ कहना चाहता हूं और हमारे खाद्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस नोटीफिकेशन के जरिये एक रुपया भाव में ज्यादा बढ़ा दिया। जहां पहले भाव ६४) रु० क्विन्टल था उसको आपने ६४ से ६५ रु० क्विन्टल का भाव कर दिया। क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि एक रुपया भाव में बढ़ाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आपके जयपुर के कलेक्टर ६०० बोरियां ६४।। रु० क्विन्टल के हिसाब से बेच चुके हैं। जिन व्यापारियों को उन्होंने माल दिया है उन्होंने उनको यह डाइरेक्शन्स दी हैं कि आप ६५ रु० क्विन्टल के भाव से बेच दो और क्योंकि आपके फूडग्रेन्स कन्ट्रोल ऑर्डर के खिलाफ काम किया है सरकार ने उसको ढकने के लिए उसको खत्म करने के लिए और उसको कानूनी जामा पहनाने के लिए अपने भाव ६५ रु० क्विन्टल के कर दिये।

मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार के सामने ऐसे केसेज आये हैं जैसे घनश्यामदास ताम्बी का केस आया, उसने गेहूं ६५ रु० २८ पैसे के भाव से बेचा और दूसरी तरफ मामूली दो सिन्धी व्यापारी जिन्होंने ६५ रु० २८ पैसे में बेच दिया तो वे डी० आई० आर० में आ सकते हैं लेकिन घनश्यामदास ताम्बी कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकते। जुर्म एक सा करेंगे लेकिन हमारी सरकार दो व्यक्तियों को एक सा जुर्म करने पर दो तरह का व्यवहार करेगी। ६५ रु० क्विन्टल और ६५ रु० २८ पैसे और ६४।। रु० क्विन्टल में जिस व्यापारी ने माल बेचा है उनको हथकड़ी लगाई जाये और उनको बन्द किया जाये। हमारे राज्य का ऑर्डर है कि गेहूं ६४ रु० क्विन्टल से ऊपर नहीं बेचा जाये। आप कहेंगे कि इस पर सेल्स टैक्स और आयेगा। तो मैं खाद्य मंत्रीजी आपको कह देना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स फर्स्ट पोइन्ट पर है लास्ट पोइन्ट पर कभी नहीं लगाया जा सकता और जिन कलेक्टर्स ने इस तरह की धींगाधींगी की है मैं मांग करना चाहता हूं कि उनके खिलाफ भी डी० आई० आर० की कार्यवाही की जानी चाहिए। किसी को अधिकार नहीं है कि वह राज्य के कानूनों को तोड़े। खाद्य मंत्री जी आप भी राज्य के बनाये हुए कानूनों को नहीं तोड़ सकते, कलेक्टर्स कानूनों को नहीं तोड़ सकते, राज्य का कोई भी अधिकारी नहीं तोड़ सकता। सरकार मुनाफाखोरी को रोकना चाहती है, उसके लिए इतना बड़ा कानून हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं खाद्य मंत्री जी कि आपकी सरकार ने जो चना ५२ रु० के भाव से लिया और चने की दाल ५८ रु० के भाव से ली व्यापारियों से आपने उस चने की दाल और चने का क्या किया? आपने उसको राज्य की जनता में नहीं बेचा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Page No.101

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

आपने वहां राज्य की जनता को उस चने को और चने की दाल को सस्ते भाव में नहीं बेचा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभानेत्री महोदया, मेरी पार्टी का केवल मैं ही एक सदस्य बोलने वाला हूं इसलिए मुझे पूरा समय दिया जाना चाहिए...

श्रीमती सभानेत्री : आपको १५ मिनट का समय दिया गया था, आप उसमें ही अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभानेत्री महोदया, हमारी पार्टी से और कोई बोलने वाला नहीं है, इसको भी आप मद्देनजर रखें।

श्रीमती सभानेत्री : लेकिन दूसरी पार्टी वाले भी बोलेंगे, इसलिए जल्दी समाप्त कर दें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभानेत्री महोदया, आपको जिस समय लगे कि मैं इरिलेवेन्ट बात कह रहा हूं उसी समय आप मुझे कह दें और मैं बैठ जाऊंगा।

श्रीमती सभानेत्री : इरिलेवेन्ट की बात नहीं है। समय को देखते हुए आप जल्दी समाप्त कर दें क्योंकि दो-तीन माननीय सदस्यों को और समय देना है। आपको १५ मिनट का समय दिया गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभानेत्री महोदया, १५ मिनट का समय मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूं। जनसंघ की पार्टी ने एक घंटा ले लिया जिसके कि १४ सदस्य हैं और हमारी पार्टी के ११ सदस्य हैं और हमको १५ मिनट दिये हैं तो मैं यह १५ मिनट लेने के लिए तैयार नहीं हूं। साल में एक ही तो मौका आता है खाद्य समस्या पर बोलने का। इसलिए हम अपनी बात कहेंगे और बहुत संक्षेप में आपकी अनुमति से कहूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): हमारी पार्टी की स्ट्रेन्थ इनसे दस गुनी है इसलिए हमको १० गुना टाइम दिया जाये।

श्रीमती सभानेत्री : आप अपना भाषण जारी रखें लेकिन जल्दी ही समाप्त कर दें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभानेत्री महोदया, उस दाल और चने को हमारी सरकार ने महाराष्ट्र को बेच दिया। महाराष्ट्र को ६५ रु० भाव से चना बेचा और ७१ रु० के भाव से दाल बेची। जिस भाव से लिया और जिस भाव दिया उसमें १३ रु० एक क्विन्टल पर बचा। अब हमारे खाद्य मंत्री जी कहेंगे कि ५ रु० का तो हमारा खर्चा लग गया इसलिए ८ रु० ही कमाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ५२ रु० पर ८ रु० कमाने वाली सरकार जो कि १५ पर्सेन्ट का मुनाफा कमाना चाहती है तो सबसे बड़ी मुनाफाखोर कोई है तो यह कांग्रेस सरकार है। १ पर्सेन्ट के मुनाफे पर अनाज के व्यापारी व्यापार करते हैं और उसमें सन्तोष करते हैं कि हमने काफी कमा लिया और सरकार १५ पर्सेन्ट का मुनाफा

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कमाये एक ट्रान्जेक्शन पर मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी जनतांत्रिक देश की हुकूमत ने इस तरह का जघन्य कार्य नहीं किया है ...

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह मुनाफा आप किसको दिलाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में क्या भाव हैं और यहां क्या भाव हैं इसे भी तो देखो।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं कहता हूं कि एक रुपये के मुनाफे पर ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए था। लेकिन यह नहीं कि १०० रु० पर १५ रु० का मुनाफा लेते है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : लेकिन महाराष्ट्र में क्या भाव हैं, यह भी तो देखो।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा तो निवेदन यही है कि इस चने को और चने की दाल को राजस्थान की जनता को ५३ रु० में यदि खरीदा तो ५४ रु० या ५५ रु० के भाव से बेचते। यदि ५८ में खरीदा तो ५६ के भाव से यहां बेचना चाहिए था। क्योंकि उस समय ओपन मार्केट में ६० रु० का भाव था इसलिए सभानेत्री महोदया मैं, निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने आसाम सरकार को ६६ रु० में चना बेचा और ७८ रु० में चने की दाल बेची। इस तरह से सारे विभिन्न प्रान्तों से इतनी बड़ी मुनाफा खोरी की है। इसमें, सभानेत्रीजी, ऐसा किया है कि आसाम में तो ३० रुपये तक मुनाफे की कमाई की गई है। जिस समय यहां ५८ में चने की दाल ली है तो उसको ६६ में बेचा गया है। ३८ रुपये मन का मुनाफा एक एक आइटम पर सरकार ने कमाया है और सरकार कहती है कि हम मुनाफाखोर नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस चने को राज्य की जनता को एक रुपया क्विन्टल का भाव बढ़ाकर दिया जाना चाहिए था और यदि यह सारा चना जो प्रोक्योर किया गया है, वह राज्य की जनता को दे देते तो इसका असर दूसरे कोर्स ग्रेन्स के भावों पर पड़ता है वे कम हो जाते। अगर कोर्स ग्रेन्स के भाव कम हो जाते तो उसके साथ व्हीट की प्राइसेज पर, उस की कीमत पर सीधा असर पड़ता। 'हां' पक्ष के माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मेकेनिज्म को अन्डर स्टेंड करना बहुत आवश्यक है कि आज राजस्थान में जब ६५) रुपये गेहूं का भाव है तो चने का भाव ७५) रु० या ८०) रु०, ८५) रु० चने का भाव क्यों है ? इस बात को आप समझने का प्रयत्न करिये। ८०-८५) रु० चने का भाव इसलिए है क्योंकि बम्बई में चने का भाव १२०) रु० १३०) रु० है। इसलिए जब तक इन मंडियों में जहां चना नहीं है वहां पर यदि चना कुछ कम कीमत करके बेचते तो कम कीमत चने के भाव का असर मंडियों पर पड़ता, बम्बई की मंडियों पर पड़ता, मद्रास की, आसाम की मंडियों पर पड़ता उसका इम्पेक्ट यह होता कि चने का भाव सस्ता होता। तो, यदि चने का भाव सस्ता होता तो कोर्स ग्रेन्स का भाव भी सस्ता होता और जब कोर्स ग्रेन्स का भाव सस्ता होता तभी जाकर गेहूं की प्राइसेज कम होतीं। आपने गेहूं का ७५ रुपये का भाव मुकर्रर किया है लेकिन ओपन मार्केट में गेहू नहीं मिलता

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

है। कोटा में आप गेहूं ६१) रु० में दिलाना चाहते थे लेकिन वह ६५) रुपये और ६१) रु० नहीं आने वाला है। इस बात को मद्देनजर रख कर के जब तक राजस्थान में कोर्स ग्रेन्स का भाव गेहूं से कम नहीं करेंगे या गेहूं के भाव कोर्स ग्रेन्स के भावों से ओपन मार्केट के भावों से ज्यादा नहीं करेंगे तब तक गेहूं अपने आप राजकीय मंडियों में नहीं आयेगी। काश्तकार इतना बेवकूफ नहीं है कि ८०) रुपये में चना बेचे और ६१) रुपये में गेहूं बेचे। इसीलिए गेहूं आज नहीं आ रहा है मंडियों के अन्दर उसका मूल कारण यह है कि कोर्स ग्रेन्स के भाव ज्यादा हैं और कोर्स ग्रेन्स के भाव चूंकि कन्ट्रोल नहीं कर पाये हैं, नियन्त्रित नहीं कर पाये हैं, उसको कम करने के लिए सोचा नहीं है कि उसको प्रोक्योर करके आज कोर्स ग्रेन्स को मंडियों में सस्ते भाव से लाकर बेचें। यही कारण है कि कोर्स ग्रेन्स के भाव नहीं रुके हैं। मैं मांग करना चाहता हूं कि मेग्ज़ीमम प्राइस व्हीट की तय करने से काम नहीं चलेगा। इस तरह से गेहूं की मिनिमम और मेग्ज़ीमम प्राइसेज़ आपने तय की है उस तरीके से कोर्स ग्रेन्स की मिनिमम और मेग्ज़ीमम प्राइसेस क्या हों इस बात को भी तय करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज सरकार यह कहती है ६५) में गेहूं मिलना चाहिये तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के लिए यह लाजिमी है कि वह यह भी कहे कि बाजरा, चना, मक्का वगैरह राज्य की जनता को किस भाव से मिलेगी। जब तक सरकार यह निश्चित नहीं करेगी, सभानेत्री जी, तब तक मेरा निवेदन है कि सरकार किसी भी तरीके से भावों पर कन्ट्रोल नहीं कर पायेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जिस रोज राज्य की नीति बदलती है जिसका हवाला मैं ५ लाइन में कर देता हूं, सभानेत्रीजी, ६–१–६४ को ग्राम कोर्स ग्रेन का एक्सपोर्ट बन्द कर दिया कि चना नहीं जा सकता, कोर्स ग्रेन्स नहीं जा सकता। ७ मई, १९६४ को दुबारा हुकुम हो गया कि १।३ चना बाहर जा सकता है। ३३ पर्सेन्ट बारले बाहर जा सकता है और उसके बाद में कोर्स ग्रेन्स को बन्द कर दिया गया और १८ जून को क्या होता है कि १८ जून, ६४ में हुकुम होता है कि ग्राम और बारले बन्द कर देंगे। ग्राम और बारले का एक्सपोर्ट राजस्थान से नहीं हो सकता है। एक हुकुम कोटा के कलेक्टर ने निकाला सभानेत्रीजी, १८ जून, १९६४ को ग्राम और बारले बाहर नहीं जा सकता और १०९ व्यापारियों को १९ जून को जिन लोगों ने माल बाहर भेजा था उनको गिरफ्तार किया गया। सभानेत्रीजी, १०९ व्यक्तियों ने रिट पिटीशन की जिस रिट पिटीशन में यह फैसला हुआ। ३२ पेज में राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि यह जो रोक १८ जून, १९६४ को राज्य सरकार ने और कलेक्टर ने लगाई है कि ग्राम और बार्ले एक्सपोर्ट नहीं हो सकता वह हिन्दुस्तान के संविधान के खिलाफ थी और उनके साथ में आब्जर्वेशन दिये गये हैं कलेक्टर के खिलाफ

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कि कोटा कलेक्टर का ऑर्डर कानून की रिट के खिलाफ था। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन कलेक्टर ने इस तरह की कार्यवाही की आपकी सरकार ने उनके खिलाफ क्या किया ? आपकी सरकार उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती जो गैर कानूनी कार्यवाही करते हैं। आप चाहते हैं कि व्यापारियों को दबाया जाय चाहे, कानून के जरिये हो या किसी तरह से उनको डराया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप व्यापारियों की एडवोकेसी करते हैं जो इस प्रकार से जनता को दुखी करते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक तरफ गर्म हवा.......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : साथी ही हैं बिल्कुल।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभानेत्री जी, मुझे अफसोस है....

श्री गिरधारीलाल व्यास : इनको भी साथ में ले जाइये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : २१ लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट मेम्बर्स को केरल में छुड़ाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं और वे चाहते हैं कि १०९ ट्रेडर्स को कानून के खिलाफ पकड़ कर जेल में रखना चाहते हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति रहेगी तो इनको भी इस प्रकार से बगैर मुकदमा चलाये जेल में रहना पड़ेगा। वे लेफ्ट कम्युनिस्ट तो जेल में रहेंगे ही और वह दिन भी दूर नहीं है जब कि आपको और माननीय रामानन्दजी को जेल के सींखचों में बन्द किया जायेगा और आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इस जनतन्त्री स्ट्रक्चर में गैर कानूनी तौर से व्यापारियों को जेल में रखना चाहते हैं तो आपको भी तैयार हो जाना चाहिये डी० आई० आर० के अन्दर बिना सुनवाई हुए, बिना मुकदमा चलाये जेल में जाने के लिए....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): पोइन्ट ऑफ ऑर्डर...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या तर्क बिठाया है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभानेत्रीजी, मैं सुबह से देख रहा हूं कि मेम्बर्स आपस में इन्टीमिडेशन कर रहे हैं। तो यह आपस में इन्टीमिडेशन करने का तरीका इस सदन की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। इस तरह का इन्टीमिडेशन व्यक्तिगत रूप से जो सम्माननीय सदस्य ने कोई सदस्य के लिए किया है कि जेल में बिठा दिये जाओगे या तुम जेल में जाओगे, यह मैं समझता हूं कि हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। इसलिए कम से कम इस बात को रोका जाय। सुबह से मैं यह देख रहा हूं। बारबार यह स्थिति हो जाती है जिसको कि रोका जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि सम्माननीय सदस्य इसके महत्व को समझ सकेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ओन ए पोइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन, मेरी मन्शा यह

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

नहीं कि माननीय हांडाजी को रखा जायगा या रामानन्दजी को रखा जायेगा। मैं तो जनरल वे में कह रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राज्य के १०६ व्यापारी ब्लैक करें और वहां पर जो मजिस्ट्रेट अवस्थी हैं उसके पास २ बजे रात के जायं और उनको भ्रष्ट करने की कोशिश करें और व्यापारियों की मदद करने के लिए वे द्वार दें और २४ घन्टे में मजिस्ट्रेट अवस्थी का ट्रान्सफर हो जाय और राज्य के अन्दर १०६ व्यापारियों की एडवोकेसी एस. एस. पी. के सदस्य श्री मानिकचन्द सुराणा करें, यह देख कर मुझे ताज्जुब हुआ। वे लोग जो जनसंघ के सदस्य थे...

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : (श्री हांडा के साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो व्यापारी थे केवल इसलिए और राजकुमार ने उनके खिलाफ एक मजबूत कदम लिया और उस शख्स ने इस्तीफा दिया यह उसका मोरल है। मुझे ताज्जुब हुआ कि आप इस तरह से विचार करते हैं। हमें अन्दर रख लेंगे तो क्या हो जायेगा। एक ऑफिसर ने कदम उठाया है, एक ऑफिसर ने ब्लैक मार्केटियर्स के खिलाफ कदम उठाया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा तो कानूनी एतराज है। मैं तो केरल के लेफ्ट कम्युनिस्टों को अन्दर रखा जाय तो सिफारिश करूंगा कि उनको बाहर लाया जाय। कानून के खिलाफ किसी व्यापारी को अन्दर रखा जाता है मैं उसको भी प्लीड करूंगा, मुझे उसको प्लीड करने में शर्म नहीं आती। शर्म उनको आयेगी जो चन्दा लेते हैं और जो कानून और संविधान की रक्षा नहीं करना चाहते हैं। मुझे शर्म नहीं। मैं उसको प्लीड करूंगा। यह अधिकार है मेरा। कानून की रक्षा की जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप गलतफहमी पैदा कर रहे हैं....

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरे कहने का यह मतलब है कि जो एक्शन लिया गया है वह गलत है। अनलिमिटेड पीरियड के लिए डी. आई. आर. में रखने के मैं विरुद्ध हूं।

एक माननीय सदस्य : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर....

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि अब तक केवल एक मामला सस्पेन्ड हुआ है, बाकी में रिट फाइल हुई है....

श्री मानिकचन्द सुराणा : बृजसुन्दर जी ने कहा, मैंने सिर्फ १०६ का रेफरेन्स यहां दिया है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सुराणा भूल गये कि सारे राजस्थान में कोटा ही ऐसी मंडी रही जहां ६५) रु० क्विन्टल के भाव से अनाज मिलता रहा, बाकी ६०) तक भाव चढ़ गया।

कई माननीय सदस्य : यह सरासर गलत है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभानेत्री जी, मैंने एक रेफरेन्स...

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसमें एडवोकेसी का कोई प्रश्न नहीं है, मैं उनकी तरफ से वकील रह चुका हूं, अभी एक मामला सबजुडिस है।

श्रीमती सभानेत्री : आप इस विषय को न लें और भाषण जल्दी समाप्त करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बहुत अच्छा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि २ व्यापारियों के लिये जो भी ऑब्जर्वेशन हुए हैं वे १०६ में नहीं हुए। अभी हाल ही में जो ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट ने दिया है, उनका बड़ा महत्व है। उनको छोड़ कर मैं इस बात की ओर इशारा करना चाहता हूं कि अभी सदन की राय पूछना चाहें तो सदन की मंशा क्या है, भैरोंसिंहजी ने बताया था, सदन की मंशा यह है कि कानून तोड़ा है उनका प्रोसीक्यूशन किया जाय। हमारे यहां दो तरह के कानून होते हैं एक तो डिस्क्रिमिनेशन का, कोटा में किया वह ठीक किया, लेकिन सूरतगढ़ में अलाउद्दीन खिलजी ने लिखा कि मैंने चना बाहर भेज दिया, क्या आपने उसका कुछ किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : सूरतगढ़ में बहुत से व्यापारियों का प्रोसीक्यूशन हुआ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या सारे व्यापारी प्रोसीक्यूट हुए हैं ? अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ आपने क्या किया ? सबसे बड़ा क्रिमिनल था अलाउद्दीन खिलजी...

श्री नाथूराम मिर्धा : उसकी जांच चल रही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : किस मुद्दे की जांच हो रही है ?...

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : एक तरफ आप कानून की दुहाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ यह कह रहे हैं...

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह आपकी समझ का फेर है। चौधरी हरलालसिंहजी ने उसके खिलाफ इल्जाम लगाया है....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आपके कहने से ही अन्दर रख दिया जाय क्या ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय गोकुलप्रसाद जी, वह जांच सी. एम. ने अक्टूबर में शुरू करवाई थी आपको मालूम नहीं है, खाद्य मंत्रीजी को मालूम है उसके बारे में, चौधरी हरलालसिंह जी जो कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट थे उनके खिलाफ इल्जाम लगाया है, उन्होंने भूख हड़ताल की धमकी दी थी....

श्रीमती सभानेत्री : मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहती हूं कि आपको बोलते हुए आधा घंटा हो गया है, शीघ्र समाप्त करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं कन्क्लूड करना चाहता हूं, चार सुझाव देना चाहता हूं; उस कन्क्लूजन के तौर पर ३ मिनट में कन्क्लूड करता हूं।....

Page No.107

श्रीमती सभानेत्री : या तो आप समाप्त कर दें या सदन की राय लेनी पड़ेगी। यदि सदन का समय नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे अफसोस है :....

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभानेत्री जी, समय तो बढ़ाना पड़ेगा। अभी तो माननीय ज्वालाप्रसाद जी और गोकुलप्रसाद जी बोलने वाले हैं।

श्रीमती सभानेत्री : क्या सदन चाहता है कि समय बढ़ाया जाय ?

(अस्वीकृत)

समय नहीं बढ़ाना चाहता इसलिये खत्म कर दें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : २ मिनट में समाप्त कर देता हूं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : १५ मिनट से आधा घंटे तक तो पहुंच गये।

श्री चौसरसिंह बाबेल (बेंगू) : आप क्या राजस्थान को भूखों मारना चाहते हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : राजस्थान सरकार सबसे पहला काम यह करे कि गेहूं के साथ साथ कोर्स ग्रेन के मेग्जिमम भाव भी तय कर दे। एक बात।

दूसरी बात यह है कि राजस्थान सरकार भारत सरकार के सामने इस बात को प्लीड करे कि जोनल सिस्टम खत्म किया जाय क्योंकि इससे खराबी हुई है। मेरे पास आंकड़े हैं जिनकी सूची मैं खाद्य मंत्री जी को दूंगा...

एक माननीय सदस्य : हमें भी टाइम बोलने का मिलेगा या नहीं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : जोनल सिस्टम के कारण ही भावों में वृद्धि और अनाज में डेफिसिट हुई है। तीसरा सुझाव मेरा यह है कि राज्य सरकार इस बात की गारन्टी दे कि जो भाव तय करे उस भाव से अनाज मिल जायगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री चौसरसिंह बाबेल : हमको टाइम नहीं दिया गया।

श्रीमती सभानेत्री : समय बढ़ाया जाय तो समय मिल सकता है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : समय तो अब भी बढ़ सकता है, डिबेट चल रही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मंत्री महोदय के जवाब देने का समय पहले से ही साढ़े चार बजे का तय किया हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे पता नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री दलपतसिंह ! १० मिनट में।

श्री दलपतसिंह (आबू) : सभापति महोदया, फूड डिबेट पर माननीय सदस्यों ने अपनी बातें हाउस में कही हैं, उस पर मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। कई

(श्री दलपतसिंह)

बातें जनसंघ के माननीय नेता ने बताईं। गवर्नमेंट की पॉलिसी ब्लैक मार्केटियर्स को संरक्षण देने की हो गई है, कई सदस्यों ने कानून की बातें कहीं कि सरकार उनको कानून के द्वारा मदद देती है, और भी कई बातें माननीय सदस्यों ने उठाईं।

सभापति महोदया, मुझे बड़ा रंज है कि आज राजस्थान सरकार जिस एग्रीकल्चर प्लान पर चल रही है और उसके द्वारा जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है उस पर रिफलेक्शन के तौर पर सिर्फ एक-दो सदस्यों ने बातें कहीं, उनका मैं आदर करता हूँ। आज एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते हैं, सभापति महोदया, तो पिछले तीन-चार सालों से प्रकृति का प्रकोप हो रहा है। सबसे बड़ी कमी हमारे यहां फूड स्टफ्स में आई है वह प्रकृति के प्रकोप के कारण से आई है। मैं कभी यह नहीं कहता जैसा कि और सदस्यों ने कहा है, कानून के कारण और टेक्निकल कारणों से कमी आई है या सरकार की नीति की वजह से कमी आई है। सरकार की नीति कभी जनता को भूखों मारने की नहीं होती, लोगों को तकलीफ में देख कर सरकार को मजा आता हो, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से आप लोग एक एक माननीय सदस्य एक लाख लोगों को रिप्रेजेन्ट करते हैं उसी तरह हमारी तरफ बैठे हुए १०५ या ११० सदस्य एक एक लाख लोगों को रिप्रेजेन्ट करते हैं, गवर्नमेन्ट को रिप्रेजेन्ट करते हैं, उनका हृदय ऐसा नहीं है कि बढ़े हुए भावों से और फूड सिचुएशन खराब हो जाय तो उनको मजा आता हो। मैं बताना चाहता हूँ कि तीन-चार सालों से प्रकृति के प्रकोप के कारण इसमें कमी आई है। ६-७ साल पहले राजस्थान में कई स्टेट्स से अधिक टोप मोस्ट प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन तीन साल से हमारे यहां बरसात की कमी के कारण अनाज की कमी आई है। तीन साल से हम देखते हैं कि अनुसंधान की बातें हो रही हैं। जब सर्दी के मौसम की आवश्यकता होती है तब तो गर्मी पड़ती है, जब क्रोप के लिये सर्दी की जरूरत होती है तब १०-१५ दिन के लिये गर्मी पड़ जाती है। लास्ट ईयर सर्दी का प्रकोप हुआ उससे फसल खराब हो गई। बिफोर लास्ट ईयर प्रकृति का प्रकोप हुआ तब उस साल देखा होगा आपने राज्यपाल महोदय के भाषण में कि २०० गांवों में अकाल की स्थिति हो गई...

एक माननीय सदस्य : दो सो नहीं दो हजार गांव।

श्री दलपतसिंह : २००० गांवों में अकाल की परिस्थिति हो गई। आज हम देखते हैं कि राजस्थान में कम से कम ७५-८० परसेन्ट लोग एग्रीकल्चर का काम करते हैं। राजस्थान में जो प्रकृति का प्रकोप होता है उसको आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हाथ मलते रह जाते हैं। काश्तकार हर दम यह चाहते हैं कि भगवान मदद दे और अच्छी खेती हो, अच्छी उपज हो और अच्छा भाव भी लेना चाहते हैं। लास्टईयर स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई जब कि व्यापारियों ने कड़ा कदम उठाया कि व्यापार नहीं करेंगे। उनके ऐसा

(श्री दलपतसिंह)

करने पर सरकार को कानून से सख्त कदम लेना पड़ा ।

(४. ०० म. प.)

क्योंकि उस वक्त धान आ गया था, उस वक्त एग्रीकलचरिस्ट धान को मंडियों में लाने की कोशिश करते तो उस टाइम पर मंडियों में धान लाने पर उस धान को व्यापारी नहीं लेते । ऐसी परिस्थिति में राजस्थान सरकार उस धान को मंडियों में लाने की व्यवस्था करती है तो जनता को धान जल्दी से जल्दी मिल सकता है । ऐसी स्थिति में काश्तकार की सुविधा करने के लिए और जनता को सुविधा देने के लिए सरकार स्ट्रिक्ट कदम उठाये और राज्य सरकार के लेवल पर दूकानें खोल दे और जो धान मंडी में आता है उसको रीजनेबल प्राइस में लिया जाय । आज से आठ-दस साल पहले जहां धान आठ-दस रुपये मन था वहां वह आज चौबीस-पच्चीस रुपये मण के ऊपर पहुंचता है, जो क्वालिटी के आधार पर बेस्ट क्वालिटी ऑफ व्हीट बताया है, वह इस भाव में मिलता है । इसके कई कारण है, प्रकृति के प्रकोप का कारण है, उससे भी हमारे धान के प्रोडक्शन पर फर्क पड़ता है । इस दृष्टि से देखते हैं तो समय समय पर राजस्थान सरकार ने दूकानों की व्यवस्था करने के लिए, जहां तक राजस्थान गवर्नमेंट से हो सकता था, आगे कदम बढ़ाने की कोशिश की है । आप देखिये कि यह पहला टाइम है जब काश्तकारों के लिए यह चीज हो गई है कि उनके लिए भाव निश्चित हो गये हैं, मिनिमम प्राइस डेफीनिट हो गई है । ऐसी परिस्थिति में यह कह देना माननीय सदस्यों के द्वारा गलत है कि राजस्थान सरकार की मन्शा कानूनी अड़चनों के द्वारा भावों को गिराने की, भावों को बढ़ाने की और जनता के अन्दर असंतोष पैदा करने की रही है । यह बात मैं नहीं मानता हूं ।

दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां-जहां सरकार ने मौका देखा है सरकार ने वहां नीति को बदला है । जैसे अक्टूबर में काश्तकारों के लिए यह कानून था कि पचास क्विन्टल से ज्यादा काश्तकार अपने पजेशन में नहीं रख सकता था । इस टाइम जब सरकार ने देखा कि हजारों मन बाजरा पका है तो इस टाइम उन्होंने कर दिया है कि काश्तकार के पास कितना ही धान रहे, उसके लिए छूट रहेगी । ऐसी स्थिति में कानून के अन्दर फर्क भी हुआ है ।

दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट काश्तकारों को मदद भी दे रही है । सरकार ने अपने बजट के अन्दर सबसीडी देने के लिए और कीटाणुओं को समाप्त करने और बीमारियों की रोकथाम के लिए काफी अमाउन्ट रखा है और इस सम्बन्ध में सरकार को जो कदम उठाने चाहिए वे भी राजस्थान सरकार ने उठाये हैं । हवाई जहाज से पाउडर छिड़कने का सवाल है तो जहां कहीं भी कीड़े बीमारी फैलाते हैं, वहां हवाई जहाज से और हेलीकोप्टर से पाउडर छिड़क कर फसल की रक्षा की है । मैं इसकी डिटेल्स में न जाकर कहूंगा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर

(श्री दलपतसिंह)

साहब बतायें कि सब्सिडी के द्वारा, बीमारी को रोक कर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कितनी कोशिश की है ।

इसके अलावा, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं डिटेल्स में न जाकर अपने क्षेत्र की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । सभानेत्री महोदया, मेरे क्षेत्र में बाउन्ड्री एरिया होने से कई कानूनी पेचीदगियां आ गई हैं । काश्तकार को जो सबसे बड़ी डिफीकल्टी आज के दिन आ रही है, वह यह है कि रेनवाल और मण्डोर तहसीलें हैं, ये बम्बई की बाउन्ड्री पर आ जाती हैं, वह आ जाने की वजह से आबू रोड जो बहुत बड़ी मंडी है, वहां पर काश्तकार धान लेकर आयेंगे तो उनको परमिट वगैरह लेनी पड़ेगी । ऐसी स्थिति में आज उन काश्तकारों को अपना धान मंडी में ले जाने के लिए पहले कलेक्टर के पास परमिट के लिए जाना पड़ता है, तहसीलदार के पास जाना पड़ता है परमिट के लिए; इससे उनको बड़ी इनकन्वीनियेन्स होती है क्योंकि कलेक्टर का ऑफिस जहां पर है वह वहां से चालीस मील पड़ता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में इसको कन्क्लूड कर दूं, इस पोइन्ट को, क्योंकि यह बाउन्ड्री का पोइन्ट है । इसलिए निवेदन है, सभानेत्री महोदया, इस कानून से जैसे अभी अक्टूबर में फ्री किया था उसी तरह कर दें कि रेनवाल और मण्डोर से धान लेकर कोई आदमी आबू रोड की मंडी में जाता है तो उसकी छूट रहे । यह इन दी इन्ट्रेस्ट ऑफ दी पब्लिक, इन दी इन्ट्रेस्ट ऑफ गवर्नमेंट अर्ज कर रहा हूं, इसलिए इसकी ओर ध्यान दें । इसी तरह बाउन्ड्री के पांच पांच मील इधर पशु पालक रहते हैं उनको बीस किलो धान के लिए देवगढ़ और मण्डोर वगैरह में आना पड़ता है । उनको पांच पांच मील के क्षेत्र को पार करके परमिट लेने के लिए जाना पड़ता है, उनको परमिट लेने के लिए तहसीलदार के पास आना पड़ता है, इससे उनका हैरेसमेंट होता है । वे पशु पालक लोग हैं इसलिए उनको पशु चराने के लिए जाना पड़ता है । तो तीन आदमियों को तो परमिट लेने के लिए जाना पड़ता है और एक आदमी उन पशुओं के लिए रहता है । इसलिए बीस किलो के बजाय एक महीने तक का धान देने की व्यवस्था कर दीजिये । इतना कर दीजिये कि वे एक महीने का ले जा सकते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तीसरी बात, मैं और कह दूं कि आबू रोड में धान लेकर जाते हैं, एक ट्रक में भर कर ले जाते हैं तो वहां कहते हैं कि फौरन जल्दी जल्दी व्यापारी को बेचो । इससे काश्तकार को नुकसान हो जाता है क्योंकि कोई व्यापारी तैयार नहीं मिलता है । इस कारण वे पुलिस वाले कष्ट देते हैं । मैं इस ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपके कानून में सिम्पलीसिटी होनी चाहिये, इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : अब आप स्थान ग्रहण कर लीजिये !

सरकार की ओर से उत्तर साढ़े चार बजे देना निश्चित किया गया है और आज स्वतंत्र पार्टी को केवल दस मिनट मिले हैं। इस मामले को देखते हुए श्री ज्वालाप्रसाद जी से निवेदन करूंगी कि वे भाषण प्रारम्भ करें, लेकिन समय का ध्यान रखें।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : समय कहां रहेगा ?

श्रीमती सभानेत्री : समय इतना है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): सभानेत्री महोदया, यह जो समस्या है मैं इस समस्या को किसी सरकार या किसी पार्टी की नहीं मानता। आज देश के अन्दर यह सरकार भी इस समस्या को हल करना चाहती है, इस फूड ग्रेन की समस्या के कारण जितने उपभोक्ता हैं, वे सफर करने वाले हैं वे दु:खी है, व्यापारी भी दु:खी हैं। ऐसी हालत के अन्दर जिस दृष्टिकोण से विचार किया गया है उससे अलग तरीके से विचार करने के लिए मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर जो कुछ मेरे विचार हैं उनकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूं।

समस्या यह है कि आज एक बात चल रही थी सन् १९६३ तक, वह यह कि एक व्यापारी स्वतंत्र रूप, जैसा स्वतंत्र देश में होता है, व्यापार कर रहा था। इसके बाद मार्केट के अन्दर जब अचानक मुतवातिर १९६३ के अंत तक बहुत बड़ी महंगाई आई तो वह किस कारण से आई उसमें गहराई में जाया जाय तो यह नतीजा निकलता है कि एक कारण था स्वतंत्र मार्केट, फ्री मार्केट। भावों के अन्दर जो बढ़ोत्तरी हुई उसके अन्दर व्यापारी को दोषी नहीं मानते, लेकिन जो एक वृत्ति मार्केट में होती है वह वृत्ति प्रोफिट की होती है। उसके कारण ही अचानक कीमतें बढ़ती चली गईं। उसके बाद १९६४ में, चूंकि उस वक्त फूड कन्ट्रोल ऑर्डर सरकार ने निकाला, वह समस्या से चिन्तित होकर निकाला था। उस समय यह चिन्ता हुई कि हम किस तरह अनाज को सही तौर से बिना मुनाफे के कन्ज्यूमर तक पहुंचायें। तो उसके लिए जो कानून आया, मैं समझता हूं, कि वह कानून सक्षम और पूरा कानून था, उसमें कोई दिक्कत सरकार के सामने पेश नहीं हो सकती थी, अगर हमारी मशीनरी उस कानून को पूरी तरह से कार्यान्वित करती। इसके बाद भी मैं यह कहूंगा कि जहां तक सरकार की ताकत थी, उसने एक्शन लेने की कोशिश की। उसके बाद भी सरकार ने समय समय पर आदेश पास किये। आज इस स्थिति में आ गये हैं कि इतने कानून बनने के बाद, इतने सक्यूलर निकलने के बाद भी इस चिन्ता से देश को बाहर निकालने में सरकार नाकामयाब रही है। अब हमें इस तरफ देखना है कि हम इस स्थिति से कैसे मुल्क को निकालें। इसके बजाय दूसरी बात कहने का मतलब है कि जैसे उनके लाल चश्मा लगा हुआ है और उस चश्मे के कारण खाली बेईमानी के उन्हें कोई चीज नजर नहीं आती है; मैं समझता हूं ऐसी बातों के पीछे इस समस्या को हल करने की कोई

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

भावना नजर नहीं आती, उसके पीछे दूसरी बात हो सकती है। लेकिन उन दूसरी बातों को ज्यादा करने से लोगों की भूख नहीं मिट सकती है, लोगों को संतोष नहीं हो सकता है, लोगों को सरकार से और चुने हुए लोगों से उम्मीद है कि इसका सही तौर से, सही इलाज निकाला जाय। मैं कांग्रेस सरकार से उम्मीद करता हूं कि इस समस्या पर विचार करने के लिए एक ढेबर कमेटी कायम की थी कांग्रेस ने और उसने ए. आई. सी. सी. के सेशन में रिपोर्ट पेश की, बम्बई में पिछले दिनों ए. आई. सी. सी. की मीटिंग के अन्दर। उस रिपोर्ट के अन्दर साफ दिया गया था इलाज।

ढेबर भाई की रिपोर्ट के अन्दर कांग्रेस पार्टी के हाइएस्ट लेवल पर समस्या को हल करने के लिए इलाज दिया गया था। मुझे अफसोस है, उस तरफ हमारी सरकार गौर करे और स्थिति को सम्भालने के लिए वक्त ले तो समझ में आ सकता है, लेकिन पोलिसी के लिहाज से ऐलान करे कि हम इस चीज पर चलने वाले है जो ए. आई. सी. सी. ने पास किया है। कांग्रेस गवर्नमेंट को इस चीज पर चलना चाहिये और जल्दी से जल्दी समस्या हल करना चाहिये किसानों को प्रोडक्शन की पूरी कीमत मिलनी चाहिये और किसानों को सब्सिडी देनी होगी। सरकार को चाहिये कि फूड ग्रेन को किसानों से लेकर उनको वाजिब पैसा दे दे और इसके साथ साथ सरकार को यह भी देखना चाहिये कि जो कीमत उन काश्तकारों की लगी है, जो मेहनत उन लोगों ने उसको पैदा करने में की है, और जो लेबर उनकी लगी है उस सब को देख कर उस आधार पर उनसे अनाज ले ले और फिर स्टॉक करके जरूरत के समय आम जनता में ऐसे भावों पर बेचे जिसे आप मुनासिब और उचित समझें। यह सब्सिडी आपकी उनको एक तरह से कोऑपरेटिव की स्थिति पैदा करती है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने भी इस पर चलने के लिये जोर दिया है और चल रही है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि दूसरी सरकारें भी अगर चाहें तो कोऑपरेशन बना कर काम कर सकती हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वे इसको बनाने के लिये तुरन्त तैयारी करें। मैं इस बात को कहूंगा कि आपने इसको सैद्धान्तिक रूप से ठीक माना है। इसलिए आप किसानों के अनाज को सही कीमतों पर लेने की व्यवस्था करें। आप उनको सब्सिडी दें। आज मैं यह कहूंगा। मैं सरकार की बात नहीं कहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई जनरल फ्रन्ट पर काम कर रहा हो और वह अपनी ड्यूटी ठीक तरह से अन्जाम देने में नाकामयाब साबित हो तो जनता के हित के लिये और देश की सुरक्षा के लिये उसको फौरन हटा दिया जाना चाहिये। हमारे यहां पर फूड की पोजीशन है वह कैसी है, यह आपसे छुपी नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर फूड कमीश्नर हावा साहब हैं और वे इस काम को कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि यह काम उनके बूते का नहीं है और वे प्राइसेज आदि को बढ़ने से रोक नहीं

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सकते और न रोक सके हैं। हो सकता है कि उनका और कोई मार्ग हो और किसी तरह से अपनी सारी पॉलिसी को चलाना चाहते हों, मगर उनको उस पॉलिसी को जिस तरह से चलाना चाहिये नहीं चला रहे हैं और जिस पॉलिसी से चला रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि वे ऊंचे स्तर पर इतने कामयाब नहीं हो सकते जितना सरकार समझती है और सबसे बड़ी दिक्कत यह है हमारे सामने कि इसमें कांग्रेस सरकार की क्या नीति है यह अभी तक हमको पता नहीं चलता। हमेशा नये नये ऑर्डर निकाले जाते हैं और उन ऑर्डरों के द्वारा व्यापारियों को और धन्धा करने वाले लोगों को दबाया जाता है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार के नित नये ऑर्डर निकालने से सही तौर से व्यापारी और दूसरे लोगों को इस प्रकार का अविश्वास पैदा हो गया है कि हमारी सरकार की जो आज पॉलिसी है वह कायम नहीं रहे और कल उसकी पॉलिसी दूसरी हो सकती है। सरकार की पॉलिसी आज है वह कल नहीं रहेगी। जिस समय हम सरकार के मंत्री के मुंह से यह सुनते हैं कि १० या १५ रोज के बाद हम दिक्कत से निकल जावेंगे, सरकार हमको दिक्कत से निकाल देगी; उस समय हमें पूरा इत्मिनान होता है कि हमारी सरकार हमें दिक्कतों से जल्दी ही निकाल देगी, मगर हम देखते हैं कि दूसरे ही रोज सरकार की यह पॉलिसी बदल जाती है और दूसरा हुक्म निकल जाता है। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि सरकार अपने आप हुक्मों को बदलती है, सरकार की भी मजबूरियां होती हैं जिनकी वजह से उसको अपने हुक्म को बदलना पड़ता है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि यह बात भी उसको बतानी चाहिये कि उनके सामने क्या कठिनाइयां होती हैं जिनके कारण हुक्मों को बदलना पड़ता है। यह चीज हमको और जनता को सरकार को बतानी चाहिये। आपने एक कानून बनाया और कुछ समय बाद आपने उस कानून को बदल दिया। जिस समय आप किसी कानून को बनाते हैं तो एक चीज नियमित रूप से शुरू होती है और ज्योंही वह शुरू होती है सरकार उस हुक्म को बदल देती है जिससे लोगों को शंका पैदा होनी है। जब सरकार इस प्रकार से अपने आदेशों को बदलती रहती है तो स्वत: विरोधी पक्ष के लोगों में इससे भ्रम पैदा हो जाता है और उनको गलत प्रचार करने का मौका मिलता है। वे लोग यह समझते हैं कि किसी न किसी तरह का दाल में काला है जिसके कारण सरकार ने यह आदेश बदला है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप जिस समय भी आदेश को बदलें, लोगों को समझावें कि यह आदेश क्यों बदला जा रहा है और इसके लिये आपको एलान करना चाहिये ताकि लोगों में किसी प्रकार की गलत फहमी न रहे। सरकार की पॉलिसी क्या है, उसको बताने के बाद भी अगर कोई इस प्रकार की बातें हों तो हम कह सकते हैं।

सरकार की नीति के अनुसार अब तो मोटा अनाज बाहर जावेगा, यह आपके यहां पर तय हो जाता है और कुछ समय बाद यह एक दम तय हो जाता है कि यह अनाज बाहर नहीं जावेगा और यह बाहर जावेगा। यह सारा भेद आपके डिपार्टमेंट वालों को मालूम रहता है और उनसे यह सारा भेद लोगों को पहले ही आदेश निकालने से, मालूम हो जाता है। आपके डिपार्टमेंट वाले उन लोगों को बता देते हैं कि फलां माल बाहर जाना फलां दिन से बन्द हो जावेगा और फलां दिन से खुल जावेगा। यह सब व्यापारियों को मालूम होता है, ऐसी बात नहीं है। ये एक खास वर्ग के लोग हैं जिनको यह सूचना मिल जाती है और वे अपना सम्पर्क आपके विभाग के लोगों से कायम किये हुए रहते हैं। इसलिये सारे व्यापारियों के लिये ऐसा कहना कि उन सबको मालूम होता है, यह गलत होगा। यह एक पर्टीकुलर वर्ग को ही मालूम होता

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

है और वह वर्ग व्यापारी वर्ग नहीं है, वे दूसरे ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो लोग डिपार्टमेंट से इसका पता लगा कर एक्सप्लोइटेशन करते हैं और हमको दिक्कत में डालते हैं।

आपने राजस्थान को एक सरप्लस एरिया माना है और राजस्थान को सरप्लस एरिया मान कर हमारे यहां से अनाज दूसरी जगह पर चला जाता है। मैं यह कहूंगा कि यह ठीक नहीं है। हमारे यहां पर अनाज की कमी है। घर के बच्चे तो भूखों मरें और आप बाहर पड़ोसियों के लोगों को अनाज देते रहें और यह कहें कि हमारे यहां फूड ग्रेन की कमी नहीं है जबकि हमारे यहां पर लोगों को नाज नहीं मिलता। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आपको पहले इस बात का प्रबन्ध करना चाहिये कि पहले यहां की जनता को अनाज पूर्णतया उपलब्ध हो। मैं यह कहूंगा कि कांग्रेस का मोरल इस सम्बन्ध में बहुत ऊंचा होना चाहिये। यह बहुत जरूरी है, मगर यह नहीं होना चाहिये कि घर के बच्चे भूखों मरें और आप दूसरों को अनाज भेजें। मैं आपको नसीराबाद, जो एक बहुत बड़ी जगह नहीं है, मगर फौजी छावनी के नाते उसका महत्व है, वहां पर खाद्यान्नों की क्या स्थिति है वह मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां से मुझे एक पत्र मिला है जिसमें कांग्रेस समिति के समक्ष एक व्यक्ति ने नसीराबाद की अन्न की समस्या से दुःखी होकर भूख हड़ताल २० अप्रैल से करने का नोटिस दिया है। उसने पत्र में साफ लिखा है कि वहां पर खाद्यान्नों की स्थिति बहुत खराब है और लोगों को नाज नहीं मिलता है। मैं भी नहीं मानता कि वहां पर खाद्यान्नों की स्थिति ठीक है। अगर खाद्यान्नों की स्थिति ठीक होती तो लोग कांग्रेस समिति के दफ्तर के सामने भूख हड़ताल करने को क्यों आते? इतना होने के बावजूद भी हमारी सरकार उस तरफ कोई ध्यान नहीं देती और वहां पर लोगों के लिए अनाज का प्रबन्ध नहीं कर पा रही है। मैं यह कहूंगा कि आज हमारे फ्रन्टियर पर दुश्मन हमारे चारों तरफ हैं और काले बादल छाये हुए हैं, ऐसे समय में हमारा यह मोरल होना चाहिये कि उन लोगों को अनाज पहुंचाया जावे। मिलिट्री में काम करने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देनी चाहिए ताकि उन लोगों का हौसला बढ़े और वे लोग फ्रन्टियर पर अच्छी तरह से काम कर सकें और उनको किसी प्रकार कि चिन्ता न रहे। हमारा यह फर्ज है कि हम लोगों का मोरल ऐसा बनावें कि उनके दिलों में यह भावना उत्पन्न हो कि अगर कोई भी हमारे देश की तरफ आंख उठा कर देखे तो उसकी आंख निकाल लेंगे। इस प्रकार की हमको लोगों में भावना उत्पन्न करनी चाहिये। इस तरह का मोरल आम जनता का होना चाहिये। इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारे यहां पर कम से कम खाने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अगर यह खाने-पीने की समस्या ठीक नहीं होगी तो अपने आप लोगों को आप इन्कलाब का तरीका सिखावेंगे क्योंकि आप वहां पर अन्न नहीं पहुंचा सकते हैं। ब्यावर और अजमेर में आपके गेहूं के ट्रक जावें और नसीराबाद में लोगों के लिए सरकार अनाज का प्रबन्ध नहीं कर सके और यह कहे कि अनाज की कमी है और दिक्कतें हैं; मैं यह निवेदन करूंगा कि वास्तव में धान की दिक्कत है तो इस दिक्कत के लिये अकेले नसीराबाद को ही क्यों भुगतना चाहिये, सारे राजस्थान के लोगों को इसका फल भुगतना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि आप गांवों और शहरों में इस प्रकार का फर्क न डालें। इस प्रकार का आप गांवों और शहरों में फर्क डाल कर लोगों को इस प्रकार की बातें कहने का चान्स न दें।

आज हमारी सरकार की पॉलिसी क्या है, यह हमारी समझ में नहीं आता। आप

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आज अनाज को बाहर भेजने के लिये यह कहते हैं कि ऑल इन्डिया वाइज़ पोलिसी के आधार पर अनाज बाहर भेजना चाहते हैं। मैं यह कहूंगा कि जब हमारे यहां के बाजारों की भावों की हालत को देखते हैं और सरकार ने उनको बाहर भेज कर क्या लिया है, उसको देखते हैं तो हम समझते हैं कि हमारी सरकार मुनाफाखोर हो गई, जहां दूसरी जगह भाव तेज हैं। यह ठीक है कि आप ऑल इण्डिया वाइज पोलिसी के नाते दूसरी रियासतों को अनाज देते हैं, मगर मैं यह कहूंगा कि आप गुजरात, मद्रास, महाराष्ट्र हैं वे भाव अपना मुनाफा करके बढ़ा देते हैं। सरकार ने वहां के बढ़ते हुए भावों को देख कर उनको नाज दिया है। अगर सरकार खुले ढंग से भेज देती तो मुनाफाखोरी नहीं मानता। लेकिन फिर भी लोग सरकार को गलत ढंग से बदनाम करते हैं।

(समय—समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं पांच मिनट और लूंगा।

मैं अन्तिम बात कहना चाहता हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि हम प्राइसेज़ पर किस तरह से कन्ट्रोल करना चाहते है ? कलेक्टर की तरफ से प्राइसेज फिक्स की जाती है उसके लिये मैं यह कहूंगा कि कलेक्टर की तरफ से किस तरह से भाव निर्धारित किये जाते हैं। चीनी के भाव जो मुकर्रर किये वे घोषित भाव नहीं जो उन्होंने निर्धारित किये। यह सही हो सकता है कि राउन्ड फिगर्स करने के बाद ये भाव उन्होंने मुकर्रर किये। मगर इस नाम पर ८ या ७ लाख के करीब ज्यादा उन्होंने जनता से इस नाम से पैसा लिया है। मैं यह कहूंगा कि उनको इस प्रकार ज्यादा पैसा लेने का कोई अधिकार नहीं था। उनको ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की कोई सेंक्शन नहीं, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। जिसके फलस्वरूप लोगों को ज्यादा महंगी चीनी मिली। मैं यह कहना चाहता हूं कि गरीब लोगों से ज्यादा पैसा लिया गया। गरीब लोगों को अपने बच्चों को दूध पिलाने को पैसा नहीं मिलता, उन गरीब लोगों को चीनी के बढ़े हुए पैसे देने पड़े। मगर कलेक्टर ने आराम से भाव बढ़ा दिये। मैं यह कहूंगा कि यह एक प्रकार का जजिया टैक्स जनता पर कलेक्टर ने लाद दिया जिसको लादने का हमारी विधान सभा के अलावा किसी को अधिकार नहीं।

इस जजिया टैक्स का क्या करते हैं ? उनको पॉवर मिला, सरकार सेंक्शन कर देती है, इस नाम पर सेंक्शन करती है कि इक्विलाइजेशन करना है, बिना किसी कानून की सेंक्शन के यह टैक्स वसूल किया जाता है और इस तरह वहां इसका ८ लाख रुपया इकट्ठा हुआ। अगर आपका ध्येय था, सरकार को शक्कर में मुनाफा करना था तो कानून से सेंक्शन कर सकते थे, पर जब आपकी यह पॉलिसी है कि शक्कर को बिना किसी प्रकार के मुनाफे के सही तरीके से सस्ते भाव से बेचना है तो फिर ८ लाख रुपया इस तरह से बिना किसी कानूनी सेंक्शन के, जिसको वसूल करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, इक्विलाइजेशन के नाम पर जनता के गरीब घरों से दस-दस

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

पन्द्रह-पन्द्रह लाख रुपया इकट्ठा किया है और आज आप कहते हैं कि चैरिटी बनायेंगे, गरीबों की खाल उतार कर इक्विलटी के नाम पर धोखा देकर शहरों के अन्दर से २० लाख रुपया इकट्ठा करके कहते हैं कि चैरिटी करेंगे। गरीब जनता से इस प्रकार धोखे से पैसा इकट्ठा किया, आपको कोई अधिकार नहीं है कि उसको इस तरह से बांटें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : क्या माननीय सदस्य बतायेंगे कि यह पैसा चेरिटी में होस्पिटल आदि में लगा दिया जाय, तो इसमें बुरा क्या है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बुरा तो वह भी नहीं है कि आप पुलिस के आदमियों को साथ लेकर जनता को जाकर लूट लें और लूट के पैसे को चैरिटी में लगा दें। इस तरह बगैर मालूम पड़े इक्विलाइजेशन के नाम पर धोखे से सरकार लोगों से पैसा लेना चाहती है, सरकार को घाटा नहीं हो जाय, इसलिये १० पैसे लेती है, और इस तरह पैसा वसूल करने से घाटा नहीं होता, फायदा होता है २० लाख का, इसके पीछे कोई सेंक्शन नहीं थी....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नसीराबाद में मिलिटरी हैं, मिलिटरी की तरफ से तार आ रहे है, मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां आप जल्दी इन्तजाम करें।

इस प्रकार की वसूली के बारे में मैं यही कहूंगा कि आयन्दा ऐसा नहीं हो। यह जो गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया गया है इसके बारे में यह निवेदन करूंगा कि इस गलत तरीके से सरकार के एक्सचेकर को बढ़ाया है, इसकी चेरिटी नहीं बन सकती, इसे किसी न्यायपूर्ण तरीके से खर्च किया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मन्त्री) : सरकार के एक्सचेकर को कहां बढ़ाया है, यह एक्सचेकर में नहीं जायगा।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्रीमती सभानेत्री : श्री चौसरसिंह।

श्री चौसरसिंह बावेल (बेंगू) : सभापति महोदया, आज देश के सामने कई समस्याएं हैं. खाद्य की समस्या है; भाषा की समस्या है, रक्षा की समस्या है पर खाद्य की समस्या आज एक बड़ी मुख्य समस्या है। खाद्य की समस्या के बारे में सरकार की ओर से पहली पंचवर्षीय योजना से बराबर यह कहा जाता रहा है कि हम खाद्य की स्थिति को सम्हाल लेंगे, पर आज तीसरी पंचवर्षीय योजना जा रही है, फिर भी दिन-ब-दिन खाद्य की स्थिति खराब होती जा रही है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या को सही ढंग से कदम उठा कर हल किया जाय। हमारी सरकार ने गुजरात सरकार को काफी चना भेजा, लेकिन गुजरात सरकार ने उसके बदले में हमको कुछ भी नहीं दिया। यही नहीं, गुजरात से हमारे यहां पहले मूंगफली का तेल आता था वह

(श्री चौसरसिंह बावेल)

मूंगफली का तेल रोक लिया गया और गरीबों को तेल मिलना मुश्किल हो गया। घी देना तो दरकिनार सरकार जनता को सस्ता तेल भी नहीं दे सकी। इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि हमारी पड़ौसी स्टेट्स हैं उनको खाद्यान्न नहीं देना चाहिये। पड़ौसी स्टेट्स को देना चाहिये, पर जब हमारे यहां की समस्या हल नहीं हो, हमारे यहां की खाद्य स्थिति खराब हो तो खाद्यान्न बाहर नहीं भेजना चाहिये। इसी तरह मद्रास, बंगाल और दूसरी जगह हमारे यहां से खाद्यान्न भेजे गये, पर उनके बदले में हमें वहां से कुछ भी नहीं दिया गया, हमें चावल नहीं दिया गया।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को कम से कम एक भाव पर पाबन्दी रखनी चाहिये ताकि उसका अमल हो सके। जब तक किसी भाव को ३ महीने या ६ महीने तक लागू नहीं रखेंगे तो जनता में विश्वास पैदा नहीं होगा और ब्लैक मार्केटिंग बढ़ता ही रहेगा। भावों को ठीक रखने के लिये शहरों में, कस्बों में बोर्ड बनाने चाहिये, वे सतर्क होकर खाद्य स्थिति को देखते रहें और समय समय पर भावों को चैक करते रहें। किसी वक्त क्या और किसी वक्त क्या, यह सरकार करती रहती है; इससे भाव ठीक नहीं रह सकते।

(४.२६ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पुनः पदासीन)

छोटे २ लाखों व्यापारी हैं जो अनाज का व्यापार करते हैं। जो व्यापारी ब्लैक करते हैं, खाद्यान्नों में ब्लैक मार्केटिंग करके ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, उनके बारे में मैं नहीं कहता, पर बहुत से छोटे छोटे व्यापारी ऐसे हैं, जो ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं, वे आपके कानूनों को नहीं समझ सकते, आपने अपने कानूनों में बार बार हेर-फेर करके इनको इतना पेचीदा बना दिया है कि उन लोगों को वकीलों के फन्दे में पड़ना पड़ता है और वे जो वकीलों को पैसा देते हैं वह उन्हें ब्लैक मार्केटिंग के जरिये निकालना पड़ता है। उन व्यापारियों की तरफ सरकार ध्यान दे और किसानों की तरफ भी ध्यान दे, किसानों के लिये यह रखा था कि उन्हें अपने स्टॉक का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, किसान लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं, डिक्लेरेशन देने का आपने किसानों के लिये जो पहले था उसको हटाया है, पर वे काफी तरीके से तंग आ गये हैं। आप अक्लमन्द हैं, राजस्थान का शासन चलाते हैं और राजस्थान की स्थिति को अच्छी तरह सम्हाले रखना चाहते हैं तो राजस्थान की खाद्य स्थिति को अच्छी तरह से सम्हालें और बफर स्टॉक बनायें जिसे भावों को ठीक रखने के लिये समय पर काम में ले सकें। पर आप यह ध्यान अवश्य रखें कि इस तरह के बफर स्टॉक खराब न हो जांय जिससे कि देश को नुकसान हो।

मैं विधान सभा के समय को बहुत कीमती समझता हूं और आवश्यकता पड़ने पर ही बोलता हूं, इसलिये विशेष समय न लेकर यही कहूंगा कि आप इस खाद्य स्थिति पर गम्भीरता से और सही ढंग से विचार

Page No.118

(श्री चौसरसिंह बावेल)

करेंगे तो देश का भला होगा और खाद्य स्थिति सुधरेगी।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार की तरफ से उत्तर।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय मुझे भी दें, हम लोगों को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : That's all. सरकार की तरफ से उत्तर।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्यान्नों के प्रश्न के ऊपर इस सत्र में भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, बजट के जनरल डिस्कशन के वक्त कुछ मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये थे और मैंने उन दोनों अवसरों पर इस सदन के सामने उन मुद्दों के समाधान के सिलसिले में अपने वक्तव्य दिये थे। फिर भी अभी एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप में जब कुछ मंडियों में गेहूँ की अवेलेबिलिटी के प्रश्न पर चर्चा उठाई गई तो मैंने इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने यह निवेदन किया था कि मौसम की अनिश्चितता के कारण किसान अपने खलिहानों में और खेतों में लग रहे हैं और इसी वजह से कुछ स्थानों पर गेहूं की अराइवल्स की रफ्तार जो मंडियों में चल रही थी उसमें कुछ जगह की कमी हुई। गेहूं की स्थिति को लेकर कुछ जगहों पर पहले की स्थिति में और उस स्थिति में कुछ फर्क हुआ। उसी को लेकर सदन के माननीय सदस्यों ने इस बात की मांग की कि खाद्यान्नों के मसले के ऊपर, चूंकि इस सत्र में चर्चाएं नहीं हुईं, इसलिए वे चर्चा करना चाहेंगे। मैंने आपकी आज्ञा को ध्यान में रख कर इस बात को सहर्ष स्वीकार किया और आज के दिन इस विषय पर चर्चा करने के लिये सदन के माननीय सदस्यों के सामने एक प्रस्ताव रखा। मुझे इस बात का भी ख्याल था कि हो सकता है कि सदन के माननीय सदस्यों से मुझे कुछ अच्छे सुझाव मिलेंगे जिसके बारे में मुझे सोचकर अपनी नीतियों को बनाने के अन्दर कुछ आसानी रहेगी। पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुख है कि जिन लोगों ने इस बात पर जोर दिया था कि यहां सदन में इसकी चर्चाएं होनी चाहिए उनकी कुछ चर्चाओं को जिस समय मैं कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ उस समय वे सदन में मौजूद नहीं थे। इसलिए बाद में उन सारी प्रोसिडिंग्ज को पढ़ कर कि क्या कहा जाता है उसको देखने की तकलीफ बहुत कम लोग करते हैं। वो के वो मुद्दे हैं। जब वे बात को सुनते नहीं हैं, किसी न किसी प्रकार वापिस उठाना पसन्द करते हैं। इससे सदन का समय जाया होता है। फिर भी कोई चाहे हों या न हों, मुझे तो जो मुद्दे उन लोगों ने उठाये हैं उनको सामने रख कर सदन के अन्य माननीय सदस्यों के लिये उत्तर देना है।

मैं आपकी मार्फत सदन के माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब से देश में यह खाद्यान्न की समस्या १९६३ के अक्टूबर और नवम्बर से चालू

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हुई है, कुछ मंहगाई बढ़ने लगी। खाद्यान्न की अवेलेबिलिटी देश और प्रांतों में कम होने लगी, कीमतें लगातार ऊंची उठने लगीं, उन दिनों से लेकर आज तक जो स्थितियां गुजरी हैं उन सारी चीजों पर नियन्त्रण पाने के लिये राज्य सरकार ने समय समय पर जिन नियमों और कानूनों का सहारा लेकर स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की है उनका विवरण मैंने मेरी बहस के दौरान में समय समय पर माननीय सदस्यों के सामने दिया है। फिर भी बार बार यह प्रश्न खड़ा किया जाता है कुछ माननीय सदस्यो की ओर से; हमारी राज्य सरकार की खाद्यान्न की पोलिसी जमी हुई पॉलिसी नहीं है, उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, इतने नोटिफिकेशन्स निकाल दिये, इतने नोटिफिकेशन्स को वापिस विद्ड्रॉ किया गया, फिर कुछ नये नोटिफिकेशन्स को लागू किया गया इसलिए पोलिसीज़ अनिश्चित हैं। मैं आपकी मार्फत सदन के माननीय सदस्यों को बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिये अगर हमें कुछ नियम, कानून और नोटिफिकेशन्स जारी करने पड़ते हैं, स्थिति को ध्यान में रख कर अगर हम पॉलोसी की स्थिरता को उनकी नफरी और नम्बर से नापने लगेंगे तो हमारा यह नाप-तौल कतई सही नहीं होगा। बुनियादी तौर से जिन कानूनों को किसी फूड ग्रेन्स ओर्डर्स के नीचे या पुराने वक्त से लागू हैं उनमें परिवर्तन किया और उसके बाद जिसको राजस्थान में लागू किया और जिसके नीचे सारे व्यापारियों के खाद्यान्न के व्यापार को नियन्त्रित किया जा रहा है उसमें समय समय पर इस सदन के माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए, व्यापारियों की कुछ तकलीफों को देखते हुए और प्रोड्यूसर्स की कुछ तकलीफों को देखते हुए, सारी स्थितियों को ध्यान में रख कर जिन नियमों में परिवर्तन किया गया है वह वक्त और समय की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर किया गया है। इसलिए उनको चेन्ज करने से पोलिसी में चेन्ज आ जाता है। मैं जो कुछ कहूंगा उससे आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि यह कतई नहीं है।

शुरू शुरू में राजस्थान को व्हीट जोन के रूप में एक जोन माना। और उस जोन पर नियन्त्रण करने की दृष्टि से राजस्थान हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में एक व्हीट जोन रहा और वहां पर व्हीट की कीमतें, गेहूं की कीमतें एक हद तक हम कन्ज्यूमर्स को अवेलेबल करवा सकें क्योंकि जिस समय जोन के रूप में मान कर मेग्जिमम व्हीट की प्राइसेज़ को कन्ट्रोल किया उस समय किसानों के पास से व्हीट जा चुका था इसलिए उस समय किसानों के लिए मिनिमम प्राइसेज़ मुकर्रर करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमने कहा कि ५३) से लेकर ६४) क्विन्टल तक गेहूं की दो किस्में, जैसा हमने माना, सारे बाजार में बिकेगा। ६४ के शुरू में मेग्जिमम प्राइसेज को कन्ट्रोल किया उससे लेकर आज तक राजस्थान को एक व्हीट जोन माना है बुनियादी तौर पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। व्हीट इस समय आ रहा है और मेग्जिमम प्राइसेज़ राजस्थान को दो जिलों के जोन्स में बांट कर जो कुछ भी उपजाऊ और सरप्लस व्हीट के जिले हैं उनको एक

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मान कर, और डेफिसिट व्हीट के जिले हैं उनको अलग मान कर, मेग्जिमम प्राइसेज व्हीट की तीन केटेगरी बना कर लागू की गई और वह इसी समय ही लागू की जा सकती थी क्योंकि इस समय मंडियों में व्हीट आने वाला था और मेग्जिमम प्राइसेज़ आने वाले साल के दौरान में राजस्थान स्वयं एक व्हीट जोन रहेगा इससे अधिक प्राइसेज़ नहीं जा सकेंगी। इन सारी बातों को देख कर यह व्यवस्था की गयी। इसके साथ साथ पहले से ही अनाउन्स कर दिया था यह। आने वाली फसल के लिए किसानों को व्हीट के बारे में मिनिमम प्राइसेज़ की उनको गारन्टी हो, उसके लिये मैंने सदन में पहले ही घोषणा कर दी थी और वह आज भी लागू है। हमने किसानों के लिये व्हीट की मिनिमम प्राइसेज़ जिसकी घोषणा इसी सदन में की है वह इस प्रकार है:

	किसान की मिनिमम प्राइसेज
बाज्या और काठा गेहूं	
सफेद दड़ा और गज्जर	४५)५० पैसे
फार्मी, शरबती, कनक और	४६)५० पैसे
मावली	५३)५० पैसे

अगर इन कीमतों से किसी भी जगह गेहूं के दाम इस क्वालिटी के राजस्थान में कहीं भी नीचे गिरेंगे तो राजस्थान के असेम्बिलिंग सेन्टर्स पर किसान राज्य सरकार को वेचेंगे, तो राज्य सरकार खरीदेगी। इन कीमतों से नीचे किसानों के गेहूं न जायं इसकी हमने व्यवस्था की है। मेग्जिमम प्राइसेज जो हमने तय की हैं उससे मतलब यह है कि साल के किसी भी महीने में, चाहे एण्ड में भी प्राइसेज़ ऊपर न जायं, इसकी इस कानून में व्यवस्था की है। हम यह चाहते हैं कि गेहूं की आने वाली सीजन के बाद राजस्थान में दुबारा सीजन न आवे। तब तक गेहूं मार्केट में इन्हीं दो प्राइसेज़ पर लाया जा सकेगा चाहे होलसेलर, रिटेलर और गांव वालों से किसी व्यापारी के पास लाया गया हो, उन सब का इसमें समावेश है। गेहूं की इस मिसाल को ही लीजिये। भारत सरकार ने इस बात पर काफी जोर दिया कि मेग्जिमम व्हीट प्राइसेज़ राजस्थान में न रखें। राजस्थान और हिन्दुस्तान व्हीट की प्राइसेज़ ७२),७५) और ८०) क्विन्टल तक जाती है क्योंकि हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में व्हीट की प्राइसेज़ आज भी यह मान कर चलें कि जो प्रान्त डेफिसिट हैं उनमें गेहूं के भाव ऊंचे रह सकते है इसलिए हमने-मैंने और मुख्य मंत्रीजी ने भारत सरकार के सामने खास तौर से इसको सामने रख कर इस बात पर जोर दिया था और कहा था कि हमने बड़े मुश्किल समय में इस नीति का पालन किया था, इसमें ढिलाई करने से और मेग्जिमम प्राइसेज़ कुछ नहीं रखने से एक रिट्रोगेट स्टेप लेंगे और जनता और विधान सभा को हम संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकेंगे; इसलिए भारत सरकार ने सारी बात को लेकर स्वीकार किया।

गजट में जिस प्रकार का नोटिफिकेशन छपा है उस बात को लेकर बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि भीलवाड़ा और उदयपुर को खास केटेगिरी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में रखा है इसकी जो लाइन खींची है उसमें नहीं है ।

मैं आपकी मारफत सदन को निवेदन करना चाहता हूं, १५ जिलों में भीलवाड़ा और उदयपुर भी शरीक हैं, इस बात की इसकी इत्तला कलेक्टर को है । लाइन जो खींची गई है उससे कुछ गलतफेहमी हो गई. इसको करेक्ट करने की आवश्यकता है। हमने किसी जिले को दो जोन्स का फायदा हो, यह मान कर यह नहीं किया है । जिस समय गजट में घोषणा की गई थी उस समय भी दोनों तरफ से लाभ पहुंचाने की बात हुई हो ऐसा मान कर नहीं चलना चाहिये । यह एक प्रकार से प्रिन्टिग एरर है; लम्बी लाइन खींची जानी चाहिये, शुरू से खींची जानी चाहिये इस वजह से किसी प्रकार का कन्फ्युजन न इन जिलों के अन्दर हुआ और न इसका इफेक्ट इधर वालों पर हुआ । हमारी पॉलीसी व्हीट के बारे में निश्चित है वह आपके सामने रखी । दूसरे धानों के बारे में भी हमारी क्या पॉलिसी है, वह भी मैं रखना चाहता हूं ।

राजस्थान राज्य खास तौर से अन्न के सिलसिले में अपने आप में एक जोन है । इस कोर्स ग्रेन में बाजरा, मक्का, ज्वार ये तीनों खाद्यान्न हैं । इसके अन्दर फसल आने से पहले कोर्स ट्रेन ऑर्डर लागू किया उसके अन्दर हमने अपनी साफ नीति की घोषणा की है । राजस्थान के अन्दर इन खाद्यान्नों के बारे में किसानों के लिए मिनिमम प्राइस हमने लागू किये हैं । उसमें यह भी कहा गया है जितना व्यापारी डे टू डे स्टॉक बनायेगा उसमें से २५ प्रतिशत बाहर एक्सपोर्ट कर सकता है और २५ पर्सेन्ट स्टॉक राज्य सरकार को नेगोशियेटेड प्राइज पर देगा, उसके बाद ५० प्रतिशत ग्रेन को ओपन मार्केट में बेचा जायगा । इसलिये जब फसल आयी, आने वाले १२ महीनों के लिये राजस्थान की कोर्स ग्रेन की पॉलीसी क्या रहेगी, इस बात को ध्यान में रख कर मिनिमम प्राइसेज की घोषणा कर दी है । वे प्राइसेज मैंने सदन में कई बार बता भी दिये, फिर भी सदन की जानकारी के लिये उनको दोहराना चाहता हूं :

बाजरा के लिये	४०)५०	रु.
सफेद ज्वार	४०)	रु.
लाल और काली ज्वार	३८)	रु.
और मक्का के	३६)	रु.

इससे भी नीचे दाम पर अगर किसान का माल राजस्थान में बिकता है तो राजस्थान सरकार स्वयं खरीद लेगी । इसके लिये हमने मेग्ज़ीमम प्राइस की घोषणा नहीं की । इस बारे में सदन के माननीय सदस्य सवाल उठाते हैं कि जब गेहूं के मेग्ज़ीमम प्राइस मुकरर कर दिये तो दूसरे धानों की भी मेग्ज़ीमम प्राइस फिक्स कर दें । मैं समझता हूं इस तरह से हम कर देते तो इस सिस्टम को कोम्पलीकेटेड बना देंगे । इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर यह सोचा गया कि गेहूं जो सब से बढ़िया किस्म की क्रोप है, जिसके लिये ज्यादा पैसा देकर भी लोग खाना पसंद करते हैं उसी के मेग्ज़ीमम प्राइस मुकर्रर कर दें । दूसरे कोर्स अनाज के मिनिमम प्राइस मौजूद हैं, जो जनता के ध्यान में है

(श्री नाथूराम मिर्धा)

तो ग्रोटोमेटिक तौर से किसान को कम भाव नहीं मिलें, इसलिये मिनिमम भाव मुकर्रर करना जरूरी था। इस स्थिति को ख्याल में रखकर सब चीजों के मेग्ज़ीमम प्राइसेज़ मुकर्रर करना हमने स्वीकार नहीं किया। यह तो अपने आप में गेहूं के मुकाबले ठीक ढंग से एडजस्ट हो सकते हैं। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर सभी के लिये मेग्ज़ीमम प्राइसेज़ मुकर्रर नहीं किये। दूसरी तरफ इम्पोर्टेड व्हीट के प्राइसेज़ के बारे में जब इसके प्राइस वढ़ाये गये तो हिन्दुस्तान में पैदा होने वाला कोर्स ग्रेन है उसके वढ़ाये जाने चाहिये, मैं कहना चाहता हूं इसके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है ? उसमें उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। आज से पांच छः महीने पहले जो बाजार में इनके भाव थे उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। सारे परिवर्तन को एक दूसरे के साथ में एडजस्ट करते आ रहे हैं....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या आपके ध्यान में यह भी बात आयी है कि गेहूं के मुकाबले कोर्स ग्रेन के भाव ज्यादा हुए हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह स्थिति चली गई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आज चने का भाव गेहूं से भी ज्यादा हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इसका महत्व हमारे इलाके में बहुत ज्यादा है, जहां गेहूं नहीं मिलता है; आप उसकी जगह दूसरा गेहूं दे नहीं पाते, वैसी हालत में वहां कोर्स ग्रेन का भाव बढ़ता है तो वहां की जनता के लिये कहां तक उचित है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोर्स ग्रेन के बारे में जब से हमने इस नीति को स्वीकार किया है हमने यह नीति की घोषणा की है कि किसान को कोर्स ग्रेन की कीमत जो हमने निर्धारित की है उससे नीचे नहीं गिरने दी जायगी। और वह कभी नहीं गिरी है। किसी भी तरह से मंडी में इन धानों का अराइवल चालू रहे, व्यापारियों को इनीशियेटिव रहे, इन्हीं बातों को ख्याल में रख कर बफर स्टॉक बना सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्य बड़ी जोरों से दलील देते हैं, हमें हिन्दुस्तान और राजस्थान के प्राइसेज़ को कन्ट्रोल करना चाहिये और उसके लिये बफर स्टॉक बनाना चाहिये। मैं समझता हूं, कोई भी आदमी इस दलील को आसानी से दे सकते हैं। बफर स्टॉक हमारे पास हों या भारत सरकार के पास हों तो जिस समय बाजार में भावों में वृद्धि होते हुए नजर आये तो हमारे पास जो बफर स्टॉक है उसको मार्केट में छोड़कर प्राइसेज़ पर कन्ट्रोल पा सकते हैं। यह दलील सही है। इस जरिये से प्राइसेज़ कन्ट्रोल किये जा सकते हैं। पर इस दलील के साथ साथ जिस तरह से दूसरी बातें जोड़ी गई एक साहबान तो यह कहते हैं कि जोन्स को खत्म किया जाना चाहिये, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य का यह कहना है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं, किसानों को वाजिब दाम मिलने चाहिये, व्यापारियों को नफा कमाने

(श्री नाथूराम मिर्धा)

का मौका होना चाहिये। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि कानून इतने ज्यादा बना दिये हैं उन सबको उड़ा दिया जाना चाहिये।

श्री चौधरसिंह बावेल (बेंगू) : किसान आपके इन कानूनों को क्या समझता है ? सरल होने चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : कानून कायदे इतने बना दिये उनको हटा दिया जाना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कौनसा कानून ज्यादा है, कौनसा कानून रखें, कौनसा नहीं रखें कौनसी पाबन्दियां रखें, मर्जी चाहे जिस तरह से व्यापार करने की छूट दी जाय तो फिर बफर स्टॉक बना लिया। जिस तरह से व्यापारी बाजार से माल खरीदता है उसी प्रकार सरकार भी अपनी एजेन्सी के जरिये माल खरीदे। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि ओपन बिड्स लगायी जायं। मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं, जितना खाद्यान्नहमारे यहां पैदा होता है वह हमारी सारे देश की जरूरत से बहुत कम है इसलिये चावल है, गेहूं है, वे हमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं। इससे साफ है कि जो हमारे यहां अन्न पैदा होता है, वह देश की जनता के खाने के लिये कम है। ऐसी सूरत में जब कि पैदावार कम है, आवश्यकता ज्यादा है तो वैसी हालत में राज्य सरकार बफर स्टॉक बनाने के लिये कम्पीटीशन करने लगे तो उसका परिणाम यह होगा कि हम जिस गेहूं की बोली लगायेंगे ७५) रुपया क्विन्टल तो व्यापारी उसकी =०) रुपया क्विन्टल बोली लगा देगा। जहां हम ७५) की बोली लगाते है वहां वह ७६) में खरीदना चाहेगा। तो आखिर इसकी कहां तक हद होगी, क्या इस तरह से कम्पीटिशन करते हुए हम बफर स्टाक बना सकते हैं? आपकी यह बड़ी अजीब दलील है कि नियम न रहे, मूवमेंट बन्द हो, जैसी स्थिति है वैसी की वैसी कायम रखी जाय ये बड़ी अजीब दलीलें हैं। या तो आप तरीका बताइये कि भारत सरकार को और हमको इस प्रकार से बफर स्टॉक बनाना चाहिये, इस प्रकार का कानून लाइये। दलील केवल देने के लिये देते हैं...

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप कौन सा बफर स्टॉक बनाते हैं? कोटा के व्यापारियों ने २५ जनवरी को टेलीग्राम दिया था मक्का के भाव नीचे जा रहे हैं, आपका कोई आदमी खरीदने के लिये तैयार नहीं हुआ।

श्री नाथूराम मिर्धा : XXXX

आपने अपने समय में कहना था सो कह दिया। इस समय मैं बोल रहा हूं। XXXX उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं इस तरह के इन्टरप्शन्स से।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, he says that × × × He must withdraw these words.

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूं।...

श्री मानिकचन्द सुराणा : It is insult of the whole House.

× × × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या एक मन्त्री इस तरह से कह सकता है कि XXXX

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! ऑर्डर!!

श्री नाथूराम मिर्धा : XXXX

श्री मानिकचन्द सुराणा : The remarks must be withdrawn Sir.

श्री उपाध्यक्ष : रिमार्क XXXX अगर कह दिया है....

श्री नाथूराम मिर्धा : जब मैं बोल रहा हूं, सदन के फ्लोर के पजेशन में हूं उस समय अगर बीच में वे कुछ कहना चाहते हों तो आपको एड्रेस करें। आप इजाज़त दें, तब मैं उस बात को सुनने को तैयार हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : He says that × × × × ऐसा नहीं कह सकते। आप जैसा XXXXX मिनिस्टर कोई नहीं है।

These words must be withdrawn Sir.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !!

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मैं हमेशा इस बात की ओर संकेत करता भी रहा हूं कि ऑन ए पॉइन्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है और पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर या पॉइन्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन पर अगर पूछा जावे तो संयमित रूप से चेयर को एड्रेस करके पूछा जावे तो बात स्पष्टतया सामने भी आ जाती है। सीधी तौर से कभी कभी पूछने का व्यवहार हो जाता है तो वह ठीक नहीं, न उस पर स्पष्ट ध्यान आकर्षित हो सकता है। इसमें केवल इतनी बात है। एक एड्रेस चेयर को करने में आपका पॉइन्ट जो कुछ भी है वह स्पष्टतया सामने आ जाता है।

अब मैं निवेदन यह करूंगा कि जहां तक हो सके भाषण के दौरान में ज्यादा एक्सप्लेनेशन न पूछे जावें तो भाषण समाप्त होने के पश्चात् भी उनको पूछने का अवसर दूंगा, इसमें कोई शक नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन; सर, माननीय मन्त्रीजी ने अभी यह कहा था किस तरह से हम बफर स्टॉक बनावें, तो मैं यह जानना चाहता हूं ...

श्री नाथूराम मिर्धा : अब माननीय सदस्य इजाजत लेकर बोल रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं अपने व्यूज प्रकट कर रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं व्यूज नहीं मांगता। मैं बोल रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे इजाजत लेकर बोलना शुरू किया है। पर माननीय मन्त्रीजी डिस्टर्ब करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने इजाजत दी है अपनी बात कहने की। मैं पॉइन्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन पर पूछ रहा हूं।

× × × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में पूछ लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बफर स्टॉक की बात तो फिर बता दें। मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने एक कॉर्पोरेशन इसके लिये बनाया है, अन्न खरीदने के लिये, उसको कोरेस्पोन्डिंगली आपने अपनी स्टेट में क्यों नहीं लागू किया? इसका बाद में मन्त्रीजी एक्सप्लेनेशन कर दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं ये ही सारी बातें, कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहां कह रहा था आगे चलकर।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह ऐतराज़ उठाया कि ये शब्द प्रोसीडिंग में नहीं रहने दिये जाने चाहिये कि मैंXXXजो ये मिनिस्टर ने कहे। अगर ये शब्द प्रोसीडिंग्ज में रहते हैं तो यह इस सारे सदन का एक तरह से अपमान है। ब्रिटेन में सब जगह तरीका यह है कि कोई मेम्बर बीच में इन्टरप्शन करे तो मन्त्रीजी या कोई भी सदस्य अगर बोल रहा हो तो बैठ जाते हैं और उस इन्टरप्शन को सुनते हैं। प्रक्रिया यह है बहस की और यदि वह बीच मे बोलने वाला इर्रिलेवेन्ट या अनपार्लियामेन्टरी तौर पर बोल रहा हो तो आप घंटी बजा कर उसे बिठा देते हैं। तो इतना कन्ट्रोल करने का अधिकार चेयर को है, किसी सदस्य को नहीं, मन्त्री तक को नहीं।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप बफर स्टॉक की बात करते हैं, हम पूछते हैं उसके बारे में और आप यह कह रहे हैं कि × × × × ऐसी बात कहने के बाद में मन्त्रीजी के ये शब्द जो कहे उन्होंने उनके सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि आपका आदेश इस सम्बन्ध में क्या है?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप आदेश दें, इससे पहले मैं निवेदन कर दूं कि पहले भी मैं कह चुका हूं कि जिस समय मैं सदन के पर्जेशन में हूं बीच में कोई इन्टरप्शन करे तो मैं उसको नहीं सुनूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसका मतलब यह नहीं...

श्री नाथूराम मिर्धा : जब तक ऑर्डर के जरिये नहीं हो, मैं अपने भाषण को जारी रखूंगा। यह मेरे कहने का मतलब था।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मन्त्रीजी फ्लोर को पर्जेशन में लेकर खड़े हैं तो इसकी उनको छूट नहीं है कि जो जी में आवे वह कह दें। यह हो सकता है कि जिस समय इन्टरप्शन किया जावे उस समय नोटिस में वे लें या न लें, यह उनके हाथ में है, उनकी मर्जी की बात है। पर चूंकि फ्लोर उनके हाथ में है इसलिये यह कह दें XXXX तो यह उनके हाथ में नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : डाइरेक्टली अगर कोई कहता है ...

श्री भैरोंसिंह : बार बार बात आती है सदन में और हर बात चेयर के मार्फत की

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री भैरोंसिंह)

जावे यह पद्धति है और चेयर को ही वह एड्रेस होती है बात, यह मानी हुई बात है। यह सपोजीशन है जिसमें किसी भी प्रकार का डेविएशन नहीं होता है। मैं जो भी बोलता हूं चेयर को मुखातिब करता हूं। अब मेरा मुख बाई चान्स ज्वालाप्रसादजी की तरफ हुआ और उनसे कोई बात कहता हूं या वे कहते हैं, जैसी कि हाउस में आम तौर पर कई मेम्बर करते हैं और उन मेम्बरों का मुंह चेयर की तरफ न होकर उनकी तरफ हो जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वे चेयर को एड्रेस करके नहीं कह रहे हैं; स्ट्रेट उधर ही मुंह करके खड़े रहें तभी कुछ हो। मुंह इधर करके बोलें या उधर, यह तो सदस्य की सहूलियत के हिसाब से होता है, पर बातें सारी चेयर को एड्रेस करके ही कही जाती, समझी जाती हैं। ऐसी स्थिति में फ्लोर के पजेशन के नाम पर जो बातें कही हैं वे उचित नहीं है और मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्रीजी उनको या तो वापिस ले लें या उनको प्रोसीडिंग्ज के अन्दर से निकाल दिया जावे। नहीं तो उनकी आदत भी पड़ जावेगी हर बार कहने की कि XXXX

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पद्धति यहां पर चेयर को एड्रेस करने की रखी गई पार्लियामेन्टरी पद्धति वह केवल इस कारण से रखी गई कि उसमें एट ए टाइम कई सदस्य न बोल सकें और आपस में बातचीत न कर सकें और जो कुछ भी मुद्दे उठाये जावें स्पष्टतया सदन में वे आ जावें।

यदि एट ए टाइम कई बोल जावें तो स्पष्टतया चीजें सामने भी नहीं आ सकती हैं और स्पष्ट जवाब भी नहीं दिया जा सकता है।

अब इस समय जो आपत्ति उठाई गई है कि माननीय मंत्री ने कहा कि × × × × ड हीयर, किसी भी प्रकार से कहा, जैसा कि माननीय मंत्री स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि चेयर को एड्रेस किये बगैर कुछ कह दिया इस प्रकार से हुआ। इसलिए उन्होंने ऐसे शब्द कहे। यह उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया।

मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां इस सदन के अन्दर × × × × करने का ऐसा प्रश्न तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सदन अपनी प्रतिष्ठा रखता है और उसमें सबकी बात सुनने के लिये यहां उपस्थित होते हैं।

(हीयर हीयर की ध्वनि)

और उस दृष्टि से यदि ऐसे वाक्य हैं और अनुचित हैं तो उनको एक्सपन्ज किया जाता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब आपकी इस व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कह कर अपनी बात ही कहूंगा। अगर आप इसको अनुचित मानें तो मेरी तो मंशा जितनी थी, मैंने निवेदन कर दिया। जब मेरा विचार चल रहा हो और उनके साथ जो शब्द निकल रहे हों, और उनके बीच में कोई कहे तो मेरे लिये मुश्किल हो जाता है कि मैं उनकी बात को सुनूं। मेरा तो इतना ही मतलब है कि जब

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

विचारधारा चल रही हो, एक कन्टेक्स्ट में चल रही हो तो उसके बीच में सुन नहीं सकता वह, नहीं तो सदन में बैठ कर हरेक की बात गौर से सुनता हूं। तो इसमें न कोई किसी की मानहानि का प्रश्न था न और कुछ।

बफर स्टॉक के बारे में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोर्पोरेशन भारत सरकार ने बनाया है। उसके बारे में राज्य सरकार क्या सोच रही है उसकी माननीय सदस्यों को, मैं समझता हूँ, जानकारी है।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि सदन का समय जब तक कि माननीय मंत्री अपना भाषण दें तब तक के लिये बढ़ा दिया जावे।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढाया जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : पूछने और स्पष्टीकरण कराने का भी समय रखा जावे।

श्री नाथूराम मिर्धा : राज्य सरकार के लिये बफर स्टॉक बनाने की बात को वह कोर्पोरेशन करेगा और इसके बारे में यह भी इस सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी है कि अभी उस कोर्पोरेशन को कुछ सीमाओं के अन्दर काम कराना है।

(५.०० म. प.)

खास तौर से चावल के स्टॉक्स बनें, दूसरे नम्बर पर गेहूं के स्टॉक्स बनें, इन्हीं दो खाद्यान्नों के बारे में इस कॉर्पोरेशन को अपना काम शुरू करना है। गेहूं के बफर स्टॉक बनाने के बारे में अभी तक कहीं पर काम चालू नहीं हुआ क्योंकि कॉर्पोरेशन के बनने के बाद देश के अन्दर अभी तक गेहूं की फसल बाजार में आना बाकी है। चावल की फसल कॉर्पोरेशन के बनने के बाद बाजार में आई है और वह कॉर्पोरेशन खास तौर से उन सरप्लस स्टेट्स में जो कुछ भी मण्डियां सरप्लस हैं उन मण्डी सरप्लस का कुछ पर्सेंटेज वहां पर ओपन मार्केट से खरीद कर एक प्रणाली के जरिये जहां कि कुछ प्राईसेज को फिक्स किया जा चुका है। पेंडी की प्राइसेज प्रोड्यूसर्स के लिए क्या होंगी और किस रेट पर यह कॉर्पोरेशन खरीदेगा, इस बात की व्यवस्था कॉर्पोरेशन ने देश के कुछ राज्यों में इस काम को अपने हाथ में लिया है। व्हीट के सिलसिले में खास तौर से जहां दो प्रोविन्सेज व्हीट के मामले में सरप्लस हैं उनमें खरीद किसी एक एजेन्सी के मार्फत हो, इस बारे में राज्य सरकारों से भारत सरकार की तरफ से पूछा गया है और राजस्थान में जैसा सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे राजस्थान में व्हीट का उत्पादन करीब करीब किन्हीं सालों में जो कुछ हमारी नीड्स हैं उससे कम उत्पादन करता है, या कुछ सालों में उतना ही पैदा करता है जितनी कि हमारी नीड्स के लिए जरूरी है या कभी थोड़ा बहुत सरप्लस हो जाता है। जैसा आप जानते हैं कि गेहूं का उत्पादन राजस्थान में ९ लाख टन से लेकर १२ लाख टन के बीच में चलता है। पिछली साल से क्योंकि अकाल था तो

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हमारे यहां व्हीट का उत्पादन ७।। लाख टन के लगभग था और हमारी जरूरत आम तौर से ११।। लाख और १९ लाख टन के करीब है। इसलिए हमने सोचा कि इस साल का जैसा प्रॉडक्शन का एस्टीमेट है मैंने सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखा था कि व्हीट का एस्टीमेटेड प्रॉडक्शन इस साल १२ लाख टन के लगभग है। जो पहले फोरकास्ट आया है उसके मुताबिक और शायद ये आंकड़े ठीक निकल सकेंगे। भारत सरकार ने इसकी फोरकास्ट १० और ११ लाख टन के बीच में की है। इसलिए आप सोचते हों कि बहुत बड़े पैमाने पर सरप्लस हैं और हमको कॉर्पोरेशन की मदद लेनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से उस बात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार स्वयं व्हीट के कुछ स्टॉक्स बनाये लोकल कन्जम्प्शन के लिए और कुछ जैसा जोन्स सिस्टम रखा गया है हमारा देश एक है और कुछ पड़ोसी राज्य जो कि खाद्यान्नों में बहुत ही डेफिसिट हैं भारत सरकार का यह गेहूं प्राड्यूसिंग स्टेट्स में आग्रह रहा है कि क्योंकि आपने जोन्स की व्यवस्था लागू करवाने में हमको इस बात के लिए कहा है तो आपको भी कुछ उदारता रख कर राजस्थान के अन्दर जो कुछ व्हीट पैदा करता है वह देशी गेहूं हिन्दुस्तान के दूसरे डेफिसिट इलाके को भी कुछ मात्रा में दिया जा सके, जिस मात्रा के बारे में अभी तक भारत सरकार से विचार-विमर्श चल रहा है। मैं समझता हूं कि कुछ गेहूं एक तरीके को अपना कर हमें भी बफर स्टॉक के रूप में हमारा जितना भी सरप्लस प्रॉडक्शन होगा उसमें सारी स्थिति को ध्यान में रख कर उस गेहूं को हम कैसे प्रोक्योर कर सकें उसकी व्यवस्था हमें लागू करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बफर स्टॉक व्हीट के बनाने का प्रश्न है, मैंने कहा कि जो सरप्लस डिस्ट्रिक्ट्स हैं...

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : ऑन पॉइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन, सर, मैं यह दर्याफ्त करना चाहता हूं कि यह बफर स्टॉक मेन्टेन करने का और गेहूं के पर्चेज करने का सवाल है, तो क्या यह गेहूं पर्चेज उस समय किया जायेगा जिस समय कि गेहूं मण्डी में आकर व्यापारी ले लेंगे या १०-१५ दिन में यह कॉर्पोरेशन के जरिये या किसी भी एजेन्सी के जरिये सरकार गेहूं का स्टॉक कर लेगी, वर्ना यह होगा कि गेहूं नहीं मिल सकेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसकी व्यवस्था कर ली है और वह कॉर्पोरेशन की मार्फत नहीं बल्कि राज्य सरकार स्वयं खरीदेगी और अपने पर्चेज़िग ऑफिसर्स के मार्फत खरीदेगी। जहां किसान अपना गेहूं लायेगा और जो बोली वहां लगाई जायेगी उस मौके पर बोली के ऊपर राज्य सरकार को स्वयं को गेहूं खरीदने का अख्तियार होगा। इस व्यवस्था के अनुसार कुछ गेहूं की खरीददारी राजस्थान में की जा सके, इस तरह की व्यवस्था हमने की है और वे ऑर्डर्स सारे जिलों में इस प्रणाली के जरिये कलेक्टर्स और हमारे अधिकारीगण काम कर सकें इसकी सूचना उनको दे दी गई है....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : कब दी गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ५-७ रोज पहले। मैं समझता हूं कि उसकी व्यवस्था आगे से की जा चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि सदन की परम्परा यदि स्थापित रखनी है तो बैठे हुए कुछ कहा जायेगा तो वह कहने का अधिकार तो है, फिर भी उसको माननीय संबोधित सदस्य सुने नहीं सुनें वह बात बिल्कुल उनकी मर्जी के ऊपर होगी। अनियमित कथन का नोटिस लिया भी जा सकता है, न भी लिया जावे।

श्री नाथूराम मिर्धा : क्या करूं, मैं तो आपके हुक्म से मजबूर होकर सुन रहा हूं; बैठे हों, ऊबे हों, कुछ भी हों। फिर भी आपने बड़ी कृपा से इसको रियलाइज़ किया है। मैं गेहूं के बारे में जो कुछ कह चुका हूं मैं समझता हूं कि कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कितना स्टॉक बनाने की कल्पना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जितना उत्पादन होगा और मण्डी में फ्लो कितना होगा, जो सरप्लस आयेगा उसमें ठीक क्वान्टिटी का अन्दाजा नहीं कर पाये हैं अभी विचार कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसके लिए आपने बजट में कितना प्रावधान रखा है बफर स्टॉक रखने के लिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई धनराशि की सीमा नहीं है। जितना रुपया हमें चाहिए वह हमारे पास है।

श्री भैरोंसिंह : यह कौन सी व्यवस्था है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : धान के खरीदने का जहां तक प्रश्न है हमारे पास भारत सरकार ने छूट दे रखी है कि जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पिछली बार आपने बिल्कुल उल्टी बात कही थी।

श्री नाथूराम मिर्धा : जब उल्टी थी तब उल्टी बात कही और जब सुल्टी है तो सुल्टी कह रहा हूं। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि गेहूं और कोर्स ग्रेन के बारे में जिसका चित्र मैंने अभी दिया, मैं एक बार पुनः दोहराना चाहता हूं कि जब तक एक साल हमारे पूरे नहीं होकर नई फसल नहीं आ जाये तब तक इस व्यवस्था के अन्दर बेसिक तौर से कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा इस बात को आप जोर से जाकर राज्य के कोने कोने में ऐलान कर सकते हैं।...

श्री कृष्णकुमार गोयल : चाहे बाई-इलेक्शन आ जायें।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : यह बफर स्टॉक की बात आप कह रहे हैं; महीनों से चार आने, आठ आने के गेहूं नहीं मिल रहे हैं। उसके लिए क्या प्रबन्ध है मंत्री महोदय कह दें; चूरू, रतनगढ़ और सरदारशहर सब जगह यही स्थिति है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो समझदार आदमी हो। आप बैठो, मैं आपने जवाब

(श्री नाथूराम मिर्धा)

देशूं । तो गेहूं और कोर्स ग्रेन के बारे में जिस नीति को हमने अपनाया उसी नीति को मान कर जब तक हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना का आखिरी साल पूरा होगा उसी हिसाब से हम इस नीति को लागू करते हुए चलेंगे ।

अब मैं थोड़ा चने के बारे में कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री मोहनलाल सारस्वत : आज लोगों को ४ आने का गेहूं नहीं मिलता । डॉक्टर लिख कर दे तो नहीं मिलता, न इम्पोर्टेड व्हीट मिलता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप विराजो तो सही । मैं सारी बातें कहूंगा ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आप वफर स्टॉक बनाना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, लोगों को अनाज तो मिलना चाहिए । इम्पोर्टेड व्हीट भी नहीं मिलता..

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य बारबार कह रहे हैं इम्पोर्टेड व्हीट नहीं मिलता, यह किस जगह पैदा होता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि...

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित (सीकर) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ...

श्री उपाध्यक्ष : बाद में पूछ लें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जौ भी राजस्थान के कुछ इलाके का एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है । जौ के सिलसिले में भी अभी जो कुछ कानून लागू किया गया है मैं समझता हूँ कि सदन के माननीय सदस्यों को उसकी जानकारी है । जौ के बारे में जो हमारा पिछला साल का निर्णय था वह यह था कि जौ भी बाहर जायगा; तो उसका १।४ व्यापारी लोग बाहर भेजेंगे और ३।४ यहां पर राजस्थान के अन्दर बेचेंगे । उसकी न मिनिमम प्राइसेज प्रोड्यूसर्स के लिए थी और न उसकी मेग्जिमम प्राइस कन्ज्यूमर्स के लिए थी । इस साल के लिए भारत सरकार से सलाह करने के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है और कानून के रूप में उसकी घोषणा की जा चुकी है कि जौ के सिलसिले में भी एक साल तो राजस्थान अपने आप में जोन रहेगा और जौ का एक्सपोर्ट राजस्थान के बाहर नहीं होगा । जितनी भी जौ की डिमान्ड मिलिट्री के क्रेडिट नोट्स पर आर्मी के लोगों की जरूरत हो उसकी व्यवस्था राज्य सरकार यहां से जौ खरीद कर मिलिट्री क्रेडिट नोट्स के आधार पर मिलिट्री के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी । तब तक इस बात की भी व्यवस्था की है भारत सरकार के कहने के ऊपर कि कुछ जो इन्डस्ट्रीज जौ के ऊपर काम करती हैं उनकी भी नीड्स को भारत सरकार की सलाह पर राज्य सरकार पूरा करने की कोशिश करेगी....

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह इन्डस्ट्रीज जौ की शराब बनती है उसके लिए जौ बाहर नहीं जायेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : भारत सरकार की सलाह के हिसाब से...

श्री मुरलीधर व्यास : शराब के लिए जा रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आर्मी की जरूरत होगी तो देना पड़ेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : शराब के लिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसलिए मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि इतने खाद्यान्नों के बाद इस मुस्तकिल नीति के निर्माण के बाद इसके लिए जिन प्रावधानों की नियमों में करने की आवश्यकता थी उन्हीं प्रावधानों को राजस्थान के अन्दर बनाया गया है और उसी तरह से नोटिफिकेशन, रूल्स के निर्माण करने की जो जरूरत थी वही काम किया गया है।

चने के प्रश्न को लेकर मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूँ कि चने की नीति में दो दफा परिवर्तन हुआ है। शुरू शुरू के अन्दर हमने वही चने की नीति रखी थी कि ३३ पर्सेन्ट चने का जो व्यापारी का स्टॉक बना है उसको एक्सपोर्ट कर सकता है और ६६ पर्सेन्ट उनको राजस्थान के अन्दर मंडियों के अन्दर बेचना पड़ेगा। मुझे आपकी मारफत सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना है कि इस नीति की पालना के अन्दर जिस प्रकार मैंने पहले भी कहा कि जितनी पाबन्दियां जिस प्रकार की थीं उनकी व्यवस्था जैसी होनी चाहिए थी उसमें कमी रही है और भूलें रही हैं। उसका कारण यह था कि उस समय हमारे पास में फुड डिपार्टमेंट के पास एस्टेब्लिशमेंट की कमी थी और जब इस प्रकार मौका हुआ उसके बाद में चने के कानून के अन्दर परिवर्तन किया और वह सोचा, जैसा कि मैंने स्वयं ने कई दफा निवेदन किया कि बीजान का वक्त था, किसानों को चने के दाम ८०-९० रुपया क्विन्टल देना पड़ रहे थे, उस समय भारत सरकार को राज्य सरकार ने एप्रोच किया कि हमारे यहां चने की कीमतें बहुत ऊंची जा रही हैं, इस बात की व्यवस्था की जाय। परमिट की व्यवस्था नहीं थी। स्वयं व्यापारियों पर छोड़ दिया गया था कि आपस्वयं १/३ बाहर भेजें और २/३ यहां बेचें। उन्होंने जिस प्रकार से बही खातों में जमा खर्च किया और जिस प्रकार से एक्सपोर्ट की व्यवस्था को चालू रखा उसमें बड़ी अनियमितताएं हुई और मैंने जैसा कि आपसे कहा कि काफी बड़ी पर्सेन्टेज इसमें व्यापारियों की इन्वोल्व्ड थी, चाहे चने की दाल थी या चने का एक्सपोर्ट था। जिन तीन केसेज़ को लेकर यहां जिक्र किया गया। इस प्रकार एस्टेब्लिशमेंट नया फिल-अप किया गया, जो काफी महीनों के बाद किया, जब कि चने के अन्दर जो तान था पुराने केसेज़ के अन्दर एन्क्वायरीज़ वगैरह कई जिलों में चालू हुई। किशनगढ़ वाला मामला और ऐसे कई मामले राज्य सरकार के सामने आये। एस्टेब्लिशमेंट का स्टाफ पुराने कानून के अन्दर व्यापारियों की जांच पड़ताल करके सारी बातों को उसको करना पड़े तो राज्य सरकार ने केबिनेट लेवल पर माननीय मुख्य मंत्रीजी से सलाह करके इस बात को सोचा कि क्या पुराने सारे मामलों के अन्दर पड़ कर जिन लोगों ने

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अनियमितताएं की हैं उन अनियमितताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिये एन्फोर्समेंट स्टाफ को या जो मौजूदा कानून है उसके अन्दर जिस काम को करना उन कामों को प्रायोरिटी देकर उस काम को करे या उन चीजों के अन्दर जाये, तो यह निश्चय किया राज्य सरकार ने कि पुराने मामलों को खोद खोद कर निकालने से....

श्री भैरोंसिंह : ब्लैक मार्केटियर्स को छूट दे देनी चाहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह बात तो आप कहते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि ७५ पर्सेन्ट व्यापारी इसमें इन्वोल्व्ड थे...

एक माननीय सदस्य : सूरतगढ़ के मामले को कर दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे पकड़े गये हैं । वह चल रहा है । नई तरह से सारा प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने आपसे कहा कि उनकी बातों को नये तौर से खोदा जाय और उस नीति की पालना की जाय । तो उसके अन्दर राज्य सरकार ने यह सोचा कि बजाय पुराने मामलों के खोदने के नई दिशा में, नये कानूनों के इम्प्लीमेन्टेशन में स्टाफ को ज्यादा तवज्जह देनी चाहिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : जो खामी आपने रखी । उस कानून में खामी यह रही कि आपने कहा कि ३० पर्सेन्ट बाहर भेज सकता है तो ३० पर्सेन्ट भेजने के बाद वह स्टॉक को दूसरे को बेच सकता है, उसमें से उसने भेज दिया और फिर बाकी को तीसरे को बेच दिया और उसने भेज दिया । इस प्रकार से ६६ पर्सेन्ट जो बचा हुआ है वह जनता को मिलना चाहिये था वह तो नहीं मिला ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपकी सारी बात को समझ रहा हूं और यही कहना चाहता हूं कि ३० पर्सेन्ट भेजने के बाद कई लोगों ने ६६ पर्सेन्ट को सेल-रिसेल करके बहुत सी क्वान्टिटी को उसमें से बाहर भेज दिया है । यही आप कहना चाहते हैं । अब तो सारी व्यवस्था...

श्री भैरोंसिंह : आप यह बता दें कि केबिनेट ने जिस प्रकार का डिसीजन ले लिया है तो क्या उन रूल्स में परिवर्तन किये बिना ही केबिनेट केसेज़ को कम्पाउन्ड कर सकती हैं या उन केसेज़ को जो गवर्नमेंट के सामने आये हैं उन पर एक्शन लेने से बार कर सकती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रूल्स पहले बदल गये थे ।

श्री भैरोंसिंह : जिन पहले के रूल्स के अन्दर जिन लोगों ने गैर कानूनी कार्यवाही की है और आपके नोटिस में आई है और उनकी एन्क्वायरीज चल रही है उन सारे केसेज़ को केबिनेट ने किस आधार पर खत्म करने के लिए निर्णय लिया है ? कौन सा कानून आपको यह अधिकार देता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह कानून चूंकि बदल गया था और नये कानून

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में यह हो गया था कि ग्राम का एक्सपोर्ट न हो राजस्थान के बाहर यह कानून जिस समय लागू हो गया और पुराना कानून लागू नहीं रहा तो हमारे एन्फोर्समेंट के इन्सपेक्टर्स पुराने रेकॉर्ड्स की जांच-पड़ताल उस कानून के सिलसिले को लेकर कर रहे थे तो हमने यह कहा कि बजाय उन पुरानी चीजों के नई व्यवस्था को लागू करने में ध्यान देना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : अब आपकी इन्फोर्सेशन फिर भी सही नहीं है। आप कहते हो कि एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर्स ने किया है लेकिन किशनगढ़ में जिन तीन मिलों का मामला है उसमें कोई एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर नहीं था। उसकी तो तहसीलदार ने जांच की है और मौके पर जांच की है और जिस समय वह रूल था उस समय जांच की है और आपको इत्तिला दी है। उन केसेज को कैसे कम्प्रो-माइज किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसके बाद की बात है। जानकारी मेरे पास है क्योंकि वह रूल जिसमें एक-तिहाई का था वह बिल्कुल बन्द हो चुका है...

श्री भैरोंसिंह : आपके पास जानकारी होगी तो आप बताइये कि उस तहसीलदार ने उन रूल्स के अन्दर जांच करके कलेक्टर को रिपोर्ट कर दी। रूल्स का विश्लेषण करके कि गलत एक्सपोर्ट किया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष, आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि चने के बारे में पहले १/३ का था और दूसरी दफा बन्द किया। दूसरी दफा जो कुछ भी व्यवस्था की है उसके द्वारा राजस्थान में जब चना बिल्कुल रोक दिया तो चने को रोक देने के बाद राजस्थान में बीज का समय निकल गया तो राजस्थान के चारों कोनों से मांग आने लगी कि राजस्थान में अभी तक चने का भंडार काफी बड़े पैमाने पर है इसलिए अगर यह चना राजस्थान के अन्दर रहा तो नहीं बिक सकेगा। और दूसरे हिन्दुस्तान के इलाकों में चने का भाव १००) रु० क्विन्टल का चल रहा है वहां पर चने की दाल तीन रुपये किलोग्राम देनी पड़ रही है तो भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को सलाह दी कि इस तरह की व्यवस्था की जाय कि कुछ चना राजस्थान के बाहर भी जा सके और राजस्थान के लोगों को भी मिल सके। तो हमने यह निर्णय लिया और राजस्थान में नया कानून बनाया। उसमें इस तरह की व्यवस्था की कि जो चना राजस्थान के बाहर भेजना चाहता है वह अपने स्टॉक का ५० पर्सेन्ट बाहर भेज सकता है और ५० पर्सेन्ट चना राजस्थान के अन्दर बेचे ५२) रुपये क्विन्टल पर और चने की दाल ५७) रुपये क्विन्टल पर राजस्थान सरकार को। इसकी वजह से राजस्थान सरकार के पास चने की दाल और काफी मात्रा में चने का स्टॉक आया इस स्टॉक का राजस्थान सरकार ने राजस्थान के लोगों के लिये उपयोग करने का मौका दिया और राजस्थान के करीब करीब ७-८ शहरों के अन्दर जहां पर चने की मांग थी उस चने को दिया है जिस भाव में खरीदा था उन भावों को ख्याल में रख कर रिटेल में डिस्ट्रीब्यूशन करने की व्यवस्था की है। जब शहरों में चने

(श्री नाथूराम मिर्धा)

को मांग नहीं रही और सब लोगों ने चना लेने से इन्कार कर दिया तो जो कुछ स्टॉक था राजस्थान सरकार के पास पुराने चने का था उसको गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और बंगाल को काफी मात्रा के अन्दर वह चना भेजा और उसकी मात्रा मैं अभी माननीय सदस्यों को बता दूंगा इस तरह से....

एक माननीय सदस्य : आज से १० दिन पहले मैंने जिक्र किया था तब मुझे कहा गया था कि कलेक्टर को आर्डर इश्यु कर दिए हैं एफ. आई. आर. जारी करने के लिए उसका क्या हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : न तो कलेक्टर से बात हुई न मेरे से बात हुई ।

वही माननीय सदस्य : आपने कहा था एफ. आई. आर. का...

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी उनसे बात नहीं हुई । शुरू शुरू में आप मैटर को पर्स्यू कर रहे थे, बाद में क्या हुआ मुझे पता नहीं ।

इसलिए मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि चने के बारे में राज्य सरकार ने तय किया है कि ४०) रु. क्विन्टल से नीचे नहीं गिरे । यदि ४०) रु. से नीचे गिरता है तो इस चने को किसानों से खरीदने के लिये राज्य सरकार ने अपनी व्यवस्था सभी मंडियों में कर रखी है । इसलिये चने का भाव मुकर्रर है और एक्सपोर्ट की व्यवस्था नये चने की नहीं है, पुराने चने का स्टोक था वह दूसरे राज्यों में भारत सरकार की राय से जहां जरूरत थी वहां दिया गया....

श्री भैरोंसिंह : मंत्रीजी का भाषण तो हमने बहुत सुन रखा है । जिन लोगों ने कानून को तोड़ कर एक्सपोर्ट किया, कमाई की, उनको ये संरक्षण देरहे है,जो भ्रष्टाचारी है उनको संरक्षण दे रहे हैं । जो लोग ईमानदार रहे, घाटा जिन्होंने भुगता उनका चालान कर रहे है और चोरी से बेचकर जिन्होंने लाभ उठाया उनका चालान नहीं किया गया । मैं समझता हूं सरकार स्वयं उनके साथ में लाभ उठा रही है । ब्लेक मार्केटियर्स, होर्डर्स लाभ उठायेंगे और सरकार उनके खिलाफ केसेज कोर्ट में नहीं जाने देगी, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दिया जायगा । इस बारे में केबिनेट ने डिसीज़न लिया है वह बहुत बड़ा ब्लेकमेलिंग है । उन लोगों को संरक्षण देकर इस प्रकार यहां पर भाषण देना सदन का अपमान है । इसके प्रोटेस्ट में मैं मेरे दल के साथ वाक आउट करता हूं और मैं सरकार को सूचना देना चाहता हूं कि ब्लेक मार्केटियर्स को संरक्षण देकर ब्लेक मेलिंग करके सभी लोगों का शोषण करने का तरीका बना रखा है वह जायज नहीं है इससे पूरे राजस्थान पर बहुत बुरा असर होगा ।

(जनसंघ के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): आपको श्री भैरोंसिहजी ने जो बातें अभी कही हैं वे

Page No.135

(श्री मुरलीधर व्यास)

बहुत महत्वपूर्ण हैं। बार बार उन बातों को कह कर मंत्रीजी मुद्दे को दबाने की कोशिश करते हैं। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं यह सदन का अपमान है, जो समस्या हल करना चाहते हैं वह इससे नहीं हो सकती ऐसी स्थिति में हमारा दल भी वाक-आउट करता है।

(संयुक्त समाजवादी दल के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): मैं समझता हूं माननीय मंत्रीजी ने जो कुछ बयान दिया है उसका खुला मतलब यह है...

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जाना चाहते हैं तो चले जाइये ...

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप सुन लीजिये। सरकार ने चना खरीदा और क्योंकि जनता ने उसे लिया नहीं इसलिये उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया जो रेट दी है मैं नहीं समझता कि उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया है। यह सरकार जनता को चना न देकर दूसरी सरकारों को देकर मुनाफा करे, २०) २५) क्विन्टल मुनाफा कमावे, ब्लेक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ प्रोसीक्युशन नहीं करे ऐसे मंत्री का बयान सुनने को हम तैयार नहीं हैं। हमारा परम कर्त्तव्य है कि जनता को खाद्यान्न दिलाने के लिए वाक आउट करें, प्रोटेस्ट करें और मांग करें कि मंत्रीजी से इस्तीफा लिया जाय...

(शोरगुल)

(श्री मानिकचन्द सुराणा द्वारा बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री जयनारायण मालोदिया (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में भाषण नहीं दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बाहर चले जाइये। भाषण किस बात का।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमें अपना स्टेटमेन्ट करने का अधिकार है कि क्यों वाक आउट करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो खाद्य मंत्री....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आप किस रूल की तहत भाषण कर रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : बिल्कुल भगवान के भरोसे पर छोड़ने की नीति है वह नीति ऐसी है जिसके जरिये कोई इन्तजाम राज्य सरकार नहीं कर रही है। जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले हैं उनको खुले तौर से बचाने की नीति इस सरकार की है, उनको खुले तौर से संरक्षण देने की नीति है। हम इसको बहुत बुरा समझते हैं और इसके प्रोटेस्ट के रूप में वाक आउट करते हैं।

●

(साम्यवादी दल के सदस्य वाक आउट करते हैं)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज् !

श्री जयनारायण सालोदिया : जिन लोगों ने मेल मुलाकात करके ब्लेक मार्केटिंग किया है उनको बचानेके लिए नये कानून की आड़ में इस तरह की बात करना सरकार के लिये शर्म की बात है । हम इसके विरोध स्वरूप सदन से वाक आउट करते हैं ।

(स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य द्वारा बहिर्गमन)

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन कर रहा था चने के सिलसिले में...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : (बाहर जाते हुए) जिन ब्लेक मार्केटियर्स का चालान करना चाहिये था उनका चालान नहीं किया...

श्री नाथूराम मिर्धा : चालान करेंगे तो तुम्हीं रोवोगे । तुम्हारा सब धुंआ निकल जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज् !

श्री नाथूराम मिर्धा : तो मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के शहरों में चने की मांग बिलकुल नहीं रहने के बाद जो स्टॉक हमने खरीद कर बनाया था वह स्टॉक हमारे देश के दूसरे राज्यों में काम आ सके इसलिये उचित कीमत पर, जिसमें कोई मुनाफा नहीं था सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज और जो खर्चा स्टोरेज इत्यादि में हुआ उसको जोड़ कर जो कि दोनों मिला कर ७)-८) रु० क्विन्टल के लगभग होता है उसको जोड़ कर, जिन कीमतों पर चना हमने खरीदा था उसके साथ इसको जोड़ कर हमने दूसरी सरकारों को दिया इसलिये सदन के माननीय सदस्यों का यह कहना बिना जानकारी के कि राज्य सरकार ने स्वयं मुनाफा करके दिया, स्वयं मुनाफा करते हैं वे दूसरों को कैसे रोक सकते हैं, ये सारी बातें बिना तथ्य की हैं । राज्य सरकार ने जिस भाव से चना खरीदा था उसके साथ उपयुक्त और चार्जेज जोड़ कर दूसरे राज्यों को दिया उसकी वजह से उन राज्यों में चने के भावों में काफी उतार आया, लोगों को चने की दाल और चना सस्ते भाव से उपलब्ध हुआ और जो चना व्यापारियों के जरिये ५० परसेन्ट बाहर गया था मैसोर, केरल, मद्रास, गुजरात आदि रियासतों में गया वहां पर चने का पहले जो भाव था उससे काफी नीचा भाव गया । एक एक क्विन्टल पर ३०) रु० तक का उतार आया ।

राजस्थान की नीति से उनको काफी फायदा हुआ । इस दृष्टि से चने के बारे में जो कुछ नीति हमारी थी वह आज भी मौजूद है और आने वाली फसल के बारे में कुछ बात-चीत भारत सरकार से चल रही है । मैं नहीं कह सकता कि क्या डिसीजन फाइनली लिया जायगा, लेकिन जो भी डिसीजन लिया जायगा वह थोड़े ही दिनों में जनता के सामने आयेगा । इसलिये कोर्स ग्रेन, चना, जौ और दूसरे खाद्यान्न की स्थिति के बारे में कहने के बाद जो खास तौर से समस्या माननीय सदस्यों ने उठाई बोर्डर के अन्दर इन खाद्यान्नों के मूवमेंट के बारे में जो पाबंदियां हैं उनकी वजह से वहां के किसानों को काफी कठिनाई का सामना

(श्री नाथूराम मिर्धा)

करना पड़ता है इस बारे में मैं आपके जरिये जानकारी देना चाहता हूं कि जिन चीजों का राजस्थान का अपना जोन है उन चीजों का स्मगलिंग राजस्थान-के पड़ौसी राज्य में नहीं है उसको ध्यान में रखकर हमने १० मील का बोर्डर बेल्ट इस तरह का बनाया है जिसमें खाद्यान्न के मूवमेंट पर पाबन्दी लगाई है, उसकी वजह से जो जायज़ तौर पर काम करने वाले हैं उनको कठिनाई नहीं हो इसका ध्यान रखा है; हमने यह कहा है कि कोई किसान जो हमारे इन क्षेत्रों की मंडियों के नजदीक पड़ता है यदि वह खाद्यान्न का मूवमेंट उन मंडियों में करता है और धान देता है तो कत्तई तौर से नहीं रोका जाय और उस धान को मंडियों में आने दिया जाय। इसके अलावा यह भी व्यवस्था कानून में है कि कोई आदमी पर्सनल यूज़ के लिये २० किलोग्राम तक खाद्यान्न ले जाता है तो उसको तंग नहीं किया जाय। अलबत्ता इस बात की व्यवस्था है कि इस बोर्डर पर एक गांव से दूसरे गांव में इस तादाद से ज्यादा अनाज का मूवमेंट होता है तो जो ऑफिसर वहां पर है उनसे इजाजत लेकर ले जा सकते हैं। इसके लिये तहसीलदार को पॉवर्स दिये हैं, एस. डी. ओ. को दिये हैं इनसे नीचे जाना उचित नहीं समझा गया। इनसे परमिट लेकर मूवमेंट करना चाहें तो कर सकेंगे।

अपने राजस्थान की उचित व्यवस्था को ठीक रखने के दृष्टिकोण से किया गया है। मैं सोचता हूं राजस्थान के किसानों को तकलीफ हो, राजस्थान के व्यापारियों को तकलीफ हो, वहां पर उनका धान नहीं बिके-इस प्रकार का सरकार का इरादा नहीं है। और जहां कहीं भी दिक्कत जनता के सामने आती है और उसकी हमको सूचना मिलती है तो हम लगातार वहां कलेक्टर से और दूसरे ऑफिसर्स से सम्पर्क स्थापित करके उनकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं। अब बाउन्ड्री पर इस कानून की वजह से तकलीफ होती है, वह तकलीफ दूर हो इसके लिए छूट रखें तो जितने धान का कंट्रोल किया है वह खत्म होकर फिर धान का स्मगलिंग होने लगता है। तो इसकी वजह से हमें कंट्रोल मुश्किल का सामना करने के लिए रखना पड़ता है। इस दृष्टिकोण से इसे लागू करना जरूरी था।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आप दस मील के रेडियस में आने वाले गांवों के नाम गजट में छापा नहीं करते हैं तो इसके कारण दूसरे गांवों के मामले में कन्फ्यूज़न होता है और मुंह मंडी और गांव की तरफ पड़ता है उसमें भी कन्फ्यूज़न होता है। वह कहते हैं बाउन्ड्री की तरफ मुंह है और गांव वालों का कहना है कि मंडी की तरफ मुंह है, वहां जायेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि दस मील के गांवों की सूचियां निकालने से लाभ नहीं है। अगर प्रेक्टिकल वे में इसे इम्प्लीमेंट करने में किसी तरह की कोई अड़चन आती है तो उसकी व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं।

श्री दलपतसिंह (आबू) : एक जानकारी दे दें कि आबू रोड की मंडियों से एक महीने के अनाज को ले जाने का आदेश दें,

(श्री दलपतसिंह)

एक महीने के अनाज का परमिट काश्तकारों दे दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आबू रोड की मंडियों के लिए मैं पहले कह चुका हूं। अब दिक्कत नहीं होगी क्योंकि दस मील के रेडियस में धान आता है उसको आने दिया जायगा, उसमें रोक नहीं लगाई जा सकेगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : नसीराबाद की प्रोब्लम है उसके लिए निश्चित जवाब दें।

श्री गोविन्दसिंह (गिड़ावा) : ग्रोन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन...

श्री उपाध्यक्ष : इतने पोइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन नहीं होते हैं।

श्री गोविन्दसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुकाबले में मध्य प्रदेश में गल्ले की कीमत कम है। झालावाड़ जो बाउन्ड्री पर है उसकी स्थिति विचित्र है, दस मील इधर बाउन्ड्री पर आ जाता है, दस मील उधर बाउन्ड्री पर आ जाता है। इसलिए झालावाड़ की मंडियां खाली हो चुकी हैं और उनमें गल्ला नहीं आ रहा है। जब राजस्थान की मंडियों में गल्ला आता है उस पर आप यह ऑर्डर निकाल देते हैं तो गल्ला आना बन्द हो जाता है और काश्तकारों को परेशानी होती है। इस तरह झालावाड़ की विशेष परिस्थिति है...

श्री नाथूराम मिर्धा : क्या करें?

श्री गोविन्दसिंह : गल्ला मध्य प्रदेश में नहीं जा सकता क्योंकि वहां कीमत कम है।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऑर्डर उठा दें। क्या करें?

श्री गोविन्दसिंह : वहां ध्यान देकर ठीक व्यवस्था करने की कोशिश करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : क्या व्यवस्था करें? यह व्यवस्था की हुई है। वैसे भी मध्य प्रदेश में धान सस्ता है, इसलिए वहां जायगा नहीं। दस मिल के रेडियस में धान और चना के सम्बन्ध में आपने ही मेरी बात का स्पष्टीकरण कर दिया है इसलिए उस कानून को हटाने की जरूरत क्या है?

श्री गोविन्दसिंह : मंडियों में गल्ला कैसे लायें?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कह दिया है इसके बाद पाबन्दी नहीं होगी। मंडी की तरफ धान का मूवमेंट हो तो किसी तरह की पाबन्दी अधिकारीगण न लगायें इस प्रकार के साफ आदेश अधिकारियों को दिये जा चुके हैं।

इसके साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना गलत है कि धान अवेलेबल नहीं है, त्राहि-त्राहि मच रही है, यह हो रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १३-४-६४ के भाषण का जिक्र किया गया, उस भाषण में जो कुछ कीमतें मैंने इन खाद्यान्नों की इस सदन के सामने रखी थीं और उसके बाद में आज

(श्री नाथूराम मिर्धा)

क्या कीमतें हैं, अगर इनका कम्पेरीजन करें तो जो कुछ यहां पर कहा गया और जो आवाज उठाई कि बहुत मंहगाई बढ़ रही है, कीमतों में बहुत उतार-चढ़ाव आ रहे हैं-यह कत्तई तथ्य नहीं है। जो आज की प्राइस हैं और जो १३-४ को मैंने कोट की थीं उसके मुकाबले में वही प्राइस हैं सिवाय, जैसा मैंने कहा कि एक-आध चीज को छोड़ कर, जिसमें खास तौर पर ज्वार में तीन-चार रुपये का उतार-चढ़ाव हुआ, बाकी के भाव स्टडी हैं। जो स्टेटमेंट मैंने उस दिन दिया था उसके मुकाबले में कीमतों में भारी उतार चढ़ाव नहीं है....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): चने के भाव में उतार-चढ़ाव है।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं बता दूंगा। मुझे याद है।

श्री किशनसिंह बाटड़ (लक्ष्मणगढ़): आप कहते हैं कि भावों में फर्क नहीं पड़ा है। हमारे जिले में एक किलो गेहूं नहीं मिलता है।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं गेहूं की बात नहीं कह रहा हूं। गेहूं के भाव इस वक्त फिक्स्ड हैं और उसके अवेलेबिलिटी की बात नहीं कह रहा हूं। कुछ जिलों में ऐसी स्थिति होगी।

खास तौर से जो चने की बात कही, पुराने चने के ७६),७८) रु. के भाव बताये। उसके बाद में चार महीने पहले के भाव बताये वह ५५-६५ रु. के भाव बताये। नये चने के भाव ५५ से ६८ के बताये। आज पुराने और नये दोनों प्रकार के चने के भाव शामिल हैं और वह पचास रुपये से लेकर ७२ रुपये क्विन्टल तक के हैं। तो हमें इसमें क्वालिटी और हर बात को सामने रख कर चलना पड़ेगा। आज कोई नया फेक्टर खड़ा हो गया हो-यह बात नहीं है।

गेहूं के बारे में कहा गया कि गेहूं का जोन हो। मैं निवेदन करूं कि जो डेफिसिट क्रोप थी लास्ट ईअर उस समय जो किसानों के पास अवेलेबल था वह बाजार में चला जायगा और अब नई फसल आयेगी तो बाजार में संतुलन आयेगा। एक-दो जगह के लिए बताया गया कि वहां गेहूं अवेलेबल नहीं है। यह स्वीकार किया है कि कुछ जगह आज असुविधा है लेकिन गेहूं की फसल आने वाली है, धान मार्केट के अन्दर आने वाला है। इसके साथ ही दस, पन्द्रह हजार टन व्हीट, इम्पोर्टेड व्हीट है, वह जो हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा है, उनके बारे में मैं सोचता हूं कि मई के महीने में, जो कुछ आज अवेलेबल हुआ है पन्द्रह हजार टन, वह डिस्ट्रीब्यूट होगा और उससे स्थिति में सुधार होने की गुंजाइश है।

नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने तार और चिट्ठियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पास सूचना आई है कि अजमेर के अन्दर स्टॉक है तो वहां से साढ़े तीन सौ, चार सौ बोरियां नसीराबाद भेजने की व्यवस्था की, इसके अलावा विशेष तौर से आटे की बोरियों की परमिट

(श्री नाथूराम मिर्धा)

दी। तो यह व्यवस्था हम टेम्प्रेरीली व्यवस्था करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा जो नया एलॉटमेंट किया, गया है ५०० बोरी के लगभग वह जल्दी से जल्दी वहां डिस्पेच होकर पहुंचे। मौजूदा महीने में स्टॉक पहुंच जाय, कुछ अजमेर पहुँच जाय और कुछ आटा यहां से दिया जाय-इससे वहां की स्थिति में सुधार हो सकता है। यह व्यवस्था की जायगी कि नसीराबाद के लोगों को तकलीफ नहीं हो-इस बात की कोशिश की जायगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास: ऐसा है कि दो हजार गांव जिनमें फेमिन कन्डीशन हैं उनके बारे में क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा: फेमिन कन्डीशन के बारे में निवेदन है कि हमारे पास कोर्स ग्रेन है।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा): मन्त्री महोदय, सामने कोई नहीं है। हम ही लोग हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: सामने नहीं हैं तो क्या। आपको तो सुनाना है और हमें रिकॉर्ड में लिखाना है।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोर्स ग्रेन की व्यवस्था के लिए हमारे पास में स्टॉक में काफी है और इसलिए स्केर्यसिटी एरिया, जहां भावों में तेजी नजर आयेगी, हम सारी चीजों की व्यवस्था कर सकते हैं...

श्री गिरधारीलाल व्यास: तेजी का सवाल नहीं है, जहां अवेलेबल नहीं है वहां भेजना है।

श्री नाथूराम मिर्धा: मुझे बतायें, कहां अवेलेबल नहीं है। मैं इन्तजाम कर दूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास: मेरी तहसील में यह स्थिति है।

श्री नाथूराम मिर्धा: आपने कभी मुझसे कहा नहीं। मैं प्रबन्ध कर दूंगा।

श्री किशनसिंह बाटड़: मैंने आपको कहा कि हमारे यहां एक किलो गेहूं भी नहीं मिल रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा: दस-पन्द्रह दिन में नई फसल आ रही है तब आपको मिल जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं, जो हमारे यहां कोर्स ग्रेन का स्टॉक था, उसमें से करीब पन्द्रह हजार टन गुजरात में ज्वार, मक्का, बाजरा और चना गया है, करीब सात ८ हजार टन हमारे यहां से महाराष्ट्र को देने के लिए बात की है, बाजरा, ज्वार और यह धान! माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि वहां धान की, फूड ग्रेन्स की कमी है, वहां डेफिसिट है तो जो सरप्लस स्टेट हैं वह मदद नहीं करेंगे और अपने आपको एक जोन मान कर यह व्यू बनाने लगेंगे तो हम पड़ोसी राज्यों से क्या मदद मांग सकते हैं. यह व्यू लिया गया तो एकता की बात कहां तक उचित होगी-इस बात को सोचना है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इसलिए जो चीज हमारे पास है, अपने स्टॉक का ध्यान रखते हुए, उसमें से दिया है और फिर भी जो सरप्लस है उसमें से दिया जायगा।

यहां यह भी कहा गया कि सहकारी समितियों को गल्ला दिया जाता है उससे उन्हें नफा कमाने का मौका दिया जाता है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, यह तथ्यहीन और आधारहीन बात है। राज्य सरकार, गुजरात की तरफ से, राज्य सरकार महाराष्ट्र की तरफ से सहकारी समिति ओपन मार्केट से अनाज खरीदती हैं, वहां वह राज्य सरकार के विहाफ पर काम करती हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में उन सहकारी समितियों पर पूरा नियंत्रण है और किस भाव में अनाज खरीदा जाता है और वहां के भाव को ध्यान में रखते हुए और खर्च को ध्यान में रखते हुए उसकी राज्य सरकार कीमत मुकर्रर करती है और उन्हीं कीमतों पर राज्य की जनता को धान उपलब्ध कराया जाता है। इन सहकारी समितियों को धान दिया जायगा और व्यापार को कन्ट्रोल किया जायगा-इस बात को उलट-पुलट रूप में रख कर गलतफहमी पैदा करने की दृष्टि से विरोधी पक्ष के लोग अपनी बात रखते हैं और जो तथ्यों की बातें हैं उनसे बिल्कुल परे होकर सदन में रखने की कोशिश करते हैं। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूं कि जो कुछ इस रेगुलेटिंग ऑर्डर की मार्फत स्टॉक बनेगा व कोर्स ग्रेन का स्टॉक वाजिब कीमतों पर, बिना फायदा, जिसमें वेस्टेज, ट्रान्सपोर्ट चार्जेज, बिना किसी मुनाफे के धान मुहय्या करने की जरूरत होगी करते हैं और दूसरी रियासतों को भी जरूरत होगी तो देंगे। राज्य सरकार सीमित दायरे में जिस प्रकार बफर स्टॉक बना रही है, किस प्रकार मार्केट पर कन्ट्रोल रख सकती है। जितने भी नियम हैं; मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के सारे प्रान्तों के खाद्यान्नों की एवेलेबिलिटी के दृष्टिकोण से, कीमतों के दृष्टिकोण से देखें, राजस्थान मध्यप्रदेश, मध्यभारत को छोड़ कर रबी और खरीफ की फसलों की कीमतें देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमारे यहां की कीमतें दूसरी स्टेटों की कीमतों से कम हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कोर्स ग्रेन की कीमतें भी सारे हिन्दुस्तान में मध्यप्रदेश को छोड़ कर दूसरी जगहों से सबसे कम हैं। पंजाब में जो इतना बड़ा सरप्लस एरिया है जहां पर रबी की कीमतें जैसे गेहूं और चना, इन दो चीजों को छोड़ दीजिये, दूसरी चीजों की कीमतें हमारे यहां पंजाब से कम हैं। इसलिये हमने जिन नियमों को यहां पर लागू किये हैं उनके फलस्वरूप हम फूड पोजिशन पर काफी काबू पा सके हैं और जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि एवेलेबिलिटी के दृष्टिकोण से और कीमतों के दृष्टिकोण से हमारे यहां सिवाय दो स्टेटों को छोड़ कर, हमारे यहां, की पोजीशन सब जगह से अच्छी है। मैं यह कहूंगा कि यह सब उन नीतियों का परिणाम है जो राज्य सरकार ने कायम की और उनका पालन किया है। अब यह कहा जाता है कि नीतियों में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये। हम स्वयं यह चाहते हैं कि नीतियों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जावे और जहां जरूरी हो तो बहुत कम किया जावे । आप यह कहते हैं कि बिलकुल ही नीतियों में परिवर्तन नहीं हो, इसके लिए बुनियादी तौर से मैंने कहा है कि आगे हम कोई नीतियों में परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं और मैं यह कहूंगा कि राजस्थान के लोगों को १० या १५ दिन बहुत मुश्किल के हैं उनमें से निकालना है और मैं आशा करता हूं कि हम धीरे धीरे १०-१५ दिनों के बाद सुधार की ओर चलेंगे । इस बात की आशा और भरोसे के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो कुछ मैंने कहा है उससे आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः काल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५. ४५ बजे दिनांक १४ अप्रेल, १९६५ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ८७८ का उत्तर देखिये)

CRITERIA

FOR MIDDLE SCHOOLS (BOYS) TO BE UPGRADED TO HIGHER SECONDARY SCHOOLS.

1. The total number of students in the middle schools should be at-least 200 with at-least 74 students in the middle section i. e. class VI to VIII.
2. There should be atleast 5 feeder middle schools within a radius of 20 miles.
3. There should be no High School within a radius of 20 miles.
4. The number of students in class IX should be 25. But in case there exists another High/Higher Secondary School within 6 miles, the number of students should be 40.
5. The public should be held responsible for providing necessary building and the recurring and non-recurring expenditure for one year which would be about 16,100/- to Rs. 25, 000/ for second year.
6. Tehsil Headquarters having no high school should be given preference.
7. It is necessary that all things being equal, preference should be given to rural areas over the urban.

शुद्धि–पत्र

(कार्य-विवरण–मंगलवार, दिनांक १३ अप्रेल, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
८९१८	अन्तिम से ११, १०	सहकारी मंत्री, (श्री मथुरादास माथुर) ।	सहकारी मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) :
८९२९	शीर्ष	(श्री चन्ददमल वेद)	(श्री चन्दनमल वैद)
८९३१	,,	(श्री भैरोसिह)	(श्री भैरोंसिंह)
,,	१२	बिद्युत्	विद्युत्
८९३७	१०	यातायत मंत्री	यातायात मंत्री
८९५७	अन्तिम से ४	श्री चन्दनमल वैह्	श्री चन्दनमल वैद
८९५८	शीर्षक	स्थागित प्रश्नोत्तर	स्थगित तारांकित प्रश्नोत्तर
८९५९	,,	स्थगित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
८९६३	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर–१३ अप्रल, ६५- अतारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर –१३ अप्रेल, ६५–तारांकित प्रश्नोत्तर
८९६५	६	(बीकानेर) ?	(बीकानेर):
८९६७	१३	श्री भैरोसिह्	श्री भैरोंसिंह
८९६८	स्कम्भ	७९६८	८९६८
,,	अन्तिम से ६	थी अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
,,	,, ,, ३	श्री चतु भुज	श्री चतुर्भुज
८९६९-७०	शीर्षक	१३ अप्रल, ६५	१३ अप्रेल, ६५
८९६९	१४	भदेसर श्री हायर	भदेसर में हायर
,,	१५	श्री अब्दुल जब्बार	श्री अब्दुलजब्बार
८९७३	१३	विरूद्ध	विरुद्ध
८९८४	१९	(विधि मंत्री)	(विधि मंत्री)
८९८५	१	पानी	पाली
,,	१६	लेजा कर	ले जाकर
८९८७	११	हैं ?	हैं।
८९८८	२०	ग्रोचत्य	औचित्य
८९८९ से ८९९१	शीर्षक	विरोध	निरोध
८९९१	१	श्री मोहनलाला सुखाड़िया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया

१	२	३	४
८९९१	१८	(संशोधन)	(संस्था)
,,	२२	,,	,,
८९९४ से			/
९०२०	शीर्षक	,,	,,
९०००	१२	आयेगे	आयेंगे
,,	२६	रजिट्रेशन	रजिस्ट्रेशन
९००१	१६	वजाय	बजाय
९००२	२१	मजूर	मंजूर
९०१६	अन्तिम से ६	मोरगेज	मोर्टगेज
९०२०	११	परफोमेंस	पर्फोर्मेंस
९०२१ से ९०२४	शीर्षक	रा० स० विधेयक–१३ अप्रेल, ६५–खाद्य स्थिति पर विचार-विमर्श	राजस्थान सहकारी–१३ अप्रेल, ६५– संस्था विधेयक, १९६४
९०२४	अन्तिम से २	वात है।	बात है
९०२८	१६	ट्रबिल होने	ट्रबल होने
९०३१	शीर्षक	लाद्य	खाद्य
९०४१	८	वारे में मैं कहा	बारे में मैंने कहा
९०५४	११	प्रोफिटियरर	प्रोफिटियर
९०५७	१७	मिर्वा	मिर्धा
९०६६	१० व १३	लाइसेन्सिग	लाइसेन्सिग
९०६९	३	फैंसेलिटि	फैसिलिटी
९०७२	१५	प्राडक्शन	प्रोडक्शन
९०७६	अन्तिम से ५	कहका चाहता	कहना चाहता
,,	अन्तिम से२-१	निरारित	निर्धारित
९०७७	१९	खडसारी	खंडसारी
९०८०	२४	मार्किटिंग	मार्केटिंग
९०८१	अन्तिम से ५	प्रोड्यूसस	प्रोड्यूसर्स
९०८४	१७	वंतना	बताना

१	२	३	४
६०८४	१८	मार्केटिग	मार्केटिंग
६०८६	२७	होपलस	होपलेस
६०८८	१२	हैहू	है।
६०८६	अन्तिम से ८	रिजर्व बक	रिज़र्व बैंक
,,	,, ,,६-५	बढ़ाया, गया	बढ़ाया गया,
६०६०	शीर्षक	विमश	विमर्श
,,	४	है।	है,
,,	२०	चपर तो असर	ऊपर तो उसका असर
,,	अन्तिम	नहा	वहीं
६०६२	१०	नहीं; बनाती	नहीं बनाती;
६०६५	३	सुगर	शुगर
६०६६	११	वोलियेगा	बोलियेगा
,,	१४	श्री िरधारीलाल	श्री गिरधारीलाल
६०६२	१२	होर्डर	होर्डिंग
६०६८	१२	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
,,	१५	कानू	कानून
,,	१८	श्री नाथूम	श्री नाथूराम
,,	२५	पदासनी	पदासीन
,,	२६	सुाणा	सुराणा
६०६६	८	आंपकी	आपकी
,,	१६	समानेत्रीजी	सभानेत्रीजी
६१००	१४	नोटिफिकेफन	नोटिफिकेशन
,,	अन्तिम से ७	को सूची	की सूची
६१०२	३	श्री नाथू ाम	श्री नाथूराम
,,	अन्तिम से ६	भीलवाडा	भीलवाड़ा
६१०५	,, ,, ८	वैठ जाऊंगा	बैठ जाऊंगा
६१०७	२२	महोदया मैं,	महोदया, मैं
६१११	१०	श्री योगेंन्द्रनाथ	श्री योगेन्द्रनाथ
६११३	१३	ताज्जुव	ताज्जुब
६११४	अन्तिम से ४	मडी	मंडी

१	२	३	४
६११७	१८	(वैगृ)	(वैगू)
६११८	अन्तिम से ८	षता	पता
६११६	अन्तिम से ४	गवनमेन्ट	गवर्नमेंट
६१२०	अन्तिम से ३	बिगड	बिगड़
६१२७	२६	प्रोडक्श न	प्रोडक्शन
६१३१	२	डिप	डिपा–
६१३४	२५	इकट्रा	इकट्ठा
६१३६	२०	खांद्य	खाद्य
,,	अन्तिम से ६	उठ़ कर	उठा कर
६१३८	४	नहां	नहीं
,,	अन्तिम से ५	विघान सभा	विधान सभा
६१४०	१४	उपाध्यअ	उपाध्यक्ष
६१४१–४२	शीर्षक	१३ अप्रल	१३ अप्रेल
६१४१	अन्तिम	व्यापारियों	व्यापारियों
६१४२	३	माननी	माननीय
६१४३ से			
६१४७	शीर्ष	श्री नाथूराम मिर्षा	श्री नाथूराम मिर्धा
६१४४	अन्तिम	खा टेगिरी	खास केटेगरी
६१४६	शीर्ष	विमश	विमर्श
,,	५	प्राइज़	प्राइस
,,	२५	मुकरर	मुकर्रर
६१५०	अन्तिम से २	It is	It is the
६१५१	७	withdrawn Sir,	withdrawn, Sir
६१५२	६	एड्रेस	एड्रेस
६१५३	१२	सराणा	सुराणा
६१५६	२१	प्राड्यूरिंग	प्रोड्यूसिंग
,,	,,	क्योंं	क्योंकि
६१६१	६	संबोधित सदस्य सुने	सम्बन्धित सदस्य सुनें
६१७५	८	के सद्स्य	के सदस्यों
६१७७	१६	खाद्यान्न	खाद्यान्न
६१७८	१०	स्मर्गलिग.	स्मगिलग
,,	२५	श्री नाथूाम	श्री नथूराम

(५)

१	२	३	४
६१७६	१०	नसीरावाद	नसीराबाद
६१८०	१०	मिल	मील
६१८१	१६	(मक्ष्मणगढ़)	(लक्ष्मणगढ़)
६१८३	५	हाकर	होकर
६१८४	४, ६व १४	श्री नाथूम	श्री नाथूराम
६१८५	१४	विहाफ	बिहाफ
६१८६	२०	no high	no High